

**LAXMI**<sup>®</sup>

**PAPER-III**

**Exam Notes**

# समावेशी विद्यालय का सृजन (CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL)

**B.Ed.-2nd Year**

**BMD COLLEGE OF EDUCATION**

LEARN. BELIEVE. ACHIEVE

EST. 2008

**डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ**

Ch. Ranbir Singh University, Jind,  
Maharshi Dayanand University, Rohtak,  
Indira Gandhi University, Meerpur,  
Guru Jambheshwar University, Hisar

According to the New Syllabus Maharshi Dayanand University, Rohtak;  
Ch. Bansi Lal University, Bhiwani; Ch. Ranbir Singh University, Jind; Indira  
Gandhi University, Meerpur and Guru Jambheshwar University, Hisar

**LAXMI**®

**EXAM NOTES**

# समावेशी विद्यालय का सृजन

## [CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL]

[ Paper-3 ]

For :  
B.Ed.-2nd year

BMD COLLEGE OF EDUCATION

LEARN. BELIEVE. ACHIEVE

EST. 2008

लेखक :

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ

एम.ए. एम.एड.,

एम.फिल्. (अंग्रेजी) पी.एच.डी.

—: प्रकाशक :—

Ph. : 7206043575



**लक्ष्मी बुक डिपो**

(उच्च कोटि की लक्ष्मी पुस्तकों के प्रकाशक)

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

New Edition

Price : Rs. 150 /

# SYLLABUS

MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK &  
CH. RANBIR SINGH UNIVERSITY, JIND

## CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL [ Paper - III ]

Time: 3 Hours

Max. Marks: 100

(Theory: 80 Internal: 20)

### NOTE FOR PAPER SETTER

- Paper setters will set 9 questions in all, out of which students will be required to attempt 5 questions.
- Q. No. 1 will be compulsory and will carry 16 marks. There will be 4 short-answer type questions of 4 marks each to be selected from the entire syllabus.
- Two long answer type questions will be set from each of the four units, out of which the students will be required to attempt one question from each unit. Long-answer type questions will carry 16 marks each.
- All questions will carry equal marks.

### OBJECTIVES

After completion of the course, student teachers will be able to:

- > understand the concept of exceptionality and inclusive education
- > acquaint themselves with the legal and policy perspectives of inclusive education
- > develop positive attitude towards children with special needs
- > use teaching strategies in the education of children with special needs
- > use support services and partnership in teaching
- > incorporate innovative practices in the education of the children with diversities

### COURSE CONTENT

#### UNIT-I

#### 1. Concept of Exceptionality and Children with Special Needs

- Understanding diversities / differences- concept, characteristics and types of various disabilities ( Visual, Hearing, Mental Retardation, locomotors and neurological disorders, learning disability and multiple disability)
- Concept, meaning and need of inclusive education
- Transition from segregation to inclusion
- Principles of Inclusive Education
- Models of Inclusion

Published by :  
**LAXMI Book Depot**  
Hansi Gate, Bhiwani  
Haryana  
Ph. : 8295643575, 7206043575

Sales Executives :  
**BRIJ LAL & SONS**  
Railway Road, Rohtak, Haryana  
Phone : 09355911047,  
09355911077

Sales Executives :  
**HARYANA Educational Store**  
Model Town, Rohtak-124001  
Phone : 01262-282142 (Shop)  
Mo(b) : 09812221923

Sales Executives :  
**KALA MANDIR**  
1687, Nai Sarak, Delhi-110006  
Phone : 011-43068496, 9999369804  
011-23278828, 09999369805

Registered Trade Mark No. 832158, 831949

"This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action..."

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication. In spite of this, some errors might have crept in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publisher nor the authors or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom.

#### © Laxmi Book Depot

No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system] or reproduced on any disc, type perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Design by :  
**DAKSH GRAPHICS,**  
New Delhi

Printed by :  
**Novelty Printing Press**  
Delhi-110053

**UNIT-II****2. Legal and Policy Perspectives**

- **International Declarations and Conventions:**
  - ◆ Salamanca statement and framework of action, 1994
  - ◆ Educational provisions in the UN convention on the rights of person with disabilities (UNCRPD), 2006
- **Constitutional Provisions**
  - ◆ Education of students with disabilities in NPE 1968, 1986, POA(1992)
  - ◆ (PWD Act 1995), (RCI Act , 1992), (RTE Act 2009)
  - ◆ Education in the national policy on disability, 2006
- **Role of Organizations for Education of Children with Disabilities**
  - ◆ Rehabilitation Council of India (RCI)
  - ◆ National Institute of Different Disabilities
  - ◆ Composite Regional Centres (CRCs)
  - ◆ District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs)
  - ◆ Non Voluntary Govt. Organizations (NGOs)

**UNIT-III****3. Special Needs & Inclusion**

- Special needs in terms of learning experiences in the context of disabilities and their learning styles
- Schools awareness and readiness for addressing learning difficulties
- Concept of an inclusive school- infrastructure and accessibility, awareness and positive attitude towards disability, human resources, whole school approach

**UNIT-IV****4. Practices and Support System for Inclusive Set up**

- Pedagogical Strategies to respond to individual needs of learners in classroom: Peer tutoring, cooperative learning strategy, social learning, Buddy system, Reflective teaching, Multisensory teaching
- Support Services and Partnership in Teaching: Developing positive relationship between school and home. Teaching and co-teaching personnel : Parents and teachers, teacher and special teacher, Team of teacher, Parents, Special Educator, Speech therapist, physiotherapist, occupational therapist and counsellor, Professional training of teachers in inclusive schools
- Assistive and Adaptive Technologies in Inclusive Set up, use of ICT, Equipments and others technologies for different disabilities

**Tasks & Assignments: Any one of the following (10 marks)**

- Prepare a Report on school readiness for addressing Children with special needs.
- Record Keeping & Maintenance of Education of Children with Special Needs
- Any other project given by the institution

**विषय-सूची****UNIT-I****1. विशिष्टता का सम्प्रत्यय तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे [Concept of Exceptionality & Children with Special Needs].....3**

1. दृष्टि-बाधित बालकों का क्या अर्थ है? दृष्टि-दोष के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए।  
(What is the meaning of visually impaired children? Discuss the main causes of visual impairment.)

*अथवा*

दृष्टि-दोष बालक कौन होते हैं? दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? वर्णन कीजिए।  
(Who are Visually Impaired Children? What are the Causes of Visual Impairment? Explain.).....3

2. दृष्टि-बाधिता या दृष्टि असमर्थता का क्या अर्थ है? दृष्टि बाधिता की मुख्य विशेषताओं, पहचान तथा इनकी देखभाल एवं प्रशिक्षण की विवेचना कीजिए।  
(What is the meaning of visually impairment/disabilities? Discuss the characteristics, identification care and training of visual impairment.) .....5

3. श्रवण बाधित से बालकों का क्या अर्थ है? इसके मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए।  
(What is the meaning of hearing impaired children? Explain about its main types.)

*अथवा*

श्रवण बाधित बालक कौन होता है? श्रवण बाधिता कितने प्रकार की है?  
(Who is Hearing Impaired child? What are the types of Hearing Impairment?).....10

4. श्रवण दोषों से ग्रस्त बालकों की पहचान तथा कारणों पर प्रकाश डालिए।  
(Throw light on the identification and causes of hearing impaired children.)

*अथवा*

श्रवण बाधिता के क्या लक्षण हैं? श्रवण बाधिता होने के क्या कारण हैं?  
(What are the symptoms of Hearing Impairment? What are the causes of Hearing Impairment?) .....13

5. श्रवण बाधित तथा असमर्थता का क्या अर्थ है? इनकी मुख्य विशेषताओं, कारणों, पहचान तथा देखभाल एवं प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए।  
(What is the meaning of hearing impaired disability? Explain about the main characteristics, causes, identification and care and training of hearing impaired children.)

अथवा

आप 'श्रवण बाधित' बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? इनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कर उनकी व्याख्या कीजिए।  
(How can you identify 'Children with hearing Impairment'? Enlist and explain their special educational needs.)

अथवा

'श्रवण अंपगुता की परिभाषा दीजिए। समावेशी स्कूलों में ऐसे बालकों के लिए क्या-क्या शैक्षिक प्रावधान बनाए जा सकते हैं? वर्णन कीजिए।  
(Define the term 'Hearing Impairment. What educational provisions can be made for the hearing impaired children in Inclusive education.)

अथवा

'श्रवण बाधित' को परिभाषित कीजिए। अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे।  
(Define Hearing Impairment. How would you identify such children in your classroom?) .....16

6. मन्द-बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं? मन्द-बुद्धि बालकों के प्रमुख प्रकारों, विशेषताओं तथा कारणों की विवेचना कीजिए।

अथवा

मन्द-बुद्धि बालकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? मन्द-बुद्धि बालकों की मुख्य विशेषताओं, पहचान से सम्बन्धित परीक्षणों तथा कारणों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

मन्द-बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के वर्गीकरण, विशेषताओं तथा कारणों का वर्णन कीजिए।  
(Explain about the classification, characteristics and causes of mentally retarded children.)

अथवा

मानसिक मन्दता से आप क्या समझते हैं? इसके कारण व अनुदेशन की रणनीतियों का वर्णन करें।  
(What are you understand by mental retardation? Describe its causes and Instructional strategies.).....22

7. गतिमान तथा स्नायु विषयक विकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? गतिमान तथा स्नायु विषयक विकारों के कारण तथा उनके उपचार का वर्णन कीजिए।  
(What do you mean by Locomotor and Neurological disorders? Describe the causes and treatment of Locometer and Neurological disorders.) .....30

8. अधिगम असमर्थता का क्या अर्थ है? अधिगम असमर्थता की मुख्य विशेषताओं, कारणों, पहचान तथा शिक्षा पर प्रकाश डालिए।  
(What is the meaning of Learning Disability? Throw light on the main characteristics, causes, identification and education of learning disability.)

अथवा

अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं एक समावेशित विद्यालय में अधिगम असमर्थता युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए।  
(What do you understand by learning disability? Highlight special educational needs of children with learning disabilities in an inclusive school.).....33

9. बहुबाधिता से आप क्या समझते हैं? बहुबाधिता के प्रकार, कारण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए।  
(What do you know about multiple disabilities? Describe the types, causes and characteristics of multiple disabilities.)

अथवा

बहुबाधिता क्या है? बहुबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।  
(What is multiple disability? Describe the educational provisions of multiple disabled children.) .....40

10. समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा की विशेषताओं, आवश्यकताओं तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।  
(What in Inclusive Education? Describe the characteristics, needs and importance of Inclusive Education.)

अथवा

समावेशी शिक्षा को परिभाषा दीजिए तथा समकालीन भारत में इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व की व्याख्या कीजिए।  
(Define inclusive education and explain its need and importance in contemporary India.)

अथवा

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर नोट लिखिए।  
(Write a short note on need of inclusive education.)

अथवा

समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। इसकी आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।  
(Define Inclusive education. Discuss its needs in detail.)

11. विशिष्ट बालकों से आपका क्या अभिप्राय है? विशिष्ट बालकों की प्रकृति क्या है? (What is meant by Exceptional Children? What is the nature of Exceptional Children?) .....44

अथवा

पृथक्करण से आपका क्या अभिप्राय है? सामान्य व विशिष्ट बालकों में क्या अन्तर है? (What do you mean by Segregation? What is the difference between Normal and Exceptional Children?) .....48

12. विशिष्ट शिक्षा क्या है? इसकी आवश्यकता तथा महत्त्व क्या हैं? (What is special Education? What is the need and importance of Special Education?)

अथवा

विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।  
(Describe the need and importance of special education.)

.....52

13. पृथक्कन शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है?  
(What is the difference between segregated education and Inclusive Education)

अथवा

शिक्षा का पृथक्करण से समावेशन में परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए।  
(Write a note on transition from segregation to Inclusion of Education.)

अथवा

निःशुल्क बालकों की शिक्षा में अलगाव से समावेश तक के बदलाव को अनुरेखित कीजिए।  
(Trace the transition in education of children with disabilities from segregation to inclusion.).....55

14. विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक तथा समकालीन परिपेक्ष का वर्णन कीजिए।  
(Describe the historical and contemporary perspective to Inclusive education for disabled children.).....57

15. समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।  
(Describe the principles of Inclusive Education.).....59

16. समावेशन में प्रतिमानों का वर्णन कीजिए।  
(Describe the models of inclusion.)

अथवा

समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों का वर्णन कीजिए।  
(Describe the models of Inclusive Education.)

अथवा

'समावेशित शिक्षा' के विभिन्न मॉडलों की व्यवस्था कीजिए। आपके राज्य के लिए इनमें से कौन-सा मॉडल सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों?  
(Explain different models of 'Inclusive Education'. Which one of them is most appropriate for your state and why?)

अथवा

समावेशन के प्रतिमानों से आपका क्या अभिप्राय है? वेंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान का वर्णन कीजिए।  
(What do you mean by models of Inclusion? Describe Wang's Adaptive Learning Environment Model – WALEM.).....61

## UNIT-II

2. कानून विषयक तथा नीति परिप्रेक्ष्य  
[Legal and Policy Perspective].....65

1. सालामानका वक्तव्य तथा कार्यवाही रूपरेखा 1994, तथा असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2006 शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।  
(Describe Salamanca Statement and Framework of Action, 1994 and educational provisions in the UN convention on the rights of person with disabilities (UNCRPD), 2006.)

अथवा

सालामानका कथन एवं क्रियात्मक रूपरेखा 1994 का वर्णन कीजिए।  
(Describe Salamanca Statement and Framework of Action, 1994.).....65

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 ने विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम सुझाए हैं?  
(What steps have been suggested by the New Education Policy, 1986 for the Education of Children with disabilities?)

अथवा

असमर्थ बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर टिप्पणी लिखिए।  
(Write a note on National policy on disabilities.).....67

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षतिग्रस्त अथवा विकलांग बालकों के लिए बनाए गए समेकित शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा का उल्लेख कीजिए।

अथवा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में क्षतिग्रस्त अथवा विकलांग बच्चों के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालें।.....69

4. क्रियान्वयन कार्यक्रम, 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए।  
(Write a note on education of students with disabilities in programme of Action (POA) 1992.)

अथवा

असमर्थ बालकों की शिक्षा में कार्य योजना पीओए 1992 का वर्णन कीजिए।  
(Describe education of students with disabilities in POA 1992.).....71

5. विकलांग जन अधिनियम 1995 पर विस्तार से लेख लिखिए।  
(Write a detail note of persons with Disability Act, 1995.)

अथवा

पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का वर्णन करें।  
(Describe PWD Act, 1995.).....75

6. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 का वर्णन कीजिए।  
(Describe Rehabilitation Council of India (RCI) Act 1992.)  
.....78

7. शिक्षा का अधिकार विधयेक-2009 पर विस्तृत विवेचना कीजिए।  
(Write a detailed note in Right to Education Act 2009.)...79

8. समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2006 में क्या प्रावधान किए गए हैं?  
(What are the provisions made in National Policy for Persons with disabilities 2006 with reference to Inclusive Education?)

अथवा

असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2006 की अनुशंसाओं का वर्णन कीजिए।  
(Explain the recommendations of National Policy for disabled person, 2006.)

अथवा

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति विकलांग, 2006 के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए।

(Discuss the chief features of National Policy for persons with disabilities 2006 with reference to Inclusive Education.)

अथवा

विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कीजिए।

(What are the salient features of National policy for persons with Disabilities, 2006 with reference to Inclusive Education?).....86

9. असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए।  
(Describe the role of organizations for education of children with disabilities.).....89
10. गैर स्वायत्त सरकारी संगठन।  
(Non Voluntary Govt. Organizations.).....92

### UNIT-III

#### 3. विशिष्टता आवश्यकताएँ तथा समावेशन [Special Needs and Inclusion].....95

1. विभिन्न अधिगम शैलियों का वर्णन कीजिए।  
(Describe various learning styles?)

अथवा

अधिगम शैली से आप क्या समझते हैं? अधिगम शैलियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

(What is learning styles? Describe various types of learning styles.).....95

2. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं पर टिप्पणी कीजिए।  
(Write a note on diverse needs of SEN Learners.) .....100

3. अधिगम कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए विद्यालय जागरूकता तथा तत्परता का वर्णन कीजिए।  
(Describe the school awareness and readiness for addressing learning difficulties.).....102

अथवा

विद्यालय की जागरूकता तथा तत्परता में अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए।

(What is role of teacher in school awareness and readiness for addressing learning difficulties.) .....102

4. समावेशी विद्यालय का सम्प्रत्यय क्या है? समावेशी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, असमर्थन के प्रति संकारात्मक दृष्टिकोण, मानव संसाधन तथा सम्पूर्ण विद्यालय उपागम का वर्णन कीजिए।

(What is the concept of inclusive school? Describe the infrastructure, awareness and positive, attitude towards disability, human resources and whole school approach in inclusive school.) .....104

### UNIT-IV

#### 4. समावेशी व्यवस्था के लिए अभ्यास तथा सहायता व्यवस्था [Practices and Support System for Inclusive Set Up] .....111

1. सहयोगी अनुशिक्षण क्या है? सहयोगी अनुशिक्षण लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए।  
(What is Peer Tutoring? Discuss the merits and demerits of Peer Tutoring?) .....111

2. सहकारी अधिगम तथा मित्र व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सहकारी अधिगम के लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए।  
(What do you mean by co-operative learning and Buddy system. Discuss the merits and limitations of co-operative learning.) .....114

अथवा

सहयोगी अधिगम तथा मित्र व्यवस्था की अवधारणाओं पर नोट लिखिए।  
(Write a short note on concepts of co-operative learning and Buddy system.).....114

3. सामाजिक अधिगम से क्या अभिप्राय है? बैण्डूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धान्त का वर्णन करो।

(What do you mean by Social Learning? Describe Bandura's Social Learning Theory.) .....115

4. चिंतन स्तर के शिक्षण का वर्णन कीजिए।  
(Describe teaching of reflective level.).....117

5. बहुइन्द्रिय शिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।  
(Write a short note of multisensory teaching.).....120

6. परिवार क्या है? परिवार तथा विद्यालय में सहयोग का वर्णन कीजिए। .....121

7. अविभाक्क - व्यावसायिक साझेदारी से आप क्या समझते हैं? अविभाक्क-व्यावसायिक साझेदारी की आवश्यकता तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।  
(What do you understand by parent-professional partnership? Describe the need and importance of parent - professional partnership.) .....124

अथवा

समावेशी शिक्षा के लिए अविभाक्क पेशेवर भागीदारी की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा कीजिए।  
(Explain the need and relevance of parent-professional partnership for Inclusive education.) .....127

8. सामान्य तथा विशिष्ट अध्यापकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए।  
(Discuss the role and responsibility of General and Special Teacher.) .....130

अथवा

समावेशित शिक्षा के लिए सुविधादाना के मोर पर सामान्य, विशेष और संसाधन अध्यापकों की भूमिका और दायित्वों पर विचार कीजिए।  
(Discuss the role and responsibilities of General, Special and Resource teachers as facilitator for inclusive education.)

अथवा

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु समावेशित शिक्षा में 'सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के विषय में विस्तार से लिखिए।'  
(Elaborate the roles and responsibilities of 'General and Special Teachers' in the process of education of a child with special educational needs in an inclusive setting.)

अथवा

एक इन्क्लूसिव क्लासरूम में साधारण शिक्षक एवं रिसोर्स शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की विस्तृत व्याख्या करें।  
(Explain in detail, the roles and responsibilities of a general teacher and a resource teacher in an inclusive classroom.)

अथवा

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशित शिक्षा में एक संसाधन अध्यापक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों की चर्चा कीजिए।  
(Discuss the role and responsibilities of a resource teacher in inclusive education of children with special needs.)

अथवा

समावेशी कक्षा कक्ष में बहु-अक्षमताओं वाले छात्रों के प्रति अध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए।  
(Explain the role and responsibilities of teacher towards multi-disabled children in an inclusive classroom.)

अथवा

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य शिक्षकों की भूमिका की विस्तार से व्याख्या कीजिए।  
(Explain in detail the role of general teachers in Inclusive Education.) .....131

9. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं के लिए सहायक उपकरणों के प्रकार तथा प्रयोग पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।  
(Write a detailed note on types and use of assistive devices for learners with SEN.)

अथवा

समावेशी व्यवस्था में सहायक तथा अनुकूल उपकरणों का वर्णन कीजिए। विभिन्न असमर्थताओं के लिए यन्त्रों तथा दूसरी तकनीकियों के बारे में आप क्या जानते हैं?  
(Describe assistive and adaptive technologies in inclusive set up. What do you know about equipments and other technologies for different disabilities?).....133

अथवा

विभिन्न असमर्थताओं के लिए आई.सी.टी. का प्रयोग उपकरण तथा अन्य तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए।  
(Describe in detail the use of ICT, Equipments and other Technologies for different disabilities.) .....134

**LAXMI**<sup>®</sup>

**EXAM NOTES**

# समावेशी विद्यालय का सृजन


## [CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL]

[ Paper-3 ]

### UNIT-I

#### 1. Concept of Exceptionality and Children with Special Needs

- Understanding diversities / differences- concept , characteristics and types of various disabilities ( Visual, Hearing , Mental Retardation, locomotors and neurological disorders, learning disability and multiple disability)
- Concept, meaning and need of inclusive education
- Transition from segregation to inclusion
- Principles of Inclusive Education
- Models of Inclusion



—: प्रकाशक :-

**लक्ष्मी बुक डिपो**

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

## विशिष्टता का सम्प्रत्यय तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे

[Concept of Exceptionality & Children with Special Needs]

1.1 विभिन्नता की समझ : विभिन्न असमर्थताओं का  
सम्प्रत्यय, विरोधताएँ तथा प्रकार  
(Understanding Diversities (Differences) : Concept,  
Characteristics and Types of Various Disabilities)

### दृष्टि बाधिता (Visual Impairment)

1. दृष्टि-बाधित बालकों का क्या अर्थ है? दृष्टि-दोष के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए।  
(What is the meaning of visually impaired children? Discuss the main causes of visual impairment.)

अथवा

- दृष्टि-दोष बालक कौन होते हैं? दृष्टि दोष के क्या कारण हैं? वर्णन कीजिए।  
(Who are Visually Impaired Children? What are the Causes of Visual Impairment? Explain.)

उत्तर-आँख मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्री है। हम देखकर जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना ज्ञान हम सुनकर व पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। जो देख नहीं सकता उसके लिए यह संसार एक अन्धकार के समान है। अगर किसी कारणवश आँख में किसी प्रकार का दोष आ जाता है तो उसके लिए यह जीवन कष्टकर हो जाता है। हम देश-विशेष, अपने आस-पास से सम्बन्धित ज्ञान आँखों द्वारा प्राप्त करते हैं। बालक के दृष्टि-दोष के कारण दृष्टि-दोष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

दृष्टि-दोष बालक वह होते हैं जो नंगी आँखों से नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। ऐसे बालक ऐनक की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं तथा पढ़ भी सकते हैं। इनमें से कुछ बालक ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से मोटे अक्षरों में छपी किताबों को पढ़ सकते हैं। इन्हें हम आंशिक रूप से दृष्टि-दोष बालक कहते हैं। कुछ बालक जन्म से ही बिल्कुल अन्धे होते हैं अर्थात् उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी आँखों की रोशनी चोट, बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण चली जाती है तथा वे देखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इस प्रकार के बालकों को हम पूर्ण अन्धा कहते हैं।

**दृष्टि-दोष बालकों की परिभाषा (Definition of Visually Impaired Children)**

अमेरिका के मेडिकल संघ (1934) ने दृष्टि-दोष बालकों की कानूनी परिभाषा दी है। यह परिभाषा इस प्रकार है—


(A legally blind person is said to be one (1) who has visual acuity of 20/200 or less in better eye with one correction, (2) or whose field of vision is so restricted that it subtends an angle of 20° or less in better eye after correction.)

कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि-दोष बालक वह है जिनकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद बेहतर आँख से 20/200 तथा इससे कम हो। (2) अथवा जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° का कोण बनाती है।

भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने (1987) ने दृष्टि-दोष बालकों को इस प्रकार से परिभाषित किया है—

- अपनी दृष्टि खो चुके हों।
- दृष्टि-दोष 6/60 या 20/20 से अधिक न हो और चश्मे के प्रयोग से आँख उत्तम हो।
- दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° कोण बनता हो।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य दृष्टि वाला बालक किसी वस्तु को 200 फुट दूरी से साफ देख सकता है लेकिन दृष्टि-दोष बालक अगर उसी वस्तु को 20 फुट की दूरी से स्पष्ट देख सकता है तो हम उसे दृष्टि-दोष बालक कहेंगे। दृष्टि-दोष का परीक्षण स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। इस चार्ट का विकास डच डॉक्टर हरबर्ट स्नेलन (Herbert Snellen) ने किया था। इस चार्ट का प्रयोग दूर-दृष्टि दोष को मापने के लिए किया जाता है। नजदीक के दृष्टि-दोष के लिए नहीं किया जाता। इस चार्ट का पहला अक्षर 'E' होता है। सामान्य दृष्टि वाला इस अक्षर को 200 फुट की दूरी से पढ़ लेता है। अगर कोई इसे केवल 20 फुट की दूरी से पढ़ सकता है तो उसे दृष्टि-दोष है। उसका दृष्टि दोष 20/200 है।



स्नेलन चार्ट

दृष्टि-दोष बालकों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बाँट सकते हैं—

- (1) आंशिक अन्धे (2) अन्धे

(1) आंशिक अन्धे (Partially Blind)—आंशिक रूप से अन्धे वह बालक होते हैं जिनको दृष्टि-दोष होता है तथा वह दूर की वस्तुओं को दृष्टि यन्त्रों की सहायता से देख सकते हैं। आंशिक रूप से अन्धे बालकों को हम चार श्रेणियों में बाँट सकते हैं—

- (i) ऐसे बालक जिनकी दृष्टि-एक्यूटी (Visual Acuity) 20/70 या 20/200 के मध्य होती है।

- (ii) ऐसे बालक जो गंभीर दृष्टि सम्बन्धी कठिनाइयों से पीड़ित हैं।  
 (iii) ऐसे बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित हैं तथा यह रोग उनकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं।  
 (iv) ऐसे बालक जो सामान्य मस्तिष्क वाले हैं लेकिन डॉक्टरों और शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार यह बालक कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों तथा सामान के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं।

(2) अन्धे (Blind)—ऐसे बालक जो जन्म से ही अन्धे होते हैं या जन्म के पश्चात् किसी चोट, दुर्घटना, बीमारी के कारण उनके नेत्रों की ज्योति चली जाती है। यह बालक सुनकर या ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। इनको पूर्णतया अपनी ज्ञानेन्द्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

**दृष्टि-बाधिता के कारण (Cause of Visual impairment)**

अन्धापन एक अभिशाप है क्योंकि अन्धे के लिए यह संसार एक अन्धकार है। देखकर ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। आँखें बहुत अनमोल हैं। हमें इन की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए।

दृष्टि-बाधिता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—

- (1) वंशानुगत प्रभाव (Hereditary Effect)—बड़ों का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है। कई बार देखा गया है कि अगर माँ-बाप में से किसी एक को दृष्टि-दोष है तो इसका असर आने वाली सन्तानों पर पड़ता है यह दोष फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।
- (2) संक्रामक रोग (Infectitious Diseases)—प्रायः संक्रामक रोगों के कारण आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है जो कि बाद में दृष्टि-दोष का कारण बन जाता है। हमें संक्रामक रोगों से सावधानी रखनी चाहिए।
- (3) साधारण बीमारी (Common Disease)—कभी-कभी साधारण बीमारी भी दृष्टि-दोष का कारण बन जाती है। शुगर वाले व्यक्ति को प्रायः दृष्टि-दोष हो जाता है।
- (4) चोट व दुर्घटना (Injury or Accident)—कई बार आँख पर चोट लगने के कारण दृष्टि-दोष हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना इसका कारण बन सकती है।
- (5) जहर का असर (Effect of Poison)—कई बार छोटा बच्चा घर में रखी दवाई या कोई जहरीली वस्तु को खा जाता है जो कि दृष्टि-दोष का कारण बन जाता है। पेन्ट, शीशा, नीला थोथा आदि इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आँख में किसी नुकीली वस्तु का लगना, लापरवाही से बम आदि का लगना, होली पर पानी के गुब्बारे आदि का लगना भी दृष्टि-दोष का कारण बन जाता है।
- (6) जन्म से अन्धापन (Blindness by Birth)—कुछ बच्चे जन्मजात अन्धे होते हैं। कुछ कसों में देखा गया है कि उनकी आँखें ही नहीं होती तथा कुछ कसों में यह पाया गया है कि उनकी आँखें तो होती हैं लेकिन उनमें ज्योति नहीं होती या बहुत ही कम होती है।
- (7) जन्म के पश्चात् (After Birth)—कई बार दाई या आया की लापरवाही से बच्चे को दृष्टि-दोष हो सकता है। गिरने, गलत दवाई के प्रयोग या आहार की कमी के कारण भी दृष्टि-दोष संभव हो सकता है।

2. दृष्टि-बाधिता या दृष्टि असमर्थता का क्या अर्थ है? दृष्टि बाधिता की मुख्य विशेषताओं, पहचान तथा इनकी देखभाल एवं प्रशिक्षण की विवेचना कीजिए।

(What is the meaning of visually impairment/disabilities? Discuss the characteristics, identification care and training of visual impairment.)

उत्तर—दृष्टि-बाधिता या असमर्थता का वर्णन करने के दो तरीके हैं—(a) वैधानिक या कानूनी परिभाषा (Legal Definition) और (b) शैक्षिक परिभाषा (Educational Definition)।

(a) वैधानिक या कानूनी या मेडिकल परिभाषा (Legal or Medical Definition)—इस परिभाषा में दृष्टि के क्षेत्र (Field of Vision) का अनुमान लगाया जाता है। इससे यह निर्धारित किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति वैधानिक या कानूनी लाभ उठा सकता है या नहीं? सन् 1934 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (American Medical Association) ने यह परिभाषा दी थी। इसे अब अंधों की अमेरिकन संस्था (American Foundation for the Blind) ने तथा अन्य देशों की अंधों की परिषदों ने इसे अब स्वीकार कर लिया है। कानूनी परिभाषा के अन्तर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति की आँख कितनी दूरी पर रखी वस्तु के स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसे एक (Snellen Chart) द्वारा देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक मीटर की दूरी पर अँगुलियों को नहीं गिन सकता तो वह अन्धा माना जाता है। कुछ व्यक्ति आंशिक (Partially) रूप से तथा कुछ पूर्ण रूप से दृष्टि असमर्थ होते हैं। कुछ लोग आंशिक दृष्टि असमर्थों को निम्न दृष्टि (Low Vision) का नाम देते हैं जोकि उचित नहीं है। निम्न दृष्टि दृष्टि की स्पष्टता से सम्बन्धित है जबकि आंशिक दृष्टि असमर्थता का सम्बन्ध दूरी से होता है जिसका पता Snellen Chart द्वारा लगता है। यह दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं।

(b) शैक्षिक या कार्यक्रम परिभाषा (Educational or Functional Definition)—कई अध्यापक कानूनी या मेडिकल परिभाषा में रुचि नहीं रखते। ऐसा विचार व्यक्त किया जाता है कि कानूनी रूप से अन्धे व्यक्ति की दृष्टि नहीं होती जबकि कानूनी अन्धों का बहुत कम प्रतिशत ही पूर्ण अन्धा होता है। इनमें से अधिकतर लोग देखने योग्य होते हैं। कानूनी परिभाषा की परिसीमा (Limitation) को देखते हुए अधिकतर लोग शैक्षिक परिभाषा का अधिक समर्थन करते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अन्तर्गत, वे लोग जो बुरी तरह से दृष्टि-बाधित (Vision Impaired) होते हैं और जिन्हें 'ब्रेल' (Braille) द्वारा पढ़ाने की आवश्यकता होती है, दृष्टि असमर्थ (Vision Disabled) कहलाते हैं, जो आंशिक दृष्टि वाले लोग होते हैं, वे मुद्रित (Printed) शब्दों को या मोटे-मोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं।

**दृष्टि बाधितों/असमर्थियों की विशेषताएँ (Characteristics of Visually Impaired/Disabled)**—दृष्टि बाधितों/असमर्थियों की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत करते हैं—

1. भाषा विकास (Language Development)
2. बौद्धिक योग्यता (Intellectual Ability)
3. शैक्षणिक उपलब्धि (Academic Achievement)
4. सामाजिक और कार्य समायोजन (Social and Work Adjustment)

#### 1. भाषा विकास (Language Development)—

- (i) दृष्टि बाधितों या असमर्थियों की भाषा का विकास बाधित (Impaired) नहीं होता—ऐसी बात अध्ययनों के परिणामस्वरूप सामने आई है। अन्धा व्यक्ति भाषा से सुन सकता है तथा वह दृष्टियुक्त बच्चे को अधिक भाषा का प्रयोग कर सकता है क्योंकि उसके पास संप्रेषण (Communication) का यही मुख्य साधन होता है।
- (ii) बेशक ऐसे बच्चों की भाषा बाधित नहीं होती लेकिन यह सामान्य बच्चों की भाषा से भिन्न होती है। सामान्य बच्चों की भाषा उनके संवेदी अनुभवों (Sensory Experiences) के अनुसार ही स्थाई (Consistent) होती है परन्तु अन्धा व्यक्ति 'शाब्दिक अवास्तविकता' (Verbal Unreality) का प्रदर्शन करता है। अर्थात् वह शब्दों का अपर्याप्त निर्भरता (Inappropriate reliance on words) का प्रदर्शन करता है।

#### 2. बौद्धिक योग्यता (Intellectual Ability)—

- (i) दृष्टि बाधित बच्चे निम्न बुद्धि वाले नहीं होते। जिन बच्चों का IQ शुरू के वर्षों में कम होता है, वे अचानक नाटकीय ढंग से पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं के कारण बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं।

- (ii) अच्छे बच्चों की संप्रत्यात्मक योग्यताएँ सामान्य बच्चों से निम्न स्तर की नहीं तो अलग अवश्य होती हैं। संप्रत्यात्मक विकास में कमी पर्याप्त अधिगम अनुभवों के अभाव के कारण होती है।
- (iii) ऐसे बच्चे स्थान (Space) को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे दूरी को नहीं देख सकते। वे स्थान (Space) का अनुभव किसी स्थान पर पहुँचने में लगे समय के आधार पर करते हैं। आवाजों से वे दिशा और दूरी का अनुमान प्राप्त करते हैं।
- (iv) ऐसे बच्चों में 'ध्यान' की योग्यता अधिक होती है क्योंकि इनकी अन्य इन्द्रियों पर निर्भरता अधिक होती है। वे कार्य के अच्छी तरह से सुन सकते हैं।

#### 3. शैक्षणिक उपलब्धि (Academic Achievement)—

- (i) आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बच्चे दृष्टि वाले बच्चों से मानसिक आयु (Mental Age) की दृष्टि से पीछे होते हैं।
- (ii) दृष्टि-बाधित बच्चों की उपलब्धि उतनी प्रभावित नहीं होती जितनी कि श्रवण-बाधित बच्चों की होती है क्योंकि सुनने की योग्यता स्कूल अधिगम के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

#### 4. सामाजिक और कार्य समायोजन (Social and Work Adjustment)—

- (i) ऐसे बच्चों में यदि समायोजन की समस्या पैदा होती है तो वह इस कारण से हो सकती है कि समाज ने उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार किया है। दूसरे शब्दों में अन्धे व्यक्ति के प्रति समाज की प्रतिक्रिया उसके समायोजन को निर्धारित करती है।
- (ii) दृष्टि बाधित बच्चों को उनके साथियों द्वारा उचित प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता। अधिक दृष्टि बाधित बच्चों को कम बाधित बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वीकार किया जाता है। क्योंकि उनके प्रति उनकी सहानुभूति भी बढ़ जाती है।
- (iii) यह आवश्यक नहीं होता कि अन्धे व्यक्ति अधिक आश्रित और निसहाय होते हैं। अन्धे व्यक्ति की निर्भरता और निसहायता (Dependency and Helplessness) अन्धों के प्रति समाज के दृष्टिकोण और अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप होती है?

**दृष्टि असमर्थियों की पहचान (Identification of Visually Disabled)**—जो बच्चे जन्म से अन्धे होते हैं उनकी पहचान उनके माता पिता जीवन के वर्ष में ही कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में दृष्टि-बाधिता (Visual Impairment) कम होती है उनकी पहचान प्राथमिक स्कूल से पहले नहीं हो पाती जब स्कूल-कार्य में दृष्टि आवश्यक हो जाती है।

इन बच्चों की पहचान के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिक लोगों की सहायता लेनी चाहिए ताकि दृष्टि बाधिता की मात्रा और प्रकृति की पहचान की जा सके। जिन बच्चों की आँखें देखने में सामान्य लगती हैं, उनकी पहचान जल्दी से नहीं हो पाती। अध्यापक ऐसे बच्चों की पहचान निम्न चेक लिस्ट की सहायता से कर सकता है जिसे NCERT, नई दिल्ली ने विकसित किया है। यह ध्यान रहे कि केवल एक ही व्यवहार से इनकी पहचान नहीं होती। एक से अधिक व्यवहारों का होना आवश्यक है।

#### 1. व्यवहार (Behaviour)—इसके अन्तर्गत

- (i) बच्चा आँखों को अत्यधिक मलता रहता है।
- (ii) एक आँख को ढक कर सिर आगे को झुकाता है।
- (iii) पलकों को बहुत बार झपकता (Blinks Frequently) है।
- (iv) दूर की दृष्टि वाली खेलों में भाग लेने से योग्य नहीं होता।
- (v) रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना।
- (vi) पुस्तकों को आँखों के निकट रखकर पढ़ना।
- (vii) कक्षा में बोर्ड से नोट उतारते समय अन्य बच्चों से पूछना।

**Appearance—**

- ऐसे बच्चों की आँखें Crossed होती हैं।
- पलकें सूजी हुई होती हैं।
- आँखों में पानी भरा होता है।

**Complaints—**

- आँखों में जलन (Itching) या खुजली का महसूस होना।
- ठीक प्रकार से देख न पाना।
- सिरदर्द रहना, आँखों पर जोर डालकर काम करने के बाद घबराहट (Nausea) का होना।
- धुँधली (Blurred) या दोहरी दृष्टि (Double Vision) का होना।

अध्यापक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करने के बाद उन्हें विशेषज्ञों के पास भेजना आवश्यक होता है ताकि उनकी मेडिकल जाँच की जा सके। जैसे विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कूलों में समायोजित किया जाना चाहिए ताकि वे ठीक प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इनके लिए निम्नलिखित प्रकार के स्कूल हो सकते हैं—

- आवासीय स्कूल (Residential School)।
- नियमित स्कूलों में विशेष कक्षा में इन्हें रखना।
- एकीकृत ढाँचे में नियमित कक्षा कक्षा में इन्हें स्थापित करना।
- कई स्कूलों का एक ही इंचार्ज अध्यापक का होना।

(a) **आवासीय स्कूल (Residential School)**—अत्यधिक दृष्टि असमर्थी बच्चों (Severely Visually Impaired or Disabled Children) को आमतौर पर आवासीय स्कूलों में रखा जाता है। वे यहाँ अपने माता-पिता से तथा अन्य साथियों से अलग रहते हैं। रात दिन यहाँ व्यतीत करते हैं लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था बहुत कम लोकप्रिय है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि आवासीय सुविधा केवल अंतिम कदम है। अभी हाल की यही प्रवृत्ति रही है कि अन्धे बच्चों को आवासीय संस्थाओं में न रखा जाये जब तक कि उनमें कोई अन्य न्यूनता या कमी न हो, जैसे मानसिक विकलांगता, बहरापन आदि। ब्रेल (Braille) सिखा कर इन्हें नियमित कक्षा में रखना चाहिए। ऐसी सरकार की योजना है 'असमर्थी बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा' का नाम दिया गया है (Integrated Education for Disabled Children)।

(b) **विशेष कक्षा में रखना (Placement in Special Class)**—इन्हें विशेष कक्षा में रखना लोकप्रिय विधि है। बच्चा अपना सारा समय विशेष कक्षा में बिताता है तथा नियमित स्कूल में ही रहता है। विशेष रूप से प्रशिक्षित और शिक्षित अध्यापक उनके शिक्षण का कार्य करेंगे।

(c) **संसाधन कक्षा की सुविधा वाली कक्षा में रखना (Placement in Regular Classroom with resource room facility)**—यह विधि सब से अधिक प्रभावशाली है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बच्चे दृष्टि वाले बच्चों के साथ रखे जाते हैं। वे उनके साथ नियमित कक्षा में आधा दिन व्यतीत करते हैं और नियमित अध्यापकों द्वारा इन्हें पढ़ाया जाता है। विशेष अनुदेशनों के लिए उन्हें संसाधन कक्षा (Resource Room) में ले जाया जाता है ताकि संसाधन अध्यापक (Resource Teacher) की सहायता ली जा सके। बच्चे की शिक्षा नियमित अध्यापक और संसाधन अध्यापक की संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। यह व्यवस्था तभी प्रभावशाली होगी जब अन्धों की संख्या नियमित स्कूलों में पर्याप्त होगी।

(d) **कई स्कूलों का एक ही इंचार्ज अध्यापक (Single Incharge Teacher)**—जब अन्धों की संख्या अधिक नहीं होती तथा एक ही स्कूल में एक संसाधन अध्यापक की नियुक्ति संभव न हो, ऐसी स्थिति में एक ही संसाधन अध्यापक कई स्कूलों का इंचार्ज बन जाता है तथा वह हर स्कूल में घूम-घूमकर अन्धे बच्चों को विशिष्ट निर्देशन प्रदान करता है। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है।

**दृष्टि असमर्थी बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण (Care and Training of Visually Impaired/Disabled)**—हर बच्चे को चाहे व किसी भी प्रकार का असमर्थी क्यों न हो, या सामान्य ही क्यों न हो, उपयुक्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। हर समाज को यह अधिकार दृष्टि असमर्थी बालक को भी प्रदान करना चाहिए ताकि वे भी समाज के लाभकारी सदस्य बन सकें।

दृष्टि असमर्थी बच्चों में कई प्रकार के बच्चे शामिल हो सकते हैं—जैसे पूर्ण अन्धे, आंशिक दृष्टि असमर्थी, कम दृष्टि (Low Vision) वाले तथा एक आँख वाले। शिक्षा और प्रशिक्षण तथा उनकी देखभाल इनके दृष्टि दोष के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसी देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण माता-पिता, अध्यापकों और समुदाय के सदस्यों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। दृष्टि असमर्थी बच्चों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और उनकी देखभाल के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं—

1. **मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री (Large Print Material)**—आंशिक रूप से असमर्थी बच्चों को मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसी पुस्तकों में टाइप मोटा होता है। इनके लिए 18 प्वाइंट टाइप की सिफारिश भी की जाती है। इससे पढ़ने की गति कम हो जाती है।

2. **ब्रेल (Braille)**—जो बच्चे नियमित प्रिंट सामग्री का प्रयोग करने में असर्थ होते हैं उन्हें ब्रेल (Braille) में प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। यह अन्धों के पढ़ने और लिखने की एक मूल प्रणाली है। यह 6 डॉट सेल (Six Dot Cell) की बनी होती है जो 63 भिन्न-भिन्न चरित्रों (Characters) बताती है। 26 Dots का प्रयोग 26 अक्षरों (Alphabets) के लिए किया जाता है तथा बाकी 33 Dots चिह्नों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ हद तक यह शाट्टेड की ही प्रणाली है। लेकिन इसमें बच्चों को स्पेलिंग (Spelling) की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस ब्रेल में छपी पुस्तकें बहुत मोटी तथा महंगी होती हैं और भंडारण के लिए बहुत स्थान घेरती हैं। ये सभी विषयों और भाषाओं में उपलब्ध भी नहीं हैं।

3. **बोलने वाला कैल्कुलेटर (Talking Calculator)**—आंशिक और पूर्ण अन्धों के लिए बोलने वाले कैल्कुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें संख्यात्मक प्रविष्टियों को इयरप्लग (Earplug) द्वारा ऊँचा बोला जाता है। गणित को सीखने के लिए अन्धे बच्चे इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं।

4. **टेपरिकार्ड (Tape Recorder)**—उच्च स्तर की पाठ्य-पुस्तकों से पाठ्य-सामग्री को अध्यापक 'टेप' करके अन्धे बच्चों को सुना सकता है। टेप रिकार्डर का प्रयोग आजकल अधिक लोकप्रिय हो रहा है। विशेषकर भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के शिक्षण में। अन्धा बच्चा भी इस प्रकार की सामग्री से अधिक शीघ्रता से पूरा अध्ययन कर सकता है। दृष्टि वाले बालक अन्धे बच्चों की अपेक्षा ज्ञान अर्जित करने में आगे होते हैं। दृष्टि वाले बालक पर्याप्त अनुभव प्राकृतिक ढंग से अर्जित करते हैं जबकि दृष्टि बाधित बालक 'टुकड़ों' में सूचना ग्रहण करते हैं। दृष्टि वाले बच्चे अनुभव 'पूर्ण' रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि अन्धे बच्चे टुकड़ों में।

5. **मैग्निफाइंग ग्लास (Magnifying Glass)**—आंशिक रूप से दृष्टि वाले बच्चे इस प्रकार के शीशे का प्रयोग कर सकते हैं ताकि वे मुद्रित सामग्री के शब्दों को बड़े देख सकें और सुगमता से पढ़ सकें।

6. **क्लोस्ड सर्किट टेलीविजन (Closed Circuit T.V.)**—आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों के लिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन का प्रयोग पश्चिमी देशों में किया जा रहा है। कैमरे द्वारा पुस्तक के पृष्ठ का चित्र खींचकर उसे टेलीविजन की स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है। इस प्रकार प्रिंट के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है।

7. **सामान्य पाठ्यक्रम (General Curriculum)**—बहुत से विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अन्धे बच्चों को सामान्य विधियों द्वारा ही शिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें सामान्य सिद्धान्तों का फलन करते हुए दृष्टि वाले बच्चों के साथ ही शिक्षित किया जाये। यह कार्य नियमित स्कूलों (Regular Schools) में ही हो तथा एकीकृत स्थिति (Integrated Setting) में हो। दृष्टि असमर्थी बच्चों का पाठ्यक्रम दृष्टि वाले बच्चों जैसा ही होना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि—

- जहां तक व्यवहारिक हो, दोहरे अनुभव प्रदान किये जाने चाहिए।
- अनुभवों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा सामग्री के प्रकारों में, विधियों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- जो पाठ दृष्टि करते बच्चे को दिया जाता है उसी से मिलता-जुलता पाठ ही दृष्टि-असमर्थी बालकों को भी दिया जाना चाहिए।

**8. सहगामी क्रियाएँ (Co-curricular Activities)**—स्कूल में दृष्टि-असमर्थी बच्चों को सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उनकी दृष्टि बाधिता को ध्यान में रखकर ये क्रियाएँ उनसे करवाई जा सकती हैं—

गाना गाना, यंत्र वादन, भाषण, कविता की रचना करना, खेले जिनमें आवाज का साथ हो जैसे साधारण गेंद के साथ घंटी बजने की व्यवस्था हो। इन गतिविधियों में दृष्टि बाधितों को दृष्टि वाले बच्चों के बराबर रखना ठीक नहीं होगा।

**अध्यापक की भूमिका (Role of the Teacher)**—दृष्टि-असमर्थी बच्चों के समायोजन में अध्यापक की मुख्य भूमिका निम्न प्रकार की हो सकती है—

- नियमित अध्यापक ऐसे बच्चों में स्वतन्त्रता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उन्हें कमरे में अपनी चीजों की स्वयं देखभाल करने के लिए कहें।
- नियमित अध्यापक दृष्टि-बाधित और सामान्य दृष्टि वाले बच्चों में स्वस्थ अन्तःक्रिया को प्रोत्साहित करें।
- नियमित अध्यापक दृष्टि-बाधित और सामान्य दृष्टि वाले बच्चों को एक समान विशेष कार्य प्रदान करें।
- अध्यापक कक्षा में सामान्य दृष्टि वाले बालक को दृष्टि असमर्थी बच्चों को 'गाइड' बनने को भी कह सकता है।
- अन्धे बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि उसमें अन्य सामान्य साथियों के साथ किया जाता है।
- दृष्टि असमर्थी बच्चों की शिक्षा की योजना बनाते समय नियमित अध्यापक को संसाधन अध्यापक (Resource Teacher) से विचार-विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए। वह नियमित अध्यापक का मार्गदर्शन कर सकता है।
- आंशिक रूप से अन्धे बच्चों के लिए नियमित अध्यापक कक्षा में उपयुक्त भौतिक वातावरण सुनिश्चित कर सकता है। जैसे पर्याप्त रोशनी, बैठने की व्यवस्था आदि।
- अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में शाब्दिक रूप से पढ़ाये, न कि अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करे।
- प्रारम्भ में अध्यापक को चाहिए कि वह दृष्टि असमर्थी बच्चों को सभी वस्तुओं का दिशा, स्थिति और दूरी, कमरों की स्थिति आदि को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे।



### श्रवण बाधिता (Hearing Impairment)

**3. श्रवण बाधित से बालकों का क्या अर्थ है? इसके मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। (What is the meaning of hearing impaired children? Explain about its main types.)**

अथवा

**श्रवण बाधित बालक कौन होता है? श्रवण बाधिता कितने प्रकार की है? (Who is Hearing Impaired child? What are the types of Hearing Impairment?)**

उत्तर—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह एक-दूसरे की भाषा को सुन सकने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति दूसरे की कही बातों को समझ नहीं पाता, उसे हम श्रवण बाधित कहते हैं। जन्म के कुछ

समय पश्चात् बच्चा माँ-बाप या घर के दूसरे सदस्यों की आवाज़ सुनकर उनको पहचान लेता है। भाषा को सुनने के कौशल का विकास सर्वप्रथम होता है उसके पश्चात् ही बोलने तथा पढ़ने-लिखने के कौशल का विकास होता है। जो बालक बिल्कुल नहीं सुन सकते या ऊँचा सुनते हैं, उनको अपने आपको समाज में समायोजित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण तथा नए-नए वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहरापन या ऊँचा सुनाई देना पूर्व-जन्मों का फल नहीं है बल्कि काफी हद तक यह लापरवाही का नतीजा है। बहरा बालक सामान्य बालकों की तरह ही होता है तथा सामान्य बालकों से अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है।

**श्रवण बाधित बालकों की परिभाषा (Definition of Hearing Impaired Children)**—श्रवण बाधित बालक उनको कहा जाता है जो पूर्णरूप से या आंशिक रूप से दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते। ऐसे बालकों को प्रायः बहरा कहा जाता है। जिन बालकों को बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, उनको ऊँचा सुनने वाले बालकों की अपेक्षा अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधिता स्थायी तथा आंशिक हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक के कान के पर्दे में कोई कमी है तो उसका इलाज संभव है या वह बालक श्रवण यन्त्रों की सहायता से दूसरे की आवाज़ को सुन सकता है। इस प्रकार के बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत पूर्ण श्रवण बाधित बालकों को सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। श्रवण बाधितों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

("A deaf person is one whose hearing is disabled to an extent (usually 70 db) that precludes the understanding of speech through the ear alone with or without the use of a hearing aid, a hard of hearing person in one whose hearing is disabled to extent (35 to 69 db) that makes difficult, but does not preclude the understanding of speech through the ear alone, with or without a hearing aid."—Conference of Executives of American Schools for the deaf.)

"A deaf child or adult is one who sustained a profound (97 db or greater) primarily sensorineural hearing impairment pre-lingually."—Quigley and Kretschmer 1982.

"To be considered as deaf are those children whose spontaneous speech and language development have been very much retarded or is completely absent, due to their severe hearing impairment or hearing impairment combined with a lack of training and/or technical implication. In countries with adequate resources for diagnosis, training and provision of hearing aids some children with hearing impairment would not be included in the above mentioned group whereas they would be regarded as functionally deaf in countries lacking these resources."—UNESCO Expert Committee, 1985.)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि श्रवण बाधित बालक वह है जो या तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकते या बिना किसी यंत्र की सहायता से भी नहीं सुन सकते तथा उनको प्रशिक्षण देने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधिता जन्म से या जन्म के पश्चात् चोट, दुर्घटना, बीमारी आदि के कारण भी हो सकती है।

कान मानव की एक महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्री है। हम बाहरी जानकारियाँ सुनकर ही प्राप्त करते हैं। सुनकर ही आसपास के वातावरण का अहसास करते हैं तथा हमें खतरे का आभास भी सुनकर ही होता है। संसार की घटनाओं की जानकारी भी हमें सुनकर ही प्राप्त होती है। जो बालक बिल्कुल नहीं सुन सकते उनकी भाषा का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं बढ़ता क्योंकि सभी जानकारियाँ हम सुनकर ही प्राप्त करते हैं।

**श्रवण बाधिता के प्रकार (Types of Hearing Impairment)**

समाज कल्याण मंत्रालय के नोटिफिकेशन नं. 4-2/83HW II दिनांक 06.08.86 के अनुसार श्रवण बाधितों का वर्गीकरण इस प्रकार है—

**श्रवण बाधित वर्गीकरण  
(HEARING IMPAIRED CATEGORIES)**

Sr. No.	Category	Type of Impairment	dB Level and / or	Speech discrimination	Percentage of impairment
1.	I	Mild Hearing Impairment	dB 26 to 40 dB in better ear	30 to 100% in better ear	Less than 40%
2.	II	Moderate Hearing Impairment	41 to 55 dB in better ear	55 to 80% in better ear	40%—50%
3.	III	Severe Hearing Impairment	56 to 70 dB in better ear	40 to 50%	50 to 75%
4.	IV (a)	Total deafness	No hearing	No discrimination	100%
	(b)	Near total deafness	91 dB and above in better ear	No discrimination	100%
	(c)	Profound Hearing Impairment	71 to 90 dB	Less than 40% in better ear	75%—100%

उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि श्रवण बाधिता इस बात पर निर्भर करती है कि कान की खराबी किस हद तक है। ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसीबल्स (Decibels) होता है। अगर किसी व्यक्ति की श्रवण शक्ति कमजोर है लेकिन वह बिना श्रवण यंत्र की सहायता के सुन सकता है तो वह श्रवण बाधिता की श्रेणी में नहीं आता। श्रवण बाधिता एक या दोनों कानों में हो सकती है। कुछ बच्चे जन्म से ही बहरे नहीं होते, लेकिन जन्म के पश्चात् चोट, दुर्घटना, बीमारी, गलत दवाई के प्रयोग आदि से बहरे हो जाते हैं।

श्रवण-बाधितों के निम्नलिखित प्रकार हैं—

**(1) पूर्ण बहरे (Complete Deaf)—**

(क) इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो कि जन्म से ही बहरे पैदा हुए हैं।

(ख) इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो जन्म से तो ठीक पैदा हुए थे लेकिन बाद में किसी चोट, दुर्घटना, बीमारी या गलत दवाई के प्रयोग से उनके सुनने की शक्ति जाती रही।

**(2) आंशिक बहरे (Partially Deaf)—**इस श्रेणी में वह बालक आते हैं जो या तो कम सुनते हैं या फिर ऊँचा सुनते हैं। स्ट्रेंग (Streng) ने सुनने की शक्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है—

- (i) **बिल्कुल कम श्रवण बाधिता (Mild hearing loss)**—इस प्रकार के बच्चों की सुनने की शक्ति में 20–30 dB तक का नुकसान होता है। ताकि उनको आवाज साफ सुनाई दे, बालकों को सामान्य दूरी से सुनाई कम देता है अतः अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बालकों को कक्षा में आगे के बेंचों पर बिठाएँ। अध्यापक को चाहिए कि वह इस प्रकार के बालकों की दूसरी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करे।
- (ii) **कम श्रवण बाधिता (Moderate loss)**—इस प्रकार के बच्चों की सुनने की शक्ति में 30–40 dB तक का नुकसान होता है। उनको सामान्य दूरी पर वार्तालाप सुनने में समस्या होती है। इस प्रकार के बालक सुनने के यंत्र का प्रयोग करके सुन सकते हैं।
- (iii) **अधिक श्रवण बाधिता (Severe hearing loss)**—इस प्रकार के बच्चों में सुनने की शक्ति में 40–60 dB तक का नुकसान होता है। इस प्रकार के बच्चे बिना यंत्र की सहायता के सुन नहीं सकते तथा उन्हें भाषा को भी समझने में परेशानी होती है। इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के समय दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
- (iv) **गंभीर श्रवण बाधिता (Deep Severe hearing loss)**—इस प्रकार के बच्चों में सुनने की शक्ति में 60-75 dB तक का नुकसान होता है। इस प्रकार के बच्चे भाषा तथा वाणी की सहायक सामग्री के अधिक प्रयोग से अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापक या व्यक्ति के निर्देशन में कुछ सीख सकते हैं। उनको सुनने योग्य बनाया जा सकता है या फिर उनको ऊँचा सुनने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार के बालकों को विशेष प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होती है।
- (v) **पूर्णतया श्रवण बाधिता (Profound hearing loss)**—इस प्रकार के बच्चे में सुनने की शक्ति में 75 dB से अधिक तक का नुकसान हो सकता है। सुनने के यंत्र के प्रयोग के साथ भी इस प्रकार के बच्चों को सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।



**4. श्रवण दोषों से ग्रस्त बालकों की पहचान तथा कारणों पर प्रकाश डालिए।  
(Throw light on the identification and causes of hearing impaired children.)**

अथवा

**श्रवण बाधिता के क्या लक्षण हैं? श्रवण बाधिता होने के क्या कारण हैं?**

**(What are the symptoms of Hearing Impairment? What are the causes of Hearing Impairment?)**

उत्तर—जो बच्चे जन्म से ही बहरे होते हैं उनकी पहचान तो जन्म के समय ही हो जाती है लेकिन कुछ बच्चों में बहरापन किसी और कारण से भी हो सकता है। हम श्रवण-बाधित बालक की पहचान उसके व्यवहार से कर सकते हैं। यदि कोई बालक सुनते समय बार-बार दाएँ या बाएँ कान पर हाथ रख लेता है तो हमें यह समझना चाहिए कि उसको सुनने में कुछ परेशानी हो रही है।

हम कक्षा में श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं :

- कक्षा में वह बार-बार कान के अन्दर अंगुली या कोई दूसरी वस्तु कागज़, पेन, पेन्सिल आदि डालता रहता है।
- उसके कान से लगातार कोई तरल पदार्थ आदि बहता दिखाई देता है।
- कक्षा में पढ़ते समय वह बार-बार अध्यापक को बीच-बीच में टोकता हो या ऐसा आभास देता है कि उसको ठीक प्रकार से सुनाई नहीं दे रहा है।
- कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहा हो तो अध्यापक के बार-बार बुलाने पर या टोकने पर जवाब न देता हो या अध्यापक की तरफ ध्यान ही न देता हो।

- सुनाई न देने के कारण कक्षा में उसका दिल न लगता हो। बालक को कक्षा में दिल न लगने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं लेकिन श्रवण बाधिता भी एक कारण है।
- वह अध्यापक की आवाज़ की अपेक्षा उसकी शारीरिक हलचल की तरफ या होठों की तरफ अधिक ध्यान देता हो।
- कक्षा में बालक आवाज़ सुनने के यंत्र का प्रयोग करता हो।
- कक्षा में अध्यापक किसी विशेष विषय-वस्तु पर प्रश्न करता हो व बालक किसी दूसरे प्रश्न का जवाब देता हो।
- उसकी भाषा का पूरा ज्ञान न हो तथा कक्षा में बैठ कर वह अपने आप को सुस्त व असामान्य महसूस करता हो।
- कक्षा में बैठा बालक इधर-उधर अधिक देखता हो और अध्यापक की तरफ पूरा ध्यान न देता हो।
- वह बहुत धीरे-धीरे या अधिक ऊँचा बोलता हो।
- उसे शब्दों के उच्चारण में पर्याप्त कठिनाई होती हो।
- वह एकाग्रता न रखता हो।

National Sample Survey, 1991 के अनुसार भारत में अनुमानित 4.482 मिलियन श्रवण व बधिर हैं। पुरुषों की संख्या औरतों की तुलना में ज्यादा है।

### श्रवण बाधिता के कारण (Causes of Hearing Impairment)

श्रवण बाधिता के कई कारण हो सकते हैं। कुछ बालक पैदा ही श्रवण बाधित होते हैं। कुछ बालक जन्म के पश्चात् चोर, बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण श्रवण बाधित हो जाते हैं। श्रवण बाधिता के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

- (1) **वंशानुगत (Heredity)**—श्रवण बाधिता 11-60 प्रतिशत तक वंशानुगत होती है तथा फिर यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।
- (2) **छूत-रोग (Infectious Diseases)**—जन्म के पश्चात् अगर बच्चे को छूत वाली बीमारियाँ जैसे कनपेड़े या इन्फ्लूएंजा इत्यादि हो जाये तो इसका प्रभाव बच्चे के श्रवण अंगों पर प्रभाव पड़ता है तथा वह श्रवण बाधित हो जाता है।
- (3) **दवाइयाँ (Drugs)**—गर्भवती महिला अगर आवश्यकता से अधिक दवाइयों का इस्तेमाल करती है तो यह बच्चे की श्रवण बाधिता का कारण बन सकता है। गर्भवती माँ को चाहिए कि वह आवश्यकता से अधिक दवाइयों का प्रयोग न करें।
- (4) **कुपोषण (Malnutrition)**—गर्भवती माता को पौष्टिक भोजन करना चाहिए। उचित आहार न मिलने पर उसका प्रभाव पल रहे बच्चे पर पड़ता है। कुपोषण भी श्रवण बाधिता का एक मुख्य कारण बन सकता है। गर्भवती माँ को विटामिन आदि से भरपूर भोजन करना चाहिए तथा कुपोषण से बचना चाहिए। गर्भ के समय माँ को तीखे मसाले, शराब, सिगरेट आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
- (5) **जर्मन खसरा (German Measles)**—1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला था। खोजों के पश्चात् यह पाया गया कि जो गर्भवती महिलाएँ इस बीमारी से पीड़ित हुईं उनकी सन्तानों की श्रवण शक्ति क्षीण पाई गई। खोजों से यह भी पाया गया कि श्रवण बाधितों में 27% जर्मन खसरा से प्रभावित थे।
- (6) **असुरक्षित प्रसव (Unsafe Delivery)**—कई बार शहर से दूर रहने वाले लोग वहीं पर दाई आदि से प्रसव करवा लेते हैं जोकि सुरक्षित प्रसव नहीं होता। अधिक रक्त बहने के कारण भी श्रवण बाधिता हो सकती है।
- (7) **जन्म के समय (At the time of Birth)**—बच्चे के जन्म के समय आक्सीजन की कमी, प्रसव क्रिया के दौरान चिमटी आदि का गलत प्रयोग, समय से पहले बच्चे का जन्म आदि भी सुनने की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। कई बार बच्चे को जन्म के पश्चात् एकदम बाद पीलिया की शिकायत हो जाती है। इसका इलाज जल्दी-से-जल्दी करवाना चाहिए। पीलिया भी श्रवण बाधिता का कारण बन सकता है।

- (8) **जन्म के पश्चात् (After Birth)**—बुखार, पीलिया छूत की बीमारियों से बच्चे को बचाना चाहिए। अगर बच्चे की आँख या कान से लगातार कोई द्रव्य बह रहा हो तो झटपट इसकी तरफ ध्यान देकर इसका इलाज करवाना चाहिए। लापरवाही करने से बच्चे को श्रवण बाधिता का शिकार होना पड़ सकता है।

श्रवण सहायता केन्द्र, अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली ने माँ-बाप के लिए निम्न निर्देश दिये हैं ताकि वह इन्हें प्रयोग में लाये—

1. माँ-बाप बच्चे को बतायें कि वे उसे चाहते हैं, उसे प्यार करते हैं तथा उस पर उन्हें पूरा विश्वास है। बच्चे को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह बोल सकता था। जब माँ-बाप बच्चे से बात करें तो उसे यह कहें कि बोलते समय वह होठों व चेहरे को ध्यान से देखे।
2. माँ-बाप को बच्चे से खुलकर बात करनी चाहिए तथा उसके मनोभावों को समझकर तथा उसकी रुचियों को ध्यान में रखकर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर उसे चित्रों वाली किताबों से पढ़ाना चाहिए तथा कहानियाँ भी पढ़कर सुनानी चाहिए।
3. बच्चे के आस-पास के लोगों के साथ घुलने-मिलने का अवसर देना चाहिए ताकि वह समाज में अपने आपको समायोजित कर सके। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग बच्चे से मिलते हैं वे उसका मनोबल तो नहीं गिरा रहे।
4. माँ-बाप का व्यवहार बच्चे के साथ दोस्ताना होना चाहिए तथा माँ-बाप को बच्चे के लिए समय निकालना चाहिए।
5. माँ-बाप को सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि जो कान से सुन नहीं सकता वह इसका कार्य आँखों के द्वारा करता है तथा काफी हद तक श्रवण बाधिता को आँखों के द्वारा दूर कर लेता है।
6. माँ-बाप को चाहिए कि बच्चे के कान में बात करें। इस प्रकार से मौखिक दिया गया ज्ञान उसके शब्दकोश में बढोतरी करेगा।
7. बच्चे के मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार उससे काम की अपेक्षा करनी चाहिए।
8. माँ-बाप को चाहिए कि वे आस-पास के लोग या रिश्तेदार अगर बच्चे के बारे में उलूल-जलूल बातें करें तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। माँ-बाप को इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि उनका बच्चा श्रवण बाधित है।
9. माँ-बाप को चाहिए कि वे बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों के साथ न करें तथा बच्चे को कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने देना चाहिए।
10. हर छोटी-छोटी बात के लिए उसे डाँटना नहीं चाहिए तथा न ही बच्चे को इस बात का अहसास होना चाहिए कि वह श्रवण बाधित है।
11. माँ-बाप को चाहिए कि वे बच्चे के मनोबल बढ़ाते रहें तथा उसको प्रेरणा दें कि वह यह कार्य कर सकता है।
12. बच्चे के साथ बात करते समय पूरे वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए तथा उसकी गलतियों को दूर करना चाहिए।
13. बच्चे का इलाज चल रहा हो तो माँ-बाप को धैर्य से कार्य लेना चाहिए।



5. श्रवण बाधिक तथा असमर्थता का क्या अर्थ है? इनकी मुख्य विशेषताओं, कारणों, पहचान तथा देखभाल एवं प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए।  
(What is the meaning of hearing impaired disability? Explain about the main characteristics, causes, identification and care and training of hearing impaired children.)

अथवा

आप 'श्रवण बाधित' बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? इनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कर उनकी व्याख्या कीजिए।

(How can you identify 'Children with hearing Impairment'? Enlist and explain their special educational needs.)

अथवा

'श्रवण अंपगुता की परिभाषा दीजिए। समावेशी स्कूलों में ऐसे बालकों के लिए क्या-क्या शैक्षिक प्रावधान बनाए जा सकते हैं? वर्णन कीजिए।

(Define the term 'Hearing Impairment. What educational provisions can be made for the hearing impaired children in Inclusive education.)

अथवा

'श्रवण बाधित' को परिभाषित कीजिए। अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे।

(Define Hearing Impairment. How would you identify such children in your classroom?)

**उत्तर—श्रवण बाधिता और असमर्थता का अर्थ (Meaning of Hearing Impairment and Disability)**—श्रवण बाधिता (Hearing Impairment) का सम्बन्ध श्रवण यंत्र प्रक्रिया के क्षतिग्रस्त (Defect or damage to the hearing mechanism) के होने से है। यह क्षति कान के किसी भी भाग में हो सकती है, जैसे बाहरी, मध्य, या आन्तरिक कान। इसी श्रवण बाधिता से श्रवण असमर्थता (Hearing Disability) पैदा होती है। यह श्रवण असमर्थता न्यूनतम से अधिकतम हो सकती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरा (Deaf) या ऊँचा सुनने वाला (Hard of Hearing) हो सकता है। यह दोष बाधित की प्रकृति (Nature of Impairment) और श्रवण-दोष की मात्रा (Degree of Hearing Loss) पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा जन्म से ही श्रवण प्रक्रिया में बाधिता के कारण श्रवण-बाधित होता है या जन्म के पश्चात् किसी रोग, रुकावट या दुर्घटना के कारण होता है।

**श्रवण बाधित या श्रवण असमर्थी बच्चों की विशेषताएँ (Characteristics of Hearing Impaired and Disabled Children)**—श्रवण बाधित एवं असमर्थी (Hearing impaired and disabled) बच्चों या व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक और व्यवहारत्मक विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

1. भाषा और वाणी का विकास (Language and Speech Development)
2. बौद्धिक योग्यता (Intellectual Ability)
3. शैक्षिक उपलब्धि (Academic Achievement)
4. सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन (Social and Occupational Adjustment)
5. कुछ अन्य विशेषताएँ (Some Other Characteristics)

**1. भाषा और वाणी का विकास (Language and Speech Development)**—भाषा और वाणी (Language and Speech) के विकास से जुड़ी निम्न विशेषताएँ श्रवण असमर्थी लोगों (Hearing Disabled Persons) में होती हैं—

- (i) बिना प्रशिक्षण के श्रवण असमर्थी बालकों में भाषा का विकास सामान्य नहीं होता।
- (ii) श्रवण बाधित और असमर्थी बच्चों में भाषा सीखने की योग्यता कुप्रभावित होती है।
- (iii) बहरेपन (Deafness) से बोलने में अयोग्यता स्वयं ही आ जाती है, ऐसा दृष्टिकोण विज्ञान पर आधारित नहीं है।
- (iv) श्रवण दोष जितना प्रारम्भ में होगा, भाषा की कमी उतनी अधिक होगी।
- (v) जबकि अत्यधिक श्रवण दोष (Profound Hearing Impairment) सामान्य भाषा विकास में बाधक होता है फिर भी ऐसे बहुत कम बहरे लोग होते हैं जिन्हें भाषा का कुछ प्रयोग नहीं सिखाया जा सकता।

**2. बौद्धिक योग्यता (Intellectual Ability)**—बौद्धिक योग्यता से जुड़ी असमर्थी व्यक्ति (Disabled) की विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं—

- (i) यह आवश्यक नहीं होता कि बहरे बच्चे समान्यों की तुलना में बौद्धिक विकास में धीमे ही हों।
- (ii) सामान्य और बहरे बच्चों में चिंतन प्रक्रिया एक समान ही होती है।
- (iii) बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक क्रियाओं में कार्य सम्पन्नता (Performance) का कम प्रदर्शन करते हैं।
- (iv) श्रवण बाधित बच्चों के अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों (Non-verbal Tests) में शाब्दिक परीक्षणों (Verbal Test) की अपेक्षा अधिक अंक होते हैं।

**3. शैक्षिक उपलब्धि (Academic Achievement)**—शैक्षणिक उपलब्धि के क्षेत्र में असमर्थी बच्चों की विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं—

- (i) श्रवण बाधित या असमर्थी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में कमी रहती है।
- (ii) ऐसे बच्चों में पठन सम्बन्धी (Reading) न्यूनता होती है जो कि भाषायी कौशलों पर निर्भर करती है।
- (iii) श्रवण बाधित या असमर्थी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के चिंताजनक चित्र में कोई सुधार दिखाई नहीं देता।
- (iv) ऐसे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में न्यूनता का मुख्य कारण होता है—स्कूल और कक्षा का वातावरण जिसकी प्रकृति भाषायी होती है और बहरे बच्चों में भाषा-कौशलों का अभाव होता है।

**4. सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन (Social and Occupational Adjustment)**—सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन सम्बन्धी विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं—

- (i) श्रवण बाधित बच्चों की सामाजिक और व्यक्तित्व विशेषताएँ सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत भिन्न होती हैं।
- (ii) ऐसे बच्चे, सम्प्रेषण समस्याओं (Communication Problems) और सामाजिक अन्तःक्रिया में असफलता के कारण अलग-थलग (World of Isolation) रहते हैं।
- (iii) श्रवण-बाधित बच्चे अपना एक समूह बना लेते हैं जिसमें इनकी रुचियाँ साँझी होती हैं।
- (iv) ऐसे बच्चों में सम्प्रेषण समस्या के कारण सामाजिक समायोजन की समस्या भी बहुत गंभीर होती है।
- (v) ऐसे बच्चों में सामाजिक अन्तःक्रिया और सामाजिक स्वीकृति की इच्छा बहुत सशक्त होती है।
- (vi) श्रवण बाधित बच्चे संवेगात्मक-समायोजन की दृष्टि से सामान्य बच्चों से भिन्न नहीं होते।

**5. कुछ अन्य विशेषताएँ (Some other Characteristics)**—अध्ययनों ने श्रवण बाधित या असमर्थी बच्चों की कुछ अन्य विशेषताएँ भी बताई हैं, जैसे—

- (i) श्रवण-बाधित (Hearing Impaired) बच्चे बौद्धिक योग्य, शैक्षिक उपलब्धि और वैयक्तिक-सामाजिक समायोजन की दृष्टि से निम्न स्तर (Inferior) के होते हैं।
- (ii) ऐसे बच्चे IQ परीक्षण में अपेक्षाकृत कम अंक लेते हैं।
- (iii) शैक्षिक विषयों में भी इनकी कार्य-सम्पन्नता निम्न स्तर की होती है।
- (iv) ये सभी न्यूनताएँ मूलभूत भाषायी कौशलों के विकास के अभाव के परिणामस्वरूप होती हैं।

यह आवश्यक नहीं कि उपरोक्त सभी विशेषताएँ हर एक असमर्थी (Disabled) में विद्यमान हों। हर श्रवण असमर्थी बालक इन विशेषताओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो सकता है।

**श्रवण असमर्थता के कारण (Cause of Hearing Disability)**—श्रवण असमर्थता के कारणों को जानना भी अति आवश्यक है। यह ज्ञान इस दोष का सामना करने और बच्चों की सहायता करने में सहायक हो सकता है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं—

**1. जन्म के समय तथा जन्म के बाद की परिस्थितियाँ (Conditions at the time of birth and after the birth)**—जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात् विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ बच्चों में इस प्रकार की असमर्थता के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। जैसे, जन्म के समय प्रयोग किये गये उपकरणों से घाव आदि लगना, ऑक्सीजन का अभाव, आदि। इसी प्रकार बच्चे के जन्म के एकदम बाद बच्चे को पीलिया (Jaundice) का होना, कान या आँख से किसी द्रव्य पदार्थ का बहना आदि। इन दोषों को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए वरना यही दोष श्रवण-बाधिता पैदा करते हैं।

**2. वंशानुक्रम (Heredity)**—कई बार यह दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानान्तरित हो जाता है। अर्थात् यह वंशानुक्रमित भी हो सकता है।

**3. कुपोषण (Malnutrition)**—बच्चों का कुपोषण (Malnutrition) भी कई बार श्रवण बाधिता के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे, गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को संतुलित आहार न मिले तो ऐसे दोषों की संभावना रहती है। यदि गर्भावस्था में माँ तीखे मसाले, शराब, सिगरेट आदि का सेवन करती है तो भी इन दोषों के पनपने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः गर्भावस्था में माँ को कुपोषण से बचना चाहिए।

**4. छूत के रोग (Infectious Diseases)**—बच्चे के जन्म लेते ही यदि वह छूत के रोगों का शिकार हो जाता है तो इससे उसके श्रवण अंग प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप श्रवण क्षमता (Hearing capability) कुप्रभावित हो जाती है। अतः नये पैदा हुए बच्चे को छूत के रोगों से बचना चाहिए।

**5. दवाएँ (Drugs)**—कई बार गर्भवती महिला का अत्यधिक दवाओं का सेवन भी श्रवण बाधिता का कारण बनता है। जैसे, गर्भावस्था के दौरान यदि किसी महिला को मलेरिया जैसे बुखार हो जाये और उसे कुनीन जैसे दवा दी जाये तो इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे के किसी न किसी अंग पर पड़ सकता है। अतः गर्भवती महिलाओं को दवाओं के अधिक सेवन से बचना चाहिए।

**श्रवण बाधितों या असमर्थियों की पहचान (Identification of Hearing Impaired and Disabled)**—श्रवण बाधितों (Hearing Impaired) की शीघ्र पहचान करना अति आवश्यक होता है। इनकी पहचान में देरी करने से इनकी भाषा का विकास कुप्रभावित होता है। परिणामस्वरूप वे स्कूल भी छोड़ देते हैं। श्रवण बाधितों की पहचान के लिए निम्न चेक-लिस्ट (Check List) का प्रयोग किया जा सकता है—

- क्या बच्चा बेचैनी (Restlessness) का प्रदर्शन करता है?
- क्या बच्चे के कान में कोई विकृति (Deformity) है?
- क्या बच्चे के कान से कोई तरल पदार्थ बहता है?
- क्या बच्चा निर्देश (Instructions) की पुनरावृत्ति के लिए कहता है?
- क्या बच्चा कान में बार-बार दर्द की शिकायत करता है?
- क्या बच्चा आपके निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है?
- क्या बच्चा अपने कान में बार-बार खुजली करता है?
- क्या बच्चा बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे में स्वयं को केन्द्रित (Focus) करता है?
- कक्षा में जब अध्यापक शाब्दिक रूप से कुछ समझाता है तो क्या बच्चा अपने साथियों से नोट लेने के लिए सहायता मांगता है।

उपरोक्त प्रयत्नों के यदि कुछ उत्तर 'हाँ' में हैं तो अध्यापक बच्चे की श्रवण-बाधिता का अनुमान लगा सकता है। ऐसे बच्चे को विशेषज्ञ के पास तुरन्त भेज देना चाहिए। यदि जाँच की रिपोर्ट मध्यम स्तर की श्रवण-बाधिता बताती है तो उसे नियमित स्कूल में भेजना चाहिए। यदि जाँच रिपोर्ट बहुत अधिक दोष बताती है तो उसे बहरों (Deaf) के स्कूल में भेजना चाहिए।

**श्रवण असमर्थ बालकों की देखभाल और प्रशिक्षण (Care and Training of Hearing Disabled/Impaired)**—श्रवण असमर्थ बालक एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता श्रवण दोष के प्रकार और मात्रा (Types and Degree of Hearing Loss) के रूप में होती है।

शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है चाहे वह समर्थ (Able) हो या असमर्थ (Disabled) हो। इनकी देखभाल और प्रशिक्षण सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए जैसे परिवार का, स्कूल का, समुदाय का, स्वास्थ्य का तथा समाज-कल्याण से जुड़े व्यक्तियों का इन उत्तरदायित्वों का वर्णन इस प्रकार है—

**1. माता पिता का उत्तरदायित्व (Parent's Responsibility)**—श्रवण बाधित बच्चे की देखभाल और प्रशिक्षण घर से माता-पिता, भाई-बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा शुरू होनी चाहिए। इनका इस संदर्भ में उत्तरदायित्व निम्नलिखित है—

- आवाज और वाणी (Sound and Speech) के प्रति अनुक्रियाओं पर आधारित बच्चे की शीघ्रतम पहचान करना।
- जाँच के लिए शक (Suspected) वाले कसों को ENT और ऑडियो विशेषज्ञों (ENT and Audio specialists) के पास भेजना।
- परिवार द्वारा श्रवण-असमर्थ बच्चे के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना तथा अन्य सामान्य बच्चों जैसा स्नेह देना।
- ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करना।
- श्रवण-सहायता (Hearing Aid) के नियमित प्रयोग के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना।
- विशेषज्ञों की सलाह का अनुसरण करना।
- स्कूल में एकीकरण (Integration) के लिए बच्चे को तैयार करना।
- बच्चे की घर में सामाजिक सामान्यता के लिए परिस्थितियों को उत्पन्न करना।

**2. स्कूल का उत्तरदायित्व (School's Responsibility)**—माता-पिता के अतिरिक्त स्कूल का भी बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व होता है। इन बच्चों की मुख्य समस्या इनकी भाषा के विकास की न्यूनता और तथा संप्रेषण का अभाव होता है।

बहरे बच्चों के प्रशिक्षण की तीन विधियाँ होती हैं—

- शाब्दिक विधि (Oral Method)
  - मैन्यूअल विधि (Manual Method)
  - सम्पूर्ण संप्रेषण उपागम (Total Communication Approach)
- (a) शाब्दिक विधि (Oral Method)**—जैसे सुनने या प्रशिक्षण (Auditory Training), होठों का पढ़ना (Lip Training) या स्पीच पठन (Speech Reading) आदि सभी शाब्दिक विधि के उदाहरण हैं।
- (b) मैन्यूअल विधि (Manual Method)**—यह विधि अत्यधिक बहरे बच्चों (Severely and Profoundly Deaf Children) के लिए उपयुक्त है। इस विधि के उदाहरण हैं—संकेत भाषा (Sign Language) और फिंगर स्पेलिंग (Finger Spelling)
- (i) संकेत भाषा (Sign Language)**—प्रभावशाली संप्रेषण ही श्रवण असमर्थ बच्चों की मुख्य समस्या होती है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकतर लोग संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा सामान्य भावों को समझने के लिए हावभावों की (Gestures) की एक प्रणाली होती है। सांकेतिक भाषाओं की बहुत-सी किस्में हैं। आजकल अमेरिकन सांकेतिक भाषा 'अमेसलेन' (Ameslan) का प्रयोग बहुत से बहरे व्यक्ति करते हैं। इस भाषा में ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह केवल प्रशिक्षक प्रशिक्षकों का ही कार्य होता है। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए।

(ii) **फिंगर स्पेलिंग (Finger Spelling)**—जो अत्यधिक बहरे बच्चे स्कूल जाने का अनुभव रखते हैं उन्हें फिंगर स्पेलिंग का ज्ञान दिया जा सकता है ताकि सम्प्रेषण (Communication) में उन्हें सहूलियत मिल सके। इस विधि के अन्तर्गत हवा में अंगुलियों द्वारा आकृतियाँ बनाकर लिखा जाता है। इसमें वे शब्द जिनके लिए कोई संकेत या चिह्न नहीं होता, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, लिखा जाता है। इस प्रकार फिंगर स्पेलिंग (Finger Spelling) व्यक्ति द्वारा लिखित भाषा का प्रदर्शन है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि यह अक्षरों (Alphabets) को अंगुलियों की स्थिति का प्रयोग करके समझना होता है। कुछ सीमा तक यह छपे हुए अक्षरों से मेल खाता है।

भारत में दो प्रकार के फिंगर स्पेलिंग (Finger Spelling) का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित होते हैं। हर अक्षर (A To Z) का विशेष आकार होता है। अमेरिकन प्रणाली के अन्तर्गत इसमें एक ही हाथ का प्रयोग किया जाता है जबकि ब्रिटिश प्रणाली में दोनों हाथों का प्रयोग होता है। भारतीय प्रणाली 'कारा पल्लवी' (Kara Pallavi) के नाम से भारतीय परिस्थिति के लिए अमेरिका एक हाथ-प्रणाली पर आधारित इस विधि का विकास किया गया है।

(iii) **स्पीच रीडिंग (Speech Reading or Lip Reading)**—स्पीच रीडिंग को कभी-कभी 'लिप रीडिंग' भी कहा जाता है। इसमें श्रवण बाधित व्यक्ति होठों की हलचल (Movement) या मुँह की हलचल का अवलोकन (Observe) करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। स्पीच रीडिंग का मुख्य लक्ष्य है—

- वातावरण में दिखाई देने वाले उद्दीपनों का अवलोकन (Observe) करना।
- जो कुछ बोल रहा है उसे समझना।
- बोलने वाले होठों की हलचल और चेहरे के हावभावों का अवलोकन (Observation) करना।

(iv) **श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training)**—कई बार श्रवण बाधित बच्चे में कुछ सुनने की योग्यता होती है। इस थोड़ी-सी बची हुई (Residual) श्रवण क्षमता का प्रयोग करने के लिए उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इस प्रशिक्षण के तीन लक्ष्य होते हैं—

- विभिन्न प्रकार की आवाजों का जागरूकता का विकास करना।
- वातावरणीय आवाजों में विभेदीकरण करने की योग्यता का विकास करना।

(v) **सम्पूर्ण सम्प्रेषण विधि (Total Communication Method)**—यह नवीन विधि हाल ही में विकसित हुई है। इस विधि में सभी विधियों और साधनों का मिश्रण कर दिया जाता है। शाब्दिक या वैयक्तिक विधि सभी प्रकार के श्रवण बाधितों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। अतः यह सम्पूर्ण सम्प्रेषण विधि विभिन्न स्कूलों में अधिक लोकप्रिय हो रही है।

(vi) **पाठ्यक्रम और शिक्षण ब्यूह रचना (Curriculum and Teaching Strategies)**—श्रवण बाधित बच्चे सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को नहीं समझ सकते। अतः हमें उनके लिए उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। इसके लिए निम्न सिद्धांत आवश्यक होते हैं—

- जब किसी पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है तो निर्देशनों के लक्ष्य सामान्य और श्रवण असमर्थ बच्चों के लिए एक समान होने चाहिए। केवल सीखने की सामग्री और विधियों में संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कक्षा में सामान्य बच्चों की शिक्षा को विचलित (Disturb) न किया जाये।

- कक्षा में भारत में श्रवण बाधित और सामान्य बच्चों का अनुपात 1:5 होना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में आगे के बच्चों पर बिठाया जाना चाहिए। इससे उनको सुनने में सहायता मिलेगी।
- कक्षा में अध्यापक यह देखे कि श्रवण बाधित बच्चा अपनी सुनने की मशीन का नियमित प्रयोग कर रहा है या नहीं।
- ऐसे बच्चों का स्पीच और भाषा का पैटर्न पर्याप्त रूप से विकसित हो जाना चाहिए। श्रवण-बाधित बच्चों का भाषा सीखने और उसके प्रयोग का पैटर्न दोषपूर्ण होता है। वे आमतौर पर जैसे बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं।
- ऐसे बच्चे अमूर्त प्रत्ययों (Abstract concept) को सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं।
- ऐसे बच्चे स्पीच और भाषा सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं इसीलिए वे अन्य विषयों को सीखने में भी कठिनाई महसूस करते हैं।
- अध्यापक को इस बात का रिकार्ड रखना चाहिए कि बच्चे को क्या कुछ आता है, वह और क्या कर सकता है तथा उसे बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ की योजना बनानी चाहिए।

### अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher)

इस प्रकार के बच्चों को संभालने के लिए कक्षा में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्व रखती है। इस संदर्भ में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित है—

- अध्यापक को इन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए तथा बच्चों के प्रति प्रेम और सद्भावना का प्रदर्शन करना चाहिए।
- कक्षा में ऐसे बच्चों को अगली पंक्ति में बैठाने का प्रबन्ध अध्यापक को करना चाहिए।
- ध्यान बँटाने वाले कारकों को नियंत्रित करना चाहिए या उनके प्रभाव को न्यूनतम करना चाहिए।
- अध्यापक को ऐसे बच्चों की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा ऐसे बच्चों को विशेषज्ञों के पास भेजना चाहिए।
- कक्षा में यदि ऐसे विद्यार्थी हैं तो अध्यापक कुछ बैचैनी महसूस करेगा तथा स्वयं से यह प्रश्न करेगा कि कि वह इन श्रवण-बाधित बच्चों को कैसे पढ़ायेगा। आवश्यक रूप से वे अध्यापक के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अतः अध्यापकों को 'लघु-अवधि' कोर्स पूरा करके उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
- शाब्दिक और लिखित रूप से नये शब्दों (New Vocabulary) से बच्चों को परिचित कराना चाहिए।
- अध्यापक को नई विधियों (New strategies) और ऐसे बच्चों की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए।
- चाक-बोर्ड पर लिखते समय अध्यापक बच्चों की ओर न तो पीठ करे और न ही पीठ करके बोले।
- अध्यापक को प्राकृतिक ढंग से बोलना चाहिए।
- अध्यापक ऐसे बच्चों का सहगामी क्रियाओं (Co-curricular Activities) में भाग लेने के अवसर प्रदान करे।
- अध्यापक यह देखे कि क्या बच्चा हर रोज नियमित रूप से श्रवण सहायक यंत्र (Hearing Aid) का प्रयोग करता है या नहीं।
- यदि ऐसे बच्चों को पढ़ाने में अध्यापक किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करता है तो उसे अन्य विशेषज्ञ (Resource Teacher) से विचार विमर्श करना चाहिए।

### मानसिक मन्दता (Mental Retardation)

6. मन्द-बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालक किसे कहते हैं? मन्द-बुद्धि बालकों के प्रमुख प्रकारों, विशेषताओं तथा कारणों की विवेचना कीजिए।

अथवा

मन्द-बुद्धि बालकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? मन्द-बुद्धि बालकों की मुख्य विशेषताओं, पहचान से सम्बन्धित परीक्षणों तथा कारणों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

मन्द-बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के वर्गीकरण, विशेषताओं तथा कारणों का वर्णन कीजिए। (Explain about the classification, characteristics and causes of mentally retarded children.)

अथवा

मानसिक मन्दता से आप क्या समझते हैं? इसके कारण व अनुदेशन की रणनीतियों का वर्णन करें। (What are you understand by mental retardation? Describe its causes and instructional strategies.) (June 2018)

उत्तर-अर्थ (Meaning)—कुछ बालक मानसिक रूप से उप-सामान्य (Sub-normal) होते हैं। ऐसे उप-सामान्य बालक कक्षा में अध्यापक के शिक्षा कार्य को समझने में असमर्थ होते हैं या आसानी से समझ नहीं पाते। ऐसे बालकों को मन्द-बुद्धि बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसे बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

बालकों को उनके बुद्धिलब्धि (Intelligence Quotient) के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। टर्मान (Terman) के अनुसार 70 से कम बुद्धिलब्धि (I.Q.) वाले बालक को 'मन्द-बुद्धि' बालक कहा गया है। ऐसे बालक किसी भी शारीरिक तथा मानसिक रोग के कारण मन्द-बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। इस दोष का परिणाम यह होता है कि उनमें कई प्रकार की हीन-ग्रन्थियाँ (Inferiority Complex) पैदा हो जाती हैं। मन्द-बुद्धि बालक हर ओर से उपेक्षित (Neglected) रहते हैं।

मानसिक रूप से पिछड़े ऐसे बालक संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक परिपक्वता तथा बौद्धिक प्रवीणता में भी पिछड़े रहते हैं। कई बार ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से तो परिपक्व हो जाते हैं लेकिन उनका सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार उनकी आयु के बच्चों से बहुत पिछड़ा हुआ होता है।

आईजेंक (Eysenck) के अनुसार, "मानसिक क्षमताओं का अपूर्ण एवं अप्रत्याप्त सामान्य विकास' ही मानसिक मन्द-बुद्धिता कहलाता है।" (Mental retardation is defined as incomplete or insufficient general development of the mental capacities.)

पेज (Page) के अनुसार, 'मानसिक मन्द-बुद्धिता मानसिक विकास की उप-सामान्य स्थिति है जो बच्चे में जन्म के समय विद्यमान होती है या प्रारम्भिक बाल्यकाल में पैदा हो जाती है। इसकी मुख्य विशेषता है सीमित बौद्धिक और सामाजिक अपर्याप्तता।' (Mental retardation is a condition of sub-normal development present at birth or early childhood and characterized mainly by limited intelligence and social inadequacy.)

हेक के अनुसार, 'मन्द-बुद्धि बालक वे हैं जो किसी कार्य को करने में इसलिए असमर्थ होते हैं क्योंकि उनमें मानसिक परिपक्वता की कमी होती है।'

### बुद्धिलब्धि के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of I.Q.)

बुद्धिलब्धि के आधार पर किया गया वर्गीकरण सभी द्वारा मान्य वर्गीकरण नहीं है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मन्द-बुद्धि की भिन्न भिन्न सीमाएँ बताई हैं। लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि इन बालकों का मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत कम होता है। मानसिक क्रियाओं में ये बालक सामान्य बच्चों के बराबर नहीं हो सकते।

यूनेस्को (UNESCO) के एक प्रकाशन ने मन्द-बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि (I.Q.) के स्तर प्रकाशित किये थे जो इस प्रकार हैं—

क्र.सं.	मानसिक न्यूनता की श्रेणी	लगभग बुद्धि स्तर
1.	जड़ (Idiot)	0 - 19
2.	हीन बुद्धि (Imbecile)	20 - 49
3.	दुर्बल बुद्धि (Feeble Minded)	50 - 69
4.	मन्द तथा पिछड़ा (Dull & Backward)	70 - 80

एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बच्चे निम्न प्रकार के हो सकते हैं—

- जड़ बुद्धि या मूर्ख (Idiots)**—इस वर्ग के बच्चों की बुद्धिलब्धि (I.Q.) 20-25 तक होती है। ये मूर्ख सबसे निम्न श्रेणी के होते हैं। इनका मानसिक स्तर इतना निम्न होता है कि ये कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाते। यहां तक कि इन्हें खाना भी खिलाना पड़ता है तथा कपड़े भी दूसरों द्वारा ही पहनाये जाते हैं। ऐसे बच्चों की सुरक्षा विशेष रूप से करनी पड़ती है। इस वर्ग के बच्चे कुछ भी सीखने में असमर्थ होंगे। ऐसे बच्चे आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उनमें जीवन-रक्षा की इच्छा की कमी होती है। ऐसे बच्चे बहुत ही लाचार होते हैं।
- कम या मूढ़ बुद्धि (Imbecile)**—उनकी बुद्धिलब्धि की सीमा 26-50 तक है। ऐसे बच्चे भी पढ़-लिख नहीं सकते। इन्हें भी दिनचर्या के कई कार्य सिखाये जाते हैं। स्वयं की रक्षा के प्रति सचेत किया जाता है। लेकिन स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में ये सभी असमर्थ होते हैं। इनका मानसिक विकास तथा मानसिक योग्यताएं बहुत कम होती हैं। ये भी स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते।
- असहाय या मूर्ख बुद्धि (Moron)**—इनकी बुद्धिलब्धि 51-70 तक होती है। ये बालक भी बहुत कम पढ़-लिख सकते हैं। इनका अधिगम (Learning) बहुत ही धीमी गति से होता है। ऐसे बच्चों को किसी अकुशल कार्य (Unskilled) में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इन्हें घरेलू कार्यों के लिए तैयार किया जा सकता है। सामान्य स्कूल शिक्षा उनके लिए भी कठिन होती है। वे शारीरिक दृष्टि से सामान्य होते हैं। ये कुछ ट्रेनिंग के बाद अपनी रोटी कमा सकते हैं।
- सीमांत बच्चे (Border Line cases)**—इस प्रकार के बच्चों की बुद्धिलब्धि 71 और 80 के बीच होता है। ऐसे बालक कक्षा में अन्य बच्चों के साथ नहीं चल सकते। ये जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा होते हैं। ये सामान्य बालकों जैसी क्षमताओं और योग्यताओं के बहुत निकट होते हैं।

अमेरिकन एसोसिएशन (1973) के अनुसार, बुद्धिलब्धि के आधार पर मन्दबुद्धि बालकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है—

1. गंभीर रूप से मन्द-बुद्धि बालक (**Profound Mentally Retarded Children**)—इस वर्ग के बालकों की बुद्धिलब्धि 25 से कम होती है। इन बालकों में भाषा का विकास बहुत कम होता है। वे बहुत अधिक देखभाल चाहते हैं। उनमें साधारण कार्य करने की भी योग्यता नहीं होती। शारीरिक संरचना में भी बहुत विकृतियाँ होती हैं। इनका स्वास्थ्य दुर्बल होता है। रोगों के प्रति प्रतिरोध बहुत कम होता है।
2. तीव्र रूप से मन्द-बुद्धि बालक (**Severe Mentally Retarded children**)—इन बालकों की बुद्धिलब्धि 25 से 39 तक होती है। उचित प्रशिक्षण द्वारा वे आसान भाषा और संकेत द्वारा संप्रेषण (Communication) करने की योग्यता ग्रहण कर लेते हैं। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता रहती है।
3. मध्यम रूप से मन्द-बुद्धि बालक (**Moderately Mentally Retarded Children**)—ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि 40 से 54 तक होती है। ऐसे बच्चे सामाजिक सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते। इनका गयात्मक विकास धीमा होता है। ऐसे बालकों को उचित प्रशिक्षण द्वारा समायोजित किया जा सकता है। वे स्वयं स्नान कर सकते हैं, स्वयं कपड़े पहन सकते हैं, स्वयं खाना खा सकते हैं। वे सामान्य स्कूलों में पढ़ने में सक्षम नहीं होते। विशिष्ट परीक्षण द्वारा बच्चे थोड़ा-बहुत पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। कुछ बालक तो बोलचाल की भाषा अच्छी प्रकार से सीख लेते हैं।
4. अल्प रूप से मन्द-बुद्धि बालक (**Mild Mentally Retarded children**)—इस वर्ग के बालकों की बुद्धिलब्धि 55 से 69 तक होती है। सामान्य बालकों की तुलना में इस वर्ग के बच्चे कुछ सुस्त प्रकृति के होते हैं। उनमें उत्सुकता, संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में सहजता की कमी होती है। ऐसे बच्चों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है तथा उनसे समाज विरोधी कार्य कराये जा सकते हैं। इनमें अमूर्त चिन्तन करने की योग्यता सीमित होती है। स्कूल में इनकी उपलब्धियाँ सीमित होती हैं तथा कुछ वर्षों के पश्चात् उनमें सामाजिक कौशल तथा संप्रेषण कौशल विकसित हो जाते हैं। सामान्य बालकों से उनका विभेदीकरण करना कठिन होता है। वे साधारण गणित कर सकते हैं। स्कूलों में इन बालकों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनके लिए विशेष कक्षाओं तथा स्कूलों की आवश्यकता रहती है। प्रशिक्षण द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

### मन्द-बुद्धि बालकों की विशेषताएँ (Characteristic of Mentally Retarded Children)

1. अधिगम की धीमी गति (**Slow Learning**)—मानसिक रूप से मन्द-बुद्धि बालकों की अधिगम की गति बहुत ही धीमी रहती है। इसे तीव्र करना असंभव होता है।
2. शारीरिक हीनता (**Physical Inferiority**)—इस प्रकार के बच्चों में शारीरिक हीनता आ जाती है। उनका शरीर विकृत हो जाता है। शारीरिक लोगों का सामना करने की शक्ति उनमें कम होती है। सामान्यतः वे अस्वस्थ रहते हैं तथा उनका शारीरिक विकास कम होता है।
3. संवेगात्मक अस्थिरता (**Emotional Unstability**)—मानसिक रूप से पिछड़े बालकों संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं अर्थात् उनका संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कई बालक तो बहुत ही निम्न श्रेणी के बालक जीवित रहने की इच्छा ही खो बैठते हैं। वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति करने में भी असमर्थ होते हैं।

4. अपूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली (**Incomplete and Defective Vocabulary**)—इस श्रेणी के बालकों की शब्दावली अपूर्ण और दोषपूर्ण होती है। उन्हें भाषा का सीमित ज्ञान होता है।
5. सीमित रुचियाँ (**Limited Interests**)—मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की रुचियाँ बहुत ही सीमित होती हैं। वे किसी एक ही कार्य में अपनी रुचि का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं।
6. लघु अवधान विस्तृति (**Short Attention Span**)—मन्द-बुद्धि बालकों में लघु अवधान विस्तृति होती है। यदि लम्बे कार्य में मानसिक रूप से मन्द बालकों की रुचि समाप्त हो जाती है तथा उनका ध्यान विचलित हो जाता है ऐसे बालक सामान्य बालकों की तरह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना का अनुसरण नहीं कर पाते।
7. मौलिकता का अभाव (**Lack of Originality**)—इन बालकों में मौलिकता का अभाव रहता है अर्थात् वे अपने स्वयं के चिन्तन के अभाव में कोई कार्य नहीं कर पाते।
8. सामान्यीकरण की योग्यता का अभाव (**Lack of Ability to Generalize**)—मानसिक रूप से मन्द बालकों में तथ्यों का सामान्यीकरण करने की योग्यता का अभाव रहता है अर्थात् वे किसी स्थिति का निष्कर्ष निकालने के योग्य नहीं होते।
9. प्रोत्साहन का अभाव (**Lack of Inspiration**)—ऐसे बालकों में प्रायः प्रोत्साहन की कमी रहती है तथा स्कूलों में जाने की रुचि बिल्कुल नहीं होती। इनका झुकाव अनैतिकता और अपराध की ओर रहता है।
10. धीमी विकास गति (**Slow Development**)—ऐसे मन्द-बुद्धि बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में धीरे धीरे विकसित होते हैं। कई बार इनका विकास इतना धीमा होता है कि वे आयु वर्ग से बहुत पीछे रह जाते हैं।
11. समायोजन का अभाव (**Lack of Adjustment**)—स्कूल की शिक्षा का कम होने के कारण ये बालक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से स्वयं का समायोजन नहीं कर पाते।
12. निरन्तर अस्वस्थता एवं धीमी प्रतिक्रियाएँ (**Consistent ill health and slow reaction**)—मानसिक रूप से विकलांग बालकों का स्वास्थ्य निरन्तर रूप से ठीक नहीं रहता। उन्हें कोई न कोई रोग घेरे रहता है तथा उनमें प्रतिक्रियाएँ (Reactions) भी बहुत धीमी गति से होते हैं।
13. अनुपयुक्त व्यक्तित्व (**Inadequate Personality**)—ऐसे बालकों का व्यक्तित्व कभी सम्पूर्ण नहीं हो सकता। उनमें स्वाभाविकता तथा गत्यात्मकता बहुत कम होती है। वे स्वयं निर्णय लेने में सूक्ष्म नहीं होते। उन्हें भविष्य की स्थिति से कोई लेना देना नहीं होता। वे केवल वर्तमान में ही जीते हैं।
14. दूसरों पर निर्भरता (**Dependence on others**)—मन्द-बुद्धि बालक दूसरों पर अधिक आश्रित रहते हैं उनमें व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से निपटने की योग्यता न के बराबर ही होती है। उनका अपनी इच्छाओं आदि पर नियंत्रण भी नहीं होता तथा वे असामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।
15. सीमित बुद्धि (**Limited Intelligence**)—मन्द-बुद्धि बालकों की बुद्धि बहुत ही सीमित होती है अर्थात् 70 से कम। इस कमी के कारण उनमें समायोजन करने तथा अन्य मानसिक प्रक्रियाओं को सम्पन्न करने की क्षमता नहीं होती।
16. अमूर्त चिन्तन का अभाव (**Lack of Abstract Thinking**)—मन्द-बुद्धि बालकों में बुद्धिलब्धि कम होने के कारण अमूर्त चिन्तन करने में सक्षम नहीं होते। वे समस्या का विश्लेषण नहीं कर सकते।

**मन्द-बुद्धि के कारण (Causes of Mental Retardation)**

मन्द-बुद्धि कई प्रकार की अन्तःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। इसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। मन्द-बुद्धि के निम्नलिखित मुख्य कारण माने जाते हैं—

1. वंशानुक्रम (Heredity)
2. शारीरिक कारक (Physiological Factors)
3. संवेगात्मक कारक (Emotional Factors)
4. समाजशास्त्रीय कारक (Sociological Factors)

**1. वंशानुक्रम (Heredity)**—मानसिक पिछड़ेपन का उत्तरदायित्व वंशानुक्रम पर डाला जाता रहा है। माता-पिता के मानसिक पिछड़ेपन का मुख्य भाग उनकी संतान को मिल जाता है। इस प्रकार की बुद्धि हीनता पूर्वजों में भी होती है तथा उसका हस्तान्तरण उनकी संतान में हो सकता है। यह हस्तान्तरण गुणसूत्रों (Chromosomes) के माध्यम से होता है।

**2. शारीरिक कारक (Physiological Factors)**—मस्तिष्क के किसी भी भाग में यदि कोई दोष आ जाये तो बालक मानसिक रूप से विकलांग या मन्द-बुद्धि हो सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क कोशिकाओं (Brain cells) को बुखार आदि के कारण आघात लगना भी शारीरिक कारकों में ही शामिल है। कई और बीमारियाँ भी मन्द-बुद्धि को जन्म देती हैं जैसे— मैनिनजाइटिस (Meningitis), कोनजिनियल सिफलिस (Congenial Cyphilis), जर्मन मीसल्स (German Measles), एपिलेप्सी (Epilepsy), अधरंग (Paralysis), एपोप्लेक्सी (Apoplexy), इत्यादि। इन बीमारियों के अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान उप-सामान्य स्थिति (Sub-normal condition), बच्चे के जन्म के समय कोई दुर्घटना होना या मस्तिष्क पर किसी औजार के घाव लगना, शैशवावस्था में सिर पर चोट लगना, असंतुलित भोजन या कम भोजन के कारण भी बालक मन्द-बुद्धि के हो सकते हैं।

**3. संवेगात्मक कारक (Emotional Factors)**—मानसिक रूप से पिछड़े बालक संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित हो सकते हैं। कई बार ऐसे बालक बहुत उत्तेजक और आक्रामक होते हैं। इन बालकों के संवेगात्मक असंतुलन का प्रभाव उनकी शैक्षणिक उपलब्धि (Emotional Achievement) पर अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण पाने के अयोग्य होते हैं या उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ऐसी परिस्थितियों में ये बच्चे अपना समायोजन करने में सक्षम नहीं होते।

**4. समाजशास्त्रीय कारक (Sociological Factors)**—समाजशास्त्रीय कारक भी मानसिक पिछड़ेपन में अपना योगदान देते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि मानसिक पिछड़ेपन परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण होता है।

उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे— गर्भकालीन अवस्था में गर्भाशय पर एक्स-रे (X-Ray) का गर्भस्त शिशु के मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार परिवार के वातावरण में नीरसता, स्नेह का अभाव, सुखद अनुभवों का अभाव, असंगठित तथा दुःखी परिवार, निर्धनता तथा असुविधाएँ इत्यादि भी मानसिक मन्दन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

**मन्द-बुद्धि बालकों की समस्याएँ (Problems of Mentally Retarded Children)**—सामान्य बालकों की तुलना में मन्द-बुद्धि बालकों का समायोजन नहीं के बराबर होता है। इन बालकों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कुछ समस्याओं का वर्णन निम्न प्रकार से है—

**(A) समायोजन सम्बन्धी समस्याएँ (Adjustment Problems)**—मन्द-बुद्धि बालक स्वयं को सामान्य बालकों की अपेक्षा कुसमायोजित महसूस करते हैं। समाज, स्कूल तथा समुदाय में इनका समायोजन कठिन होता है।

समायोजन सम्बन्धी समस्याएँ निम्नलिखित हो सकती हैं—


**(1) परिवार में समायोजन (Adjustment at Home)**—बच्चे के माता-पिता को यह विश्वास दिलाना अति आवश्यक होता है कि उनका बच्चा मन्द-बुद्धि बालक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो माता-पिता उस बच्चे से उच्च आकाक्षाएँ रखते हैं लेकिन कुछ ही समय में बालक की असफलताओं से उन्हें निराशा होती है। इससे माता-पिता और बालक के मध्य द्वन्द्व (Conflicts) की स्थिति पैदा हो जाती है। परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार भी उस बच्चे के साथ ठीक नहीं रहता। ऐसी स्थिति में बच्चा स्वयं को परिवार में कुसमायोजित महसूस करने लगता है।

**(2) स्कूल में समायोजन (Adjustment in Schools)**—कई बार मन्द-बुद्धि बालकों को स्कूलों में और कक्षाओं में अध्यापकों के असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक कक्षा में अध्यापकों की सामान्य विधियों से कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अध्यापकों की डाँट सुननी पड़ती है। कई बार तो उन्हें दंड भी दिया जाता है। स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहित नहीं करता। स्कूल से उन्हें घृणा होने लगती है।

**(3) समाज में समायोजन (Adjustment in Society)**—समाज के अन्य वर्ग के लोग भी मन्द-बुद्धि बालकों को हीन-भावना से देखने लगते हैं तथा इनसे मेल-जोल बढ़ाना पसंद नहीं करते। परिणामस्वरूप इन बालकों में भी हीन-भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है। समाज के अन्य सदस्यों के समान वे स्वयं को समाज में समायोजित नहीं कर पाते। इसी कारण से इनका सामाजिक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता।

**(B) संवेगात्मक समस्याएँ (Emotional Problems)**—घर, स्कूल, समाज आदि में उचित वातावरण न मिलने के कारण कुसमायोजित बालक संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते। संवेगों को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिल पाता। अतः संवेगात्मक रूप से वे अपरिपक्व रह जाते हैं। छोटी-छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं या रोने लगते हैं।

**(C) शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या (Problems of Physiological and Mental Development)**—इन बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता तथा रूटीन के कई कार्य ये नहीं कर पाते जैसे ठीक से बैठना, कम सुनना, आंखों में दोष, बोलने में दोष। इनमें बुद्धि कम होने के कारण कुछ सीख नहीं पाते। उनमें अमूर्त चिन्तन की योग्यता नहीं होती। उनका ध्यान विस्तार भी कम होता है। एक विषय पर वे स्वयं को अधिक समय के लिए केन्द्रित नहीं कर पाते। वे केवल साधारण निर्देश ही समझ पाते हैं। उनकी रुचियाँ भी सीमित होती हैं।



चित्र : मन्द-बुद्धि बालकों की समस्याएँ

**मन्द-बुद्धि बालकों की पहचान (Identification of Mentally Retarded Children)—**

कक्षा में मन्द-बुद्धि बालकों की पहचान करने की चुनौती अध्यापक को स्वीकार करनी ही पड़ती है। अध्यापक को इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः कक्षा में ऐसे बालकों की पहचान अति आवश्यक है ताकि उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जा सके। इनकी पहचान के लिए निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है—

**1. बुद्धि परीक्षण (Intelligence Tests)**— मन्द-बुद्धि बालकों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग उचित रहता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत या सामूहिक, भाषायी या अभाषायी (Individual or group test, verbal or non-verbal tests) हो सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को अभाषायी और व्यक्तिगत परीक्षण ही अधिकतर दिये जा सकते हैं। इस कार्य के लिए नई दिल्ली में होज़ खास में बाल-कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभाग में बच्चों की बुद्धि परीक्षण की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गयी है। अध्यापक बालक के माता-पिता को ऐसे संस्थानों में जाने के लिए सिफारिश कर सकता है या सुझाव दे सकता है। इस उपरोक्त संस्था का पूरा पता है—

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC  
COOPERATION  
AND CHILD DEVELOPMENT  
Child Guidance Clinic,  
HAUZ KHAS, NEW DELHI

**2. उपलब्धि परीक्षणों द्वारा (Achievement Tests)**—बालकों का मानसिक पिछड़ापन उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा भी जाना जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण अध्यापकों द्वारा बड़ी सावधानी-पूर्वक बनाये जाने चाहिए। ये परीक्षण भी व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर दिये जा सकते हैं।

**3. विशेषताओं को कसौटी मानकर (Characteristics as criteria for identification)**—बुद्धि परीक्षणों और उपलब्धि परीक्षणों के अतिरिक्त मन्द-बुद्धि बालकों की विशेषताओं के आधार पर भी अध्यापक कक्षा में इनकी पहचान कर सकता है। लेकिन इसके लिए अध्यापक को इन बालकों का अधिक समय तक अवलोकन करना पड़ेगा।

**मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षा (Education of Mentally Retarded children)**—मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की रोकथाम और उपचार विभिन्न विधियों से किया जाता है तथा उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। एक सुझाव के अनुसार इन बालकों का सामान्य बालकों से पृथक्करण (Segregation) कर दिया जाना चाहिए और उनके लिए अलग संस्थाएं खोली जानी चाहिए। दूसरे सुझाव के अन्तर्गत जन्म दर (Birth rate) पर नियंत्रण करना चाहिए। इस पग के अन्तर्गत मन्द-बुद्धि माता-पिता की नसबन्दी होनी चाहिए ताकि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के पैदा होने की संभावनाएं ही समाप्त हो जायें। तीसरा सुझाव विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों (Special Educational Programmes) को लागू करने के सम्बन्ध में है। मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित पग उठाये जाते हैं—

- 1. व्यक्तिगत ध्यान देना (To Pay Individual Attention)**—मन्द-बुद्धि बालकों की ओर विशेष व्यक्तिगत ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अध्यापकों की व्यक्तिगत रुचि के लिए कक्षाएं आकार में छोटी होनी चाहिए ताकि वह प्रत्येक बालक को पर्याप्त समय दे सके।
- 2. विशेष स्कूल और अस्पताल (Special Schools and Hospitals)**—मन्द-बुद्धि बालकों के लिए विशेष स्कूल तथा अस्पताल होने चाहिए ताकि उन्हें विशेष शिक्षा दी जा सके। उनके लिए विशेष अस्पतालों का होना इसलिए आवश्यक है ताकि वहां इनके उचित परीक्षण होते रहें और उनके परिणामों के अनुसार इनकी शिक्षा निरन्तर चलती रहे। सामान्य स्कूलों और अस्पतालों में ऐसा संभव नहीं।

**3. विशेष शिक्षण विधियाँ (Special Teaching Methods)**—सामान्य शिक्षण विधियां मन्द-बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकतीं। अतः इनके लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग आवश्यक है। इनके लिए शिक्षण विधियां सरल व रोचक होनी चाहिए। शिक्षण की गति धीमी हो। उदाहरणों का प्रयोग अधिक करवाया जाए तथा अभ्यास का समय भी दिया जाना चाहिए।

**4. विशेष पाठ्यक्रम (Special Curriculum)**—मन्द-बुद्धि बालक सामान्य पाठ्यक्रम को सामान्य गति से न तो सीख पाते हैं और न ही सामान्य बालकों के साथ चल सकते हैं। अतः इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। इनके लिए पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हस्तकलाओं का शिक्षण अधिक उपयोगी सिद्ध होता है।

**5. माता-पिता को शिक्षित करना (Educate Parents)**—मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है—माता-पिता को शिक्षित करना। शैक्षणिक योग्यताएं रखते हुए भी कई बार माता-पिता को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि मन्द-बुद्धि बालकों को कैसे शिक्षित किया जाये। उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाये ? सबसे पहले तो माता-पिता को उनकी सन्तान के मन्द-बुद्धि होने का विश्वास दिलाया जाये तथा फिर उन्हें विशेष शिक्षण विधियों से अवगत कराया जाये ताकि घर पर वे स्वयं अपने मन्द-बुद्धि बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करके उनके समायोजन में उनकी सहायता कर सकें।

**6. विशेष अध्यापक (Special Teacher)**—मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। सामान्य अध्यापक के लिए उन्हें शिक्षित करना कठिन हो सकता है। अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण तथा प्रेमपूर्ण होना चाहिए। अध्यापक को इन बच्चों से उच्च आशाएं भी नहीं रखनी चाहिए।

**7. विशेष समय सारिणी (Special Time Table)**—मन्द-बुद्धि बालकों की मानसिक एकाग्रता एक निश्चित समय के लिए होती है। अतः उनकी शिक्षा के लिए पीरियडस छोटे होने चाहिए। उनके आराम की ओर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक शिक्षण सीमित अवधि के लिए ही हो। इनकी समय सारिणी लचीली हो।

**8. दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग (Use of Audio Visual Aids)**—मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षा में दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। चार्ट, मॉडल, रेडियो, टी०वी०, ग्लोब आदि का प्रयोग करें तो इनकी रुचि बढ़ेगी।

**9. विशेष कक्षा (Special Class)**—ऐसे बच्चों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा का आकार भी छोटा होना चाहिए। उन कक्षाओं में इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो तथा स्वतंत्र वातावरण हो।

**10. पारिवारिक उत्तरदायित्व (Family Responsibility)**—माता-पिता को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनका बच्चा मन्द-बुद्धि है। वे इस समस्या का साहसपूर्ण मुकाबला करें। बच्चों को मैडिकल चैकअप कर बताते रहना चाहिए तथा उन्हें स्नेह, सुरक्षा तथा सहानुभूति प्रदान करें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षा का कार्य इतना सरल नहीं है। इस परिणाम पर पहुंचा गया है कि ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए—

1. सामग्री कठिन न हो।
2. कार्य छोटा हो।
3. पाठ्य वस्तु छोटे-छोटे पदों में विभाजित करके प्रस्तुत की जाये।
4. इन बच्चों को उनकी सफलता का आभास करवाकर उन्हें सुख का अनुभव करवाना चाहिए।
5. सीखने वाली सामग्री को दैनिक जीवन में विद्यमान वस्तुओं से सम्बन्धित किया जाना चाहिए।
6. इनमें सामाजिक कुशलता विकसित की जाये तथा सहयोग की भावना उत्पन्न की जाये।

**गतिमान तथा स्नायु विषयक विकार  
(Locomotor and Neurological Disorders)**

7. गतिमान तथा स्नायु विषयक विकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? गतिमान तथा स्नायु विषयक विकारों के कारण तथा उनके उपचार का वर्णन कीजिए।  
(What do you mean by Locomotor and Neurological disorders? Describe the causes and treatment of Locomotor and Neurological disorders.)

**उत्तर—अर्थ (Meaning)**—गतिमान तथा स्नायु विषयक विकारों का सम्बन्ध शरीर के किसी भाग की हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों की क्रियाशीलता के दोषपूर्ण होने से होता है। इन विकारों से ग्रस्त बालकों की श्रेणी में केवल वही बच्चे आते हैं जो किसी शारीरिक त्रुटि के शिकार होते हैं और जिसके कारण वे अपने शरीर के किसी भाग का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे बालकों के बुद्धिस्तर में कोई कमी नहीं होती। वे सामान्य बालकों की तरह कम बुद्धि के भी होते हैं तथा तीव्र बुद्धि के भी।

पुराने समय में अपंग बालक परिवार की मुख्य समस्या थे। उनके पारिवारिक सर्जन हड्डियों के सर्जन ही हुआ करते थे। समाज में बहुत से बच्चे हम देखते हैं जो अपंग या विकृत (Deformed) या शारीरिक रूप से विकलांग (Physically Handicapped) हैं। ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है तथा इन्हें विशेष निर्देशन (Instructions) चाहिए। अपंग बच्चों में आमतौर पर एक या अधिक प्रकार की विकृतियाँ (Deformities) होती हैं जो इनकी मांसपेशियों, जोड़ों या हड्डियों की सामान्य क्रियाओं में बाधा डालती है।

हड्डियों के रोगों से ग्रस्त रोगियों (Orthopaedically Handicapped) में शामिल होते हैं—अपंग बच्चे (Crippled), पोलियो से ग्रस्त (Polio-stricken)। अपंग (Crippled) बच्चों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—

(a) मध्यम स्तर के (Mild) या कम अपंग

(b) गंभीर अपंग (Severely Crippled)

(a) **कम अपंगता (Mildly Crippled)**—ऐसे बच्चों की अपंगता कम होती है तथा इसके परिणामस्वरूप दैनिक क्रियाओं में अधिक रुकावट नहीं पड़ती। सरलता से या कम प्रयासों से ही उपचार हो सकता है तथा गुजारा हो सकता है।

(b) **गंभीर अपंगता (Severely Crippled)**—इस वर्ग में गंभीर किस्म के अपंग शामिल होते हैं तथा इन्हें अस्पताल में जाना पड़ता है। इन्हें अस्पताल स्थायी या अस्थायी तौर पर जाना पड़ सकता है। अस्थायी रूप से अस्पताल जाने वाले बच्चों के लिए एकीकृत स्कूल कार्यक्रमों (Integrated School Programmes) की आवश्यकता होती है। परन्तु स्थायी रूप से अस्पताल में जाने वाले बच्चों के लिए अस्पताल तक सीमित कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इन्हें चलने-फिरने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ—जब बच्चे की दोनों टाँगें नहीं होती। इन्हें लेकर बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है। इसमें निम्न प्रकार के बच्चे भी शामिल होते हैं—

(i) **मांसपेशियों और कंकाल की समस्या (Muscular Skeletal Problem)**—ऐसी अपंगता मांसपेशियों तथा हड्डियों में किसी दोष के कारण हो सकती है। इस प्रकार के दोष के कारण त्रुटिपूर्ण सूत्रों के मिलने के कारण, जन्म के समय लापरवाही या फिर ये जन्मजात हो सकते हैं।

(ii) **दुर्घटना या बीमारी से विकृति (Deformity as a result of Accident or Disease)**—कई बार इसी विकृति या अपंगता का कारण हड्डियों से जुड़ी बीमारी या कोई दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना के कारण व्यक्ति की हड्डी टूट सकती है, अंग खराब होने पर उसे काटा जा सकता है या कोई कृत्रिम अंग लगाना पड़ता है।

(iii) **सेरिब्रल पैल्सी (Cerebral Palsy)**—यह मस्तिष्क लकवा होता है जोकि मुख्य नाड़ी संस्थान (Nervous System) में दोष पैदा हो जाने के कारण, दिमाग की दुर्बलता के कारण तथा मस्तिष्क और केन्द्रीय नाड़ी संस्थान में समन्वय न होने के कारण हो सकता है। यह मस्तिष्क ज्वर और ऑक्सीजन के अभाव के कारण भी होती है।

**कारण (Causes)**—अपंगता के मुख्य कारण विभिन्न स्थितियों के दौरान निम्नलिखित हो सकते हैं—

(i) **जन्म से पहले (Before Birth)**—बच्चे के जन्म से पहले अर्थात् गर्भावस्था में कुछ संक्रामक रोग महिला को कुप्रभावित करते हैं तो यह अपंगता जन्म लेती है। खून की कमी अर्थात् ऐनीमिया (Anaemia) के कारण ऑक्सीजन कम मिलती है और यह कमी केन्द्रीय नाड़ी संस्था को हानि पहुंचाता है। इसी प्रकार शकर (Sugar) जैसा रोग भी अपंगता के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

(ii) **जन्म के समय (At the time of Birth)**—जब बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ी-सी लापरवाही भी अपंगता का कारण बन सकता है, जैसे प्रसव में विलम्ब होने देना, ऑक्सीजन की कमी या कोई औजार लगना तथा कोई घाव लगना। इन कारणों से कई बार बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है।

(iii) **जन्म के बाद (After Birth)**—बच्चे के जन्म के बाद भी अपंगता आ सकती है, जैसे बच्चे को संक्रामक रोग का लगना, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित कर देते हैं। किसी दुर्घटना में नाड़ी संस्थान का क्षतिग्रस्त होना। अमेरिका में अधिकतर बच्चे सेरीब्रल पैल्सी (Cerebral Palsy) के कारण दोषयुक्त होते हैं।

**पहचान (Identification)**—अपंग बच्चों की पहचान अन्य असमर्थियों (Disabled) की अपेक्षा आसान होती है। श्रवण बाधितों और दृष्टि बाधितों (Hearing and Visual Impaired) की पहचान अपेक्षाकृत कठिन होती है। अपंग बच्चों में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी समस्या साधारण होती है और उन्हें हम अनदेखा (Overlook) भी कर देते हैं।

अपंग बच्चों की पहचान के लिए हम निम्नलिखित चेक लिस्ट (Check list) का प्रयोग कर सकते हैं—

(i) ऐसे बच्चों का गति नियंत्रण (Motion Control) और समन्वय (Coordination) बहुत ही निम्न स्तर का होता है।

(ii) ये बच्चे बार-बार गिरते हैं।

(iii) ये बच्चे शारीरिक अभ्यास (Physical Exercise) के दौरान दर्द के चिह्न प्रदर्शित करते हैं।

(iv) ये अजीब ढंग से या एक ही अंग से चलते हैं।

**अपंग बालकों का उपचार एवं शिक्षा**

**(Treatment and Education of Crippled Children)**

अपंग बालकों की अपनी ही विशेष समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें पूरा करना अति आवश्यक होता है। इनके लिए विशेष व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

1. **मानसिक विकास (Mental Development)**—ऐसे बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं। मानसिक विकास के लिए इन्हें सामान्य बच्चों की भाँति ही शिक्षित किया जाए। इस वर्ग में आने वाले उच्च बुद्धि के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

**2. समायोजन (Adjustment)**—इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है ताकि इन्हें समाज में स्थापित करके इनका उपयुक्त ढंग से समायोजन हो सके। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें दया की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए ताकि इनमें हीनभावना न पनपे। ऐसे बच्चों में आत्म-विश्वास पैदा करना अनिवार्य है? अपंग बच्चों को समय बनाना पड़ता है—अपंग साथियों में रहकर और सामान्य साथियों में रहकर। इस समन्वय के मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं। समन्वय स्थापित करते रहने से इन बच्चों का मानसिक तनाव कम हो जाता है। परिणामस्वरूप ये स्वयं को बेहतर समायोजित महसूस करते हैं। इसी प्रकार इनकी अपंगता को ध्यान में रखकर ही इनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी ये बच्चे सुसमायोजित हो सकेंगे।

**3. विशेष कक्षाएँ (Special Classes)**—कुछ अपंग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखते। ऐसे बच्चों के लिए विशेष कक्षाएँ होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक संभव हो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रारम्भ करनी चाहिए।

**4. अतिरिक्त कक्षाएँ (Extra Classes)**—चूँकि अपंग बच्चे कई बार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं तथा सामान्य बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में इन बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये अतिरिक्त कक्षाएँ रविवार या अन्य अवकाश वाले दिन आयोजित की जा सकती हैं। ऐसे बच्चों की समस्याओं को इन अतिरिक्त कक्षाओं में सुनकर उनका समाधान ढूँढ सकते हैं।

**5. विशेष पाठ्यक्रम (Special Curriculum)**—कुछ अपंग बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता रहती है। ऐसे विशेष पाठ्यक्रम इन बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह पाठ्यक्रम ऐसा हो कि ऐसे बच्चों को यह रोजगार दिलाने में सहायता करे। इस पाठ्यक्रम को पढ़कर परीक्षा पास करने के लिए निर्धारित शर्तों में भी कुछ परिवर्तन अवश्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ऐसे बच्चों को बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है, तब उन्हें कक्षा में उपस्थिति की छूट प्रदान की जानी चाहिए। प्रश्न-पत्र भी उनकी आवश्यकता, योग्यता आदि के अनुसार ही बनाये जाएँ।

**6. व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training)**—अपंग बच्चों का जहाँ उपचार संभव नहीं होता, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है ताकि वे अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें जीवन व्यतीत करने के कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

**7. विशेष अध्यापक (Special Teacher)**—कई परिस्थितियों में सामान्य बच्चों के अध्यापक को ही अपंग बच्चे भी शिक्षण हेतु सौंप दिये जाते हैं। परन्तु इस परिस्थिति में अच्छे से अच्छे अध्यापक भी सफल नहीं पाते। वे उनके मनोविज्ञान को समझने में सफल नहीं हो पाते तथा परिणामस्वरूप वे अपंग बच्चे की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इस दृष्टि से अपंग बच्चों की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। ताकि वे ऐसे बच्चों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझ सकें और उनका तत्काल हल ढूँढ सकें।

**8. विशेष विद्यालय (Special Schools)**—जब विकलांग बच्चों की विकलांगता या अपंगता इतनी गंभीर किस्म की होती है कि उन्हें सामान्य स्कूलों में रखकर शिक्षा प्रदान करना कठिन या असंभव हो जाता है। इनके लिए तब विशेष कक्षा या अतिरिक्त कक्षा भी उपयोग सिद्ध नहीं होती, तब इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष विद्यालयों का खोलना अति आवश्यक हो जाता है।

**9. उपचार (Treatment)**—कई बार विकलांगता इस प्रकार की होती है कि उन्हें बार-बार डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है तथा चैक-अप करवाना पड़ता है। कई बार अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है। ऐसे बच्चों की शिक्षा कुप्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में इन बच्चों पर वही नियम लागू न किये जाये जो सामान्य बच्चों पर किये जाते हैं। अध्ययनों का रवैया भी इनके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। इन्हें उपचार करवाने के लिए सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए ताकि इन पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े।

**10. उपयुक्त देखभाल करना (Proper Care)**—अपंग बच्चों की देखभाल करना ही इनका उपचार है। इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना अति आवश्यक है। इन्हें हीन भावना नहीं महसूस करनी चाहिए कि वे शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार कमजोर हैं। जहाँ पर संभव हो या आवश्यक हो, ऐसे बच्चों को कृत्रिम अंगों के लिए भी सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि इनमें नया जोश भर जाये और इनको जीने के लिए प्रोत्साहन मिले। ऐसे बच्चों को यह कभी महसूस न होने दिया जाये कि वे असहाय हैं।

**11. माता-पिता व अध्यापकों की भूमिका (Role of Parents and Teachers)**—इन बच्चों की शिक्षा में माता-पिता और अध्यापकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक को बच्चे की इस बात में अवश्य सहायता करनी चाहिए कि वे अपने दोष को स्वीकार करें। अध्यापक बच्चों के समायोजन में सहायता कर सकता है। इसी प्रकार अध्यापक हर अपंग बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, एकत्रित कर सकता है। अध्यापक यह भी देखे कि वह इन बच्चों के मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान कर रहा है या नहीं। आमतौर पर ऐसे बच्चों को मनोरंजन की आवश्यकताएँ अनदेखे कर दी जाती हैं। इन बच्चों को ग्रेडिंग के समय इनकी असमर्थता (Disability) को अवश्य ध्यान में रखा जाए जो बच्चे लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं उनके लिए मौखिक प्रश्न हों। यदि संभव न हो तो उन्हें कुछ अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। माता-पिता, अध्यापक और विशेषज्ञों को चाहिए कि वे ऐसे अपंग बच्चों के अंगों की क्रियाओं के लिए सम्बन्धित सहायता प्रदान करवाएँ।

### अधिगम असमर्थता (Learning Disability)

**8. अधिगम असमर्थता का क्या अर्थ है? अधिगम असमर्थता की मुख्य विशेषताओं, कारणों, पहचान तथा शिक्षा पर प्रकाश डालिए।**  
(What is the meaning of Learning Disability? Throw light on the main characteristics, causes, identification and education of learning disability.)

अथवा

अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं एक समावेशित विद्यालय में अधिगम असमर्थता युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए।

(What do you understand by learning disability? Highlight special educational needs of children with learning disabilities in an inclusive school.)

**उत्तर-अर्थ (Meanings)**—अधिगम असमर्थता (Learning Disability) का सम्बन्ध सीखने की समस्याओं से होता है। सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने सम्बन्धी अपूर्ण (Imperfect) योग्यता के कारण होती है। ये अयोग्यताएँ प्राथमिक रूप से दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदता, पर्यावरणीय या अर्थशास्त्रीय दोषों के कारण नहीं होती बल्कि ये दोष समझने और भाषा के प्रयोग करने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होते हैं।

अधिगम असमर्थता के ग्रस्त बहुत से बच्चे होते हैं। यह समस्या आमतौर पर निम्न कारकों के मेल से होती है—

- बुद्धि का निम्न स्तर
- मानसिक मंदता
- दृष्टि बाधिता (Visual Impairment)

(iv) निम्न स्तर के निर्देशन आदि।

अधिगम असमर्थता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित दो उपगम हैं—

(a) कारण-केन्द्रित उपागम (Cause Oriented Approach)

(b) प्रभाव-केन्द्रित उपागम (Effect-oriented Approach)

कारण केन्द्रित उपागम में प्रेक्षित व्यवहार के कारण की पहचान की जाती है, जबकि प्रभाव केन्द्रित उपागम में प्रेक्षित व्यवहार का विश्लेषण और संशोधन किया जाता है।

कीरक (Kirk, 1962) के अनुसार, “अधिगम-असमर्थता वाणी, भाषा, पठन, स्पेलिंग, लिखने या गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं का विलम्बित विकास है जो संभवतः सेरीब्रल अकार्यपरकता के कारण या संवेगात्मक या व्यवहारात्मक विचलन (Disturbance) के परिणामस्वरूप होता है, न कि मानसिक मंदता, संवेदनहीनता, सांस्कृतिक या निर्देशनात्मक कारकों से।

(Learning disability refers to a retardation, disorder or delayed development in one or more of the processes of speech, language, reading, spelling, writing or arithmetic resulting from a possible cerebral dysfunction/and or emotional or behavioural disturbance and not from mental retardation, sensory deprivation, cultural or instructional factors.”

कीरक की यह प्रभाव-केन्द्रित परिकरण है। कीरक (1963) ने अपने एक भाष्य में यह स्पष्ट कर दिया कि वह अधिगम-असमर्थ के वर्ग में उन बच्चों को शामिल नहीं कर रहे जो मानसिक मंदता के कारण या दृष्टि बाधिता या श्रवण बाधिता के कारण असमर्थ (Disabled) हैं। सन् 1960 में न्यूयार्क शहर में अभिभावकों की एक सभा में कीरक (Kirk) ने ‘असमर्थता’ (Disability) शब्द प्रस्तावित किया है। उन दिनों में ऐसे बच्चों को घायल मस्तिष्क (Brain Injured), धीमी गति से सीखने वाले, प्रत्यक्ष रूप से विकलांग (Perceptually Handicapped) आदि नामों से पुकारा जाता था। लेकिन ‘अधिगम-असमर्थ’ (Learning Disabled) शब्द का प्रयोग किये जाने का सभी माता-पिता के स्वागत किया।

कावेल और फोर्नेस (Kavale & Forness) के अनुसार, “अधिगम-असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम-समर्थ लोग सीख लेते हैं। चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि क्यों न हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा के साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं तथा लिखने और पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए कठिन चुनौती होती है।” (People with learning disabilities do not learn in the same way or as efficiently as their non-disabled peers. Although most possess normal intelligence, their academic performance is significantly behind their class mates. Some have great difficulty in learning mathematics, but most find the mastery of reading and writing to be their most difficult challenge.)

—Kavale & Forness)

अमेरिका का अधिगम असमर्थ बच्चों, विकलांगों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (Association of Children with Learning Disabilities, USA, 1967) के अनुसार, “अधिगम असमर्थता बच्चे वे होते हैं जिनकी केन्द्रिय तंत्रिका तंत्र में अकार्यपरकता (Dysfunctions) होती है और यह अकार्यपरकता प्राथमिक रूप से बाधित अधिगम कुशलता (Impaired Learning Efficiency) द्वारा अभिव्यक्त होती है।”

(Children with learning disabilities are those children who have central nervous system dysfunctions which is expressed primarily in impaired learning efficiency).

—National Advisory Committee (USA) for Handicapped (1969)

—Association of Children with Learning Disabilities, U.S.A. (1967)

अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएँ

(Characteristics of Learning Disabled Children)

अधिगम असमर्थ बच्चों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं—

1. बोली जाने वाली भाषा का विलम्बित विकास (Delayed Spoken Language Development)—बोली जाने वाली भाषा के विकास में अधिगम-असमर्थ बच्चे पिछड़े हुए होते हैं। वे अपनी हम उम्र या कक्षा के साथियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते। इनका शब्द-भंडार भी बहुत ही सीमित होता है। वे अपने अपरिपक्व शब्द भंडार के लिए भी जाने जाते हैं। सामान्यतः वे व्याकरण सम्बन्धी बहुत-सी गलतियाँ करते हैं। तर्कपूर्ण क्रम में विचारों को व्यवस्थित करने में इन्हें कठिनाई होती है। वे शब्दों का नियमित सामूहिकरण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी भाषा असंगठित हो जाती है जब वे कुछ कारणों पर एक साथ बहस छेड़ते हैं। वे केन्द्रीय बिन्दु से विचलित हो जाते हैं और साथ वाले विचार को स्पर्श कर जाते हैं। वे लम्बी वार्ता और जटिल वार्ता को भूल जाते हैं।

2. अपर्याप्त समय संप्रत्यय (Inadequate Time Concept)—ऐसे बच्चों में समय का संप्रत्यय नहीं होता। वे कार्य को सम्पन्न करने में लगने वाले समय का कोई अनुमान नहीं होता। अधिगम असमर्थ बच्चे अपनी प्राथमिकताएँ संगठित करने में असफल होते हैं। समय, घड़ी, कैलेंडर के बारे में इनकी संवेदना बड़ी निम्न स्तर की होती है। इसी प्रकार इनमें दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि का भी अधिक ज्ञान नहीं होता। समय की इकाइयों का भी इन्हें ज्ञान नहीं होता।

3. सम्बन्ध पर निर्णय में कठिनाई (Difficulty in Judging Relationship)—अधिगम असमर्थ बच्चों में इस निर्णय का अभाव रहता है कि क्या महत्त्वपूर्ण है और क्या महत्त्वपूर्ण नहीं है? इससे अनिगनत पैसिल अकुशलता उत्पन्न होती है तथा कार्य सम्पन्न करने में असफल होते हैं। कुछ बच्चे जमा और घटाने के चिह्न में कोई अन्तर नहीं कर पाते।

4. निम्न मानवीय डैक्टेरिटी (Poor Manual Dexterity)—इसमें पैसिल के संभालने में अयोग्यता, पुस्तक पकड़ने में अयोग्यता या दरवाजे का हैंडल पकड़ने में अयोग्यताएँ आदि शामिल हैं। ये बच्चे नये यंत्रों को संभालने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे आमतौर पर यह भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या करना है या उन्होंने कुशलतापूर्वक कैसे करना है या अपने बहुत से कार्यों में कैसे रोकना है ताकि दिन-प्रतिदिन के जीवन के हर पक्ष से कैसे व्यवहार किया जाये तथा कम से कम परिश्रम करना पड़े।

5. निम्न स्तरीय गत्यात्मक समन्वय (Poor General Motor Coordination)—इसमें बार-बार गिरने की प्रवृत्ति, निम्न स्तरीय समन्वय, निम्न स्तरीय संतुलन आदि शामिल हैं। ऐसे बच्चे हर हाथ से उसी समय कार्य करने में अयोग्य होते हैं। वे हाथों से विभिन्न क्रियाएँ करने में सक्षम नहीं होते। कई बार वे हाथों और पावों से एक साथ क्रियाएँ करने में सक्षम नहीं होते। वे बहुत बेआरामी, बेचैनी अनुभव करते हैं और ध्यान-विस्तार (Attention span) बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे आलसी और बहुत ही असंगठित होते हैं। अधिगम असमर्थ बच्चे ऐसे सन्देशों से अनभिज्ञ होते हैं जो आँखों के सम्पर्क से, चेहरे के हाव-भावों से, पहनावे से, क्रियाओं आदि से सूचित होते हैं। इनमें वस्तुओं के आकार, स्वरूप आदि का भी अहसास नहीं होता। इस प्रकार इनमें निम्न स्तर का गत्यात्मक समन्वय (Motor Coordination) होता है।

6. प्रत्यक्षीकरण दोष (Perceptual Disorders)—उद्दीपनों की व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया (Cognitive Process) है जो संवेदना के आंकड़ों (Sensory Data) की पहचान करती है, उन्हें संगठित करती है और उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में बदलती है। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रियाओं में विभेदीकरण (Discrimination), समन्वयीकरण (Coordination) और क्रम में करना (sequencing) आदि शामिल हैं। विभेदीकरण के अन्तर्गत विभिन्न पक्षों में अन्तर ढूँढा जाता है, समन्वयीकरण के अन्तर्गत सूचनाओं को एकीकृत किया जाता है। सूचनाओं के दो या अधिक सूचना स्रोतों (Sources) से सूचनाओं को एकीकृत किया जाता है। क्रम की प्रक्रिया के अन्तर्गत उद्दीपकों को क्रमबद्ध किया जाता है। अधिगम असमर्थ इन सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रियाओं में कठिनाई अनुभव करते हैं। प्रत्यक्षीकरण दोषों में शामिल हैं—दृष्टि दोष, श्रवण दोष, स्पर्श दोष आदि।

**7. स्मृति दोष (Memory Disorder)**—आजकल स्मृति को एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है जो हमें जटिल पर्यावरणीय सूचना को संगठित करने और भंडारित (Store) करने में सहायता देती है। स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है जिसे शोधों के बावजूद भी अभी तक समझा नहीं जा सका। स्मृति सम्बन्धी दोषों में श्रवण या दृष्टि दोष शामिल होते हैं। अधिगम असमर्थी (Learning Disabled) दोनों प्रकार के दोषों का सामना करते हैं। वे कई बार यह भूल जाते हैं कि उनके कमरे या दरवाज़ा या बैड किधर है। कई बार तो वे 3 शब्दों को सुनने के तत्काल बाद की उनके क्रम के अनुसार भूल जाते हैं। इस प्रकार श्रवण में न्यूनता उनके अधिगम (Learning) को बुरी तरह से प्रभावित करती है।

**8. हाईपर क्रिया (Hyper Activity)**—'हाईपर' (Hyper) शब्द का अर्थ है—'अतिरिक्त या सामान्यतः से अधिक।' क्रिया का सम्बन्ध 'हलचल' से है। हाईपर क्रियाओं में शामिल हैं—विश्राम हीनता (Restlessness) वाले व्यवहार। अधिकतर अधिगम असमर्थी बच्चे हाईपर एक्टिव (Hyper active) होते हैं। वे चुपचाप नहीं बैठ सकते। जिनमें ध्यान का अभाव होता है वे ऐसे ही होते हैं। हाईपर क्रिया लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होती है। ऐसे बच्चों की शैक्षिक समस्याएँ सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है।

**9. ध्यान का अभाव या अवधान का होना (Inattention)**—अधिगम असमर्थी बच्चे किसी एक क्रिया पर सामान्य समय के लिए केन्द्रित रहने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। ध्यान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमें आस-पास के उद्दीपकों की चयनित विशेषताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के योग्य बनाती है। अवधान को दो भागों में बाँटा जा सकता है—चयनित ध्यान और स्थाई ध्यान (Selective and Sustained Attention)। स्थाई ध्यान का सम्बन्ध उस ध्यान से है जिसे हम कुछ समय के लिए बनाये रखते हैं। चयनित ध्यान कुछ महत्वपूर्ण उद्दीपकों को पहचानने की योग्यता है। अधिगम असमर्थी (Learning Disabled) बच्चों में दोनों का ही अभाव रहता है। कक्षा में ध्यान देने में योग्यता का न होना इन बच्चों की विशेषता होती है।

**10. दिशा सम्बन्धी भ्रम (Direction Related Confusion)**—इसमें शामिल हैं—दाएं, बाएं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ऊपर, नीचे आदि। संप्रत्ययों (Concepts) को प्रयोग करने की योग्यता। ऐसे अधिगम असमर्थी बच्चों में नक्शों की सूचना समझने की योग्यता नहीं होती है। वे सड़क की दिशाएँ भी कई बार भूल जाते हैं।

**11. स्थान-ज्ञान का अभाव (Poor Spatial Orientation)**—अधिगम-असमर्थी बच्चे नये वातावरण से परिचित होने में कठिनाई अनुभव करते हैं। वे कई बार भवनों के कम्प्लेक्स में रास्त भूल जाते हैं। वे जटिल मिर्कैनिकल कार्यों को भूल जाते हैं तथा यह भी भूल जाते हैं कि दूसरे लोग ऐसे जटिल कार्य कैसे करते हैं। जब ये बच्चे किसी जटिल कार्य का सामना करते हैं जो वे जोश दिखाते हैं और उसे बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं। इनकी कोई योजना नहीं होती अर्थात् किसी जटिल कार्य को करने के लिए वे किसी योजना की ओर ध्यान नहीं देते।

### अधिगम-असमर्थता के कारण (Causes of Learning Disability)

यह बहुत ही कठिन होता है कि बच्चों की अधिगम-असमर्थता के विशेष कारणों का विशेषीकरण किया जाये। संभावित कारणों को हम निम्नलिखित तीन वर्गों में बाँट सकते हैं—

1. आंगिक और जैविक कारक (Organic and Biological Factors)
2. जननिक कारक (Genetic Factors)
3. पर्यावरणीय कारक (Environmental Factors)

**1. आंगिक और जैविक कारक (Organic and Biological Factors)**—कई विद्वानों का मत है कि अधिगम असमर्थी बच्चों में केन्द्रीय नाड़ी संस्थान (Central Nervous System) में दोष (Dysfunction) आ जाता है या वह कार्य नहीं करता। उनका मस्तिष्क कुछ कम कार्य करता है। लेकिन

कुछ विद्वान यह बात मानने को तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में किया गया प्रारम्भिक शोध कार्य पुराने तरीकों से किये गये थे लेकिन आजकल मस्तिष्क की क्रियाओं का मूल्यांकन बहुत विकसित तकनीक से किया जाता है। केन्द्रीय नाड़ी संस्थान के दोषयुक्त होने के लिए बुखार, चोट, समय के पहले जन्म तथा जन्म के समय लापरवाही आदि परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं।

**2. जननिक (Genetic Factors)**—ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अधिगम असमर्थता एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानान्तरित होती है। पर्याप्त अध्ययन यह बताते हैं कि अधिगम असमर्थताओं का कारण वंशानुक्रम (Heredity) होता है, विशेषकर गंभीर अधिगम असमर्थता। जैसे अध्ययन यह बताते हैं कि जब जुड़वाँ बच्चों में से एक बच्चा पठन असमर्थी हो तो दूसरे में भी पठन असमर्थता (Reading Disability) की संभावना होती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये जुड़वाँ समरूप जुड़वाँ (Identical twins) होते हैं। बन्धुत्व जुड़वाँ (Fraternal twins) में ऐसा नहीं होता।

**3. पर्यावरणीय कारक (Environmental Factors)**—पर्यावरणीय कारकों की सूची तैयार करना बहुत ही कठिन होता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों के शिकार बच्चे अधिगम समस्याओं का अधिक सामना करते हैं। पर्यावरणीय कारकों में प्रमुख कारक है—खराब शिक्षण। विद्वानों का मत है कि यदि अध्यापक बच्चों के सीखने की समस्याओं की ओर स्कूल के प्रारम्भिक दिनों में ही ध्यान दे तो कुछ अधिगम असमर्थताओं को टाला जा सकता है। अधिगम असमर्थता के लिए बच्चों का शारीरिक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पर्यावरण भी उत्तरदायी होता है। उदाहरणार्थ, नशीली दवाओं का सेवन, आवश्यकता से अधिक भावुक होना, कुपोषण, सिर पर चोट का लगना तथा दुर्घटना आदि।

### अधिगम असमर्थियों की पहचान (Identification of Learning Disabled)

अधिगम असमर्थियों की पहचान के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया (Assessment Procedure) के सुदृढ़ करना होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया को हम निम्नलिखित दो भागों में बाँट सकते हैं—

- (a) अनौपचारिक मूल्यांकन (Informal Assessment)
- (b) औपचारिक मूल्यांकन (Formal Assessment)

**(a) अनौपचारिक मूल्यांकन (Informal Assessment)**—अनौपचारिक मूल्यांकन में विद्यार्थी के दैनिक व्यवहार का अवलोकन (Observation), विद्यार्थी की परीक्षा में उपलब्धि तथा विद्यार्थियों के साथ बहस है आदि शामिल है। इसके विद्यार्थियों के बारे में आंकड़े एकत्रित करने में सहायता मिलती है और ये अनुदेशनात्मक रूप से (Instructionally) सम्बद्ध (Relevant) होते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों पर अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से नजर रख सकता है। अनौपचारिक मूल्यांकन भी विभिन्न प्रकार का हो सकता है। जैसे—

1. पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन (Curriculum based assessment)
2. मापदंड संदर्भित मूल्यांकन (Criterion referenced assessment)
3. अवलोकन (Observation)
4. साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट आदि। (Interviews, Questionnaires, Check Lists etc.)

पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन में शामिल है—पाठ्यक्रम आधारित मापन, अनुक्रिया और त्रुटि विश्लेषण (Response and Error Analysis), कार्य-विश्लेषण (Task Analysis) तथा अध्यापक निर्मित परीक्षण (Teacher Made Tests)।

**(b) औपचारिक मूल्यांकन (Formal Assessment)**—यह सर्वमान्य है कि अधिगम असमर्थता की पहचान किसी एक मूल्यांकन यंत्र (Assessment Instrument) द्वारा संभव नहीं। किसी एक असमर्थता (Disability) का निदान (Diagnosis) कोई एक घटना नहीं होती। यह लक्ष्य-केन्द्रित प्रक्रिया होती है जो प्रश्नों की शृंखला द्वारा निर्देशित होती है। इन प्रश्नों के उत्तरों द्वारा आंकड़े एकत्रित किये जाते

हैं। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर उन विद्यार्थियों के लिए उन्हीं परीक्षाओं का प्रयोग किया जा सकता है जो मंदबुद्धि, संवेगात्मक रूप से विचलित तथा अधिगम-असमर्थी होते हैं। जो परिणाम इन परीक्षाओं से प्राप्त होते हैं उन्हीं के द्वारा अधिगम असमर्थियों की पहचान की जाती है।

औपचारिक मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर वैयक्तिक रूप से (Individually) किया जाता है और प्रमाणीकृत (Standardized) परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। आमतौर पर मापदंड संदर्भित परीक्षाओं (Norm Referenced Tests) का ही प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण वे होते हैं जिनके अंकों की औसत-निष्पादन (Average Performance Norms) अर्थात् मापदंड (Norms) से तुलना की जाती है। औपचारिक मूल्यांकन के लिए कई परीक्षण हैं जिसके द्वारा अधिगम असमर्थी की पहचान की जा सकती है। इसका विस्तृत विवरण रैड्डी, रामर और कुसुमा (1999) की पुस्तक 'अधिगम असमर्थताएं प्रयोगकर्ताओं के लिए एक गाइड' (Learning Disabilities: A Practical Guide to Practitioners) में दिया गया है।

### अधिगम असमर्थी बच्चों की शिक्षा (Education of Learning Disabled Children)—

अधिगम असमर्थी बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न संभावित कार्यक्रम हैं। ये संभावित कार्यक्रम निम्नलिखित उपागमों के रूप में निम्नलिखित हैं—

1. व्यवहारात्मक हस्तक्षेप (Behavioural Interventions)
2. ज्ञानात्मक व्यवहारात्मक हस्तक्षेप (Cognitive Behavioural Interventions)
3. चिकित्सा-आधारित हस्तक्षेप (Medically Based Interventions)
4. बहुइन्द्रिय उपागम (Multisensory Approach)
5. प्रत्यक्ष अनुदेशन (Direct Instruction)

**1. व्यवहारात्मक हस्तक्षेप (Behavioural Interventions)**— इसमें बदलते हुए सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। वातावरणीय कारणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वृद्धि, परिवर्तन या आकार को लक्षित किया जा सके। व्यवहारों में परिवर्तनों का सर्वप्रथम प्रयास किया जाना चाहिए। व्यवहारों को बदलने के लिए अध्यापक को चाहिए कि सर्वप्रथम वह व्यक्ति की आवश्यकताओं की सूची बनाए और फिर बदले जाने वाले व्यवहारों को लक्षित करके उनका चयन करे। अधिगम-असमर्थी बच्चों को पुनर्बलन (Reinforcement) प्रदान करना चाहिए जैसे— प्रशंसा करना।

**2. ज्ञानात्मक व्यवहारात्मक हस्तक्षेप (Cognitive Behavioural Interventions)**—कार्य के दौरान व्यवहारों में बुद्धि के प्रभावशीलता के शोध कार्यों का भी समर्थन प्राप्त है। आत्म नियंत्रण का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इस विधि द्वारा अवधान सम्बन्धी व्यवहारों (Attention Behaviours) को परिवर्तन किया जाता है। आत्म-नियंत्रण (Self Monitoring) विधि स्वयं के व्यवहारों का बार-बार मूल्यांकन करने की योग्यता है ताकि उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

**3. चिकित्सा आधारित हस्तक्षेप (Medically Based Interventions)**—यदि अवधान-समस्याएँ हाईपर-क्रिया (Hyper-Activity) के कारण हैं तो चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) मुख्य भूमिका निभा सकता है। यदि कोई विद्यार्थी हाईपर-सक्रिय (Hyper Active) है तो उसे सीखने में समस्या आ सकती है। जब अवधान सम्बन्धी समस्याएँ आती हैं तब व्यवहारात्मक हस्तक्षेप और आत्म-नियंत्रण (Behavioural Intervention and Self Monitoring) जैसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये विधियाँ प्रभावी न हों तब दवा का प्रयोग करना चाहिए।

हाईपर-क्रिया के लिए आमतौर पर जिस दवा का चयन किया जाता है—वह है 'एम्फेटामाइन परिवार' (Amphetamine Family)। अवधान (Attention) की कमी को पूरा करने के लिए दवाओं का

सुझाव दिया जाता है। वे हैं— साईलर्ट (Cylert), रिटालिन (Ritalin) और डेक्सीड्रीन (Dexedrine) प्रभावशीलता के लिहाज से ये दवाएं भिन्न हैं। रिटालिन और डेक्सीड्रीन आधे घंटे से भी कम समय में यह प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन साईलर्ट (Cylert) चार सप्ताहों का समय लेती है अपना असर दिखाने के लिए। साईलर्ट दिन में एक बार ली जाती है और इसका असर भी लम्बे समय तक के लिए रहता है जबकि रिटालिन और डेक्सीड्रीन का असर केवल उसे 5 घंटे तक रहता है। अतः स्कूल में ही इस दवा की दूसरी खुराक देनी पड़ती है। दवा के कुछ कुप्रभाव भी होते हैं जैसे—हल्का-सा नशा इनसोमनिया (Insomnia) सिरदर्द। ये प्रभाव आमतौर पर थोड़े समय के लिए होते हैं।

**4. बहु-इन्द्रिय उपागम (Multisensory Approach)**— दृष्टि और दृष्टि-कौशलों के लिए बहुत से कार्यक्रम विकसित किये गये हैं तथा कई मनोभाषायी प्रक्रियाएँ (Psycholinguistic processes) भी विकसित की गई हैं। बहु-इन्द्रिय कार्यक्रम शैक्षिक सामग्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर बल देते हैं। बहु-इन्द्रिय विधियों में बच्चे की इन्द्रिय प्रणाली के संयोग (Combination) पर बल देती हैं। इसमें अवधारणा यही होती है कि यदि एक से अधिक द्वन्द्वी अधिगम-अनुभवों में भाग लेती है तब बच्चे बेहतर सीखते हैं। उदाहरण—फरनाल्ड (Fernald) की VAKT विधि। इसमें V(Visual), A(Auditory), K(Kinesthetic) तथा T(Tactual) है। शब्दों को सीखने के लिए, सर्वप्रथम बच्चा शब्द को देखता (Visual) है। फिर अध्यापक से ही 'शब्द' सुनता (Auditory) है। फिर बच्चा उसी शब्द को बोलता (Auditory) है तथा अन्त में बच्चा उसी शब्द को ढूँढ़ता (Kinaesthetic and tactual) है।

**5. प्रत्यक्ष अनुदेशन (Direct Instruction)**—'प्रत्यक्ष अनुदेशन' अनुदेशन के सभी पक्षों को देखने का एक जटिल तरीका है जिसमें कक्षा का संयोजन (Classroom organisation) तथा प्रबन्धन, अध्यापक-छात्र अन्तर्क्रिया की गुणवत्ता, अनुदेशनात्मक सामग्री का डिजाईन तथा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की प्रकृति आदि शामिल हैं जो असमर्थी बच्चे प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा सीखते हैं वे उन बच्चों की अपेक्षा बेहतर निष्पादन (Performance) करते हैं जो परोक्ष (Indirect) विधियों द्वारा करते हैं।

**6. अन्य विधियाँ (Other Methods)**— उपरोक्त उपागमों के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनके द्वारा हम अधिगम-असमर्थी की शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। वे विधियाँ हैं—

- (i) अलग विद्यालय (Separate School)
- (ii) इनके लिए अलग कक्षाओं (Separate Classes) की व्यवस्था हो।
- (iii) असमर्थी बच्चों की अलग समस्याओं के होने के कारण अध्यापकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है।
- (iv) ऐसे बच्चों का पाठ्यक्रम भी विशेष तौर पर तैयार किया जाना चाहिए।
- (v) ऐसे बच्चे वर्तनी (Spelling) के क्षेत्र में कमजोर होते हैं। इस कमी की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (vi) विषय की दृष्टि से ऐसे बच्चे आमतौर पर गणित में कमजोर होते हैं। इस क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
- (vii) ऐसे बच्चों का यदि हस्तलेख (Hand writing) स्पष्ट नहीं है तो इन्हें हस्तलेख का प्रशिक्षण शुरू से ही दिया जाना चाहिए ताकि इन्हें शुरू से ही अक्षरों के ज्ञान, आकार, बनावट, क्रम आदि का ज्ञान हो।

### बहु-बाधिता (Multiple Disability)

9. बहुबाधिता से आप क्या समझते हैं? बहुबाधिता के प्रकार, कारण तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए।  
(What do you know about multiple disabilities? Describe the types, causes and characteristics of multiple disabilities.)

अथवा

बहुबाधिता क्या है? बहुबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।  
(What is multiple disability? Describe the educational provisions of multiple disabled children.)

उत्तर—

#### बहुबाधिता का अर्थ एवम् परिभाषाएँ (Meaning and Definition of Multiple Disabilities)

बहुबाधिता से तात्पर्य ऐसे बच्चों से होता है, जो एक से अधिक प्रकार की बाधिताओं से पीड़ित होते हैं यथा कोई बच्चा दृष्टि बाधिता व अस्थिर बाधिता से पीड़ित है तो कोई अन्य बच्चा श्रावण व वाणी बाधिता से पीड़ित हो सकता है। ऐसे बच्चों को बहु-बाधित बालक कहा जाता है। इन बहु बाधित बच्चों में एक बाधिता मुख्य होती है तथा दूसरी बाधिता गौण होती है। बहु बाधिता के प्रत्यय को विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

सचबार्टच के शब्दों में, “बहुबाधित बालक में दो या दो से अधिक बाधिताएँ होती हैं, जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा एवम् भावी जीवन की योजना हेतु ध्यान में रखना होता है।”

क्रिक के शब्दों में, “बहु बाधित बालक मानसिक, शारीरिक एवम् सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से पृथक होता है। उसकी पृथकता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे विद्यालय के सामान्य कार्यों में बहु बाधित शिक्षा सेवाओं में बदलाव की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों हेतु कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उन सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है।”

डब्ल्यू.एम.क्रूयरोज्क के शब्दों में, “एक बहु बाधित बालक वह है, जो शारीरिक, बुद्धिमानी एवम् समाज के आधार पर सामान्य बालकों की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो और सामान्य कक्षा-कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे बहु बाधित प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो।”

हेवेट एवम् फोरेन्स के शब्दों में, “बहु बाधित ऐसा व्यक्ति होता है, जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इन्द्रियाँ एवम् मांसपेशियों की क्षमताएँ अद्भुत हो अर्थात् सामान्यतया ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अद्भुत दुर्लभ क्षमताएँ उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में भी परिभाषित होते हैं। ये बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के मध्य पहचाने जा सकते हैं।”

इन उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्यापन से यह ज्ञात होता है कि बहु-बाधित शब्द का अर्थ विभिन्न शिक्षाविदों के लिए भिन्न-भिन्न है। कुछ शिक्षाविद् इसका प्रयोग निपुण बालकों हेतु करते हैं तो कुछ असाधारण बालकों एवम् विशिष्ट योग्यताओं व आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु फिर भी इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता दो या इससे अधिक बाधिता से ग्रस्त बालक बहु-बाधित बालक कहलाते हैं। इन बालकों की निजी एवम् शैक्षिक आवश्यकताएँ अन्य सामान्य बालकों तथा दूसरी तरह के बाधित बच्चों की आवश्यकताओं की अपेक्षा भिन्न तथा अधिक ध्यान व प्रयासों की मांग करने वाली होती है, जिससे कि वे अपनी उपलब्ध योग्यताओं का सही विकास करके उपयुक्त वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकें।

इन बहुबाधित बालकों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण करने एवम् अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को विकसित करने के अधिकार प्राप्त हैं, सरकार ने अनेक संवैधानिक अधिनियमों व उनके सुधारात्मक रूपों के माध्यम से इन व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की प्रत्याशा को स्पष्ट किया है तथा बाधित व्यक्तियों के कल्याण हेतु अनेक उपयुक्त प्रावधान रखे व लागू किए गए हैं। जैसे—विकलांग जन अधिनियम-1995, सर्व शिक्षा अधिनियम-2002, बाधित व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति-2006 आदि।

#### बहु बाधिता के प्रकार (Types of Multiple - Disabilities)

बहु बाधित बच्चों को शुद्ध रूप से निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

1. शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य बाधिता के साथ।
2. मानसिक रूप से बाधित बालक अन्य शारीरिक बाधिता सहित।

**1. शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य बाधिता के साथ (Physically disability with other disability)**—शारीरिक बाधिता के तहत अपाहिज बालक, अन्धे-बहरे बालक, बोलने में असक्षम बालक एवम् दूसरी कोई लम्बी बीमारी से पीड़ित बालिक शामिल है, जो कि शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम नहीं होते। अपितु बहुधा 20% से लेकर 60% तक बाधित होते हैं। इन बच्चों ने मानसिक रूप से विकलांग नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें शारीरिक बाधिता होती है, लेकिन मानसिक रूप से भी इनमें कुछ बाधिता होती है तथा इनके लिए पृथक से शिक्षण एवम् प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। शारीरिक बाधिता वाले बच्चे भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—पहले प्रकार में लगड़े, अपाहिज अथवा पोलियो से पीड़ित बच्चे शामिल हैं। ये बच्चे मानसिक रूप से सक्षम होते हैं किन्तु इनमें हीनता की भावना केवल स्वयं की शारीरिक कमी की वजह से होती है। इमें सभी विशेषताएँ सामान्य बच्चों के तुल्य ही होती हैं। दूसरे प्रकार में बहरे, गूंगे, अन्धे तथा वाणी बाधित बच्चे शामिल होते हैं। ये बच्चे शारीरिक रूप से कम बाधित होते हैं। किन्तु मानसिक तौर पर पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हो पाते। इनमें संकेत भाषा अथवा चिन्हों के माध्यम से ज्ञान का संवर्धन किया जाता है।

**2. मानसिक बाधिता वाले बालक अन्य बाधिता सहित (Mentally Retarded Children with Other-Disabled)**—मानसिक रूप से बाधित बालक वे बालक होते हैं जो मस्तिष्क की समस्त सम्पूर्ण व्यवस्थित गतिविधियों से बाधित रहते हैं। ये बालक मानसिक तौर पर सामान्य बुद्धि की अपेक्षा कम बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। मानसिक रूप से अशक्त बालकों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. औसत से कम बुद्धि वाले बालक
2. कम बुद्धि वाले बालक
1. औसत से कम बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालक—इस श्रेणी में वे बालक शामिल है, जिनकी बुद्धि-लब्धि 80-89 तक होती है।
2. कम बुद्धि वाले बालक—इस श्रेणी में वे बालक आते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 70-79 के मध्य होती है।

इसके अलावा भी इन्हें मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके अन्तर्गत जड़, मूढ़ एवम् मुर्ख बुद्धि वाले बालक आते हैं। इन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। कुछ शिक्षाशास्त्री एवम् मनोवैज्ञानिक इस श्रेणी की बाधिताओं में आत्म-विमोह, संवेगात्मक समस्याओं एवम् विचलित व्यवहार के सम्बन्धी समस्याओं को भी शामिल करते हैं क्योंकि संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवम् विचलित व्यवहार के बच्चों में शारीरिक दोष अत्यन्त कम मात्रा में दिखाई देते हैं, इसलिए इन बच्चों को शारीरिक बाधिता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस अन्तर को भी दृष्टिगत रखना आवश्यक हो जाता है कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवम् विचलित व्यवहार के बच्चों में बौद्धिक असमर्थता के लक्षण भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी।

**बहु-बाधिता बच्चों की विशेषताएँ****(Characteristics of Multiple Disabled Children)**

बहु-बाधिता से पीड़ित बच्चों को कुछ विशिष्ट लक्षण एवम् विशेषताएँ होती हैं, जिनके कारण इन बच्चों को सहजता से पहचाना जा सकता है। ये लक्षण एवम् विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. बहुबाधिता से पीड़ित बच्चों की विकलांगता का सम्बन्ध दो या इससे अधिक पक्षों से होता है।
2. बहु बाधित बच्चों के लक्षण, गुण स्वरूप सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं।
3. ये बालक अपने दैनिक जीवन सम्बन्धी कार्यों एवम् सामाजिक समायोजन की दृष्टि से सामान्य बालकों से पृथक होते हैं।
4. बहुबाधित बालक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवम् सामाजिक आधार पर सामान्य बालकों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सामान्य बालकों की अपेक्षा इन बालकों का विकास तीव्र गति से होता है।
5. बहु बाधित बालक वह होता है जो सामान्य शिक्षा-कक्ष एवम् सामान्य शैक्षिक गतिविधियों से पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो सकता क्योंकि उसके विकास की सामर्थ्य अधिक होता है।
6. बहु बाधित बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास हेतु उसे विद्यालय की कार्य-प्रणाली एवम् उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता होती है।
7. एक बहु बाधित बालक दैहिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक एवम् शैक्षणिक उपलब्धियों जैसी समस्त धाराओं में शामिल होता है।

**बहु बाधिता के कारण (Causes of Multiple Disabilities)**—बहु-बाधिता के अनेक निर्धारक कारण होते हैं। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स एवम् वंशानुक्रम सम्बन्धी कारक।
2. गर्भवती माँ द्वारा सेवन की गई दोषपूर्ण दवाओं का प्रभाव, मुख्यतः उन दवाओं का जो कैडीडोमाइड से बनायी जाती है।
3. संक्रमण, वायरस तथा जर्मन, खसरा एवम् सिफलिस आदि से पीड़ित गर्भवती माँ के प्रभाव से।
4. प्रसव के समय एवम् प्रसव के तुरन्त बाद के समय में आघात, दुर्घटनाएँ आदि।
5. जीवन के आरंभिक काल में बालक को होने वाले संक्रमण एवम् बीमारियाँ।
6. माँ के गर्भावस्था के दौरान एक्स-रे एवम् अन्य तीव्र विकिरणीय उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग।
7. शारीरिक अनियमितताएँ एवम् माता-पिता के वंशानुक्रम रहित प्रभाव विशेष रूप से शिशु के पूर्व प्रसव-काल की प्रथम तिमाही के दौरान।
8. परिवार सम्बन्धी कारण जिनमें निर्धनता, बंधन एवम् भूमिका आदर्श व्यवहार की अनुपस्थिति अर्थात् वे सभी कारक जो बालक के उपयुक्त विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं।

**बहु बाधिता बालकों की समस्याएँ (Problems of Multiple Disabled Children)**—कुछ बाधित बालकों की अनेक समस्याएँ होती हैं। जैसे—व्यावहारिक समस्याएँ, स्थानायन की समस्याएँ, समाज में समायोजन की समस्याएँ, कभी-कभी जीविकोपार्जन की समस्या भी होती है। यहाँ पर कुछ समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार से है—

1. बुद्धि लब्धि स्तर का कम होना।
2. अवरुद्ध शारीरिक विकास तथा दोषपूर्ण शारीरिक क्रियाएँ।
3. शारीरिक कार्यों में समन्वय की कमी।
4. व्यक्तित्व का विकसित होना।

5. निम्न स्तरीय शैक्षिक निष्पादन तथा गंभीर शैक्षिक समस्याएँ।
6. सामाजिक समायोजन सम्बन्धी समस्याएँ।
7. व्यवहार में विचलन एवम् सामान्यतया की कमी का होना।

**बहु बाधिता बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान (Educational Provisions for Multi-disabled Children)**—बहु बाधित बालक को शिक्षित करना एक जटिल समस्या है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसे शिक्षित नहीं किया जा सकता। इन बालकों की मानसिक योग्यताएँ विशिष्ट होती हैं। अतः ऐसे बालकों की इन योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए इनके शिक्षा का प्रबन्धन किया जाना चाहिए। बहुबाधित बच्चों की शिक्षा हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है—

1. क्योंकि दैहिक बाधिता से पीड़ित बालक साधारण बुद्धि के होते हैं। अतः इन्हें शिक्षा के माध्यम से मानसिक विकास हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
2. शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों में ऐसी भावना जाग्रत करनी चाहिए, जिससे वे अपनी हीन भावना को कम कर सकें तथा उपयुक्त व्यवहार को विकसित कर सकें।
3. उनकी बाधिताओं को पाठशाला में पूर्णतः व्यवस्थित करने के लिए पूर्ण सामग्री मौजूद होनी चाहिए। उनके लिए विशेष प्रकार के मेज-कुर्सी आदि होने चाहिए। ताकि वे आराम से बैठ सकें तथा अपने शरीर पर बल दिए बगैर पढ़ने-लिखने का कार्य कर सकें।
4. ऐसे बच्चों हेतु पृथक् से कक्षा-कक्ष हो तो अच्छा है।
5. बाधित बच्चों को ऐसी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो उनकी शारीरिक बाधिता में बाधक न हो। वह एक भट्टी में कोयला डालने वाला तो हो नहीं सकता लेकिन बैठने वाले व्यवसाय के योग्य उसे बनाया जा सकता है, जिससे वह आसानी से पढ़ सके तथा सफलता हासिल कर सके।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि बहु बाधिता से पीड़ित बालक वे बालक होते हैं, जो शारीरिक एवम् मानसिक पक्षों में एक से अधिक पक्षों के गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। अपने शारीरिक, मानसिक एवम् सामाजिक गुणों में इतने भिन्न की प्रविधियों, पूरक शिक्षा प्रणाली एवम् विशेष सहयोगी क्रियाओं एवम् गतिविधियों के द्वारा शिक्षा देने की आवश्यकता होती है।



## 1.2 समावेशी शिक्षा का सम्प्रत्यय, अर्थ तथा आवश्यकता (Concept, Meaning, Need of Inclusive Education)

10. **समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा की विशेषताओं, आवश्यकताओं तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए। (What in Inclusive Education? Describe the characteristics, needs and importance of Inclusive Education.)**

अथवा

समावेशी शिक्षा को परिभाषा दीजिए तथा समकालीन भारत में इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व की व्याख्या कीजिए।  
(Define inclusive education and explain its need and importance in contemporary India.)

अथवा

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर नोट लिखिए।

(Write a short note on need of inclusive education.)

अथवा

समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। इसकी आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।  
(Define Inclusive education. Discuss its needs in detail.)

उत्तर—समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्त्व है।

शिक्षाशास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाये या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाये। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक सम्भव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाये ताकि उनमें हीन भावना न आए और मुख्य धारा से अलग न हों।

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वे एकदम से पहचाने जाते हैं लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफी मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं का देश की उन्नति में योगदान कर सकें।

इस बात की आवश्यकता है कि वह 3 Rs (Reading, Writing and Mathematics) के साथ विशिष्ट बालक किसी भी क्षेत्र में दूसरे सामान्य बालकों से पीछे न रहें। असमर्थ बालकों के लिए 'विशेष विद्यालयों' की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, लेकिन जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है तो यह महसूस किया गया कि हमें इन विशिष्ट बालकों को अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। क्रुकशंक (Cruik Shank) के अनुसार, "विशिष्ट बालकों की शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा का हिस्सा है।" उनके अनुसार जहाँ तक मुमकिन हो विशेष कक्षाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। विशेष कक्षायें तभी लगानी चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता न हो।

समावेशी शिक्षा का प्रत्यय अभी नया-नया है तथा सामान्य लोगों ने इसका महत्त्व समझना शुरू कर दिया है। स्वयं-सेवी संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। शिक्षाशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। छात्र को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उसको न केवल सामान्य अध्यापक की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं बल्कि उसके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की सेवाएँ भी उपलब्ध होती हैं। अमेरिका में 1975 ई. अमेरिकन कांग्रेस ने 'प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा' का एक कानून पास किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को देश की मुख्य-धारा (Main-Streaming) से जोड़ना था। मुख्य-धारा से यह अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़ेंगे तथा उनको विशेष प्रकार की सहायता दी जाएगी।

भारत में भी 'समावेशी शिक्षा' अमेरिका के 'मुख्यधारा-आन्दोलन' का ही परिणाम है। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य-धारा में लाना है। आंशिक रूप से अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने तथा उनकी अच्छी देखभाल, अध्यापक तथा दूसरी सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समावेशी व मुख्य-धारा की आवश्यकता है।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत सभी प्रकार के असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि असमर्थ बच्चों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जाये जब वहाँ का वातावरण उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे अपने आपको दूसरे बच्चों से अलग महसूस न करें।

विशिष्ट बच्चों की कौंसिल (Council for Exceptional Children) ने कम असमर्थ बच्चों को मुख्य-धारा में लाने की निम्न आवश्यकताएँ बताई हैं।

- प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा प्रदान की जाए।
- बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए।
- ऐसे साधन उपलब्ध करवाना जिससे कक्षाकक्ष से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं को दूर कर सकें।
- स्थायी अध्यापकों व विशेष शिक्षक की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को अवश्य मिले।

मुख्य-धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग अति आवश्यक है। यह सब माता-पिता, अध्यापकों, प्रबन्धकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है कि असमर्थ बच्चों को मुख्य-धारा से जोड़ा जाये तथा उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

समावेशी शिक्षा की परिभाषाएँ

(Definitions of Inclusive Education)

1. उमा तुली (Uma Tuli) के अनुसार, "समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है।"  
(Inclusion is a process by which a school expands its resources to meet the learning needs, physical needs and emotional needs of all children.)
2. माइकेल एक जिआन ग्रेको (Michael F. Giangreco) के अनुसार, "समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धान्तों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं।"  
(Inclusive education is a set of values, principles and practices that seeks more effective and meaningful education for all students, regardless of whether they have exceptionally labels or not.)
3. आडवाणी तथा चड्ढा (Advani and Chadha) के अनुसार "समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक सहायक तथा अनुकूल पर्यावरण की रचना करना है ताकि सभी को पूर्ण सहभागिता के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और इस तरह से विशेष आवश्यकता वाले बालक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सके। यह विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के महत्त्व को समझती है। यह उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण युक्तियों, सहायक सेवाओं और समाज व माता-पिता के सहयोग के द्वारा सभी को समान शिक्षा प्रदान करने का विश्वास दिलाती है।"  
(Inclusive education aims to provide a favourable setting for achieving equal opportunity and full participation for all thus bringing children with special needs well within the purview of main stream education. It recognises the diverse needs of the students and ensures equal to all through appropriate curricula, teaching strategies, support services and partnership with the community and parents. In simple words, it means that all children with or without disabilities learn together.)

4. यूनेस्को (Education for All, Bulletin No. 32, 1998) के अनुसार, "समावेशी शिक्षा वर्णन के लिए अतिसंवेदनशील तथा सीमान्त स्थित सभी अधिगम कर्ताओं की शिक्षा के अवरोधों को हटाने से सम्बन्धित है। यह एक प्रतिमानित उपागम है जिसे सभी बालकों की शिक्षा में सफलता के लिए निर्मित किया गया है, इसका सामान्य उद्देश्य व्यक्ति के शिक्षा के अधिकार के सभी वर्णन को कम करना तथा निराकरण करना है—कम से कम प्राथमिक स्तर शिक्षा से; तथा इस प्रकार सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा तक पहुँच, भागीदारी तथा सीखने में सफलता को सम्भव बनाना है।"

### समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा (Education for All in the Schools for All)—समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत बाधित (शारीरिक रूप से विकलांग) बच्चों एवम् सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किये गये हैं।
2. विभिन्नताओं की पहचान तथा सम्यास (Recognizing and Taking care of Diversity)—समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है। उन्हें अंगीकृत कर तदनुसार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संज्ञात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराती है।
3. विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवम् समर्थन (Acceptance and Support to Children Having Special Educational Needs)—समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों यथा—शारीरिक रूप से बाधित श्रवण, दृष्टि व वाक् बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ आदि करीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकृत करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान करती है, जिससे उन्हें विकास के इष्टतम अवसर प्राप्त हो सकें।
4. शिक्षा एक मौलिक अधिकार (Education as a Basic Right)—समावेशी शिक्षा, शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूप में स्वीकृत करती है। हालांकि शिक्षा की अन्य प्रणालियों में भी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को स्वीकृत किया गया है, परन्तु समावेशी शिक्षा पद्धति में इस अधिकार की भावना सर्वाधिक विद्यमान है। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है।
5. विभिन्नताएँ कोई समस्या नहीं (Diversity is Not a Plight)—इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवम् शारीरिक—मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने सामाजिक रूप से सह-सम्बन्धित होने एवम् समायोजित होने के दुर्लभ अवसर उपलब्ध कराती है।
6. सुदृढ़ नीतियाँ तथा नियोजन (Stronger Policies and Planning)—समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने एवम् उसे लागू करने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर नीतियाँ सुदृढ़ व स्पष्ट हैं और इन नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है यही वजह है कि गत दस वर्षों में बच्चों की शिक्षा-विशेषकर असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवम् समाज की अभिवृत्ति में अधिकाधिक बदलाव देखने को मिला है।
7. विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन (Adaptation on the part of the School)—समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की भाँति बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता।

8. प्राथमिक शिक्षण तथा पाठ्यक्रम अत्यधिक लचीला (Primary Teaching and Curriculum more Flexible)—समावेशी शिक्षा पद्धति की एक अन्य विशेषता प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम को अधिकाधिक लचीला बनाने हेतु नेतृत्व व संसाधनों का प्रावधान किया जाना भी है, समावेशी शिक्षा की इस विशेषता के कारण ही बहुत से छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों एवम् परिवेश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है।

9. समावेशी शिक्षा मात्र अशक्त बच्चों की शिक्षा नहीं है (Inclusive Education is not only Related Education to Disabled Children)—समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों हेतु विशिष्ट शिक्षा मात्र ही नहीं है बल्कि यह इससे कहीं अधिक है। हालांकि यह सत्य है कि जब शिक्षा के अधिकार चर्चा करते हैं, तो वह विशेषतः इन बच्चों सम्बन्धित होती है क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही स्पष्ट व उपेक्षित समूह का निर्माण करते हैं; लेकिन वास्तव में समावेशी शिक्षा का सम्बन्ध उन सभी बच्चों से भी है, जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य है, यह शिक्षा पद्धति तो उन सब को सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान करती है, जो एक अथवा दूसरे कारण से शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहे हों।

10. विशिष्ट एवम् सामान्य शिक्षा में नजदीकी सम्बन्ध (Closer Link between special and General Education)—समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट व सामान्य शिक्षा, औपचारिक व अनौपचारिक तथा स्कूल व समाज में नजदीकी सम्बन्ध होता है, जिससे कि सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके।

11. शिक्षक-शिक्षण अधिकतम अन्योन्याश्रित, निरन्तर एवम् सहायक (Teacher Training is Interactive, Continuous and Supportive)—समावेशी शिक्षा बच्चों की जरूरतों, अधिगम के तरीके एवम् गुणों की विविधता की बहुलता को मद्देनजर रखते हुए शिक्षक के कौशल तथा क्षमता में वृद्धि करने हेतु शिक्षक-शिक्षण एक अत्यन्त अन्योन्याश्रित, निरन्तर तथा सहयोगी प्रक्रिया है।

### समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व

#### [Need and Importance of Inclusive Education]

पहले ऐसे माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ सामान्य बालकों से अलग होती है। उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो उनको उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथक्ता की भावना पैदा करती है। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में हीन भावना पैदा होती है। समावेशी शिक्षा का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है—

1. शैक्षिक वातावरण (Academic Atmosphere)—जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आपको विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम हैं। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है।
2. कम खर्चीली (Less Expensive)—भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबन्ध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफी सुविधाएँ पहले से ही उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है।

**3. मानसिक विकास (Mental Growth)**—असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है। लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने से उनमें हीनभावना का विकास नहीं होता बल्कि आत्म-सम्मान की भावना का विकास होता है।

**4. सामाजिक मूल्यों का विकास (Development of Social Values)**—शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं है बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाई-चारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है।

**5. समानता का सिद्धान्त (Principle of Equality)**—भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है।

**6. प्राकृतिक वातावरण (Natural Environment)**—सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लग जाते हैं तथा असमर्थ बालक अपने आपको सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ-साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का प्रबन्ध भी करना चाहिए।

### 1.3 पृथक्करण से समावेशन में परिवर्तन [Transition from Segregation to Inclusion]

**11. विशिष्ट बालकों से आपका क्या अभिप्राय है? विशिष्ट बालकों की प्रकृति क्या है?  
(What is meant by Exceptional Children? What is the nature of Exceptional Children?)**

अथवा

**पृथक्करण से आपका क्या अभिप्राय है? सामान्य व विशिष्ट बालकों में क्या अन्तर है?  
(What do you mean by Segregation? What is the difference between Normal and Exceptional Children?)**

उत्तर—शिक्षा में पृथक्करण का अर्थ (Meaning of Segregation in Education)—शिक्षा में पृथक्करण का अभिप्राय विशिष्ट शिक्षा से है। प्रत्येक विद्यालय में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसे बालक सामान्य बालकों में समायोजित नहीं हो सकते।

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। कुछ समय पूर्व तक हम किसी भी प्रकार से असमर्थ बालकों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र को एक नई राह दी। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में नजर डालते हैं तो हमें प्रत्येक क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान नजर आता है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार से पहले शारीरिक या मानसिक दोष वाले बालक को बुरी नजर से देखा जाता था तथा इसे पूर्व-जन्म के कर्मों का फल समझा जाता था। लेकिन धीरे-धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा और हमने उन बालकों को भी समाज का अंग मानना शुरू कर दिया। आज सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वे शारीरिक विकलांग हैं (Physically Handicapped), अधिगम असमर्थ (Learning Disabled) या भावनात्मक रूप से ग्रस्त (Emotionally Disturbed) हैं, को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है। सरकार के साथ-साथ समाज के लोग भी इनकी शिक्षा को लेकर चिन्तित हैं तथा प्रत्येक स्तर पर इनकी शिक्षा का प्रबन्ध करने की कोशिश जारी है ताकि इस प्रकार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और वे भी समाज का अंग बन सकें। नई शिक्षा नीति 1986 में इस प्रकार के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि बिना किसी भेदभाव के वे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें।

प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते। दो प्राणियों की शक्ति चाहे आपस में एक जैसी लगती हो लेकिन वास्तव में वह एक जैसी नहीं होती। इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चा दूसरे के समान लगता है लेकिन वह दूसरे के समान नहीं होता। प्रत्येक बालक में अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं जो उसे दूसरे बालकों से भिन्न करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी बालक एक समान नहीं होते, कुछ बालक अधिक बुद्धिमान हैं तो कुछ बिल्कुल ही पिछड़े हुए, कुछ बालक शारीरिक दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ हैं तो कुछ अपंग हैं, कुछ बालकों को सुनने की समस्या है तो कुछ बन्धे हैं। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान होने के कारण अपने आपको समाज में स्थापित नहीं कर पाते तो कुछ समाज में अपने आपको स्थापित कर लेते हैं। सभी बालकों में कुछ-कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं।

### विशिष्ट बालक कौन हैं? (Who are Exceptional Children?)

प्रत्येक विद्यालय में सभी प्रकार के बालक समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। ये विशेषताएँ शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक हो सकती हैं। इस प्रकार जो बालक सामान्य बालकों से अलग विशेषताएँ रखते हैं उन्हें विशिष्ट बालक (Exceptional Children) कहा जाता है। हेक ने लिखा है कि “विशिष्ट बालक वे हैं जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं।” ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है।

### विशिष्ट बालकों की परिभाषा (Definition of Exceptional Children)

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों व विद्वानों ने विशिष्ट बालकों को इस प्रकार परिभाषित किया है—

**क्रो एण्ड क्रो (Crow & Crow) 1948** के अनुसार, “विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जबकि लक्षण को सामान्य रूप में प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएँ प्रभावित होती हैं।” (The term a typical or exceptional is applied to a trait or to a person possessing the trait if the extent of deviation from normal possession of the trait is so great that because of it the individual warrants or receives special attention from his fellows and his behaviour responses and activities are thereby affected.)

ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से करने की आवश्यकता पड़ती है। अध्यापक को उनकी पहचान, समायोजन तथा शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से पर्याप्त रूप से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक प्रायः सभी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना पड़ता है।

सैमुयल-ए, किर्क (Samual A. Kirk) (1972) के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होता है और उसके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है।" (An exceptional child is he who deviates from the normal or average child in mental, physical and social characteristics to such an extent that he requires a modification of school practices or special educational services in order to develop his maximum capacity, or supplementary instruction.)

डब्ल्यू. एम. क्रूचशेन्क (W.M. Cruishank) (1974) के अनुसार, "एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बुद्धिमानी और समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो।" (An exceptional child is he who deviates, physically, intellectually and socially so marked by from normal growth and development that he can not be benefited from regular classroom programme and needs special treatment in school.)

हेबेट तथा फारनेस (Hewelt and Forness) (1984) के अनुसार, "विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इन्द्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएँ अनोखी हो अर्थात् सामान्यतयः ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएँ उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। इस प्रकार के बालक 'प्रतिभाशाली बालक' के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच में पहचाने जा सकते हैं।" (An exceptional learner is an individual who, because of uniqueness in sensory, physical, enurological, temperamental or intellectual capacity and / or in the nature and range of previous order to maximize this or here functioning level.)

टेलफर्ड और सौरे (Telfard and Sauerey) के अनुसार, "विशिष्ट बालक शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास हेतु विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।" (The term exceptional children refers to those children who deviate from the normal in physical, mental, emotional or social characteristics of such a degree that they require special social educational services to develop their maximum capacity.)

सचवार्ज (Schwartz) के अनुसार, "जब हम किसी को 'विशिष्ट' कह कर वर्णित करते हैं, हम व्यक्ति को 'औसत' या 'सामान्य' लोगों, जिन्हें हम एक या इससे अधिक लक्षणों के सम्बन्ध में जानते हैं, से अलग रखते हैं।" (When we describe someone as 'exceptional' we see that person apart from the 'average' or 'normal' people we know with respect to one or more characteristics. —Schwartz)

ई. वालेन्स बालिन (E. Wallance Wllin) के अनुसार, "प्रारम्भिक स्कूल के 1000 बालकों में से लगभग 500 बालकों में कुछ विशिष्टताएँ पाई जाती हैं। इसमें भी लगभग 50 अर्थात् 10% बालक शारीरिक या मानसिक हीनता से ग्रस्त दिखलाई पड़ेंगे। अन्य बालक मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या व्यक्तित्व सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं के कारण विशिष्ट होंगे। ये विशिष्ट बालक इसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक पर्यावरण से आते हैं। इनके समायोजन की विशिष्ट समस्याएँ होती हैं और अध्यापक को उनका विशिष्ट ढंग से समाधान करना पड़ता है।"

उपरोक्त सभी परिभाषाएँ विशिष्ट एवं सामान्य बालकों के बारे में हैं अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि सामान्य बालकों की क्या विशेषताएँ हैं तथा विशिष्ट तथा सामान्य बालकों में क्या अन्तर है। सामान्य बालक की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. वे शारीरिक रूप से सुदौल एवं स्वस्थ होते हैं।

2. वे मानसिक व शारीरिक बीमारियों से दूर होते हैं।
3. उनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है।
4. वे स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाई-चारा आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं।
5. उनकी शैक्षिक उपलब्धि उचित होती है।
6. उनकी बुद्धि-लब्धि 90-110 के बीच की होती है।
7. उनमें क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा आदि की भावना कम होती है।
8. वे स्वयं को घर, विद्यालय तथा समाज में आसानी से समायोजित कर लेते हैं।
9. उनका दृष्टिकोण आशावादी होता है तथा वे जीवन को उचित ढंग से जीते हैं।
10. वे मध्यम सोच के होते हैं, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं।
11. वे जीवन को व्यावहारिक ढंग से जीते हैं।
12. वे सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं।
13. वे प्रायः सन्तोषी स्वभाव के होते हैं तथा समय व आवश्यकतानुसार स्वयं को समायोजित कर लेते हैं।

### सामान्य व विशिष्ट बालकों में अन्तर (Difference between Normal and Exceptional Children)

क्र.सं.	सामान्य बालक	विशिष्ट बालक
1.	शारीरिक रूप से सुदौल व स्वस्थ होते हैं।	शारीरिक रूप से अधिक पतले, अधिक मोटे व बेदौल होते हैं।
2.	मानसिक बीमारियों से दूर होते हैं।	मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं।
3.	जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है।	जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है या बहुत अधिक सकारात्मक होता है।
4.	स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाईचारा आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं।	ये अधिक भावुक होते हैं।
5.	शैक्षिक उपलब्धि सामान्य होती है।	शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत कम या बहुत अधिक होती है।
6.	इनकी बुद्धि-लब्धि 90-110 के मध्य में होती है।	इनकी बुद्धि लब्धि 0-140 तक होती है तथा इससे अधिक भी हो सकती है।
7.	अपने आपको घर, विद्यालय और समाज में आसानी से समायोजित कर लेते हैं।	इनमें अपने आप को समायोजित करने की शक्ति कम होती है।
8.	इनका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण होता है।	जीवन के प्रति दृष्टिकोण निराशावादी या बहुत अधिक आशावादी होता है।
9.	ये अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं तथा मध्यम सोच रखते हैं।	ये या तो महत्वाकांक्षी बिल्कुल नहीं या बहुत अधिक होते हैं।
10.	सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं।	सादा जीवन जीने में विश्वास नहीं रखते हैं।

क्र.सं.	सामान्य बालक	विशिष्ट बालक
11.	व्यावहारिक होते हैं।	ये अव्यावहारिक होते हैं।
12.	सन्तोषी स्वभाव के होते हैं।	ये सन्तोषी स्वभाव के नहीं होते हैं।
13.	सोचने-समझने की शक्ति उत्तम होती है।	सोचने-समझने की शक्ति कम या बहुत अधिक होती है।



2. विशिष्ट शिक्षा क्या है? इसकी आवश्यकता तथा महत्त्व क्या है?  
(What is special Education? What is the need and importance of Special Education?)

अथवा

विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।  
(Describe the need and importance of special education.)

उत्तर—शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है तथा जीवन के अनुभवों के द्वारा उसमें वृद्धि होती है। शिक्षा का अर्थ है—विद्या प्राप्त करना। शिक्षा का अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द (Education) है। यह शब्द लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिल कर बना है। ये शब्द हैं। (Education, Educere, and Educare)। इन शब्दों का अर्थ है—विकसित करना, शिक्षित करना, आगे ले जाना, आगे बढ़ाना तथा बाहर निकालना है। सामान्यतः हम शिक्षा शब्द का प्रयोग सीखने के लिए करते हैं। जॉन ड्यूवी (John Dewey, 1913) के अनुसार, “शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियन्त्रित करने व अपनी सम्भावनाओं को पूरा करने की योग्यता प्रदान करती है।” इस परिभाषा से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा चरित्र तथा बुद्धि का विकास होता है। महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi, 1937) के अनुसार, “शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का विकास करना है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा में विद्यमान है।”  
(By education, I mean an alround drawing out of the best in child and man body, mind and spirit.)

शिक्षा व्यक्ति के आचरण, विचार व दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है और योग्यताओं का विकास करती है जो समाज, राष्ट्र तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए लाभदायक है। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है।

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है। सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना सरकार का कर्तव्य है। किसी भी बालक के साथ रंग, धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता तथा उन सभी की शिक्षा का प्रबन्ध करना सरकार का कर्तव्य है। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। अगर वे देखने में समान नजर आते भी हैं तो गुण, चरित्र, आचार-विचार के आधार पर उनमें भिन्नता होती है। विद्यालय जाने वाले बालक भी एक जैसे नहीं होते। अधिकतर बालक सामान्य स्तर के होते हैं लेकिन कुछ बच्चे साधारण बालकों से अधिक बुद्धिमान तथा कुछ बच्चे सामान्य से कम बुद्धि के होते हैं। सामान्य से ऊपर या नीचे वाले बालकों को हम ‘असामान्य बालक’ कहते हैं। उनके लिए भी शिक्षा का प्रबन्ध करना सरकार का कर्तव्य है। इन बालकों को ‘विशिष्ट बालक’ भी कहा जाता है। इन बालकों में कुछ प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़े तथा मन्दबुद्धि होते हैं और कुछ शारीरिक रोगों से युक्त बालक भी होते हैं। इस प्रकार के बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के आधार पर की जाती है।

विशिष्ट शिक्षा (Special Education)—विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से व्यवहार, गुण, मानसिक या शारीरिक रूप से अलग होते हैं। कुछ बालक प्रतिभावान तो कुछ बालक पिछड़े होते हैं। कुछ बालक असामान्य व्यक्तित्व वाले तथा अपराधी प्रवृत्ति वाले होते हैं। उनके गुणों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों तथा अभिरुचियों के अनुसार उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है।

विशिष्ट शिक्षा की परिभाषाएँ (Definitions of Special Education)

1. ‘शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति ने विशिष्ट बालकों को इस प्रकार परिभाषित किया है, “विशिष्ट बालक वे होते हैं जो कि औसत बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतनी मात्रा में भिन्न होते हैं कि अपनी अधिकतम क्षमताओं के विकास के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है।”
2. क्रो व क्रो (Crow and Crow) के अनुसार, “विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति, जिनमें वह गुण है, के लिए प्रयोग किया जाता है जो साधारण व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता के लिए होते हैं, जिसके व्यक्ति विशेष की ओर साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है और उसके कारण उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएँ तथा कार्य प्रभावित हो जाते हैं।”
3. जे. डी. हंट (J.D. Hunt) के अनुसार, “विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है।”

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विशिष्ट शिक्षा साधारण शिक्षा से कई प्रकार से भिन्न है। विशिष्ट बालक विभिन्न समूहों में मिलते हैं। प्रमुख समूह इस प्रकार हैं :

1. शारीरिक दृष्टि से—  
(क) आंशिक अन्धे या पूर्ण अन्धे (ख) श्रवण दोष  
(ग) वाणी-दोष (घ) शारीरिक-दोष
2. बौद्धिक दृष्टि से—  
(क) सृजनशील (ख) प्रतिभावान  
(ग) अधिगम असमर्थ (घ) मन्द-बुद्धि
3. सामाजिक दृष्टि से—  
(क) बाल-अपराधी (ख) समस्यात्मक

सामान्य बालकों को दी जाने वाली शिक्षा से ‘विशिष्ट बालकों’ को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी आवश्यकतानुसार उनके लिए ‘विशिष्ट शिक्षा’ का प्रबन्ध किया जाए क्योंकि सामान्य विद्यालयों में न तो उचित साधन होते हैं तथा न ही योग्य व प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं।

विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व  
(Need and Importance of Special Education)

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक बालक में जन्मजात कुछ विशेषताएँ और विभिन्नताएँ होती हैं इसलिए उनकी प्रतिभा, क्षमता, रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाए क्योंकि विशिष्ट बालकों में प्रतिभावान, सृजनात्मक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से मन्द बालक भी शामिल हैं। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता के निम्न कारण हैं :

1. मानव संसाधन (Human Resource)—मानव को देश का मानव संसाधन कहा गया है। अगर यह मानव संसाधन बेकार हो जाता है या चला जाता है तो इससे देश का ही अहित होता है। मानव अपनी योग्यता, शक्ति और प्रतिभा का सही उपयोग करके अपने जीवन को समृद्धिशील, सुखमय तथा

सम्पन्न बना सकता है। कई बालक शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं लेकिन उनका बौद्धिक स्तर काफी ऊँचा होता है। प्रतिभावान व सृजनशील बालकों को भी उचित मार्ग-दर्शन देकर मानव संसाधन के रूप में उनका सदुपयोग किया जा सकता है।

**2. राष्ट्रीय विकास (National Development)**—किसी भी राष्ट्र की पूंजी वहाँ के नागरिक होते हैं। जिस राष्ट्र का नागरिक सचेत, जागरूक, शिक्षित, योग्य और देशप्रेमी होता है वही राष्ट्र प्रगति के साथ अग्रसर होता चला जाता है। विशिष्ट बालकों को शिक्षित करके उन्हें देश के विकास के लिए साथ जोड़ना चाहिए। प्रतिभाशाली व सृजनशील बालकों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे अपनी योग्यता, क्षमता तथा शक्ति के अनुसार राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकें।

**3. प्रजातन्त्र की सफलता (Successfulness of Democracy)**—प्रजातन्त्र की सफलता वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करती है। अगर किसी भी राष्ट्र के नागरिक योग्य, कर्मशील, आदर्श तथा परिश्रमी होंगे तो वहाँ का प्रजातान्त्रिक ढाँचा काफी मजबूत होगा। ऐसे व्यक्ति जाति, क्षेत्रवाद, धर्म आदि से ऊपर उठकर ईमानदार, समझदार व नेक इन्सान को देश का नेतृत्व सौंपते हैं ताकि सही मायनों में देश का विकास हो सके। सामान्य बालकों की तरह विशिष्ट बालकों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए उन्हें भी अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। लोकतन्त्र की रक्षा के लिए अच्छे नागरिक बनाना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है।

**4. आत्म-विश्वास का विकास (Development of Self-Confidence)**—जब किसी भी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो प्रायः वह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है तथा वह सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, शक्ति, रुचि तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनमें आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत हो जाती है तथा वह भी सामान्य बालकों की तरह राष्ट्र के हितों के कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेता है। अतः यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए।

**5. कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य (Objective of Welfare State)**—भारत एक लोकतान्त्रिक तथा विकासशील देश है। सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालक भी इस प्रकार का जीवन यापन कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जाएँ। उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि वे भी अच्छा, स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए ताकि कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

**6. समान शैक्षिक अवसर (Equal Educational Opportunities)**—अगर हम सामान्य बालकों की भाँति विशिष्ट बालकों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे तो उनमें भी कुछ कर गुजरने की भावना का विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहेंगे। इसलिए यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों को भी समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएँ।

**7. जीवन में समानता (Equality in Life)**—‘विशिष्ट बालकों’ को अपने आपको घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे और पिछड़ जाते हैं। सामान्य बालकों के समकक्ष लाने के लिए उनको शिक्षा ग्रहण करने के अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें।

13. पृथक्कन शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है?  
(What is the difference between segregated education and Inclusive Education)

अथवा

शिक्षा का पृथक्करण से समावेशन में परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए।

(Write a note on transition from segregation to Inclusion of Education.)

अथवा

निःशुल्क बालकों की शिक्षा में अलगाव से समावेश तक के बदलाव को अनुरेखित कीजिए।

(Trace the transition in education of children with disabilities from segregation to inclusion.)

उत्तर—शुरू से ही मानव जाति की यह प्रवृत्ति रही है कि जो भी मनुष्य उससे पृथक् लक्षणों वाला जान पड़ता है, वे उससे अलगाव करने लगते हैं, फिर चाहे यह पृथक्ता उस मनुष्य के लिए लाभदायक हो अथवा हानिकारक। अतः प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक उद्धरणों के माध्यम से यह दृष्टिगोचर होता है कि इस तरह के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। समाज की मुख्यधारा से उन्हें दूर रखा जाता था। समाज की मुख्यधारा से उन्हें दूर रखा जाता था। लेकिन अगर विभिन्न क्षेत्रों के समाज की कृपा दृष्टि उन पर हुई, तो भिन्न-भिन्न समयों पर उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवासीय संस्थाएँ विशेष विद्यालयों तथा विशेष कक्षाएँ शुरू की गईं। फिर भी ज्यादातर समाजों का उनके प्रति सोचने का नजरिया अलगाव एवम् पृथक्ता का ही रहा।

समय के साथ-साथ समन्वित अर्थात् समावेशित शिक्षा अपने विकास के पथ पर अग्रसर होने लगी क्योंकि विशेष शिक्षा की प्रक्रिया से उत्पन्न परिणामों ने मनोवैज्ञानिकों एवम् शिक्षा-शास्त्रियों की विचारधारा में परिवर्तन ला दिया। इन मनोवैज्ञानिक व शिक्षाशास्त्रियों की यह धारणा बन गई कि विशिष्ट एवम् अपंग बच्चों को विशेष शिक्षा देने की बजाएँ सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में बैठकर वहीं शिक्षा देने से जो सामान्य बच्चों को दी जा रही है, से अधिक लाभ होगा। उनका मानना है कि शिक्षा बच्चों में असमानता एवम् हीनता के भाव उत्पन्न करती है क्योंकि यह शिक्षा पद्धति (विशेष अपंग व बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों तुल्य समान अवसर उपलब्ध नहीं कराती है। अतः वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि बच्चों को विद्यालय में समन्वित समावेशित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए; ताकि सभी प्रकार के बच्चों को समान अवसर उपलब्ध हो सकें। इसी के तहत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (New National Education Policy 1986) में सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समान अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाता है। इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत बच्चों के आवास के समीप ही विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालयों में आकर्षक साधनों की व्यवस्था करना आदि अनेक सिफारिशों की गई हैं। इसके अलावा गत कुछ सालों में विशिष्ट एवम् अपंग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर सामान्य बच्चों के साथ-साथ उसी विद्यालय एवम् कक्षा-कक्ष में शिक्षा प्रदान करने के लिए विचारधारा में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. संस्थान रहित शिक्षा (De-Institutionalization)
2. सामान्यीकरण (Normalization)
3. न्यूनतम प्रतिबन्धित पर्यावरण (Least Restrictive Environment)
4. एकीकरण (Integration)
5. मुख्यधारा (Mainstreaming)

इन उपर्युक्त शब्दों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से हैं—

**1. संस्थान रहित शिक्षा (De-Institutionalization)**—इस शब्द का प्रयोग अपंग एवम् बाधित बच्चों की अपंगता को अतिरिजित रूप में प्रदर्शित करते हुए उन अपंग बच्चों की देख-रेख करने तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करने के नाम पर कार्यरत संस्थाओं की विचारधारा के दिखावे व ढोंग पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु किया गया। अतः यह शब्द संस्थान विषयक विचारधारा के विरोध को प्रकट करने वाला एक संकेतक शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य अपंग व बाधित बच्चों को संस्थानों से पृथक करके अलग से दूसरे पर्यावरण में उपस्थित करने से है। संस्थान रहित शिक्षा के दृष्टिकोण ने ही शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यीकरण शब्द प्रयोग में आया।

**2. सामान्यीकरण (Normalization)**—सामान्यीकरण शब्द से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से विशिष्ट व अपंग बच्चों की शिक्षा एवम् जीवन-यापन हेतु प्रयोग में आने वाले वातावरण को सामान्य शिक्षा व सामान्य वातावरण के समान बनाया जाता है। सामान्यीकरण का मुख्य ध्येय यह है कि बच्चा अपनी शिक्षा तथा जीवन के वातावरण जहाँ तक सम्भव हो, सामान्य बच्चों जैसा महसूस करे, फिर चाहे उसकी अपंगता का रूप व स्तर किसी भी प्रकार का क्यों न हो। शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम, प्रतिबंधित, पर्यावरण तथा मुख्यधारा जैसे शब्दों का प्रयोग सामान्यीकरण की विचारधारा का परिणाम है।

**3. न्यूनतम प्रतिबन्धित पर्यावरण (Least Restrictive Environment)**—शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुए इस प्रत्यय का अर्थ ऐसे वातावरण से लिया जाता है, जिसके द्वारा विशिष्ट व अपंग बच्चों के अधिगम एवम् जीवन-यापन में आई बाधाओं को न्यूनतम किया जा सके। ऐसा करने से पहले हमें न्यूनतम प्रतिबन्धित वातावरण को इस ढाँचे में परिवर्तित करना होगा कि वह सामान्य पर्यावरण के समान निर्मित जाए, जिसमें विशेषता शून्य तथा अपंगता शून्य बच्चे सीखते हैं।

**4. एकीकरण (Integration)**—एकीकरण के प्रत्यय ने अलगाव के सिद्धान्त के विरोध में जन्म लिया। एकीकरण के प्रत्यय ने बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में अलग वातावरण में अवस्थित करके विशिष्ट व अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की पद्धति पर रोकथाम लगाकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के सिद्धान्त का समर्थन किया। जबकि थोड़े समय पूर्व ही विशिष्ट एवम् अपंग बच्चों को अलगाव के आधार पर विशेष विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन एकीकरण के सिद्धान्त ने उन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में भेजकर, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया।

**5. मुख्यधारा (Mainstream)**—ऐसी परिस्थितियों में जहाँ विशिष्ट एवम् अपंग बच्चे आमतौर पर तो सामान्य अविकारी स्कूल के छात्र हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा अलग से विशिष्ट कक्षाओं में प्रदान की जाती है, तब ऐसी परिस्थितियों में इन बच्चों को सामान्य कक्षाओं में ही सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना मुख्यधारा शिक्षण कहा जाता है। ऐसा करना तभी सम्भव है, जब एक विशिष्ट व बाधित बच्चा विशिष्ट कक्षाओं में पढ़ता हुआ अपने सामर्थ्य से किसी भी प्रकार कम नहीं होता तथा सामान्य कक्षा में अध्यापनरत शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्यभार को कुशलतापूर्वक करने में निपुण होता है।

एकीकरण एवम् मुख्यधारा शब्दों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक कारण चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन दोनों ही शब्द संस्थागत शिक्षा, अलगाव तथा पृथक्करण विचारधारों के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग समानार्थी बन गया है अर्थात् वर्तमान समय में एक की जगह दूसरा शब्द बिना किसी विरोधाभास के सरलता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी सन्दर्भ में अनेक शिक्षाशास्त्रियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं—

स्टीफैन एवम् ब्लैक हर्ट के शब्दों में, “शिक्षा की मुख्यधारा का अर्थ क्षतियुक्त (पूर्ण रूप से अपंग नहीं बच्चों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक सामान्यीकरण तथा अधिगम को बढ़ावा देती है।”

रहमान हिफजर के शब्दों में, “शिक्षा के क्षेत्र में एक क्षतियुक्त बालक का सामान्य कक्षा-कक्ष के पर्यावरण में समन्वित करने का अर्थ है, अपंगतरहित सामान्य बालकों के साथ कक्षा में सहयोगी शिक्षा देना। ऐसे पर्यावरण में अपंग बच्चों को अपंगता रहित बच्चों के साथ खेलकूद की क्रीड़ाओं एवम् अन्य गतिविधियों में शामिल होने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। समन्वित शिक्षा का उद्देश्य एक अपंग बच्चे की अपंगतरहित बच्चों के समूह में शामिल करके उसे जहाँ तक हो सके आत्मनिर्भर बनाने के अवसर प्रदान करना है।”

कोफ मैन के शब्दों में, “शिक्षा की मुख्यधारा सामान्य एवम् विशिष्ट बालकों की सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है, यह शिक्षा योजना, कार्यक्रमों और क्रियाओं पर आधारित है तथा इसकी सामान्य एवम् विशिष्ट शिक्षा में प्रशासकीय, अनुदेशनात्मक और सहयोगी कर्मचारियों के उत्तर के विषय में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।”

बॉग के शब्दों में, “मुख्यधारा से अभिप्राय सामान्य एवम् विशिष्ट बच्चों का एक विद्यालय के पर्यावरण में एकीकरण से है, जहाँ सभी बच्चों सीखने के लिए समान साधनों एवम् अवसरों का उपभोग करने में हर सम्भव रूप से भागीदार होते हैं।”

तथापि कुछ मनोवैज्ञानिक एवम् शिक्षाशास्त्रियों का मानना है कि एकीकरण तथा मुख्यधारा के प्रत्ययों में लम्बे समय से चली आ रही विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने की पद्धति से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध आवश्यक बना रहता है। प्रायः दोनों ही विचारधारों में इस तथ्य की झलक मिलती है कि विशिष्ट व अपंग बच्चों को सामान्य स्कूलों नव-आगन्तुकों के तौर पर देखा व समझा जाता है, जिन्हें समायोजित किया जाता है, इसलिए इस झलक को समाप्त करने हेतु समावेशी शिक्षा की उत्पत्ति व विकास हो पाया।



**14. विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक तथा समकालीन परिपेक्ष्य का वर्णन कीजिए। (Describe the historical and contemporary perspective to Inclusive education for disabled children.)**

उत्तर—दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने शिक्षाशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, विचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कानूनविदों एवं अनुसंधानकर्ताओं को विशिष्ट समाज के प्रति सोचने और उनके प्रति जागरूक रखने के लिए प्रेरित करते हुए वर्ष 1981 को ‘विकलांग वर्ष’ घोषित किया। इस वर्ष के दौरान देशभर में शिक्षा और समाज को पुनर्वास के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए। साथ ही अब भी भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना विभिन्न राज्यों के स्कूलों में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पश्चिमी देशों ने इस समाज के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 1980 को ‘अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष’ घोषित किया था।

सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कराया और ‘समानता के लिए शिक्षा’ नामक अध्याय में इन विशिष्ट वर्ग के बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास एवं समाज के साथ उन्हें जोड़ने के लिए व्यवस्था की। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने अशक्त बालकों को सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ पढ़ने, सीखने एवं व्यवहार के हर पहलुओं में अच्छे तालमेल के लिए एन.सी.ई.आर.टी. को राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया; जिसके परिणाम ‘अशक्त बाल समेकित शिक्षा योजना’ का असली प्रारूप तैयार किया। भारत सरकार ने देशभर के सभी राज्यों को इस योजना को अपने-अपने राज्यों में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी। हरियाणा राज्य में भी सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी। परिणामतः जुलाई, 1987 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् गुडगाँव के तत्वाधान में निर्देशन एवं परामर्श सेवा विभाग में प्रशासनिक सेल का गठन हुआ, जिसे आई.ई.डी. सेल का नाम दिया गया। राज्य

सरकार ने राज्य के सभी 12 जिलों के मुख्यालयों के एक-एक विद्यालय में एक-एक 'संसाधन अध्यापक' का पद सृजित कराया। वैसे तो यह योजना भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। हरियाणा, केरल, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 7200 स्कूलों में 38,600 विकलांग बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

यद्यपि इस योजना के क्रियान्वयन के पीछे सरकार का 'प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण' का सपना भी था; जिसे साकार किया जाना था। इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन में त्वरित कार्यवाही हुई। इस योजना के बारे में और अधिक जानने के लिए यह कहना उचित होगा कि योजना का शुभारम्भ तो 1974 में ही हो चुका था। तब यह योजना समाज कल्याण विभाग की देख-रेख में थी।

इस योजना के प्रभाव का पता इस बात से भी जाना जा सकता है कि राज्य भर में किसी भी विद्यालय का मुखिया इन बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश न देने जैसा दुस्साहस अब नहीं कर सकता। इस योजना की भावी सफलता की परख तो पाइड (PIED) परियोजना से देशभर में हो चुकी थी। 1989 में यह हरियाणा सहित दस राज्यों में इन.सी.ई.आर.टी. के 'अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा अनुभाग' ने यूनिसेफ से सहायता प्राप्त करके अशक्त बाल समेकित शिक्षा परियोजना (पाइड) परख हेतु पाँच वर्ष की अवधि के लिए संचालित की थी, जो कि 1995 तक संचालित रही। हरियाणा राज्य में इस परियोजना का क्रियान्वयन जिला भिवानी के भिवानी खण्ड में हुआ जो भिवानी के सभी प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में लागू की गई थी। परिणामस्वरूप पाइड परियोजना का कार्य देशभर में हरियाणा राज्य में सर्वश्रेष्ठ रहा। नवम्बर, 2001 में राज्य के सभी जिलों में 26 केन्द्र और स्थापित हो गए। सन् 2003 के उत्तरार्द्ध में 86 नए आई.ई.डी. केन्द्रों की स्थापना और की गई। वर्तमान में राज्य भर में 124 आई.ई.डी. केन्द्र स्थापित हो गए हैं। इन केन्द्रों के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक के उन सभी अशक्त बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है जो 40% या उससे अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हैं।

वैज्ञानिक दृष्टि से यह साबित हो चुका है कि आंशिक रूप से अपंग बच्चे शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर प्रगति कर सकते हैं यदि उन्हें सामान्य बच्चों के साथ रखकर एक ही स्कूल में अध्ययन के अवसर दिए जाए। सरकारें, संघ-प्रशासित क्षेत्र एवं स्वयं-सेवी संगठन के अन्तर्गत विकलांगों के लिए चलाई जा रही समेकित शिक्षा योजना सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ्यक्रम और लेखन सामग्री भत्ता परिवहन भत्ता, पाठक भत्ता, पोशाक भत्ता, उपस्कर भत्ता और छात्रावास शुल्क के अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन और प्रेरकों, संसाधन कमरों की स्थापना, अपंग बच्चों के मूल्यांकन को पूरा करने, अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों में शिल्पगत अवरोधों को दूर करने, अपंग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण-सामग्री के उत्पादन और विकास आदि का व्यय प्रदान करने का प्रावधान है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी विकलांग बच्चों के अध्यापकों के लिए विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस प्रकार के अध्यापकों के प्रशिक्षण का आयोजन देश के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा चार क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों द्वारा भी ऐसे बच्चों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने इस समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 1965, आर.सी.आई. एक्ट 2000 आदि उल्लेखनीय हैं। आर.सी.आई. एक्ट 2000 के अन्तर्गत प्रावधान है कि अशक्त बालकों के शैक्षिक एवं पुनर्वास सम्बन्धित कार्यों में वे ही प्रशिक्षित लोग सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं अथवा निजी व्यवसाय के रूप में कार्य कर सकते हैं जिनका पंजीकरण नियमानुसार भारतीय पुनर्वास परिषद् में हो।

राज्य सरकार के लिए इस योजना के संचालन में यह प्रश्न हो सकता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद् के ऐसे सख्त परन्तु अपेक्षणीय नियम के रहते विशेष अध्यापकों के अभाव में राज्य में कितने समय तक इस योजना के संचालन की व्यवस्था रह सकती है। यहाँ पर यह कहना भी उपयुक्त होगा कि अशक्त बाल

समेकित शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा राज्य एक उदाहरण है, जहाँ इस योजना के माध्यम से राज्य अधिक से अधिक अशक्त बच्चों को शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध करा रहा है। इस बात की देशभर में सर्वत्र प्रशंसा है।

इस प्रकार, राज्य में अशक्त बाल समेकित शिक्षा योजना प्रगति पर है। वर्तमान सत्र में इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 10000 अशक्त बालक लाभान्वित होंगे। परिषद् इन बालकों के पुनर्वास सम्बन्धित कार्यों के प्रति अपेक्षित साधनों एवं सुविधाओं के अभाव के कारण जरूर चिन्तित हैं।



## 1.4 समावेशी शिक्षा के सिद्धांत (Principles of Inclusive Education)

### 15. समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। (Describe the principles of Inclusive Education.)

**उत्तर—समावेशी शिक्षा के सिद्धांत (Principles of Inclusive Education)—**प्रत्येक बच्चे को अपनी वृद्धि, विकास एवम् अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का इष्टतम विकास करने हेतु शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा इस अधिकार को प्राप्त करने का मार्ग समावेशन है। समावेशी शिक्षा प्रणाली एक प्रकार लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत हमें अनेक आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक समायोजन करने की जरूरत होती है। सभी असक्षम बालकों में समानता नहीं होती। इन बालकों में केवल अपनी एक जैसी दैहिक क्षमता व असमर्थता के स्तर पर ही भिन्नता नहीं होती, अपितु इनमें अपने व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं के दृष्टिगत रखकर उनकी आवश्यकताओं में अन्तर पाया जाता है। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं, जो विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हैं—

#### 1. व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धान्त (Principle of Individual Differences)

—व्यक्तिगत भिन्नता दो तरह की होती है—

1. दो व्यक्तियों में आपसी भिन्नता
2. व्यक्ति की स्वयम् भिन्नता।

इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कुछ बालक दूसरे बालकों से ज्यादातर गुणों में सर्वथा पृथक् होते हैं। जिनकी शिक्षा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट शिक्षण सम्बन्धी जरूरतों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है।

#### 2. भेद रहित शिक्षा का सिद्धान्त (Principle of No-Discriminatory Education)

—समावेशी शिक्षा समाज के किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए नहीं है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों एवम् सभी समूह को शिक्षा प्रदान करना है। इसकी नीतियों एवम् कार्यक्रमों को इस प्रकार लचीला बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। अतः समावेशी शिक्षा के इस सिद्धान्त के तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जानी चाहिए, जिन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप निश्चित किया जा सके। इस हेतु प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा ली जानी चाहिए। तदुपरान्त समस्त बालकों को विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की समस्याओं एवम् उनकी प्रगति की समय-समय पर जाँच भी की जानी चाहिए।

**3. अस्वीकार न करने का सिद्धान्त (Principle of No-Rejection)**—समावेशी शिक्षा के तहत शारीरिक रूप से असमर्थ सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें यह शिक्षा सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जानी चाहिए। इन सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु अशक्त बालकों के लिए किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी शिक्षण संस्था को इन बालकों को स्वीकार करने अथवा न करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए।

**4. व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धान्त (Principle of Individual Education Programme)**—जो बालक विशेष शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं अर्थात् जिन बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उन बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (Individual Education Programme) या तो विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से दिया जाये अथवा उनसे सम्बन्धित संसाधन युक्त कक्षाओं में (जहाँ उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की तकनीक एवम् सहायक सामग्री विद्यमान हो) दिया जाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा इन आशक्त बालकों की वर्तमान कार्य प्रणाली एवम् विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। इस हेतु अभिक्रमित अनुदेशन की भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

**5. नियंत्रित परिवेश का सिद्धान्त (Principle of Restrictive Environment)**—जहाँ तक संभव हो सके शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों एवम् अन्य सामान्य बच्चों की शिक्षा एक ही कक्षा-कक्ष में एक साथ होनी चाहिए। ऐसी कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्ष अशक्त बच्चों को न्यूनतम बाधा उत्पन्न करने वाला परिवेश प्रदान करता है।

**6. विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धान्त (Principle of Special Process)**—विशेष प्रक्रिया का यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की व्यवस्था का निर्धारण एवम् विश्लेषण करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। जहाँ पर बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। अगर अभिभावक शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। तो वे बच्चों की उस संस्था से निकाल कर किसी दूसरी उपयुक्त शिक्षण संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं। जहाँ पर पहली शिक्षा संस्था की तुलना में शैक्षिक कार्यक्रम अधिक उपयुक्त एवम् बच्चों की जरूरतों के मुताबिक हों।

**7. अभिभावकों के सहयोग का सिद्धान्त (Principle of Parental Co-operation)**—क्योंकि समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। यह क्रियात्मक आधारित एक सामूहिक परियोजना है। जिसमें अभिभावकों, अध्यापकों एवम् सामान्य समाज का समर्थन व योगदान एक आवश्यक दशा है। अतः यदि शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के अभिभावक की शिक्षा कार्यक्रमों में रुचि हो।

### 1.5 समावेशन के प्रतिमान (Models of Inclusion)

**16. समावेशन में प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। (Describe the models of inclusion.)**

अथवा

समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। (Describe the models of Inclusive Education.)

अथवा

‘समावेशित शिक्षा’ के विभिन्न मॉडलों की व्यवस्था कीजिए। आपके राज्य के लिए इनमें से कौन-सा मॉडल सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों?

(Explain different models of ‘Inclusive Education’. Which one of them is most appropriate for your state and why?)

अथवा

समावेशन के प्रतिमानों से आपका क्या अभिप्राय है? वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान का वर्णन कीजिए।

(What do you mean by models of Inclusion? Describe Wang's Adaptive Learning Environment Model – WALEM.) (June 2018)

उत्तर—वर्तमान समय में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति विश्व शिक्षा समुदाय का ध्यान बढ़ता जा रहा है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के सक्षम बच्चों में समावेशन हेतु विश्व समुदाय गहनता से एकजुटता प्रदर्शित करता जा रहा है। यह (समावेशन) एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसमें अशक्त बच्चों को सामान्य पाठशाला में सामान्य सहपाठियों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यह बच्चे को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से सामान्य परिवेश में स्थान देता है। अतः यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें असक्षम बच्चों को सक्षम बच्चों में समायोजित किया जाता है। भारत वर्ष में भी एक ठोस बुद्धिजीवी वर्ग इस दिशा में कार्यरत है। यहाँ अनेक राज्यों में समावेशन को अपना लिया गया है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि समावेशन हेतु कौन से ऐसे प्रतिमान (Models) होने चाहिए, जिससे सफल समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे ही कुछ प्रतिमानों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

**1. पूर्ण समावेशन प्रतिमान (Full Inclusion Model)**—समावेशी शिक्षा का यह प्रतिमान बच्चों को कक्षा में अनुदेशन तथा सहयोग प्रदान करने से सम्बन्धित है। इस हेतु एक विशिष्ट अध्यापक की व्यवस्था की है। यह विशिष्ट अध्यापक अपनी विधि एवम् सहायक सामग्री के साथ कक्षा-कक्ष में प्रवेश करता है। उक्त अध्यापक बच्चों को सामाजिक अध्ययन की कक्षा में, सामाजिक अध्ययन पढ़ता है तथा हिन्दी की कक्षा में हिन्दी सीखाने में मदद करता है। कहने का भाव यह है कि यह विशिष्ट अध्यापक बच्चे की विषयावार सीखाने में सहायता करता है, वह न केवल बच्चों का वरन् समावेशन में शामिल सामान्य अध्यापकों का भी सहयोग करता है। हालांकि यह विशिष्ट अध्यापक अनुदेशन के सामान्य अध्यापकों की मदद करता है फिर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अध्यापक की ही होती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक बाधित बालक का पूरा-पूरा रिकॉर्ड तब रिपोर्ट सामान्य अध्यापक के पास ही होती है। उसके पास इस बात की पूरी-पूरी सूचना होती है कि बच्चा एक नियमित अन्तराल पर किस हद तक उन्नति एवम् प्रगति कर रहा है। इस विशिष्ट अध्यापक के साथ मिलकर सामान्य अध्यापक कुछ नवीन नीतियाँ निर्धारित करता है तथा पुरानी नीतियों में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रतिमान के अन्तर्गत बालक को प्रत्यक्ष अनुदेशन के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।

**2. दल शिक्षण प्रतिमान (Team Teaching Model)**—समावेशी शिक्षा के इस प्रतिमान के अन्तर्गत सामान्य एवम् विशिष्ट अध्यापक सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। इन सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठने के अवसर इसलिए प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे हर तरह के दबाव से मुक्त होकर एक दूसरे को समझने लगे तथा उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति विद्यमान दूरी को समाप्त किया जा सके। यह एक सुनियोजित प्रतिमान है। इसलिए इसे लागू करने से पूर्व पूर्णतः नियोजित करना अनिवार्य है। इस प्रतिमान के माध्यम से प्रभावशाली सह-शिक्षा तभी सम्भव हो सकती है। जब सामान्य एवम् विशिष्ट अध्यापक दोनों एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। सह शिक्षा के विकास हेतु दो बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है—

- सफल सह-शिक्षकों (विशिष्ट व सामान्य) को अपनी सहभागिता के प्रति पूर्णतः ईमानदारी बरतनी चाहिए। जिस काम को सामान्यतः एक अध्यापक द्वारा किया जाता है। उसी काम को दो अध्यापकों से करवाने हेतु उनमें आपसी समन्वय अनिवार्य है।
- समावेशी दल-शिक्षण में मौलिक घटकों को हमेशा ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है : यथा—अध्यापक विकास, समय, सहभागिता आदि।

समावेशी शिक्षा के इस प्रतिमान में नियोजन का कार्यान्वयन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रतिमान सफल शिक्षण की ओर लेकर जाता है। जिससे शिक्षक एवम् शिक्षार्थी दोनों को लाभ होता है।

**3. वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान (Wang's Adaptive Learning Environment Model - WALEM)**—समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान की विशिष्ट कहता है। यह कक्षाओं में विशिष्ट बच्चों को समेकित करने वाला एक बहुमुखी प्रतिमान है। इस प्रतिमान की रचना करने का प्रमुख ध्येय बच्चों में मूलभूत बौद्धिक कौशलों को विकसित करना है ताकि वे स्कूल को अपने प्रति अपेक्षाओं की पूर्ति अपनी योग्यताओं के अनुकूल कर सकें। इस हेतु बच्चों को अपनी गति के अनुसार सीखने की पूरी-पूरी छूट प्रदान की जाती है। प्रायः प्रत्येक बच्चे को कक्षा-कक्ष में अपने क्रियाकलापों को स्वतंत्र रूप से पूर्ण करने का मौका प्रदान किया जाता है। शिक्षक अपने अनुदेशन एवम् उसकी प्रतिपुष्टि को पूर्ण रूप से बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरा करता है।

समावेशी शिक्षा के इस प्रतिमान में बच्चों को अपने अधिगम को नियोजित एवम् नियंत्रित करने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा वे अपनी अधिगम क्रियाओं को पूरा करने हेतु खुद उत्तरदायी होते हैं। इस सम्पूर्ण क्रिया का सुनियोजित ढंग से संचालन करने हेतु वैंग महोदय द्वारा एक डाटा बेस (Data Base) तैयार किया गया। इस डाटा बेस की तैयारी उन्होंने शिक्षकों हेतु उनके कौशल एवम् ज्ञान में और अधिक वृद्धि करने के लिए किया। इस प्रतिमान हेतु उपयुक्त अपेक्षित प्रशिक्षण जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रतिमान के अन्तर्गत एक शिक्षक को बच्चों के प्रति पूर्णतः समर्पित रहना पड़ता है। समावेशी शिक्षा के इस प्रतिमान को उपयोग में लाने विशिष्ट एवम् सामान्य शिक्षकों के मध्य आपसी सम्बन्ध में और अधिक घनिष्ठता आ जाती है तथा सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ मधुर सम्बन्ध कायम करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है।

**4. समावेश-चक्र प्रतिमान (Circle of Inclusion-Model)**—समावेशी शिक्षा का यह एक अति महत्वपूर्ण प्रतिमान है। जिसमें बच्चों के व्यक्तिपरक ज्ञान की ओर ध्यान दिया जाता है। यह प्रतिमान अत्यधिक व्यक्तिपरक है। समावेशी शिक्षा के इस प्रतिमान को बहुत छोटे बच्चों (आठ वर्ष की आयु तक) हेतु प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसे विकल्प हैं जिससे बच्चों का अवस्थान हो सकता है। इस प्रतिमान को अनेक परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रतिमान का मुख्य आधार शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की सहभागिता है, किन्तु तकनीक, कक्षा 'परिस्थितियों' के अनुरूप परिवर्तित हो सकती है। इस प्रतिमान में बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक एवम् पारस्परिक सम्बन्धों के कौशलों पर अधिकाधिक बल दिया जाता है। यह प्रतिमान इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सभी बालकों द्वारा समावेश का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये। इस प्रतिमान का मुख्य ध्येय सामाजिक उत्थान है। इसमें बालकों को साथ-साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है; ताकि बच्चों की अपनी प्रतिभाओं एवम् योग्यताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने के अवसर प्राप्त हो सकें। इस प्रतिमान का मुख्य आधार गतिशील सहभागिता (Active Participation) है। इस प्रतिमान के तहत बच्चे तभी अधिगम कर पाते हैं, जब वह आत्म-निर्देशित हों, अधिगम एवम् क्रिया करने सम्बन्धी, उन्हें निर्देश प्रदान किए जाएँ, तथा उन्हें अपने शिक्षकों का चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाए।

**5. रणनीति व्यवधान प्रतिमान (Strategies Intervention Model)**—इस प्रतिमान का जन्म स्थान कांसस विश्वविद्यालय (Kansas University) को माना जाता है। इसके अनुसार बच्चे की योग्यताओं तथा प्रतिभाओं का विकास तभी सम्भव है, जब वह सामाजिक प्रेरणात्मक क्षेत्रों से सीखता है। पाठ्यक्रम सही हथियार के रूप में होता है, जो उसके समावेशन में सहायत होता है। यह एक प्रणाली है, जो तीन चरणों में सम्पन्न होती है। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम कक्षा में समावेशन में सहयोग करता है, जो केवल तभी संभव हो पाता है जब सामान्य तथा विशिष्ट अध्यापकों में अच्छा तालमेल हो दोनों मिलकर एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रणनीतियाँ बनाते हैं। दूसरे चरण में सामान्य शिक्षण पर बल दिया जाता है। इसमें यह भी होता है कि बालक का अनुदेशन से पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है, जो कि एक अध्यापक को आगे की रणनीति बनाने में सहायक होती है, तीसरे चरण के अन्तर्गत बच्चों को अभिप्रेरणा तकनीक एवम् सामाजिक कौशलों को सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर बच्चे को सामूहिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है।

LAXMI®

EXAM NOTES

# समावेशी विद्यालय का सृजन

## [CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL]

[ Paper-3 ]

UNIT-II

### 2. Legal and Policy Perspectives

#### • International Declarations and Conventions:

- ◆ Salamanca statement and framework of action, 1994
- ◆ Educational provisions in the UN convention on the rights of person with disabilities (UNCRPD), 2006

#### • Constitutional Provisions

- ◆ Education of students with disabilities in NPE 1968, 1986, POA(1992)
- ◆ (PWD Act 1995), (RCI Act, 1992), (RTE Act 2009)
- ◆ Education in the national policy on disability, 2006

#### • Role of Organizations for Education of Children with Disabilities

- ◆ Rehabilitation Council of India (RCI)
- ◆ National Institute of Different Disabilities
- ◆ Composite Regional Centres (CRCs)
- ◆ District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs)
- ◆ Non Voluntary Govt. Organizations (NGOs)



—: प्रकाशक :—

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

## कानून विषयक तथा नीति परिप्रेक्ष्य [Legal and Policy Perspective]

### 2.1 अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाएँ तथा अभिसमय (International Declarations and Conventions)

1. सालामानका वक्तव्य तथा कार्यवाही रूपरेखा 1994, तथा असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2006 शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।  
(Describe Salamanca Statement and Framework of Action, 1994 and educational provisions in the UN convention on the rights of person with disabilities (UNCRPD), 2006.)

अथवा

1. सालामानका कथन एवं क्रियात्मक रूपरेखा 1994 का वर्णन कीजिए।  
(Describe Salamanca Statement and Framework of Action, 1994.)

उत्तर-1. सालामानका वक्तव्य तथा कार्यवाही की रूपरेखा, 1994 (Salamanca Statement and Framework of Action, 1994)-जून, 1994 में 92 सरकारों के प्रतिनिधियों स्पेन में विश्व सम्मेलन हुआ जिसमें सभी के लिए शिक्षा (Education for All) पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। यह सम्मेलन 7 जून से 10 जून तक हुआ। इस सम्मेलन में एक नई कार्यवाही की रूपरेखा (Frame work of Action) को स्वीकार किया गया।

सालामानका वक्तव्य की शुरुआत सभी के, शिक्षा (Education for All) से होती है जिसमें सभी बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित विद्यालय में पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए। 10 समावेशी विद्यालय सभी के लिए शिक्षा प्रदान के लिए प्रभावशाली साधन हैं।

सालामानका वक्तव्य तथा कार्यवाही की रूपरेखा में यह घोषणा की गई कि-

1. प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय विशेषताएँ रुचियाँ, योग्यताएँ तथा अधिगम आवश्यकताएँ होती हैं।
3. शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप बच्चों की विभिन्नताओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
4. समावेशी विद्यालय सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए सबसे प्रभावशाली साधन है।

सालामानका वक्तव्य में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की समावेशी विद्यालय प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है। कार्यवाही की रूपरेखा में कहा गया है कि समावेशन तथा भागेदारी मानव गरिमा मानव अधिकारों के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए अवसरों की समानता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समावेशी विद्यालय में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। इन बच्चों में असमर्थ, प्रतिभाशाली, युमन्तु बच्चे, अल्पसंख्यक, सीमान्त समूह के बच्चे भी शामिल होते हैं। समावेशी विद्यालय में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है।

कार्यवाही की रूपरेखा में निम्नलिखित भाग है—

1. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता से सम्बन्धित नवीन चिन्तन।
2. राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश—
  - (A) नीति तथा संगठन (Policy and Organization)
  - (B) विद्यालय कारक (School factors)
  - (C) शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्तियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण (Recruitment and training of educational personnel)
  - (D) बाह्य सहायक सेवाएँ (External Support Services)
  - (E) वरीयता क्षेत्र (Priority areas)
  - (F) समुदाय परिप्रेक्ष्य (Community Perspectives)
  - (G) संसाधन आवश्यकता (Resource requirement)
3. क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश।
  - (A) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों तथा गैर-सरकारों, क्षेत्रीय तथा गैर क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग समावेशी विद्यालय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4. अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुलाकातों (Meetings) में समावेश विद्यालय के बारे में बहस होनी चाहिए।

अतः सालामानका वक्तव्य असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा पर यूनेस्को सम्मेलन का परिणाम है। सालामानका वक्तव्य का सभी के लिए शिक्षा (Education for all) प्राप्त करने के रूप में समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है।

**2. असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में शैक्षिक प्रावधान, 2006 (Educational provisions in the UN convention on the rights of persons with disabilities (UNCRRD), 2006)**—असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनकी गरिमा की सुरक्षा करने की अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सन्धि है। इस अभिसमय का उद्देश्य असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। यह अभिसमय असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन करता है। इस अभिसमय का प्रारूप 13 दिसम्बर, 2006 को तैयार किया गया। यह अभिसमय 3 मई 2008 को लागू हो गया। इस अभिसमय पर 160 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

**अभिसमय के सिद्धान्त (Principles of Convention)**—अभिसमय के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

1. व्यक्तियों की गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता का सम्मान करना।
2. भेदभाव से मुक्ति।
3. समाज में पूर्ण तथा प्रभावशाली भागेदारी तथा समावेशन।
4. असमर्थ व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करना।
5. अवसरों की समानता।

6. पहुँच।

7. पुरुष तथा महिलाओं के बीच समानता।

8. असमर्थ बालकों के अधिकारों का सम्मान करना।

असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं। अभिसमय के अनुसार असमर्थ बालकों को सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन बालकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

अभिसमय के पक्षधर ये सुनिश्चित करे कि—

1. असमर्थ बालकों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा से बाहर नहीं किया जाए।
2. असमर्थ किशोरी की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रौढ़ शिक्षा तथा आजीवन शिक्षा तक पहुँच हो।
3. असमर्थ व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में सहायतार्थ सेवाएँ प्रदान की जाए।
4. असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत सहायता के लिए कदम उठाए जाए।
5. विभिन्न प्रकार के असमर्थ बालकों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाए।
6. असमर्थ बालकों की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सहकारी अधिगम, सहयोगी अनुशिक्षण तथा क्रियाशीलता आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जाए।
7. असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

## 2.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision)

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 ने विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम सुझाए हैं? (What steps have been suggested by the New Education Policy, 1986 for the Education of Children with disabilities?)

अथवा

असमर्थ बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर टिप्पणी लिखिए।

(Write a note on National policy on disabilities.) (June 2018)

उत्तर—कोठारी कमीशन (1914-66) ने इस बात को स्वीकार किया कि विकलांग बालकों का प्रवेश प्राइमरी स्तर पर कम है। हमारे देश में कई लाख विकलांग बालक शिक्षा के अवसरों से लाभान्वित नहीं होते जबकि हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। विकलांग बालकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 1968 की शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (Integrated Education for disabled Children) की सिफारिश की। इस शिक्षा नीति में सामान्य विद्यालय प्रणाली (Common School System) को प्रस्तुत किया गया। नई शिक्षा नीति (New Education Policy, 1986) ने विकलांग बालकों की शिक्षा पर जोर दिया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि इन बालकों की शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि वे भी शिक्षित होकर देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें। इनको शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम सुझाए हैं—

1. विशेष विद्यालयों की स्थापना (Establishment of Special Schools)—विशेष विद्यालयों की स्थापना जिला स्तर पर की जानी चाहिए। शुरू करने के लिए कम्पोजिट विद्यालय स्थापित

किए जाने चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है तथा माता-पिता बच्चों को दूर भेजना चाहते हैं या नहीं। निपुण अध्यापकों व प्रशिक्षकों की सेवाएँ बारी-बारी से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ली जानी चाहिए। लेकिन अगर एक जिले में अपंग बालकों की संख्या 60-70 तक हो जाती है तो वहाँ पर विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

सातवीं योजना तक ऐसे 400 विद्यालय स्थापित किए जायेंगे। लेकिन उन जिलों को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर पहले से कोई विशिष्ट विद्यालय नहीं है। इन विद्यालयों में कम से कम 60 बच्चे विकलांग होने आवश्यक हैं। 8वीं योजना में 5,000 विद्यालय और स्थापित किए जाएँगे ताकि यह संख्या 7500 तक पहुँच जाए। नौवीं योजना के अन्त तक इनकी संख्या 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है।

**2. अध्यापकों को प्रशिक्षण (Training to Teachers)**—प्रत्येक विद्यालय के लिये प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए 7-8 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अगर हमें इस योजना में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है तो लगभग 3500-4000 प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इन अध्यापकों की संख्या उन अध्यापकों के अतिरिक्त है जो पहले से ही संस्थाओं में कार्यरत हैं।

**3. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (Vocational Training Centres)**—प्रत्येक जिला स्तर पर, जहाँ पर विशिष्ट विद्यालय स्थापित किए गये हैं, उसके साथ या उसी विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। इन विद्यालयों में विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ रहे बालकों व दूसरे अपंग बालकों को जीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उस विशेष इलाके में जिन कार्यों से रोजगार मिलने की सम्भावना होगी, उन्हीं के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा। लड़के तथा लड़कियों के लिये अलग होस्टल का निर्माण किया जाएगा। लड़कों के होस्टल के लिये 40 तथा लड़कियों के होस्टल के लिये 20 की संख्या होनी चाहिए। यह होस्टल 'विशिष्ट विद्यालय' तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के विद्यार्थियों के लिये होंगे।

**4. व्यावसायिकों को प्रशिक्षण (Training to Professionals)**—अध्यापकों के अतिरिक्त, 400 मनोवैज्ञानिक तथा प्रत्येक जिला स्तर पर 2 डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वे अपंग बालकों का स्तर निर्धारित कर उनके पुनर्वास का प्रबन्ध हो सके। दूसरे कार्यकर्ताओं को कम-से-कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वाणी-सुधारक, बहरों के लिए भी प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी।

**5. व्यावसायिक अध्यापकों को प्रशिक्षण (Training to Vocational Teachers)**—राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं को तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं को व्यावसायिक अध्यापकों को प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3000-4000 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। यह प्रशिक्षण लगभग दो सप्ताह का होना चाहिए।

**6. परीक्षाओं में लचीलापन (Flexibility in Examinations)**—गंभीर रूप से अपंग बालकों के लिए परीक्षाओं में लचीलापन रखना अति आवश्यक है। इन विद्यालयों को एन. सी. ई. आर. टी. (NCERT), जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा का सामान है, उनसे यह समान प्राप्त करना चाहिये। राष्ट्रीय केन्द्र जिनको विशेषज्ञता प्राप्त है उनकी सहायता लेनी चाहिये ताकि उसका लाभ बालकों को मिल सके।

**7. पाठ्यक्रम में बदलाव (Modification in Curriculum)**—अपंग बालकों की आवश्यकताओं व उनके सीखने के दौरान आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक अन्धे बालक के लिए साईंस विषय के प्रैक्टिकल तथा एक बहरे बालक की एक से अधिक भाषा को सीखने की समस्या को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में बदलाव आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि पाठ्यक्रम का कोई भाग छूट न जाये।

**8. अनुदेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाना (To Strengthen Instructional System)**—प्रायः यह देखने में आया है कि इन विद्यालयों में अनुदेशन व्यवस्था बड़ी ढीली-ढाली होती है अतः कार्यक्रम की सफलता के लिए अति आवश्यक है कि अनुदेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

**9. तकनीकी का प्रयोग (Use of Technology)**—यह युग तकनीकी का युग है। सामान्य शिक्षा की भांति विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में भी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिये। इनका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अपंग बालकों की आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग हो। रेडियो, टी. वी., वीडियो, कम्प्यूटर आदि का फायदा सामान्य बालकों के समान अपंग बालकों को भी मिलना चाहिए।

**10. विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण (Effective Supervision of Schools)**—जो विद्यालय पहले से ही विशिष्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका प्रभावी ढंग से परीक्षण होना चाहिये तथा दूसरे सामान्य विद्यालयों की भांति इनको भी सरकार द्वारा ग्रांट दी जानी चाहिये। चूँकि बालकों की विभिन्नताएँ तथा आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं अतः यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पैसे की कमी न रहे। समाज कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय को इस कार्य के लिये सहयोग करना चाहिये। पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत लोगों को भी विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए।



3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षतिग्रस्त अथवा विकलांग बालकों के लिए बनाए गए समेकित शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा का उल्लेख कीजिए।

अथवा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में क्षतिग्रस्त अथवा विकलांग बच्चों के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालें।

उत्तर—सामान्य स्कूलों में समेकित कार्यक्रम—

- (1) सामान्य स्कूल पद्धति में प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया जाना।
- (2) शिक्षकों के विशाल सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों के इस वर्ग के प्रबन्ध पर प्रशिक्षण घटक को सम्मिलित करना।
- (3) प्रशासकों के लिए अपुस्थापन कार्यक्रम तथा इन्हें सुदूर अध्ययन चैनल द्वारा पूरक बनाना।
- (4) केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा योजना के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया विशेष उत्साहजनक नहीं रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इस विशेष वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस योजना के कार्यान्वयन की गति तेज करने हेतु, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह मामला राज्यों से निर्धारित करना होगा।
- (5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा को चालू योजना में संशोधन की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस योजना के पुनरीक्षण हेतु तुरन्त एक समिति स्थापित करनी होगी और इसका संशोधन करना होगा।
- (6) इन बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था अन्यो के साथ सामान्य विद्यालयों में (10 + 2) स्तर पर अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करने का प्रावधान करना होगा।
- (7) मनोवैज्ञानिक-शैक्षिक मूल्यांकन तथा निदान हेतु और अध्ययन समस्याओं की पहचान के यन्त्रों का स्पष्ट रूप से विकास क्षेत्रीय भाषाओं में भी करना होगा।
- (8) विकलांगता के मूल्यांकन के लिए जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक शिक्षा का विकास होना चाहिए।
- (9) जहाँ भी जरूरी हो स्वास्थ्य तथा कल्याण मंत्रालय से मदद लेनी चाहिए।
- (10) श्रम मंत्रालय को विकलांगों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं में वृद्धि/संशोधन आरम्भ करने होंगे।

(11) प्रोत्साहन सहित इन व्यवस्थाओं का प्रावधान करना—

- साधन तथा उपकरणों की व्यवस्था,
  - परिवहन भत्ते, (50 रुपये प्रति मास) की अदायगी हेतु पर्याप्त व्यवस्था,
  - ग्रामीण क्षेत्र में उस संस्था को जिसमें कम-से-कम 10 विकलांग बच्चे हैं, स्कूल रिक्शा खरीदने हेतु पूंजीगत लागत की व्यवस्था,
  - इन विद्यालयों में जहाँ कम-से-कम 10 विकलांग बच्चे दाखिल हैं, विद्यालय भवनों में वास्तुशिल्पीय अवरोधों को दूर करना,
  - निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा वर्दियाँ मुहैया करना जैसे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को दी जाती हैं,
  - लड़कियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की तरह अन्य विशेष वर्गों की तरह उपस्थिति प्रोत्साहन,
  - विद्यालय में शिक्षा के लिए शिशु केन्द्रों में इन बच्चों की तैयारी के लिए व्यवस्था।
- (12) बच्चों के इस वर्ग की देखभाल करने वाले शिक्षकों के लिए पर्यवेक्षी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् आदि संस्थाओं पर विशेषज्ञता का विकास किया जाना चाहिए।
- (13) इन बच्चों की देखभाल में विकल्पी अध्ययन सामग्री, शिक्षक पुस्तिका का विकास तथा मार्गदर्शन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- (14) सामान्य स्कूलों में अतिरिक्त उपस्कर मुहैया करना/व्यावसायिक पूर्व तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अनुकूल बनाना चाहिए।

## II. विशेष विद्यालयों में शिक्षा—

- जिला एवं उप-जिला स्तरों पर विशेष स्कूल स्थापित करना होगा। संयुक्त विशेष विद्यालयों में भिन्न-भिन्न रूप से विकलांग बच्चों को अलग-अलग विभागों/समूहों/कक्षाओं में शिक्षा का प्रावधान करना होगा। विशेष स्कूल में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना होगा।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। बाल-छात्रावास में 40 छात्रों की तथा बालिका-छात्रावास में 20 बालिकाओं की क्षमता होनी चाहिए।
- विशेष शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग की ओर ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय विकलांगों के लिए सीखने के मौके में सुधार के लिए ऐसी सामग्री तैयार करने में सहायता दें। उदाहरणार्थ अन्धों के लिए संगणकों, लिपियुक्त टेलीविजन तथा विडियो आदि बनाए जाने की जरूरत है ताकि विकलांग व्यक्ति भी अन्य बच्चों के लिए उपलब्ध मौकों का उपयोग कर सकें।
- भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में विकलांग की शिक्षा अनुसंधान तुरन्त आरम्भ करने की जरूरत है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय विकलांग संस्थान अनुसंधान कार्य में विकास करें।
- विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षकों को मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विशेष वेतन दिया जाए।
- शिक्षकों के अतिरिक्त विकलांग बच्चों के मूल्यांकन और पुनर्वास के कार्य हेतु प्रत्येक जिले में 400 मनोवैज्ञानिक और कम-से-कम दो चिकित्सकों की विशेष रूप से रखने की जरूरत पड़ेगी। विकलांग बच्चों के मूल्यांकन का कार्य करने के लिए उपलब्ध होने पर वर्तमान सलाहकार संघ को 4-6 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए। इसी प्रकार चिकित्सा-कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का अनुस्थापन-कार्यक्रम चलाया जाए। इसके अलावा शरीर-चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाक्-चिकित्सक जैसे अन्य स्टाफ की जरूरत पड़ेगी।

- स्वास्थ्य मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय इन व्यावसायिकों के प्रशिक्षणार्थ कार्यक्रम विकसित व समन्वित करें। इस कार्य हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा समन्वित प्रयास किए जाएँ।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना में उप-जिला स्तर पर अन्य 5,000 विशेष स्कूल खोले जाने का प्रावधान है।
- विशेष स्कूलों की स्थापना राज्य द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्रीय योजना होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय शैक्षिक महाविद्यालयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षकों के लिए क्षेत्रीय आधार पर अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रबन्ध करना होगा।
- इन विशेष स्कूलों की पाठ्यचर्या की विशिष्ट समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित करना होगा।
- विकलांग बच्चों के लिए परीक्षा में लचीलापन जरूरी है। शैक्षिक-मूल्यांकन के लिए इन विद्यालयों को मूल्यांकन दिग्दर्शिकाएँ एवं उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास इस प्रकार के उपकरणों के विकास की प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं तथा राष्ट्रीय संस्थानों के पास विकलांगता के विशेषज्ञ हैं अतः वे इस सामग्री के उत्पादन में मदद दें।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विकलांग/क्षतिग्रस्त की शिक्षा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम युक्तियुक्त है। विकलांगों के लिए विशिष्ट स्कूलों की योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यह कार्यक्रम चालू करने हेतु हमें बड़े पैमाने पर प्रशिक्षितों, अध्यापकों तथा उपयुक्त संसाधनों की जरूरत होगी।



## 4. क्रियान्वयन कार्यक्रम, 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए।

(Write a note on education of students with disabilities in programme of Action (POA) 1992.)

अथवा

असमर्थ बालकों की शिक्षा में कार्य योजना पीओए 1992 का वर्णन कीजिए।

(Describe education of students with disabilities in POA 1992.)

(June 2012)

उत्तर—राममूर्ति कमेटी का गठन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यों के कार्यान्वयन हेतु किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने शारीरिक व मानसिक विकलांग बालकों समाज के अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का सुझाव प्रस्तुत किया था।

इसके अंतर्गत क्रियात्मक कार्यक्रमों (POA) का भी क्रियान्वयन किया गया इसमें मुख्यतः अध्यापकों का प्रशिक्षण, प्रशासकों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, संसाधित प्रदेश तथा जिला प्रशिक्षण संस्थाओं, जैसे (SCERT and DIET) में प्रेक्षकों की निपुणता का विकास आदि इनमें से कुछ प्रमुख हैं—

- विकलांग शिक्षा को सामाजिक कल्याण कहा जाता है।
- मुख्यतः सारी विशिष्ट संस्थाएँ महानगरों व नगरों में स्थित हैं। बहुत ही कम संस्थाओं को छोड़कर सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएँ जिला या तहसील के स्तर पर नहीं हैं। उपलब्ध आकड़ों के अनुसार सम्पूर्ण भारत में बाधितों की शिक्षा के लिए 215 जिलों में विशिष्ट शिक्षा संस्थाएँ नहीं हैं जब कि कागजों के अंतर्गत 1000 विशिष्ट शिक्षा संस्थाएँ हैं।
- समन्वित शिक्षा का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग की देख-रेख में सन् 1974 से प्रारंभ हुआ, जिससे सामान्य विद्यालयों के साथ विशिष्ट विद्यालय भी प्रारंभ किए गए। इसका मुख्य कारण सभी अध्यापकों का संवेदनशील न होना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं प्रदान किए गए। इसके कारण निम्नलिखित थे—

- विकलांगों की शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा पर बल न देना।
- सामान्य शिक्षा संस्थाओं को विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं से पूर्णतया अलग समझा जाता है।
- इनमें सबसे प्रमुख कारण हैं—शिक्षा हेतु संसाधनों तथा प्रशिक्षकों की कमी होना। जिसे कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधनों विभाग पर विकास करने के लिए छोड़ दिया गया है।

शैक्षिक क्रियान्वयन के प्रारूप की स्थापना मुख्यतः विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं को जिला तथा तहसील स्तर पर स्थापित करने हेतु की गई थी। इसमें पाठ्यक्रम को विकसित करना तथा बाधिता हेतु प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था। शैक्षिक क्रियान्वयन के प्रारूप ने बाधित बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया था। लेकिन इन्होंने सेवाएँ प्रदान करने पर कोई बल नहीं दिया। प्रकार के दोष हेतु सर्वप्रथम अन्वेषण, फिर पुनर्वास कार्य का विकास तथा विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं हेतु सेवाएँ उपलब्ध कराना शैक्षिक क्रियान्वयन के प्रारूप का मुख्य कार्य था।

समन्वित शिक्षा हेतु विभाग द्वारा अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं। वर्तमान में यह योजना मुख्यतः 19 राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों में लागू की गई थी। इस योजना में 20,000 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे तथा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 2 करोड़ रु. का व्यय निम्न कार्य हेतु किया जाता था—

- शिक्षकों के वेतन व भत्ते हेतु।
- कक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु।
- विकलांग बालकों को पहचानकर उनकी मदद करना।
- विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु अनुदेशन सामग्री उपलब्ध कराना।

शारीरिक रूप से बाधित बालकों की समस्याओं पर विचार करते हुए कमेटी ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं—

- सम्प्रेषण (Communication) की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति को विकलांगों की समस्याओं से अवगत कराना।
- जिन्हें भी परिवार में शारीरिक या मानसिक बाधित बालक हैं उस परिवार के सदस्यों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विकलांग बालक का मूल्यांकन भी करना।
- विकलांग बालकों हेतु लचीली शिक्षा की व्यवस्था करना।
- श्रवण बाधित तथा बधिर बालकों को उनकी बाधिता के आधार पर शिक्षा देना। बाधितों हेतु सिर्फ मौखिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती। अतः उनके लिए मौखिक निर्देशिका (Oral Manual) तथा शारीरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को मस्तिष्क में रखते हुए शिक्षा के कार्यक्रम बनाए जाएँ। ये कार्यक्रम बालकों के शारीरिक व मानसिक दोषों को देखकर बनाए जाने चाहिए।
- विशिष्ट मानसिक दोषों से संबंधित बालकों हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। इनका प्रयोग केवल बालकों की (3.R) की शिक्षा के लिए आधार बनाने हेतु ही नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, स्वयं की देखभाल करने व भाषा कौशल सिखाने हेतु किया जाना चाहिए।
- दृष्टि बाधित बालकों हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून (National Institute for Visually Handicapped-NIVH) में भारती ब्रेल नामक लिपी का विकास किया गया। इस विधि का अधिकाधिक प्रयोग अन्धे बच्चों की शिक्षा हेतु किया गया है।
- सेवारत अध्यापकों हेतु भी कार्यक्रम, जैसे दूरस्थ शिक्षा तथा आनौपचारिक शिक्षा आदि को कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों की शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को उनके पाठ्यक्रम का आवश्यक भाग बनाना चाहिए।

- मानसिक रूप से बाधित बालकों तथा नौजवान हेतु व्यावसायिक शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। उनके लाभ अथवा आजीविका हेतु उन्हें विभिन्न कार्यशालाओं, कारखानों अथवा कृषि फार्म पर नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
- विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं के उत्तरदायित्वों को उत्तरदायित्वों के निम्न प्रारूपों के अनुसार परिभाषित करना चाहिए—
  - प्राथमिक स्तर पर बालकों को पहचानकर उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाना।
  - शारीरिक व मानसिक दोषों के बालक जो सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें समन्वित शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना ताकि वे तिरस्कार व अपमान जैसी हीन भावनाओं से ग्रस्त न हों।
  - सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने हेतु संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आज देश में बालकों के लाभ हेतु अनेक प्रविधियों का विकास हो रहा है। इन प्रविधियों में श्रवण बाधितों हेतु श्रवण यंत्र, दृष्टि बाधितों हेतु ब्रेल लिपी आदि का विकास किया गया है। जर्मन में ब्रेलिकस ने एक कैसेट बनाया, जिस पर विश्व कोष (Encyclopaedia) भी उपलब्ध है। अंधे बालकों हेतु टेक्टाकों ने Viprotextile नामक यंत्र बनाया। इस यंत्र की खासियत यह थी कि इसमें छिपी सामग्री को उभार कर बनाया जाता है। ताकि दृष्टिहीन शब्दों को बालकों की पहचान आसानी से हो सके। यह सारे यंत्र मुख्यतः शारीरिक बाधित बालकों हेतु प्रयोग किए जाते हैं।
- शारीरिक व मानसिक बाधित बालकों के क्षेत्र में नए नए अनुसाधन व खोज करनी चाहिए। ताकि नए यंत्रों की खोज हो सके। बाधित बालकों की शिक्षा नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने जनार्दन कमेटी का गठन किया, जिसने सन् 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

**नई शिक्षा नीति की समीक्षा**—नई शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। नई शिक्षा नीति की समीक्षा समिति (NPERC) ने निम्नलिखित क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) को अनुपयुक्त पाया। ये क्षेत्र थे—

- बाधित बालकों की सामान्य शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महत्वपूर्ण कार्य न करके उसे वृहद रूप नहीं दिया।
- जिस प्रकार का व्यवहार सामान्य शिक्षा संस्थाओं के साथ किया जाता था, वह व्यवहार विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं के साथ नहीं किया जाता था विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में मुख्यतः आंतरिक निरीक्षण तथा प्रबंध तंत्र आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इन कार्यों को कल्याण मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर छोड़ दिया जाता था।

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की संस्तुतियाँ (Recommendations of NPERC)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति ने बाधित बालकों की शिक्षा के कार्यक्रमों से संबंधित अनेक संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। ये संस्तुतियाँ निम्नलिखित थीं—

- सभी व्यक्तियों को अपंगों की समस्याओं से अवगत कराना।
- प्रचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके जैसे रेडियो, समाचार तथा दूरदर्शन आदि की सहायता से बाधितों की समस्या व उनका समाधान प्रत्येक व्यक्ति को बताना।
- राममूर्ति समिति ने बाधितों की शारीरिक व मानसिक पीड़ा के विषय में जानकर उनसे समय-समय पर की गई बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करके बालकों को अनेक अवसर उपलब्ध कराए।

4. राममूर्ति कमेटी के द्वारा बाधित बालकों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उन्हें विशेष व लचीली शिक्षा देने पर बल दिया।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शारीरिक बाधित बालकों हेतु तकनीकी प्रार्वधिक प्रविधियों के क्षेत्रों में नए अवसरों की खोजकर उस पर अमल करने पर बल दिया तथा उनका विकास किया।

### मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resources Development)

भारत सरकार ने सन् 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रारूप को प्रतिपादित किया। इसके अन्तर्गत बाधित बालकों के लिए अनेक शिक्षा कार्यक्रम विकसित किए गए तथा इन्हें आगे तक ले जाने हेतु अनेकों ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का उदाहरण दिया गया जो कि बाधित व्यक्तियों से संबंधित थीं तथा आगे की शिक्षा इन्हीं उदाहरणों को ध्यान में रखकर प्रदान की गई।

क्रियान्वयन के प्रारूप (1991-92) ने अनेक प्रकार के विश्लेषण किए। इन्होंने अपने निष्कर्ष में पाया कि लगभग 30,000 लोग जो कि गंभीर रूप से बाधित हैं। वे समन्वित शिक्षा योजना के अन्तर्गत पूर्णतः लाभ उठा रहे हैं। ये बालक सम्पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 60,000 तक बालक ऐसे हैं जो कि सामान्य दोषों से ग्रस्त हैं। जो विशिष्ट लाभ न लेकर केवल संसाधन सहायता से लाभ उठा रहे हैं।

आज विशिष्ट विद्यालयों में बाधित बालकों की बड़ी संख्या 1035 के लगभग शिक्षा प्राप्त कर रही है। बाधितों के लिए समन्वित शिक्षा कार्यक्रम केन्द्रशासित प्रदेशों तथा दस राज्यों के प्रत्येक राज्य के एक भाग में लागू किया जा रहा है। इस प्रकार के भाग के लगभग 90 प्रतिशत अपंग बालक सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक बालक पर लगभग 2000 रुपये तक व्यय होते हैं। परंतु भविष्य में यह व्यय कम होने की संभावना है।

इस कार्य में विभिन्न श्रेणियों में नए-नए संसाधन युक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावशाली माना गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालयों तथा गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा कराए जाते हैं। यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण उत्थान हेतु जिला शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद् (DIET) की स्थापना की गई। जो विशेष कक्षाओं व सामान्य विद्यालयों या संस्थाओं में प्रदर्शन करके प्रशिक्षण देते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा शिक्षण परिषद् के इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 102 जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (District Institute of Education and Training-DIET) के शिक्षक लाभान्वित हो चुके हैं।

बाधित बालकों के पुनर्वास हेतु तथा उनकी स्थापना हेतु 17 व्यावसायिक केन्द्र श्रम मंत्रालय की देख-रेख में स्थापित किए गए। सितम्बर, 1991 तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 66,000 अपंग व्यक्तियों का पुनर्वास हो चुका था। अध्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में अपंगों के लिए 3 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। इसका पूर्णतः प्रयोग किया गया तथा अपंग व्यक्ति इससे लाभ ले रहे हैं।

आज विशिष्ट संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाने की आवश्यकता है। ऐसे बालक जो विभिन्न शारीरिक दोषों से पीड़ित हैं उनके लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाए। इन बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर उनके कल्याण एवं शिक्षा हेतु योजनाओं व कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करना तथा उनमें सुधार करने की अति आवश्यकता है। अतः यह कार्य बिना ठोस कदम उठाए तथा बिना आवश्यक साधनों के करना मुमकिन नहीं है।

5. विकलांग जन अधिनियम 1995 पर विस्तार से लेख लिखिए।  
(Write a detail note of persons with Disability Act, 1995.)

अथवा

पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का वर्णन करें।  
(Describe PWD Act, 1995.)

(June 2018)

उत्तर-विकलांग जन अधिनियम, 1995 (Persons with Disability Act, 1995)-समाज में विकलांगों को महत्त्व दिया गया है। इन्हें समाज के व्यक्तियों के द्वारा सहानुभूति प्रदान करना अति आवश्यक है। इन्हीं विकलांग व्यक्तियों के समग्र कल्याण तथा पुनर्वास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1995 में विकलांग कल्याण विभाग (Persons with Disability Act) की स्थापना की। इस विभाग के द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ चलाई गईं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-

- विकलांग तथा अनाश्रित बालकों हेतु भरण-पोषण संबंधी अनुदान तथा छात्रवृत्तियाँ देना।
- राज्यस्तरीय पुरस्कार देना।
- कृत्रिम अंग तथा उपकरणों हेतु अनुदान प्रदान करना।
- दुकान तथा मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता देना।
- विकलांगों को प्रोत्साहन देना।
- विभाग द्वारा विकलांगों को जन-समान अवसर प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त विकलांगों हेतु अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। यह अधिनियम मुख्यतः अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि देशों में ही लागू है।

विकलांग जन-समग्र कल्याण हेतु विकलांग जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान प्रस्तुत किए गए-

- इस अधिनियम के प्रारंभिक अध्याय के अन्तर्गत शब्दावली की परिभाषाएँ प्रस्तुत की गईं। इसमें 7 प्रकार की विकलांगताओं को मुख्य रखा गया-  
(i) दृष्टि बाधित (ii) अल्प दृष्टि  
(iii) कुष्ठ रोग से उपचारित (iv) श्रवण दोष  
(v) चलन विकलांगता (vi) मानसिक रूपणता  
(vii) मानसिक मंदिता।

इस अधिनियम के अन्तर्गत उन बालकों को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम हो।

- इस अधिनियम में केन्द्र सरकार के समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठित किए जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय समन्वय समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु एक केन्द्रीय कार्यकारी समिति के लिए गठित किए जाने की भी व्यवस्था है।
- इसमें प्रत्येक राज्य में एक राज्य समन्वय समिति का गठन किया जाता है तथा इन्हीं के कार्यान्वयन हेतु एक समिति गठित की जाती है व साथ-साथ इसमें नियमित बैठक का आयोजन भी किया जाता है।
- विकलांग जन अधिनियम के अन्तर्गत बालकों की विकलांगता को समय से पहचानकर उसकी रोकथाम संबंधित प्रचार-प्रसार तथा शिक्षण-प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई है।
- विकलांग जन अधिनियम में धारा 26 से 31 के दौरान दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत यह निश्चित किया गया कि यदि बालक विकलांग है तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसे निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी-  
(a) वे बालक जो कि 5वीं कक्षा के पश्चात् पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना।

(b) 16 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के विकलांग बालकों हेतु अशंकात्मक कक्षाओं की स्थापना करना तथा विकलांग बच्चों को विशेष पुस्तकें तथा उपकरण आदि निःशुल्क देना।

- इस अधिनियम के अध्याय 6 के अनुसार बालकों हेतु विशेष सेवा योजना केन्द्रों, पदों को चिहनीकरण व आरक्षण की सुविधा देना। साथ-साथ इन्होंने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 3 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की कि विभिन्न सरकारें अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुरूप ही निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन देंगी। ये व्यक्ति वे होंगे जो कि कार्य शक्ति में 5% तक सामर्थ्य अथवा विकलांग व्यक्ति हों।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही रियायती दरों पर इन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जाती है। ताकि ये भवन, दुकान आदि का निर्माण कर सकें।
- अवरोध रहित वातावरण के लिए अधिनियम के अन्तर्गत विकलांग बालकों हेतु यातायात, भवन तथा राजकीय योजनाओं के अनुसार वातावरण प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
- विकलांगता को रोकने हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना तथा इनकी अनुकूल संरचनात्मक विशेषताओं के विकास हेतु अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान दिए गए हैं।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि विकलांगों हेतु प्रतिष्ठान या संस्था चलाने वाले व्यक्तियों को संस्था के पंजीकरण की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस विषय में राज्य सरकार को निर्देश है कि वह इस कार्य हेतु एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करे।
- विकलांगों हेतु ऐसे संस्थान की स्थापना करना जिसमें 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को रखना। साथ ही साथ ऐसे विकलांगों हेतु इन संस्थानों को स्थापित व संप्रेषित करना।
- केन्द्र सरकार द्वारा इस अध्याय को लागू करने हेतु एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करनी होगी। अतः राज्य स्तर पर भी एक विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था भी इसी अध्याय के अन्तर्गत की गई है। आयुक्त विकलांगों के अधिकारों को हटाने से संबंधित तथा विकलांगों के कल्याण तथा अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत को सुनेंगे तथा सरकार के कार्यों की समीक्षा के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि विकलांगों को उपलब्ध कराए जाने वाले अधिकार तथा सुविधाएँ संरक्षित हों। इस आयुक्त विकलांग जन कार्यालय की स्थापना इंदिरा भवन के दशम तल पर है। यहाँ पर बहुत सा सहयोगी स्टाफ भी कार्यरत है।
- इस अधिनियम में सरकार द्वारा ऐसे विकलांगों को रोजगार दिया जाएगा, जो बेरोजगार हैं, अथवा जो विशेष रोजगार कार्यालय में दो साल से अधिक समय से पंजीकृत हैं तथा जिन्हें कोई लाभकारी रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए बीमा योजनाएँ बनाई गई हैं।
- इस अधिनियम के अन्तिम अध्याय में प्रावधानित व्यवस्था के दुरुपयोग करने पर 20,000 रुपये तक जुर्माना तथा दो वर्ष की सजा का प्रावधान रख गया तथा सरकार को अनेक आवश्यक नियम बनाने का अधिकार है।

**विशेष शिक्षा हेतु वित्त (Financial Resources for Special Education)**—बालकों की शिक्षा में समानता लाने के लिए सामान्य बालकों की अपेक्षा बाधित बालकों को शिक्षित करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए परंतु आर्थिक साधनों की कमी के कारण बाधित बालकों की शिक्षा के लक्ष्यों को निम्नलिखित दशाओं में प्राप्त किया जा सकता है—

1. ऐसे बालक जो सामान्य प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षित किए जा सकते हैं—  
(अ) नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बालकों का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश।

(ब) पाठ्यक्रम को शिक्षा के साथ समायोजित करते हुए शिक्षा के कम से कम स्तर को सुनिश्चित करना एवं आवश्यकताओं के अनुसार बालकों को शिक्षण देना।

2. सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षण लेने वाले बालक। शिक्षा का स्तर बालकों की शक्ति के अनुरूप तय करना।
3. सामान्य बालकों के साथ शिक्षण करते हुए विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना।
4. माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में बाधित बालकों को शिक्षा देना।
5. विशिष्ट आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अध्यापकों के सेवाओं के मध्य या सेवाओं से पहले उनके उत्थान हेतु शिक्षा के कार्यक्रम बनाना और उन्हें बार-बार दोहराना।
6. बाधित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम तथा नौजवानों के लिए पुनःअभिविन्यास (Re-orientation) कार्यक्रम बनाना।

शारीरिक रूप से बाधित बालकों हेतु केन्द्र, राज्य तहसील तथा जिला स्तर पर इन बालकों को सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

बाधित बालकों की शिक्षा का भाग अध्यापकों, प्रशासकों तथा शिक्षा योजना बनाने वालों के प्रशिक्षण में सम्मिलित होगा। शिक्षण तथा प्रशिक्षण के जिला संस्थान (DIETS), अध्यापकों की शिक्षा केन्द्र (CTES) तथा शिक्षा के लिए उच्च अध्यापन शिक्षा संस्थान (IASE) का ध्यान आज विशेष रूप से अध्यापकों के प्रशिक्षण पर है तथा वे बाधितों की शिक्षा को और अधिक शक्ति देने हेतु प्रयत्नशील हैं।

बाधित बालकों हेतु साक्षरता कार्यक्रम भी चलाए गए। हमारे देश में शिक्षा हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यों पर बल देने की आवश्यकता है—

1. पर्याप्त संसाधन शिक्षण के क्षेत्र में उपलब्ध कराना।
2. बाधित संसाधन से व्यक्तियों को शिक्षा देना।
3. शिक्षा के कार्यक्रमों का समन्वित भाग होना।
4. साक्षरता अभियान बाधित व्यक्तियों की शिक्षा की योजना का शिक्षा के व्यावसायिक तथा अनौपचारिक शिक्षा (Non-Formal Education) का प्रमुख पक्ष होना।
5. गैर-सरकारी संस्थाओं को बाधित व्यक्तियों की शिक्षा हेतु विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार की संस्थाएँ जो कार्यरत हैं, उनके विकास हेतु प्रयास करना।

श्रम मंत्रालय दस्तकारी प्रशिक्षण योजना केन्द्र (CTS) तथा प्रशिक्षण योजना (ATS) शारीरिक रूप से बाधितों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है। इनके लिए कई व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र भी अलग से चलाये जा रहे हैं।

इसमें दस्तकारी तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं परंतु उनमें प्रशिक्षण प्रवेश हेतु अन्य अर्हताएँ हैं।

राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर बाधित करने हेतु आरक्षण भी लागू किया गया तथा आठवीं योजना के अंतर्गत भी इसे जारी किया गया। इस योजना के अंतर्गत 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों ने बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया।

### भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (Rehabilitation Council of India Act, 1992)

#### 6. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 का वर्णन कीजिए। (Describe Rehabilitation Council of India (RCI) Act 1992.)

उत्तर—भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना सन् 1986 में भारत सरकार द्वारा विकलांगों की शिक्षा-उनका निर्देशन तथा उनका पुनर्वास करने के लिए नई दिल्ली में की गई। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम सितम्बर 1992 ई. में लोकसभा द्वारा पास किया गया। इस परिषद् ने अपना कार्य जुलाई 1993 से आरम्भ किया भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम का सन् 2000 ई. में संशोधन किया ताकि इसे और प्रभावशाली बनाया जा सके।

भारतीय पुनर्वास परिषद् के मुख्य रूप से चार उत्तरदायित्व हैं—

1. विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना।
2. विकलांगों की शिक्षा तथा पुनर्वास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
3. विकलांगों को प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानवीकृत रूप प्रदान करना।
4. पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के केन्द्रीय पंजीकरण रजिस्टर में अंकित करना तथा उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन करना।

#### भारतीय पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य (Objectives of Rehabilitation Council of India)

भारतीय पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. विकलांगों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी नीतियों व कार्यक्रमों का संचालन तथा नियन्त्रण करना।
2. विकलांगों को शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों के लिए एक मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
3. विकलांगों को शिक्षा देने वाले तथा उन्हें पुनर्वास प्रदान करने वाले व्यक्तियों को उनके शैक्षिक स्तर तथा प्रशिक्षण स्तर के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना तथा उनकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना।
4. सम्पूर्ण देश में विकलांगों से सम्बन्धित सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में मानकों को एकरूपता के साथ लागू करना।
5. पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर में अंकित करना तथा उनका मूल्यांकन करना।
6. विकलांगों में पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र कोर्सों के लिए संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
7. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के सहयोग से सतत् एवं व्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
8. विकलांगों से सम्बन्धित देश की विभिन्न समस्याओं द्वारा दिए गए डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों में समन्वय स्थापित करना।
9. विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली विदेशी डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्सों को आदान-प्रदान के आधार पर मान्यता देना।

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम में समोवशी शिक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद् के चेयरमैन ए. जी. एस. आहलुवालिया ने कहा, “सरकारी नीति समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। भारत में लगभग 10 मिलियन बच्चे असमर्थ हैं और हम उनके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते। सरकार असमर्थ बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की नीति लेकर आई है। सरकार ने अपना कार्य कर दिया है।”

(The government policy is to promote inclusive education. There are about 10 million children with disabilities in India and we cannot have special schools for all of them. The government has come out with the policy of compulsory primary education for all children including those with disabilities. The government has done its job.)

आहलुवालिया ने कहा कि असमर्थ बालक हो कारणों से विद्यालयों में नहीं जा रहे हैं—

1. यदि माता-पिता जागरूक नहीं है तो वे असमर्थ बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे।
2. यदि अध्यापक असमर्थ बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं तो इनको विद्यालय भेजने का कोई फायदा नहीं है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम में इस दोनों घटकों पर ध्यान दिया है। अतः भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम में विकलांगों के पुनर्वास तथा समावेशी शिक्षा पर बल दिया है। इस अधिनियम में समावेशी शिक्षा पर बल दिया है। इस अधिनियम में समावेशी शिक्षा की सफलता के अनेक प्रावधान किए गए हैं।

### शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009)

#### 7. शिक्षा का अधिकार विधेयक-2009 पर विस्तृत विवेचना कीजिए। (Write a detailed note in Right to Education Act 2009.)

उत्तर—4 अगस्त, 2009 को देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक ‘द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल’ लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलवाना केन्द्र व राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया है।

शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 के ऐतिहासिक फैसले के 17 वर्षों बाद और संसद में इस बारे में 2002 में 86वां संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद यह विधेयक दोनों सदन में पारित हुआ है।

विधेयक : एक दृष्टि में...

- 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
- इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारों, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, जहाँ विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे।

## 80 | LAXMI EXAM NOTES [B.Ed. 2nd year] (M.D.U./C.R.S.U.)

- प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आयु वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना जरूरी होगा। इन 25 प्रतिशत सीटों पर 6-14 आयुवर्ग के बच्चों से फीस वसूलने पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
- स्कूलों की प्रबंध समिति में तीन चौथाई सदस्य बच्चों के अभिभावकों को बनाना होगा।
- बगैर सरकारी मान्यता के चल रहे स्कूलों पर पहली बार एक लाख रु. और फिर मान्यता मिलने तक हर रोज 10 हजार रु. के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों को बगैर टी.सी. के भी बच्चों को दाखिला देना पड़ेगा।
- कोई भी आम नागरिक स्थानीय प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारी को ऐसे स्कूलों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए शिकायत दे सकता है जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से इंकार कर रहे हैं।
- अगर किसी ग्रामीण या शहरी इलाके में सरकारी, निजी या कोई भी स्कूल नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को पास के गांव या शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिर सरकार के लिए तीन साल के अंदर-अंदर उस इलाके में निजी या सरकारी स्कूल खुलवाना कानूनन आवश्यक होगा।
- अगर बच्चे के माँ-बाप उसकी फीस देने में असमर्थ हैं, तो सरकारी स्कूल के रेट पर सरकार उसकी पढ़ाई का खर्च अदा करेगी। निजी स्कूलों के लिए ऐसे बच्चों को प्रवेश परीक्षा या डोनेशन देने के लिए मजबूर करने की मनाही होगी। ऐसा करने वाले स्कूलों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
- बच्चों को शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
- अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर पहले 25 हजार और गलती दोहराने पर 50 हजार जुर्माना।
- आपात सेवाओं, जनगणना और निर्वाचन ड्यूटी छोड़कर अध्यापकों की अन्य कामों में ड्यूटी नहीं।
- अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे।
- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (घ) के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता की परीक्षा के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना अंश प्रदान कर सके।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढाँचा विकसित करेगी।
- केन्द्रीय सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी।
- केन्द्रीय सरकार नवीकरण, अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करायेगी।

**समुचित सरकार के कर्तव्य (Duties of Appropriate Government)**

- प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायेगी। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की, बाध्यता अभिप्रेत है।

- धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी।
- धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायेगी।
- प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगी।

**अधिनियम के तहत विद्यालय का उत्तरदायित्व**

- धारा (2) (खण्ड-द्व)-उपखंड-1 में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रविष्ट सभी छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा।
- उपखंड-II में विनिर्दिष्ट विद्यालय उसे प्राप्त अनुदान के व्यय का न्यूनतम 25 प्रतिशत बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर व्यय करेगा।
- उपखंड-III & IV के अनुसार पहली कक्षा में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देना होगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा होने तक प्रदान करेगा।

**प्रवेश के समय फीस और अनुवीक्षण पर रोक**

- उपधारा (1)—कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या उसके संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा।
- उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर—
- प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से, जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस से दस गुना तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रु. तक और इसके पश्चात् होने वाले उल्लंघनों पर 50,000 रु. तक हो सकेगा।
- प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1856 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर जो विहित किया जाए, अवधारित की जाएगी।

**प्रवेश रोकने एवं निष्कासन सम्बन्धी प्रतिषेध**

- किसी बालक को आयु का सबूत नहीं होने के कारण किसी विद्यालय के प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
- किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में नहीं रोका जा सकेगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।

**शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध**

- विधेयक में किसी भी बालक के शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
- उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लागू सेवानियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**विद्यालय के मान और मानक**

- धारा (18)—किसी विद्यालय को इस धारा के अधीन तब तक मान्यता नहीं दी जा सकेगी, जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता हो।

- इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में निर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहाँ वह ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में अपने खर्च पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठायेगा।
- उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहने वाले विद्यालय को धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा विद्यालय की अनुदत्त मान्यता को उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा।

### विद्यालय प्रबंध समिति

- धारा-2 के खण्ड (द) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यालय के माता-पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा।
- ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे।
- अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
- समिति को 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

### शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा के नियम

- कोई व्यक्ति जिसके पास केन्द्र सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा अधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं होने पर उपधारा (1) के अधीन वहाँ केन्द्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए लेकिन ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास अधिनियम के प्रारम्भ पर उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगा।
- शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

### शिक्षकों के कर्तव्य

- धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्न कर्तव्यों का पालन करेगा—
  1. विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन।
  2. धारा 29 उपधारा (29) पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।
  3. विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना।
  4. प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और पदानुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना।
  5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

### शिक्षकों की शिकायतों को दूर करना

- उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला/वाली कोई शिक्षक/शिक्षिका उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।
- ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक/शिक्षिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- शिक्षक की शिकायतों को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से दूर किया जाएगा जो विहित की जाएं।

### छात्र-शिक्षक अनुपात

- अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से 6 महीने के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाकर रखा जाए।
- उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन हेतु किसी विद्यालय में तैनात किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।
- कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी।

### प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। शिक्षा प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखेगा—
  1. संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों में अनुरूपता
  2. बालक का सर्वांगीण विकास
  3. बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना
  4. पूर्णतः मात्रात्मक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास
  5. बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकट्टीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण
  6. शिक्षा का माध्यम जहाँ तक सम्भव हो, बालक की मातृभाषा में होगा।
  7. बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंतामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना
  8. बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोगी करने की योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन

### बालकों के अधिकार का संरक्षण

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की, यथास्थिति धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा—
  1. इस अधिनियम द्वारा उसके द्वारा उपबोधित अधिकारों के रक्षा उपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों की सिफारिश करना।
  2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार सम्बन्धी परिवादों की जाँच करना।
  3. उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथाउपबन्धित आवश्यक उपाय करना।

- उक्त आयोगों को उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से सम्बन्धित किसी विषय में जाँच करते समय वही शक्तियाँ होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई हैं।
- जहाँ किसी राज्य में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गाँठत नहीं किया गया है, वहाँ समुचित सरकार उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

### बालकों की शिकायतों को दूर करना

- धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।
- उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन माह की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
- स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
- उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन या उपबन्धित, यथास्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

### राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन

- केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी जिसमें पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से की जाएगी।
- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

### राज्य सलाहकार परिषद् का गठन

- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी जिसमें पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।
- राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएंगी।

### विद्यालय के मान और मानक

क्र.सं.	मद	मान और मानक
1.	शिक्षकों की संख्या (क) कक्षा 1 से 5 के लिए	प्रवेश किए गए बालक शिक्षकों की संख्या 60 तक 2 61 से 90 3 91 से 120 के मध्य 4 121 से 200 के मध्य 5 150 बालकों से अधिक 5 धन एक प्रधान अध्यापक 200 बालकों से अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।
	(ख) कक्षा 6 से 8 के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो— (i) विज्ञान और गणित (ii) सामाजिक अध्ययन (iii) भाषा (2) प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। (3) जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है, वहाँ— (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक— (क) कला शिक्षा, (ख) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, (ग) कार्य शिक्षा
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे— (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय-सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष (ii) बाधा मुक्त पहुँच (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा (v) जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहाँ एक रसोई (vi) खेल का मैदान (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं

क्र.सं.	मद	मान और मानक
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस
		(ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस
		(iii) पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे
		(iii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराये जाएंगे।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराये जाएंगे।



8. समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2006 में क्या प्रावधान किए गए हैं?

**(What are the provisions made in National Policy for Persons with disabilities 2006 with reference to Inclusive Education?)**

अथवा

असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2006 की अनुशंसाओं का वर्णन कीजिए।

**(Explain the recommendations of National Policy for disabled person, 2006.)**

अथवा

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति विकलांग, 2006 के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए।

**(Discuss the chief features of National Policy for persons with disabilities 2006 with reference to Inclusive Education.)**

अथवा

विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कीजिए।

**(What are the salient features of National policy for persons with Disabilities, 2006 with reference to Inclusive Education?)**

उत्तर—

- सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए शिक्षा सबसे उपयोगी माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 21-क में शिक्षा को मूलभूत अधिकार माना गया है तथा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995

की धारा 26 के अनुसार, कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 55 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति अनपढ़ हैं। विकलांग व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाए जाने की आवश्यकता है।

- सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। इन बच्चों में विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। 15-18 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग बच्चों को एकीकृत शिक्षा योजना (आई. ई. डी. सी.) के अन्तर्गत निशुल्क शिक्षा दी जाती है।
- भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल स्तर के बाद अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है।
- विकलांग व्यक्तियों को उच्च व व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थाओं तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती है।
- सुविधारहित तथा अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में विद्यमान संस्थाओं को अनुकूल बनाकर या संस्थाओं की शीघ्र स्थापना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रियाकलापों के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों में कौशल विकास बढ़ाने के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आई. ई. डी. सी. योजना के अन्तर्गत विशेष शिक्षकों, पुस्तकों और स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन दृष्टि विकलांगों के लिए रीडर भत्ता, हॉस्टल भत्ता, अनुदेशन सामग्री की खरीद या उत्पादन, सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि विभिन्न सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- विकलांग बच्चों की पहचान, सम्मिलित स्कूलों में इनका दाखिला तथा इनकी शिक्षा जारी रखने के लिए सरकार की ओर से नियमित सर्वेक्षणों द्वारा सफल प्रयास किए जाते हैं। सरकार विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त तरीके की शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकों, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल भवनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
- विकलांग महिलाओं की विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए उनके लिए शिक्षा, रोजगार तथा अन्य पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। विकलांग महिलाओं के लिए विशेष शैक्षिक एक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

### विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा [Education of Person with Disabilities]

विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की सन् 2020 तक स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त पहुँच हो। इसके लिए असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा गया है।

- प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर विकलांग बच्चों की संख्या तथा शिक्षा जारी रखने की वार्षिक समीक्षा करने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी।
- विकलांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- अनेक विकलांग बच्चे जो समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं हो सकते, को विशेष स्कूलों में शैक्षिक सेवाएँ मिलती रहेगी। विशेष स्कूल मुख्य धारा की समावेशी शिक्षा में शामिल होने के लिए विकलांग बच्चों को तैयार करने में सहायता करेंगे।

4. विभिन्न विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जाएगा। जिनमें उनकी आवश्यकताओं तथा क्षमताओं का ध्यान रखा जाएगा। गणित की पढ़ाई केवल एक भाषा सीखना आदि जैसी कुछ रियायत देकर परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाएगा जिससे कि उसे विकलांगों के अनुकूल बनाया जा सके।
5. 6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी तथा इसके बाद उनका आवश्यक उपचार किया जाएगा ताकि वे समावेशी शिक्षा में भाग ले सकें।
6. मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केन्द्रों में शिक्षा सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
7. कुछ स्कूल विकलांग बच्चों का नामांकन नहीं करते हैं। ऐसा मुख्य रूप से स्कूल अधिकारियों तथा शिक्षकों की विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के बारे में क्षमता की कमी के कारण होता है। विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए स्कूल के शिक्षकों, प्राचार्य तथा अन्य कर्मचारियों से जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
8. विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विकलांग छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकलांगता केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें विकलांग छात्रों के लिए कैम्पस में कक्षा, छात्रावास तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके।
9. सभी स्कूलों को सभी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त बनाया जाएगा ताकि सभी बच्चों की इन स्कूलों तक पहुंच हो।
10. शिक्षण का माध्यम तथा उसकी पद्धति को सामान्य तथा बाधित बच्चों के अनुकूल बनाया जाएगा ताकि सभी बच्चों का शैक्षिक विकास संभव हो सके।
11. तकनीकी, अनुपूरक तथा विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था एक ही स्कूल में उपलब्ध करवाई जाएगी, जहाँ पर कुछ स्कूल आसानी से जा सके।
12. स्कूलों में सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। स्कूलों में सामान्य पुस्तकालयों, ई. पुस्तकालयों, ब्रेल पुस्तकालयों एवं टाकिंग पुस्तकालयों, स्रोत कक्षों आदि की स्थापना करने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
13. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जाएगा तथा उनका विस्तार देश के अन्य भागों में किया जाएगा।
14. विकलांग व्यक्तियों द्वारा आपसी बातचीत के लिए सांकेतिक भाषा, वैकल्पिक व अभिवृद्धि सम्बन्धी संप्रेषण माध्यमों को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा इनका मानवीकरण किया जाएगा। इन्हें लोकप्रिय भी बनाया जाएगा।
15. विद्यालयों को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाएगा जो विकलांग क्षेत्रों की सुविधा के अनुसार हो और जहाँ से यात्रा दूरी कम हो। विकल्प के तौर पर, राज्य, समुदाय एवं गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से व्यवहार्य यात्रा के प्रबन्ध किए जाएंगे।
16. स्कूलों में माता-पिता अध्यापक परामर्श तथा शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
17. कुछ मामलों में विकलांगता, निजी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के स्वरूप के कारण गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी।
18. शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का विशेष महत्त्व है। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को कम्प्यूटर के प्रयोग का समुचित ज्ञान हो।

19. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में सहायता दिए जा रहे विशेष स्कूल, बढ़ती हुई समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केन्द्र बन जाएंगे। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आवश्यकता के अनुसार नए विशेष विद्यालय खोले जाएंगे।
20. विकलांग बच्चों के प्रबन्ध सम्बन्धी मुद्दों पर एक मॉड्यूल अध्यापकों के प्रवेश तथा सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना।



### 2.3 असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका (Role of Organization for Education of Children with Disabilities)

9. असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए।  
(Describe the role of organizations for education of children with disabilities.)

उत्तर—असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित संगठनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है—

#### 1. भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India)

भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना सन् 1986 में भारत सरकार द्वारा विकलांगों की शिक्षा, उनका निर्देशन तथा उनका पुनर्वास करने के लिए नई दिल्ली में की गई। इसका अधिनियम 1992 में लोकसभा पास किया गया। इस परिषद् ने अपना कार्य जुलाई, 1993 से आरम्भ किया। भारतीय पुनर्वास परिषद् के मुख्य रूप से चार उद्देश्य हैं—

1. विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना।
2. विकलांगों की शिक्षा तथा पुनर्वास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
3. विकलांगों को प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानवीकृत रूप प्रदान करना।
4. पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के केन्द्रीय पंजीकरण रजिस्टर में अंकित करना तथा उनकी गतिविधियों का मूल्यांकन करना।

#### भारतीय पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य (Objectives of Rehabilitation of Council of India)

भारतीय पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. विकलांगों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी नीतियों व कार्यक्रमों का संचालन तथा नियन्त्रण करना।
2. विकलांगों को शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों के लिए एक मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
3. विकलांगों को शिक्षा देने वाले तथा उन्हें पुनर्वास प्रदान करने वाले व्यक्तियों को उनके शैक्षिक स्तर तथा प्रशिक्षण स्तर के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना तथा उनकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना।
4. सम्पूर्ण देश में विकलांगों से सम्बन्धित सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में मानकों को एकरूपता के साथ लागू करना।

5. पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर में अंकित करना तथा उनका मूल्यांकन करना।
6. विकलांगों में पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र कोर्सों के लिए संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
7. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के सहयोग से सतत एवं व्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
8. विकलांगों से सम्बन्धित देश की विभिन्न समस्याओं द्वारा दिए गए डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों में समन्वय स्थापित करना।
9. विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली विदेशी डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्सों को आदान-प्रदान के आधार पर मान्यता देना।

## 2. विभिन्न विकलांगताओं की राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Different Disabilities)

विभिन्न विकलांगताओं से सम्बन्धित अनेक राष्ट्रीय संस्थान हैं। इन राष्ट्रीय संस्थानों का विवरण इस प्रकार है—

1. **राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान—देहरादून (National Institute for the Visually Handicapped Dehradun)**—राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की स्थापना 1939 में देहरादून में की गई। 1950 ई. में पूर्ण दृष्टिबाधित युवकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला गया। इस प्रशिक्षण केन्द्र में ब्रेल लिपि का प्रेस तथा आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों के लिए पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इन बच्चों के लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है। इस संस्थान के अन्दर छः विभाग हैं—1. विद्यालय विभाग, 2. पुस्तकालय विभाग, 3. प्रशिक्षण विभाग, 4. शोध विभाग, 5. औद्योगिक मनोविज्ञान का विभाग, 6. सहायक सामग्री तथा अन्य सूक्ष्म सुविधाओं का विभाग।

राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून के अन्तर्गत दो मुख्य प्रकार के विद्यालयों का संचालन किया जाता है—(i) पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों हेतु विद्यालय। (ii) आंशिक रूप से बाधित बच्चों हेतु विद्यालय। पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि के लिए अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र भी है।

2. **मानसिक रूप से बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (National Institute for mentally Handicapped)**—मानसिक रूप से बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना 1984 ई. में की गई। यह संस्थान देश की सबसे उच्च प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान है जो मानसिक रूप से बाधित बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का संचालन करती है। इसका मुख्यालय शिकन्दाबाद में है। इस राष्ट्रीय संस्थान ने देश के अंदर तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में हैं। 1986 में नई दिल्ली में मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय की स्थापना की। इस संस्थान द्वारा देश के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम के संचालक तथा उनकी मान्यता की व्यवस्था की जाती है।

मानसिक रूप से बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (i) मानसिक रूप से बाधित बालकों के विकास के लिए शिक्षक तैयार करना।
- (ii) इन बालकों के पुनर्वास तथा देख-भाल के लिए समुचित प्रतिमानों का विकास करना।
- (iii) इन बालकों के आचरण तथा सहयोग सम्बन्धी समस्याओं को पहचान तथा समाधान करना।
- (iv) इन बालकों से सम्बन्धित समाजसेवी संस्थाओं को परामर्श देना कि इन बालकों की सहायता किस प्रकार करें।
- (v) इन बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करना।

इस संस्थान द्वारा तीन प्रकार की उपाधि तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है—

- (i) मानसिक रूप से बाधित बालकों के शिक्षण हेतु अध्यापक की तीन वर्षीय डिग्री।
- (ii) इन बालकों के शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण का एक वर्षीय डिप्लोमा
- (iii) इन बालकों के शिक्षण के अध्यापकों के लिए परास्नातक डिप्लोमा।

3. **राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान—कोलकाता**—राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् 1979 ई. में कोलकाता में की गई। इस संस्थान के अन्तर्गत अस्थि बाधित बच्चों की शोध कार्यों द्वारा पहचान की जाती है तथा उनका उपचार करने के बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। इसके अन्तर्गत अस्थि बाधित बच्चों के शिक्षण हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान में विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान अनेक शोध कार्य करती है जिससे विभिन्न शारीरिक बाधाओं के उपचार तथा सुधार की व्यवस्था की जाती है।

4. **अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान—मुम्बई (Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped—Mumbai)**—अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान की स्थापना श्रवण बाधित बालकों के लिए सन् 1978 में मुम्बई में की गई। इस संस्थान ने अपना कार्य सन् 1981 ई. में आरम्भ किया। इस संस्थान के भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय केन्द्र की हैं। श्रवण बाधित बच्चों के प्रशिक्षण के लिए में हैदराबाद में प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया जहाँ पर श्रवण बाधितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस संस्थान द्वारा श्रवण बाधितों के शिक्षण हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उन्हें बी. एस. सी., बी. एड. तथा डी. एड. की उपाधि भी दी जाती है।

## 3. संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (Composite Regional Centres [CRCs]) (June 2018)

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालय द्वारा असमर्थ लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए की गई। सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की गई—

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) | 2. सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश) |
| 3. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)    | 4. भोपाल (मध्य प्रदेश)       |
| 5. गुवाहटी (आसाम)         | 6. पटना (बिहार)              |
| 7. अहमदाबाद (गुजरात)।     |                              |

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र असमर्थ बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास की सुविधा प्रदान करते हैं।

संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. असमर्थ व्यक्तियों के लिए पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना।
2. समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धान्तों के आधार पर मेडिकल, शैक्षिक तथा रोजगार सेवाओं को जोड़ना।
3. स्वायत्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना तथा उनकी सहायता करना।
4. क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर उपर्युक्त पुनर्वास सेवाएँ विकसित करना।
5. क्षेत्र में असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में शोध करना।
6. असमर्थ व्यक्तियों के सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
7. समुदाय के लोगों में जागरूकता लाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
8. असमर्थ व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों तथा सहायक सेवाओं की व्यवस्था करना।
9. असमर्थ लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार, पुनर्वास, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करना।

## 4. जिला असमर्थता पुनर्वास केन्द्र (District Disability Rehabilitation Centres)

जिला असमर्थता पुनर्वास केन्द्र योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा शुरू की गई। यह योजना भारत में 1999-2000 से शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जिला स्तर पर असमर्थ व्यक्तियों को आधारभूत सेवाएँ तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना है। जिला असमर्थता पुनर्वास केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में असमर्थ व्यक्तियों के लिए सहायार्थ सेवाएँ प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास है। ये केन्द्र असमर्थ व्यक्तियों की पहचान करके उनके लिए सहायार्थ सेवाओं का प्रबन्धन करते हैं। जिला असमर्थता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास है। जिला असमर्थता पुनर्वास केन्द्रों में जिला कलेक्टर के अधीन जिला प्रबन्ध टीम कार्य करती है जो जिला स्तर पर असमर्थ व्यक्तियों के पुनर्वास तथा उनके लिए सहायार्थ सेवाओं के बारे में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेती है।

10. गैर स्वायत्त सरकारी संगठन।  
(Non Voluntary Govt. Organizations.)

उत्तर-गैर स्वायत्त सरकारी संगठन (Non Voluntary Govt. Organizations)-गैर-सरकारी संगठन वे संगठन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। गैर-सरकारी संगठन एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन होता है जिसमें लोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिले-जुलकर एक साथ कार्य करते हैं। इस संगठन पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं होता।

असमर्थ बालकों की शिक्षा में भी गैर-सरकारी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। गैर सरकारी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। गैर-सरकारी संगठनों ने असमर्थ व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु सराहनीय सहयोग दिया है। इस समय लगभग 400 महत्त्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन है जो असमर्थ व्यक्तियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इनमें प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं-

1. महावीर विकलांग केन्द्र जयपुर
2. नेवेदिक प्रास्थैरिक केन्द्र चंडीगढ़
3. ठाकुर हरिप्रसाद मानसिक मन्दित संस्थान हैदराबाद।

इस क्षेत्र में पाण्डेय तथा अडवाणी ने 1995 में इस दिशा में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थानों की सूची प्रस्तुत की। गैर-सरकारी संगठन असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए नवीन ब्यूरचनाओं का प्रयोग करके इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संगठन सहायार्थ सेवाओं के साथ अनेक योजनाएँ चला रहे हैं ताकि असमर्थ बालकों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।



LAXMI®

EXAM NOTES


समावेशी विद्यालय का सृजन  
[CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL]

[ Paper-3 ]

## UNIT-III

## 3. Special Needs &amp; Inclusion

- Special needs in terms of learning experiences in the context of disabilities and their learning styles.
- Schools awareness and readiness for addressing learning difficulties.
- Concept of an inclusive school- infrastructure and accessibility, awareness and positive attitude towards disability, human resources, whole school approach.



-: प्रकाशक :-

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

## विशिष्टता आवश्यकताएँ तथा समावेशन [Special Needs and Inclusion]

### 3.1 असमर्थताएँ तथा उनकी अधिगम शैलियों के संदर्भ में अधिगम अनुभवों की विशिष्ट आवश्यकताएँ (Special Needs in Terms of Learning Experience in the Context of Disabilities and their Learning Styles)

1. विभिन्न अधिगम शैलियों का वर्णन कीजिए।  
(Describe various learning styles?)

अथवा

अधिगम शैली से आप क्या समझते हैं? अधिगम शैलियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।  
(What is learning styles? Describe various types of learning styles.)  
(June 2018)

उत्तर—अधिगम की शैलियाँ (Learning Styles)—अधिगम के सम्बन्ध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग अधिगम शैलियों का वर्णन किया है। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण अधिगम शैलियों का वर्णन इस प्रकार है—

1. दृश्य शैली (Visual Style)—दृश्य शैली अधिगम की वह शैली है जिससे अधिगमकर्ता वस्तुओं के को देखकर अधिगम करते हैं। अधिगमकर्ता चित्र, चार्ट तथा अन्य वस्तुओं को देखकर अधिगम करता है।
2. श्रव्य शैली (Aural Style)—अधिगम की श्रव्य शैली वह शैली है जिसमें अधिगमकर्ता ध्वनियों तथा संगीत सुनकर अधिगम करता है। छात्र विभिन्न श्रव्य साधनों की सहायता से अधिगम करता है।
3. शाब्दिक शैली (Verbal Style)—अधिगम की शाब्दिक शैली वह शैली है जिसमें अधिगमकर्ता बोलकर या लिखकर अधिगम करता है।
4. शारीरिक शैली (Kinesthetic/Physics Style)—अधिगम की शारीरिक शैली वह शैली है जिसमें अधिगमकर्ता शारीरिक हलचल द्वारा अधिगम करता है। अधिगम में अनेक क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो शारीरिक क्रियाओं से सम्बन्धित होती हैं। चेहरे का हावभाव, अशाब्दिक भाषा तथा अनेक शारीरिक क्रियाएँ अधिगम की शारीरिक शैली के अन्तर्गत आती हैं।
5. तर्कयुक्त शैली (Logical Styles)—तर्कयुक्त अधिगम शैली वह शैली है जिसमें अधिगमकर्ता तर्कपूर्वक ढंग से सीखता है। तर्कपूर्वक क्रियाएँ शाब्दिक तथा अशाब्दिक ढंगों से हो सकती हैं।

**6. सामाजिक शैली (Social Styles)**—अधिगम की सामाजिक शैली में अधिगमकर्ता समूह में सीखता है। सामूहिक शैली में वाद-विवाद परिचर्या, सम्मेलन, छात्र सभा, कार्य-क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

**7. स्वाध्याय शैली (Self Study)**—स्वाध्याय शैली अधिगम की वह शैली है जिसमें अधिगमकर्ता अकेला अधिगम कार्य करता है। इसमें स्वाध्याय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

### अन्य महत्वपूर्ण अधिगम शैलियाँ/विधियाँ

**(A) करके सीखना (Learning by Doing)**—अधिगम के लिये इसे उत्तम विधि माना जाता है। इस विधि द्वारा छात्र स्वयं काम करते हैं तथा काम करके सीखते रहते हैं। किसी कार्य को करने से उस कार्य के चिह्न मस्तिष्क पर स्पष्ट रूप से अंकित हो जाते हैं, जिससे बच्चा प्रभावी ढंग से सीखने में सफल हो जाता है। अतः बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे शीघ्र सीख जाते हैं क्योंकि उस कार्य को करने में वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं तथा उस कार्य को करने की स्वयं योजना बनाते हैं तथा उस योजना के अनुसार कार्य करके उसे पूरा करते हैं।

वे स्वयं उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि वे उसे पूरा करने में सफल हुए या असफल। यदि असफल होने का एहसास हो तो वे अपनी त्रुटियों की ओर नजर डाल कर उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। अतः करके सीखने की विधि कई विषयों के अध्ययन में अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होती है, जैसे विज्ञान के विकास।

**(B) सम्पूर्ण तथा अंश विधि (Whole and Part Method)**—गैस्टालटवादियों ने शिक्षा में प्रत्यक्षीकरण (Perception) को महत्त्व दिया है। बालक जो कुछ भी सीखता है वह पूर्ण रूप से सीखता है। अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को पहले समस्या का पूर्ण ज्ञान करा दे। इसके पश्चात् विद्यार्थी स्वयं ही हल की तलाश कर लेंगे। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह सम्पूर्ण विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये उत्तम विधि है।

अंशविधि में पूरे कार्य को उसके विभिन्न अंशों या हिस्सों में बांटा जाता है। पहले एक अंश या भाग या हिस्से को याद किया जाता है या सीखा जाता है, फिर दूसरे हिस्से को तथा फिर अगले हिस्सों को।

**रीड (Reed)** के अनुसार यदि सीखी जाने वाली सामग्री लम्बी हो तो सम्पूर्ण विधि और अंश विधि का मिलाप सम्पूर्ण तथा अंश विधि के अकेले रूप से अधिक कुशल सिद्ध होगा। **हाना वाल्ट (Hana Walt, 1931-34)** ने चूहों तथा मनुष्यों पर प्रयोग करके बताया है कि सम्पूर्ण विधि अंश विधि की अपेक्षा निश्चित तौर से अच्छी है।

**सम्पूर्ण तथा अंशविधि को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting whole & Part Method)**—

- योग्यता (Ability)**—अधिक योग्य एवं बुद्धि वाले बच्चे सम्पूर्ण विधि को अधिक प्राथमिकता देते हैं तथा बुद्धि वाले अंश विधि को।
- अभ्यास की अवस्था (Stage of Practice)**—आरम्भ में अंश विधि से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं लेकिन बाद में अभ्यास होने पर सम्पूर्ण विधि अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। अतः लगातार अभ्यास करते रहने से सम्पूर्ण विधि की उपयोगिता बनी रहती है।
- आयु (Age)**—बच्चे अधिकतर अंश विधि से ज्यादा सीखते हैं, जबकि प्रौढ़ व्यक्ति सम्पूर्ण विधि से।
- सामग्री की लम्बाई (Length of Material)**—साधारण लम्बाई वाले कार्य के लिये सम्पूर्ण विधि लाभकारी है जबकि लम्बे कार्य के लिये अंश विधि उपयुक्त रहती है।
- सामग्री की कठिनाई (Difficulty of Material)**—कठिन सामग्री के लिये भी सम्पूर्ण विधि उपयुक्त नहीं रहती। इसके लिये अंश विधि ठीक है।
- सामग्री की सार्थकता (Meaningfulness of Material)**—सार्थक सामग्री सम्पूर्ण विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से सीखी जा सकती है।

**सम्पूर्ण विधि के लाभ (Advantages of Whole Method)**—

- इस विधि का आधार समझ तथा सूझ है।
- यह विधि विद्यार्थियों के ध्यान को सशक्त रखती है।
- उच्च बुद्धि वाले बच्चे इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं।
- सार्थक तथा साधारण कार्यों के लिये यह उत्तम विधि है।

**सम्पूर्ण विधि की त्रुटियाँ (Demerits of Whole Method)**—

- उन्नति का ज्ञान नहीं (No information regarding progress)**—सम्पूर्ण विधि में बालक के अधिगम की उन्नति का ज्ञान नहीं हो पाता।
- लम्बे कार्यों के लिये कम लाभदायक (Less useful in Lengthy Tasks)**—लम्बे कार्यों के लिये यह विधि कम उपयोगी है।
- बोरियत (Boredom)**—सम्पूर्ण विधि के दौरान कार्य को सम्पूर्ण विधि द्वारा सीखना होता है, जिससे सीखने वाला व्यक्ति ऊब जाता है।
- छोटे बच्चों के लिये अनुपयुक्त (Not Proper for small children)**—छोटे बच्चों के लिए सम्पूर्ण विधि उपयोगी सिद्ध नहीं होती क्योंकि छोटे बच्चे कार्य को सम्पूर्ण रूप से सीखने के लिये परिपक्व नहीं होते।
- मंदबुद्धि बच्चों के लिये उचित नहीं (Not Proper for mentally retarded children)**—सम्पूर्ण विधि द्वारा मंदबुद्धि बच्चों का अधिगम कदापि नहीं हो सकता।
- कठिन कार्यों के लिये उपयुक्त नहीं (Not appropriate for difficult tasks)**—कठिन कार्यों के लिये सम्पूर्ण विधि लाभकारी सिद्ध नहीं होती।

**अंश विधि के लाभ और हानियाँ (Advantages and Demerits of Part Method):**

यदि हम ध्यान से विचार करें तो हम देखेंगे कि सम्पूर्ण विधि के सभी दोष अंश विधि द्वारा दूर किये जा सकते हैं। जैसे, अंश विधि में विद्यार्थी बोर महसूस नहीं करते, उन्हें अपनी उन्नति का ज्ञान होता रहता है, लम्बे कार्यों के लिये उपयोगी है, कठिन कार्यों के लिये उत्तम है तथा छोटे और मंदबुद्धि बालकों को भी सीखने में लाभकारी है।

लेकिन अंश विधि में रट्टा लगाने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें सूझबूझ का प्रयोग कम होता है। यह विधि प्रौढ़ों तथा उच्च बुद्धि वाले बालकों के लिये अधिक उपयोगी नहीं है।

**(C) पड़ताल विधि (Recitation Method)**—इस विधि में भी संयम की अहम भूमिका होती है। पड़ताल से अभिप्राय है : स्वयं को सुनाना। दूसरे शब्दों में, विद्यार्थी स्वयं याद करता है तथा स्वयं को सुना कर ही स्वयं के अधिगम की पड़ताल करता रहता है। इस विधि में अध्ययन सामग्री को एक-दो बार पढ़ लिया जाता है या स्मरण कर लिया जाता है और फिर उसे बिना देखे दोहराया जाता है। जो बातें भूल जाती हैं उन्हें फिर से देख कर याद कर लिया जाता है।

**गेट्स (Gates)** ने अपने एक अध्ययन में पाठ को निरन्तर दोबारा पढ़ने से पड़ताल की उपयोगिता दिखाई है। **स्पीट्ज़र (Spitzer)** के अनुसार पड़ताल विधि सामग्री को कण्ठ करने की योग्यता बढ़ाती है।

**होव्लैंड (Hovland)** ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि पड़ताल करने वाले दल ने पड़ताल न करने वाले दल से अधिक अंक अर्जित किये।

**पड़ताल के गुण (Advantages of Merits of Recitation Methods)**—

- इस विधि से लक्ष्य-केन्द्रित होने से सहायता मिलती है।
- इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहता है।
- यह विधि पुनर्बलन (Reinforcement) का कार्य भी करती है।

- (iv) त्रुटियों तथा सही उत्तरों के बारे में यह विधि ठोस एवं प्रगतिशील सूचना प्रदान करती है।
- (v) यह एक स्वतंत्र प्रकृति की विधि है।
- (vi) इस विधि में थकान और बोरियत कम होती है।

#### पड़ताल विधि के दोष (Demerits of Recitation Methods) :

- (i) प्रारम्भिक स्तरों पर पड़ताल विधि उपयोगी नहीं।
- (ii) पड़ताल विधि द्वारा सीखने से कई बार बहुत-सी त्रुटियाँ रह जाती हैं।
- (iii) कई बार विद्यार्थी को बहुत अधिक बार पढ़ने के पश्चात् ही पड़ताल विधि में सफलता मिलती है जिससे विद्यार्थी का उत्साह बढ़ने की बजाय कम ही होता है।

#### (D) अवकाश सहित और अवकाश रहित विधि (Spaced and Unspaced Method of Learning)

अवकाश सहित अधिगम विधि को विभाजित अधिगम (Distributed Learning) भी कहा जाता है। इस विधि से अभिप्राय यह है कि एक पाठ सीख लेने के बाद कुछ आराम कर लिया जाये। दूसरे शब्दों में, यह प्रयास-विश्राम-प्रयास (Try-Rest-Try) विधि है। जैसे, यदि कोई कार्य 1 घंटे में होने वाला हो तो उसे हर रोज दो-दो घंटे में करके सीख लिया जाये तो उसे 'अवकाश सहित' विधि कहते हैं।

अवकाश रहित विधि को निरन्तर-सीखना या संचित विधि (Massed Learning) भी कहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि हम एक पाठ सीखने के बाद से फिर से दोहराते हैं तथा बीच में किसी प्रकार का अवकाश नहीं होता। अर्थात् इसमें निरन्तर कार्य किया जाता है। लेकिन इस विधि में थकान और बोरियत दोनों ही तत्त्व पैदा होने लगते हैं।

किम्बल और शैटल (Kimble and Shatel) के अनुसार अवकाश सहित अधिगम अवकाश रहित अधिगम से शीघ्र होता है।

#### अवकाश सहित सीखने के गुण (Advantages of Spaced Method of Learning)-

- (i) इस विधि के दौरान विश्राम दिया जाता है। जिससे सीखी गई सामग्री इकट्ठी हो सकती है।
- (ii) अवकाश के दौरान विद्यार्थी सीखी हुई सामग्री पर फिर से विचार करता है तथा दूसरे ज्ञान के साथ जोड़ता है। इसमें सीखी हुई सामग्री स्थाई हो जाती है और स्मरण-शक्ति पर किसी किस्म का बोध नहीं पड़ता।
- (iii) इसमें थकान भी नहीं होती तथा विश्राम मिल जाने से फिर पहले जैसी रुचि उत्पन्न हो जाती है।
- (iv) यह विधि कठिन कार्यों को सीखने के लिये उपयोगी रहती है।
- (v) इस विधि में रटने की प्रक्रिया प्रभावी रहती है।
- (vi) लम्बे कार्यों को सीखने के लिये यह विधि उपयुक्त है।
- (vii) बच्चों के लिये यह अधिक लाभकारी है।
- (viii) कम बुद्धि वाले विद्यार्थी इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं।

#### अवकाश सहित सीखने के दोष (Limitations of Spaced Method) :

- (i) यह विधि सप्रत्ययों और समस्या समाधान के लिये अधिक उपयोगी नहीं है।
- (ii) इस विधि में कई बार मानसिक एकाग्रता भंग हो जाती है।

(E) व्याख्यान तथा वाद-विवाद विधि (Lecture-Cum-Discussion Method)-कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सीखने में व्याख्यान एवं वाद-विवाद विधि को अधिक प्रभावशाली माना है। इस विधि में सबसे पहले किसी प्रकरण (Topic) या उप-विषय पर भाषण दिया जाता है, तत्पश्चात् सभी विद्यार्थी उस पर वाद-विवाद करते हैं तथा इस वाद-विवाद के दौरान अनेक भ्रमों एवं कठिनाइयों को दूर किया जाता है।

(F) अवलोकन विधि (Observation Method)-इस विधि के अन्तर्गत विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है। ऐतिहासिक स्थानों, उद्योगशालाओं तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों

का भ्रमण करवा कर विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जित करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। अतः इस प्रकार की विधि का प्रयोग करने से पहले अध्यापक को भ्रमण आदि की पहले से ही योजना तैयार कर लेनी चाहिए। अवलोकन के दौरान एक से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग किया जाता है।

(G) मिश्रित विधि (Mixed Method)-मिश्रित विधि से अभिप्राय है - सम्पूर्ण और अंश विधि का मिला-जुला उपयोग। विद्यार्थी सर्वप्रथम सम्पूर्ण विधि से शुरुआत करते हैं। सारी विषय वस्तु का अध्ययन करने के पश्चात् वह फिर अंश विधि द्वारा अध्ययन शुरू कर देता है। इसके पश्चात् सभी अंश पूर्ण होने पर वह फिर सम्पूर्ण विधि की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी दोनों प्रकार की विधियों का मिला-जुला प्रयोग करते हुए प्रभावशाली ढंग से अधिगम करने में सफल हो सकता है।

(H) परीक्षण विधि (Testing Method)-नये-नये प्रयोग करना तथा नये ज्ञान की खोज करना भी एक प्रकार का सीखना ही होता है। विद्यार्थी को खोज या अनुसंधान के लिये प्रेरित करते रहना चाहिए। इस अनुसंधान के लिये परीक्षण भी करने पड़ते हैं। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थी बहुत कुछ सीख जाता है तथा इस प्रकार से अर्जित ज्ञान स्थाई ज्ञान बन जाता है। पुस्तक में विद्यार्थी यह पढ़ता है कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। लेकिन यदि वह परीक्षण करके देखे, तब वह इसे और अच्छी प्रकार तथा स्थाई रूप से सीख सकता है।

(I) सामूहिक विधियाँ (Group Method)-आज के इस आधुनिक युग में शिक्षण के लिये सामूहिक विधियों का प्रयोग उचित माना गया है। कक्षा में सामूहिक विधियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है। सामूहिक विधियों में छात्रों को अपनी योग्यता प्रकट करने का पूर्ण मौका दिया जाता है। सामूहिक विधियों में निम्नलिखित विधियाँ शामिल हैं :

- (a) वाद-विवाद विधि : अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में वाद-विवाद विधि का प्रयोग करते हुए वाद-विवाद द्वारा विद्यार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दे।
- (b) परिचर्चा, सम्मेलन तथा छात्र सभा : अध्यापक परिचर्चा, सम्मेलन तथा छात्र सभा आदि का आयोजन करके विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं।
- (c) कार्यशाला : अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को समूह कार्य के लिये अभिप्रेरित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये।
- (d) प्रोजेक्ट, डाल्टन एवं बेसिक विधियाँ : कक्षा में प्रोजेक्ट डाल्टन और बेसिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं आदि के अनुसार ही कार्य सीखने के लिये प्रेरित किया जाता है।
- (e) अभिक्रमित अधिगम : अध्यापक को चाहिए कि वह विधियों की योजना इस प्रकार बनाये कि वह अभिक्रमित अधिगम (Programmed Learning) का स्वरूप हो जाये।

(J) अंश प्रगतिशील विधि (Part Progressive Method)-यह विधि सम्पूर्ण और अंश विधि का ही एक स्वरूप है। सीखे जाने वाले कार्य को विभिन्न इकाइयों को बांट दिया जाता है। पहली इकाई को सबसे पहले याद कर लिया जाता है। फिर दूसरे भाग या इकाई को दोहराया जाता है। इसके पश्चात् तीसरी इकाई को याद किया जाता है तथा तीनों इकाइयों को दोहराया जाता है। इसी प्रकार सभी इकाइयों को याद करके साथ-साथ दोहराया जाता है। इस विधि के मुख्य दोष यही है कि इसमें समय और शक्ति अधिक लगती है तथा पाठ की कई इकाइयों को अनावश्यक रूप से दोहराना पड़ता है।



2. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं पर टिप्पणी कीजिए।  
(Write a note on diverse needs of SEN Learners.)

उत्तर-विशिष्ट बालकों में पाई जाने वाली विशिष्टता के कारण उन्हें सामान्य शिक्षण विधियों एवं शिक्षा व्यवस्था से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। अतः ऐसे विभिन्न विशिष्टताओं वाले बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है।

उदाहरण के लिए, एक चक्षुहीन बालक अपने देख सकने की अक्षमता के कारण न तो सामान्य कक्षाओं में पढ़-लिख ही सकता है और न सामान्य बालकों के साथ अन्य क्रिया-कलापों में भाग ले सकता है। एक प्रतिभाशाली बालक सामान्य कक्षाओं में कुण्ठित हो सकता है और दूसरी तरफ एक पिछड़ा हुआ बालक कक्षा में लगातार असफल होने के कारण अन्य ग्रंथियों से प्रभावित हो सकता है। अपचारी बालक अपने भगोड़ेपन की प्रवृत्ति या चोरी और झूठ बोलने की आदत के कारण कक्षा में अन्य बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाता व मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित बालक कक्षा में अन्य समस्याओं को जन्म देता है। अतः इन विभिन्न विशिष्टता वाले बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार की शिक्षा व चिकित्सा देने की आवश्यकता होती है, जिससे कि अपनी विशिष्टता के क्षेत्र व स्तर के अनुरूप अपनी योग्यताओं का अधिकतम विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था कर देने से सामान्य कक्षाओं में इनकी उपस्थिति के कारण शिक्षकों व अन्य छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकता है।

विशिष्ट बच्चों की विविध आवश्यकताएँ हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है—

1. अंधे, बहरे, गूंगे बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठकर शिक्षित नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि एवं शिक्षकों की आवश्यकता है।
2. विशिष्ट बालकों की शैक्षिक, सामाजिक एवं शारीरिक आवश्यकताएँ सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं। अतः समाज एवं शिक्षा-शास्त्रियों का यह दायित्व है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करें।
3. विशिष्ट बालक अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास कर सकें इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा हम बालक को समायोजित, उत्पादक एवं आत्म-निर्भर बालक बना सकते हैं।
4. विशिष्ट बालक सामान्य स्कूलों की सामान्य कक्षाओं से लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः उनके लिए विशेष शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यदि उनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो वे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं और वह स्वयं के परिवार तथा समाज को हानि पहुँचाते हैं। इसीलिए विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।
5. विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता मानसिक व शारीरिक विकलांग बालकों को भी होती है, क्योंकि वे परिवार व समाज में समायोजित होने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि इन बालकों पर ध्यान न दिया जाए तो ये बालक कुण्ठ एवं भगनाशा से ग्रसित होकर मानसिक दृष्टि से बीमार हो जायेंगे और समाज के ऊपर बोझ बन जायेंगे। अतः हमें चाहिए कि हम उन्हें विशिष्ट शिक्षा देकर उनमें आत्म-विश्वास जागृत करें व उन्हें आत्म-निर्भर बनायें। उचित शिक्षा द्वारा उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाया जा सकता है।
6. विशिष्ट शिक्षा अभिभावकों, शिक्षकों एवं शैक्षिक प्रबंधकों को विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा विशिष्ट बालक समाज से समायोजन स्थापित कर लेते हैं।

7. विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की संवेगात्मक आवश्यकताएँ भी होती है। जीवन में संवेगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी कमी तथा अधिकता बच्चों के असामान्य व्यवहार के लक्षण उत्पन्न करने का कारण बन सकता है।
8. विशिष्ट बच्चों की व्यावसायिक आवश्यकताएँ भी होती है। शिक्षा एक तरह से व्यावसायिक जीवन की तैयारी होती है। आशक्त बच्चों के लिए व्यवसाय का चुनाव कठिन होता है। आशक्त बच्चों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नौकरियों में इनके लिए तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गए हैं।

उपरोक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त विशिष्ट बच्चों की अन्य निम्नलिखित आवश्यकताएँ भी होती हैं जिनका पहचानना आवश्यक होता है—

- (i) खाली समय के सदुपयोग की आवश्यकताएं
- (ii) परामर्श तथा मार्गदर्शन सम्बन्धी आवश्यकताएँ
- (iii) चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताएँ
- (iv) व्यक्तिगत विकास सम्बन्धी आवश्यकताएँ
- (v) विशिष्ट कौशलों को पहचानने की आवश्यकताएँ।

आशक्त बच्चों अनेक प्रकार की विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। उन बच्चों की शिक्षा के समुचित प्रावधान निश्चित करने से पहले यह अति आवश्यक हो जाता है कि उन विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की जाए। विशिष्ट बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान में माता-पिता तथा अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन निम्नलिखित है—

1. बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने में आशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गठित परिषद् (Rehabilitation Council of India) के महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अध्यापक प्रशिक्षण के साथ कुछ विशेष कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रयास कर रही है। जिससे अशक्त बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की जा सके।
3. भारत के पुनर्वास विभाग द्वारा सेवारत अध्यापकों के लिए प्राथमिक कोर्स का विकास किया है। यह कोर्स तीन वर्ष का है जिससे सेवारत अध्यापकों को आशक्त बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं से परिचित करवाया जाता है।
4. पुनर्वास गठित परिषद् (RCI) ने आशक्त बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के पहचानने के लिए क्रेडिट संग्रहण योजना का विकास किया है।
5. विशिष्ट बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान हेतु आशक्त-पुनर्वास तथा शिक्षा के सम्बन्ध में सामान्य जागृति उत्पन्न करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है।
6. बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान में माता-पिता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए RCI ने माता-पिता के लिए 6 महीने का कोर्स विकास किया है। यह कोर्स दूर स्पार्ट माध्यम से करवाया जाता है। इस कोर्स की अवधि में दो सम्पर्क कार्यक्रम (Contact Programme) होते हैं। इस सम्पर्क कार्यक्रम में सामान्य तथा बाधित बच्चों में माता-पिता भाग लेते हैं।

### 3.2 अधिगम कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए

#### विद्यालय जागरूकता तथा तत्परता (School Awareness and Readiness for Addressing Learning Difficulties)

3. अधिगम कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए विद्यालय जागरूकता तथा तत्परता का वर्णन कीजिए। (Describe the school awareness and readiness for addressing learning difficulties.)

अथवा

विद्यालय की जागरूकता तथा तत्परता में अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए।

(What is role of teacher in school awareness and readiness for addressing learning difficulties.)  
(June 2018)

उत्तर—आधुनिक विद्यालय शिक्षा में समावेशन एक समाजोपयोगी शब्द है जिसका अर्थ है—शामिल या सम्मिलित करना, आपस में मिलाना। शिक्षा के संदर्भ में इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो जाता है। शिक्षा के इस विधान के अन्तर्गत शारीरिक या मानसिक असमर्थता वाले बालकों को समर्थ बालकों में शामिल करके उनके समकक्ष लाने का प्रयास किया जाता है। उन्हें एक साथ शिक्षा देने व रहने, बैठने व जीवनयापन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उनके मध्य सद्भाव उत्पन्न किया जाता एवं समर्थ बालकों में विद्यमान असमर्थ बालकों के प्रति विचारधारा एवं रवैये को बदलते हुए असमर्थ बालकों में व्याप्त हीन भावना को दूर करने का सफल प्रयास किया जाता है। उन्हें हर प्रकार की कक्षा एवं कक्षोत्तर गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे बालकों को ऐसा वातावरण मुहैया करवाया जाता है कि उनमें न केवल जीजीविषा उत्पन्न हो बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास भी हो सके।

समावेशन में अध्यापक, परिवार एवं अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में सफल समावेशन तभी संभव होगा जब अभिभावक पहल करते हुए बालक को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करेंगे। बालक को समायोजन या समावेशन में अभिभावकों का सहयोग वांछित है।

#### विद्यालय तत्परता की कुछ परिभाषाएं

तत्परता का अभिप्राय बालक का घर से निकल कर विद्यालय आगमन से है। इसके अन्तर्गत बालक को पारिवारिक परिवेश से बाहर निकालकर विद्यालय-प्रवेश के लिए तैयार किया जाता है। विद्यालय में प्रवेश के उपरान्त बालक के भावनात्मक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करते हुए बालक व उसके अभिभावकों द्वारा आहूत की गई तत्परता को सही सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है और बालक को विभिन्न कौशलों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। यद्यपि बाहर से यह प्रक्रिया सरल एवं सामान्य दिखाई देती है पर वस्तुतः यह अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। सैद्धान्तिक रूप से यह जितनी सरल दिखती है व्यावहारिक रूप से यह उतनी ही जटिल है। यह दो भागों व तथ्यों का मेल है—अधिगम के प्रति तत्परता एवं विद्यालय जाने के प्रति तत्परता। इस संबंध में पियाजे (Piaget) के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है; इसके अन्तर्गत बालक को उनके जैविक विकास से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है एवं विद्यालय में दिए गए अनुदेशन से लाभ पहुंचता है। पियाजे का मानना है कि हर बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति भिन्न-भिन्न होती है। बालक की आंतरिक समय सारिणी उसके बाह्य विकास को प्रभावित करती है। मे (May) का मानना है, “विद्यालय तत्परता वह गुण है जो कि बच्चे को सामान्य विद्यालय पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने में सहायता करता है।” विद्यालय के लिए तैयार होना मात्र शारीरिक अवस्था नहीं है बल्कि मानसिक रूप से तैयार होना भी है।

विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक—विद्यालय तत्परता कई बाह्य तत्त्वों से प्रभावित होती है जिनमें कुछ मुख्य तत्त्वों का उल्लेख हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं—

1. सामाजिक पृष्ठभूमि—बालक की विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है। बालक की बाधिता समय बीतने के साथ पता चलती है। छः से आठ वर्ष तक बालक की बाधिता पूर्ण रूप से सामने आ जाती है; यह बाधिता व्यक्ति के सामाजिक पृष्ठभूमि का दुष्परिणाम होती है जैसे बालक के परिवार का गरीब होना, स्वच्छ खान-पान का अभाव होना, गर्भवती महिलाओं का कुपोषण का शिकार होना आदि।

इन सभी सुविधाओं का अभाव बालक को विद्यालय तत्परता में बाधा पहुंचाता है। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से ऐसे बालकों के लिए उचित माहौल मुहैया करने में मदद मिलती है।

2. पारिवारिक पृष्ठभूमि—बाधित बालकों के विद्यालय जाने में परिवार अहम् भूमिका निभा सकता है। परिवार बालक को भावनात्मक संबल देते हुए अभिप्रेरित करता है। परिवार के सदस्य शिक्षा के प्रति बेहतर रवैया अपना कर बालक को आत्मप्रेरित होने में भी मदद करते हैं। उन्हें अपने लिए भविष्य में कुछ उम्मीदें दिखाई देने लगती हैं और उसे शिक्षा पाने की प्रेरणा मिलती है। परिवार की ओर से मिलने वाला भावनात्मक, नैतिक एवं मानसिक सहयोग बालक के लिए रचनात्मक और मील का पत्थर साबित होता है। एक बार बालक जब विद्यालय जाना शुरू कर देता है तो वह वहाँ पर अन्य बालकों के साथ रहता है और उस परिवेश में खुद को समायोजित कर लेता है।

3. बालक का स्वास्थ्य—बालक का स्वास्थ्य उसके लिए विद्यालय तत्परता में बाधा होता है। चाहते हुए भी बाधित बालक कमजोर स्वास्थ्य के चलते विद्यालय नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में बालक विद्यालय जाकर आरामदायक महसूस नहीं करता और उचित अधिगम में भी बाधा पहुंचती है। ऐसी अवस्था में बालक के अभिभावक बालक को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं। यह अवस्था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बालक की विद्यालय के प्रति तत्परता को प्रभावित करता है।

4. कक्षा का वातावरण—कक्षा का वातावरण बालक के उचित समावेशन को बुरी तरह प्रभावित करता है। कई बार बालक को कक्षा में अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के अनुरूप उपयोगी वातावरण नहीं मिल पाता तो इससे सफल समावेशन में बाधा पहुंचती है और बालक की विद्यालय तत्परता प्रभावित होती है।

5. विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं विद्यालय तत्परता को प्रभावित करती हैं। सुविधाओं का अभाव बालक एवं अभिभावकों को विद्यालय तत्परता से हतोत्साहित करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि विद्यालयगमन का बालक को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। बाधित बालक के लिए उसके बाधा वाले क्षेत्र के अनुरूप सुविधा की अनुपलब्धता तत्परता को बाधा पहुंचाती है।

उक्त अनुपयोगी एवं बाधा पहुंचाने वाले कारकों को दूर कर ही सफल तत्परता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए केवल बालक ही नहीं बल्कि परिवार व समाज को सहयोगात्मक रवैया अपनाये जाने की आवश्यकता है। आत्म-प्रेरित बालकों के लिए अभिभावकों का सहयोग अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी विद्यालय तत्परता में महती भूमिका होती है। विद्यालय एवं बालक के विद्यालय गमन के बीच वे उपयोगी कड़ी का काम करते हैं। अध्यापक भी बालक की मानसिक स्थिति का अवलोकन कर उसके अनुरूप बालक के साथ व्यवहार कर एक सफल तत्परता एवं सफल समावेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं।

अध्यापक की भूमिका—बालक में विद्यालय तत्परता का होना अति आवश्यक है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अपने विद्यालय समय में कक्षा के नियमों के प्रति समायोजन दिखाता है। इन नियमों के पालन किए जाने में अध्यापक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह विभिन्न अधिगम केन्द्रों में कक्षा को विभाजित करता है और उसमें बालक की आवश्यकतानुसार सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जाती

है। ऐसे में बालक अन्य बालकों एवं पढ़ाई के वातावरण से स्वयं का समायोजन स्थापित कर लेता है और अधिगम सुचारु बन जाता है। अध्यापक पाठ योजना को इस ढंग से तैयार करता है जिससे सभी अवस्थाओं के बालक लाभान्वित हो सकें। वह कक्षा में ऐसा वातावरण तैयार करता है कि सभी बालक एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक ढंग से पेश आएँ एवं विशिष्ट स्थिति वाले बालक अपने आप को पीड़ित या नजरअंदाज ना समझें और उनका सफल समावेशन हो सके।

### 3.3 समावेशी विद्यालय का सम्प्रत्यय (Concept of Inclusive School)

4. समावेशी विद्यालय का सम्प्रत्यय क्या है? समावेशी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, असमर्थन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मानव संसाधन तथा सम्पूर्ण विद्यालय उपागम का वर्णन कीजिए।  
(What is the concept of inclusive school? Describe the infrastructure, awareness and positive, hitute towards disability, human resources and whole school approach in inclusive school.)

उत्तर—समावेशी विद्यालय वह विद्यालय होता है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। समावेशी विद्यालय में सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। समावेशी विद्यालय में असमर्थ बालकों के प्रति सकारात्मक व्यवहार अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि सकारात्मक व्यवहार से असमर्थ बालकों को प्रेरणा मिलती है। समावेशी विद्यालय में मानव संसाधनों में प्राचार्य/मुख्याध्यापक तथा अध्यापकों की मुख्य भूमिका होती है। अध्यापकों द्वारा असमर्थ बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

समावेशी कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। समावेशी कक्षा में विभिन्न कौशल स्तर वाले बच्चे होते हैं। समावेशी कक्षा कक्ष में बाधित तथा सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए कक्षा कक्ष में बाधित तथा सामान्य बच्चों के बैठने की व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

समावेशी कक्षा-कक्ष के उचित प्रबन्ध हेतु सर्वप्रथम तो कमरे की आवश्यकता पड़ती है जिसका निर्माण विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये पर्याप्त लम्बाई तथा चौड़ाई के आधार पर होना चाहिए तथा साथ ही कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों के बैठने हेतु खुला स्थान होना चाहिए। कक्षा के कमरे के पश्चात् भौतिक-संसाधनों के अंतर्गत दूसरा स्थान समावेशी कक्षा-कक्ष से संबंधित फर्नीचर का होता है जिसकी आवश्यकता प्रतिदिन उपयोग के लिए पड़ती है। अतः विद्यालय भवन के अन्तर्गत शिक्षण-प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए विद्यालय की आवश्यकता के अनुकूल उचित मात्रा में फर्नीचर उपलब्ध करना अत्यावश्यक होता है। उचित फर्नीचर की विद्यार्थियों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः विद्यार्थियों पर स्वस्थ प्रभाव डालने के लिए विद्यालय का फर्नीचर उचित रूप से मजबूत होने के साथ-साथ न बहुत हल्का तथा न अधिक भारी होना चाहिए। विद्यालयों के अंतर्गत सामान्यतः फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है अतः इसे पर्याप्त रूप में मजबूत होना चाहिए तथा अधिक भारी भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय के कक्षा-कक्षों से संबंधित फर्नीचर को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) आवश्यक प्रकार का फर्नीचर (2) अनावश्यक प्रकार का फर्नीचर। अतः कक्षा-कक्ष के उचित प्रबन्ध हेतु आवश्यक प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए तथा कम आवश्यक प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था कक्षा की आवश्यकता के अनुरूप बाद में भी की जा सकती है।

कक्षा के आवश्यक प्रकार के फर्नीचर—कक्षा-कक्ष से संबंधित आवश्यक प्रकार का फर्नीचर निम्नलिखित प्रकार से हैं—

#### 1. भौतिक संसाधन (Physical Resources)–

(क) आवश्यक साधन (आवश्यक फर्नीचर)–

1. विद्यार्थियों हेतु मेज-कुर्सियाँ अथवा बैंच तथा फर्श पर बिछाने वाली चटाइयाँ आदि।
2. दीवार में बना हुआ चाक बोर्ड अथवा किसी ढाँचे पर खड़ा हुआ चाक-बोर्ड। दीवार वाला चाक-बोर्ड अधिक उचित रहता है।
3. अध्यापक हेतु मेज तथा कुर्सी।
4. नक्शे का स्टैंड तथा नोंकदार संकेतक (Pointer)।

(ख) कम आवश्यक साधन अर्थात् (इच्छित साधन) कम आवश्यक साधनों के अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्री आती है—

1. अध्यापक के प्रयोग हेतु मेज।
2. चार्ट आदि रखने हेतु आवश्यक स्थान।
3. छत का पंखा और बल्ब अर्थात् ट्यूबलाईट।
4. कक्षा-कक्ष की दीवार के साथ सटी हुई अलमारी होनी चाहिए ताकि अध्यापक उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, उपस्थिति-रजिस्टर, पढ़ाने हेतु प्रयोग किये जाने वाले चाक तथा डस्टर और अन्य छोटे-मोटे सामान को रखने हेतु प्रयोग कर सके।
5. नोटिस बोर्ड, उपस्थिति बोर्ड तथा नक्शा रखने का स्टैंड।
6. कक्षा-कक्षा को सजाने हेतु फूलदान तथा पर्दे आदि।

लेखन आधार और बैठने की व्यवस्था (Desk and Seats)—आज भी हमारे देश के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बैठने हेतु चटाइयाँ तथा बैंचों का पर्याप्त अभाव तथा कमी है। अधिकतर विद्यालयों में पीठ-रहित बैंचों का प्रयोग किया जाता है जिसका छात्रों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बहुत से स्कूलों में सीमेंट के डेस्क (लेखन आधार) फर्श के साथ टिकाये गये हैं जिन पर छात्र बिना हिले-डुले दिनभर एक ही आसन में बैठने के लिए मजबूर होते हैं। जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में दीवार तथा डेस्क के बीच का पारस्परिक अन्तर कहीं दिखाई नहीं देता अपितु वे एक-दूसरे से सटे हुये होते हैं। हमारे देश में विद्यालयों की इस दुर्दशा का कारण केवल पैसे की कमी नहीं अपितु विद्यालय के अधिकारियों को स्वास्थ्य से संबंधित सिद्धान्तों की जानकारी का न होना है।

कक्षा-कक्ष से संबंधित समुचित सामग्री की विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है—

1. सीटों के प्रकार
2. लेखन आधार अर्थात् डेस्क और आसन की ऊँचाई
3. बैठने के स्थान अर्थात् सीट और डेस्क की पारस्परिक स्थिति
4. कक्षा में सीटों का प्रबन्ध

1. सीटों के प्रकार (Types of Seats)—भारत के प्राइमरी विद्यालयों में छात्रों के बैठने हेतु आज भी चटाइयाँ का उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त छात्रों के बैठने हेतु सीटें इस प्रकार की होती हैं कि लम्बे बैंचों के साथ-साथ डेस्क अर्थात् लेखन-आधार भी होता है तथा उनके पीछे पीठ लगाने हेतु स्थान भी बना होता है। इस प्रकार की सीटों की एक मुख्य कमी होती है कि ये अत्यन्त स्थाई व स्थिर प्रकार की होती हैं जिसके कारण छात्रों को इधर-उधर हिलने-डुलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा साथ ही इस प्रकार की सीटों को सफाई के लिए बाहर निकालने में भी दिक्कत होती है।

छात्रों के बैठने हेतु उचित सीटें वे होती हैं जो लेखन-आधार के सहित होती हैं तथा जिन पर एक समय में केवल एक ही छात्र बैठ सकता है। ऐसी सीटों पर बैठने से छात्रों को इधर-उधर हिलने-डुलने की पर्याप्त सुविधा होती है।

इसके अतिरिक्त एक सीट की अपेक्षाकृत वे सीटें छात्रों हेतु अधिक सुविधाजनक होती है जिन पर एक समय में दो छात्र एक साथ बैठ सकते हैं। इस तरह की सीटों से छात्र को इधर-उधर घूमने में सुविधा रहती है।

सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि छात्र-छात्राओं के बैठने की समुचित व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए जिससे शिक्षण-प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहे तथा कक्षा का प्रबन्ध भी उचित रहे।

### 2. लेखन आधार अर्थात् डेस्क और आसन की ऊँचाई (Height of the desk and Seats)

—आसन अर्थात् सीट की ऊँचाई छात्र की आयु का उसकी लम्बाई के अनुरूप होनी चाहिए। इसके साथ-साथ लेखन-आधार अर्थात् डेस्क की ऊँचाई भी इतनी होनी चाहिए कि छात्र सीधा बैठकर उस पर आसानी से लिख सके। लेखन-आधार अर्थात् डेस्क का निचला हिस्सा छात्र की कोहनी से ऊँचा नहीं होना चाहिए और उसे अपना हाथ सीधा रखने की पर्याप्त व्यवस्था भी लेखन-आधार में होनी चाहिए ताकि छात्र सुविधापूर्वक लेखन-कार्य कर सके।

3. बैठने के स्थान अर्थात् सीट तथा डेस्क की पारस्परिक स्थिति (The Position of the Seat and Desk)—छात्रों के लिए उचित तभी रहता है जब उनके बैठने की सीटें लेखन-आधारों अर्थात् डेस्क से जुड़ी हुई न होकर उनसे पृथक या अलग हों। छात्र जब कभी भी अपनी सीट छोड़कर खड़ा होना चाहे तो उसे अपनी सीट को खिसकाकर खड़ा होने की सुविधा होनी चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से खड़ा हो सके। अतः लेखन-आधार अर्थात् डेस्क तथा सीट के बीच पर्याप्त मात्रा में अन्तर होना चाहिए ताकि छात्र सीट तथा डेस्क के बीच आसानी से खड़ा हो सके।

### 4. कक्षा-कक्ष में सीटों में प्रबन्ध (Arrangements of the Seats in the Class-room)

—कक्षा-कक्ष के अन्तर्गत सीटों का प्रबन्ध करने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर ही कक्षा-कक्ष में सीटों का उचित ढंग से प्रबन्ध किया जा सकता है—

- प्रत्येक डेस्क की लम्बाई कितनी हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
- प्रत्येक डेस्क या लेखन-आधार की प्रत्येक पंक्ति के बीच कितना अन्तर छोड़ा जाये ताकि शिक्षण-कार्य के दौरान कक्षा-कक्ष में आने-जाने में असुविधा न हो।
- इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कक्षा-कक्ष में डेस्क की कितनी पंक्तियाँ हों।
- कक्षा-कक्ष के उचित प्रबन्ध हेतु डेस्क तथा दीवार के बीच कितना अन्तर हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
- लेखन-आधार अर्थात् डेस्क की पंक्तियों का स्वरूप कक्षा-कक्ष के अनुरूप हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समावेशी कक्षा में बैठने की व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्यतया बाधित बच्चों के लिए समावेशी कक्षा कक्ष में बैठने की उचित व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा में मानव संसाधनों में मुख्याध्यापक/प्राचार्य तथा अध्यापकों की मुख्य भूमिका होती है। समावेश विद्यालय की सफलता में विशेष अध्यापकों तथा संसाधन अध्यापकों की विशेष भूमिका निभाते हैं। समावेशी विद्यालय में अध्यापकों का असमर्थ बालकों के प्रति सकारात्मक व्यवहार भी मुख्य भूमिका निभाता है।

समावेशी विद्यालय में सम्पूर्ण विद्यालय उपागम (Whole School Approach) का अभिप्राय विद्यालय समुदाय के सहयोगात्मक प्रयास से है। सहयोगात्मक कार्य समावेशी विद्यालय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सहयोगी शिक्षण समावेशी शिक्षण का एक अहम भाग है। सहयोग आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया है जहाँ अध्यापक मिला-जुला अर्थ एवं/या मिला-जुला कार्यक्रम विकसित करता है और एक सहयोगात्मक ढंग से उसे लागू करने का प्रयास करता है। यह केवल सकारात्मक वार्तालाप, सलाह मशविरे एवं संचार से ही हासिल किया जा सकता है। वास्तव में कोई भी सहयोग उच्च किस्म की सलाह एवं संचार पर निर्भर करता है। सहयोग परस्पर समझ का परिणाम होता है।

सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। अप्रत्यक्ष सहयोग कक्षा से बाहर अध्यापक द्वारा बच्चों की आवश्यकता पूर्ति के लिए योजना बनाने से संबंध रखता है। सहयोगी सलाह, समकक्ष सहयोग और अध्यापक सहयोग की टीमें अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप हैं। सहकारी शिक्षण और सह-शिक्षण या समूह शिक्षण प्रत्यक्ष सहयोग से संबंध रखते हैं। सहयोगी शिक्षण के प्रयासों के विभिन्न प्रकारों का विवरण नीचे दिया गया है—

उपागम	बच्चे से सम्पर्क की प्रकृति	विवरण
सहयोगात्मक सलाह	अप्रत्यक्ष	अध्यापक विशेष शिक्षा अध्यापक से सेवाओं के लिए अनुरोध करता है।
समकक्ष सहयोग	अप्रत्यक्ष	नियमित शिक्षा अध्यापक कक्षा की समस्याओं के निदान हेतु सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।
अध्यापक सहयोगी टीम	अप्रत्यक्ष	अध्यापकों की एक टीम नियमित शिक्षा अध्यापकों की मदद करती है।
सहकारी शिक्षण	प्रत्यक्ष	सामान्य एवं विशेष शिक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने हेतु इकट्ठे कार्य करते हैं।

### सहयोग की आवश्यक शर्तें

किसी सहकर्मी से सहयोग किसी भी स्तर या उद्देश्य को लेकर हो सकता है—योजना, समस्या-निदान, शिक्षण या फिर मूल्यांकन। नीचे कुछ विशेष तथ्य दिये गए हैं जो सहयोग के समय घटित हो सकते हैं—

- सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए। लोगों को मिलने हेतु तो बाध्य किया जा सकता है, पर वास्तविक सहयोग के लिए नहीं। सहयोग का अर्थ होता है—एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छुक समूहों का एकत्रित होना।
- सहयोग सहभागियों के मध्य सामंजस्य की मांग करता है। सहयोगी टीम के सभी सदस्यों को एक समान समझा जाना चाहिए। यह टीम के सभी सदस्यों में विचारों एवं सूचनाओं को प्रदान, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करने की आजादी को प्रोत्साहित करती है।
- सहयोग पारस्परिक सहमति के उद्देश्यों का अर्थ रखता है। सहयोगात्मक टीम के सभी सदस्य एक स्पष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों को लेकर इकट्ठे कार्य करें।
- सहयोग को सांझा उत्तरदायित्व एवं सांझे संसाधन होने चाहिए। सभी सदस्य एक सहमतिपूर्व उद्देश्ययाध्येय तक पहुंचने की प्रक्रिया के भाग होने चाहिए। इससे फैसले को मदद और क्रियान्वयन को ताकत मिलेगी।
- टीम के सभी सदस्यों को सफल या असफल परिणामों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी भी फैसले की सफलता या असफलता को सभी टीम सदस्य मिलकर बाँटें।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि कोई अध्यापक एक दूसरे में गलती खोजने वाली प्रकृति का नहीं होना चाहिए। यह सुझावों व विचारों का नकारात्मक विश्लेषण करने वाला नहीं होना चाहिए। टिप्पणियाँ, अगर कोई हैं तो, सकारात्मक एवं टीम की सहायता एवं सहयोग करने वाली होनी चाहिए।

सहयोग के लाभ—अन्य साथी अध्यापकों से सहयोग के अनेक लाभ हो सकते हैं—

- (i) उन विचारों का विकास जिनके विषय में अध्यापक ने कभी सोचा भी नहीं।
- (ii) उन्हीं संसाधनों का सदुपयोग जो उनके पास हैं ताकि मांग का दबाव उन पर ना बढ़े।
- (iii) एक अध्यापक अन्य की पाठ-योजना के विचार एवं प्रारूप का प्रयोग कर समय एवं मेहनत बचाता है।
- (iv) एक अत्यधिक आनंददायी एवं सामाजिक योजना का अनुभव।
- (v) सहयोगी संचारतंत्र का विकास।
- (vi) पड़ोसी कक्षा में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में समुचित जागरूकता।
- (vii) संदर्भ विशेष में सहयोग—समस्या निदान में सहयोग।



**LAXMI**<sup>®</sup>

**EXAM NOTES**

# समावेशी विद्यालय का सृजन


## [CREATING AN INCLUSIVE SCHOOL]

[ Paper-3 ]

**UNIT-IV**

### 4. Practices and Support System for Inclusive Set up

- *Pedagogical Strategies to respond to individual needs of learners in classroom: Peer tutoring, cooperative learning strategy, social learning, Buddy system, Reflective teaching, Multisensory teaching*
- *Support Services and Partnership in Teaching: Developing positive relationship between school and home. Teaching and co-teaching personnel : Parents and teachers, teacher and special teacher, Team of teacher, Parents, Special Educator, Speech therapist, physiotherapist, occupational therapist and counsellor, Professional training of teachers in inclusive schools*
- *Assistive and Adaptive Technologies in Inclusive Set up, use of ICT, Equipments and others technologies for different disabilities*



—: प्रकाशक :—

**लक्ष्मी बुक डिपो**

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

## समावेशी व्यवस्था के लिए अभ्यास तथा सहायता व्यवस्था [Practices and Support System for Inclusive Set Up]

### 4.1 कक्षाकक्ष में अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अनुक्रिया के प्रति शिक्षाशास्त्रीय व्यूह स्वनाएँ (Pedagogical Strategies to Respond to Individual Needs of Learners in Classroom)

#### सहयोगी अनुशिक्षण (Peer Tutoring)

1. सहयोगी अनुशिक्षण क्या है? सहयोगी अनुशिक्षण लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए।  
(What is Peer Tutoring? Discuss the merits and demerits of Peer Tutoring?)

**उत्तर—सहयोगी अनुशिक्षण (Peer-Tutoring)**—अनुशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक-से-एक को शिक्षण या अधिगम किया जाता है। यह प्रक्रिया विद्यालयों में समावेशी को प्रोत्साहित करती है। इसमें एक व्यक्ति जो वरिष्ठ या पुराना विद्यार्थी या विशेषज्ञ अध्यापक अनुशिक्षक की भूमिका में होता है और अधिगमकर्ता वह होता है जो निर्देशन ग्रहण करता है। अनुशिक्षण बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है जिसमें बालक की निदानात्मक एवं सहयोगात्मक निर्देशन किया जाता है। सम्मिलित शिक्षा में सहयोगी शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली प्रकार है।

यह एक ऐसा विषय है जिसकी ओर भारत में बहुत कम ध्यान गया है। इसमें निर्देश देने वाले बालक का ही कोई सहयोगी होता है। इसका अर्थ है कि बालक दूसरे बालकों को एक-एक कर पढ़ाते हैं। यह आयु-भेद या समआयु प्रकार का अनुशिक्षण होता है। आयु-भेद अनुशिक्षण उस निर्देशनात्मक स्थिति से संबंध रखता है जिसमें समकक्ष उत्कृष्ट बालक अपने से छोटे व निम्न स्तर के बालकों को निर्देशन करते हैं या अनुशीलन करते हैं। समआयु अनुशिक्षण वह निर्देशन होता है जिसमें अनुशिक्षण प्रक्रिया में समान आयु के या स्तर के बालको का शिक्षण शामिल होता है। जिस किसी प्रकार का भी सहयोगी अनुशिक्षण अपनाया जाता है, यह सप्ताह में दो बार बर्तनी, हस्तलेखन, अंकगणित या फिर सामाजिक व्यवहार सिखाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

**सहयोगी अनुशिक्षण के उद्देश्य**—सहयोगी अनुशिक्षण के उद्देश्यों में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों के ज्ञानात्मक पहलू शामिल हो सकते हैं।

**ज्ञानात्मक क्षेत्र**—ज्ञानात्मक कौशल सिखाना जैसे बर्तनी, हस्तलेखन आदि।

**सामाजिक क्षेत्र**—बालक के सामाजिक व्यवहार का सुधारना जैसे भाईचारा, सहयोग, परस्पर सम्मान आदि।

इसके उद्देश्य भले जो भी हों पर इसे कक्षा शिक्षण के प्रतिस्थापक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सहयोगी अनुशिक्षक को भी नियमित अध्यापक का प्रतिस्थापक नहीं समझना चाहिए। अनुशिक्षक को निदानात्मक निर्देशन कर सहभागी की भूमिका निभानी चाहिए।

**अनुशिक्षण की प्रक्रियाएं**—अनुशिक्षक को अपने अनुशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों को आरम्भ करने से पहले अनुशिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जान लेना चाहिए। मुख्य रूप से इस विषय में तीन प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है—

1. देखकर-करने की प्रक्रिया
2. परीक्षण-शिक्षण-परीक्षण प्रक्रिया
3. युग्म-शिक्षण प्रक्रिया।

देखकर करने की गतिविधि एक नियमित प्रक्रिया है जो कार्य के प्रदर्शन से जुड़ी है जिसके उपरान्त बालक को वह कार्य स्वयं करना होता है। यह पूर्णतया स्पष्ट मॉडलिंग प्रक्रिया है जिसके द्वारा लगभग सभी विद्यार्थियों को सीखने में कोई परेशानी नहीं होती। अनुशिक्षक को पहला सिद्धान्त जो लागू करना चाहिए वह है कि उन्हें छोटे चरणों में पढ़ाना चाहिए और प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि बालक सभी चरणों को आपस में जोड़ सके। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अनुशिक्षक द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि बालक हर चरण के पूरा होते ही कार्य करे। विद्यार्थी यह दिखाएँ कि हर चरण के आवश्यक कार्य को सही शृंखला में वह पूर्ण कर सकता है।

परीक्षण-शिक्षण-परीक्षण प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं। सर्वप्रथम अनुशिक्षक यह परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी आवश्यक कार्य को कर सकता है या नहीं। अगर विद्यार्थी असफल होता है तब कार्य का विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उस कार्य को कौन सा पहलू विद्यार्थी के लिए कठिन है। दूसरा कदम निर्देशनात्मक चरण होता है। यह ठीक वैसा ही चरण होता है जो देखकर करने वाली क्रिया में होता है। तृतीय चरण के दौरान अनुशिक्षित का परीक्षण किया जाता है कि क्या समस्या का निदान हो गया है। अगर नहीं तो विद्यार्थियों की समस्या को फिर आंका जाता है और उसे परीक्षण से गुजरना पड़ता है और उसे फिर से निर्देशनात्मक चरण से होना पड़ता है। कई बार विद्यार्थी कार्य का कुछ हिस्सा करने में सक्षम हो पाता है, पर निपुणता के दायरे से फिर भी बाहर रहता है।

युग्म शिक्षण प्रक्रिया में अनुशिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल होते हैं। अनुशिक्षक सर्वप्रथम दिये गए कार्य को करता है और फिर अनुशिक्षित उस कार्य को करता है। इसके बाद अनुशिक्षक तीसरे कार्य को और फिर यही सिलसिला आगे भी तब तक चलता रहता है जब तक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए मौखिक अभ्यास में दिए गए पाठ्य से पहले पैरे को अनुशिक्षक पढ़ता है, तदोपरान्त दूसरे पैरे को विद्यार्थी और यह तब तक चलता रहता है जब तक पाठ पूर्ण नहीं हो जाता है। विद्यार्थी अनुशिक्षक के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है। यह नियमितता सफल कार्य करती है। यह केवल तभी हो पाता है अगर पाठ्यक्रम अच्छे स्तर का हो और विद्यार्थी की योग्यता से मेल खाता हो।

अनुशिक्षक विद्यार्थी को चार प्रकार से कार्य कर निर्देशित कर पाता है—

1. निरीक्षण—सहयोगी अनुशिक्षक बालक के व्यवहार एवं ज्ञान का निरीक्षण करता है।
2. पुनर्बलन—सहयोगी अनुशिक्षक बालक की खामियां की ओर संकेत कर ध्यान करता है।
3. नमूना विधि—वह विशिष्ट त्रुटि को ध्यान में रखते हुए उसे दूर करने का ढंग बताता है।
4. व्याख्या—सम्पूर्ण मद का खुलासा कर उदाहरणों सहित उनकी व्याख्या करता है।

सहयोगी अनुशिक्षण की सफलता समकक्षों के मध्य आंतरिक एवं संचरित संबंधों पर निर्भर करती है। सहयोगी अनुशिक्षण में, हालांकि अनुशिक्षक निर्देशात्मक कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह स्पष्ट है कि एक अध्यापक जो आवश्यक रूप से सम्पूर्ण उत्तरदायित्व को वहन करता है, वह विषय एवं विद्यार्थी का चयन कर उसके लिए सामग्री को एकत्रित, निर्देशित एवं व्याख्या करता है।

**सहयोगी अनुशिक्षण योजना के लिए दिशा-निर्देश—**

1. विद्यार्थी की चिन्हित क्षेत्र में खामियां ढूंढना।
2. अनुशिक्षक को विद्यार्थी की समस्या के प्रति सुझाव प्रदान करना।
3. अनुशिक्षक एवं अनुशिक्षित का आपस में मिलान।
4. समुचित शिक्षण सामग्री एवं कार्य पुस्तिका तैयार करना।
5. अनुशिक्षकों के लिए एक अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

**सहयोगी अनुशिक्षण के लाभ एवं सीमाएं**—सहयोगी अनुशिक्षण इसके सक्षम लाभों के कारण सम्मिलित शिक्षा में अहम् स्थान रखती है। इस प्रकार का अनुशिक्षण न केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक के लिए हितकारी होता है बल्कि सभी बालकों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें अनुशिक्षण से जुड़े सभी पक्षों को लाभ पहुँचाने की क्षमता होती है। अगर अध्यापक सामग्री या विषय-वस्तु से संबंधित कोई कार्यक्रम या योजना आयोजित करता है तो अनुशिक्षण उसकी हर गतिविधि में बहुत मदद करता है। वे दोनों मिलकर अनुशिक्षित को उसकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग सुनिश्चित करते हैं। वे मिलकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं देखभाल प्रदान करते हैं। विषय-सामग्री को समय रहते पूर्ण करना तो लगभग निश्चित होता है। ऐसी स्थिति में अनुशिक्षक विद्यार्थी पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित करता है और विद्यार्थी उपयुक्त नियमितता के साथ अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

अनुशिक्षक प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थी की अधिगम गतिविधियों की देखरेख करता है। इस दौरान हर गलती को पहचाना एवं ठीक किया जा सकता है। एक-को-एक कर किए गए शिक्षण में असंगत एवं गलत अधिगम को समय रहते सुधारने की संभावना बनी रहती है।

अनुशिक्षण विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक एवं अनुशिक्षकों के मध्य स्वस्थ संबंध सुनिश्चित करता है। यह नियमित विद्यार्थियों एवं विशिष्ट बालकों के मध्य सकारात्मक संचार को प्रोत्साहित करता है और इसके साथ ही यह सहयोगात्मक वातावरण में एकत्रित होकर कार्य करने को बढ़ावा देता है। सहयोगी अनुशिक्षण निकट व्यक्तिगत संबंधों, व्यक्तिगत अन्तर्निर्भरता और परिणामों के प्रति सांझा उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है क्योंकि सहयोगी शिक्षण सभी खामियों को हटाने की पहल करता है, ये सभी बालक दिन-प्रतिदिन की नियमित गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने लगते हैं। यह अधिगम वातावरण को प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है।

यद्यपि सहयोगी अनुशिक्षण के अनेक लाभ हैं पर हम इसमें निहित अनेक त्रुटियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अन्तर्व्यक्तिगत संबंधों एवं अंतर्संचार उस समय बुरी तरह प्रभावित होता है जब एक ही अनुशिक्षक को एक से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अनुशिक्षक के लिए प्रबंधन की समस्या भी आड़े आती है। जब अनुशिक्षक एवं अनुशिक्षित के मध्य स्थिति गंभीर हो जाती है तो इसकी सफलता के अवसर नगण्य हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अनुशिक्षण अपने अनुशिक्षण में दक्ष हों।

### सहकारी अधिगम तथा मित्र व्यवस्था (Co-operative Learning and Buddy System)

2. सहकारी अधिगम तथा मित्र व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सहकारी अधिगम के लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए।  
(What do you mean by co-operative learning and Buddy system.  
Discuss the merits and limitations of co-operative learning.)

अथवा

सहयोगी अधिगम तथा मित्र व्यवस्था की अवधारणाओं पर नोट लिखिए।

(Write a short note on concepts of co-operative learning and Buddy system.)

उत्तर—भारतीय विद्यालय प्रणाली में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ बालक समूह में कार्य करते हों। समावेशी कक्षा में जहाँ असंख्य बालक होते हैं, वहाँ बच्चों को सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से बच्चे सीखने में एक-दूसरे की मदद करते हैं। वे समस्याओं के समाधान एवं कार्य पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहकारी शिक्षा बालकों को शैक्षिक योग्यता एवं निपुणता हासिल करने में मदद करती है। जैसे—सुनना, प्रश्न पूछना, मदद लेना, उत्तर देना, सुझाव देना आदि। अध्यापक योजनाकर्ता एवं मूल्यांकनकर्ता का कार्य करता है। उसको सुनिश्चित करना पड़ता है कि—

- कि बालक अपने अधिगम का उत्तरदायित्व खुद ले।
- कि उनका ध्यान समूह के सदस्यों के मध्य बातचीत पर बना रहे।
- कि समूह का प्रत्येक सदस्य सीखने में एक-दूसरे की मदद करे।
- कि प्रत्येक सदस्य अच्छी सामाजिक निपुणता हासिल करे।

सहकारी अधिगम के उद्देश्य—समावेशी व्यवस्था में सहकारी अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

- बालक को सहकारी अधिगम की अवस्था में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिले।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
- बालक को अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए प्रोत्साहित करना।
- सहकारी समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना।
- सक्षम और असक्षम बालकों के मध्य दोस्ताना वातावरण सुनिश्चित करना।
- परस्पर सहयोग और मदद के माध्यम से समस्या निदान की निपुणताओं को विकसित करना।

सहकारी अधिगम के लिए दिशा-निर्देश—एक अध्यापक को सहकारी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए—

- अध्यापक को पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए।
- उसे बालकों को समूह में बाँटना चाहिए।
- हर समूह को छोटे आकार का होना चाहिए।
- उसे बालकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक या दूर ना रहें।
- उसको समूह के हर सदस्य को भूमिका प्रदान करनी चाहिए जैसे नेता एवं सदस्य आदि।
- उसको इनकी भूमिकाओं को बदलते भी रहना चाहिए।
- वह समूह को कार्य दे एवं इसके साथ ही सामग्री भी वितरित करे।
- वह व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करे।
- वह समूहों एवं समूह के बालकों के मध्य परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करे।

**मित्र व्यवस्था (Buddy System)**—मित्र व्यवस्था एक प्रक्रिया है जिसमें दो छात्र (मित्र) एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं ताकि वे एक-दूसरे का परिवेक्षण कर सकें तथा एक-दूसरे की मदद कर सकें। इस व्यवस्था में छात्र जोड़ों के रूप में कार्य करते हैं। इससे अधिगम एक छात्र से दूसरे छात्र को सीखते हैं। इसमें अलग-अलग योग्यता वाले छात्रों का जोड़ा बनाया जाता है। यह व्यवस्था समावेशी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में मदद करती है।

**सहकारी अधिगम तथा मित्र व्यवस्था के लाभ एवं सीमाएँ**—सहकारी अधिगम तथा मित्र व्यवस्था के कुछ निश्चित लाभ भी होते हैं। यह केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को ही लाभ नहीं पहुँचाता बल्कि अन्य बालकों को भी लाभ पहुँचाता है। यह अधिगम के प्रति व्यक्तिगत जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। यह विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की मदद के लिए सुविधाजनक है। जब सक्षम एवं असक्षम बालक एक ही समूह में एक साथ सीखते हैं तो उपयुक्त एवं सफल परिणाम सामने आते हैं। सहकारी अधिगम की स्थिति में बालक विविधताओं को स्वीकार करना एवं आदर करना सीखते हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक सीखते हैं कि उनमें वे सभी बातें मौजूद हैं जो अन्य बालकों में हैं।

मित्र व्यवस्था में छात्र अपने साथियों से सीखते हैं। इससे छात्रों में तनाव कम होता है। इससे छात्रों में सहयोग बढ़ता है। इससे छात्रों में आत्म-विश्वास में वृद्धि होती है।

सहकारी शिक्षा समूह के अन्य सदस्यों में परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करता है। ऐसी वार्ताएँ नई अवधारणाएँ उत्पन्न करती हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक इन अवधारणाओं को अपने वर्तमान ज्ञानात्मक ढाँचे के साथ समानता दिखाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वह इन नवीन ढाँचों को स्व-में ढालता है। यह सब उसके ज्ञानात्मक आधार को मजबूत करने में मदद करता है।

सहकारी अधिगम एक समूह को नियोजित एवं संगठित करने में बहुत समय लेता है। अगर अध्यापक समूह के सदस्यों का मार्गदर्शन करने में असफल रहता है तो उद्देश्य लुप्त हो जाएगा और प्रक्रिया खिचड़ी बन जाएगी।



3. सामाजिक अधिगम से क्या अभिप्राय है? बैण्डुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धान्त का वर्णन करो।  
(What do you mean by Social Learning? Describe Bandura's Social Learning Theory.)

उत्तर—'सामाजिक अधिगम' से अभिप्राय (Meaning of Social Learning)—प्रेक्षणात्मक अधिगम (Observational Learning) ही सामाजिक अधिगम (Social Learning) कहलाता है। अधिगम के इस रूप को पहले 'अनुकरण' (Imitation) कहा जाता था। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसीलिए इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। हमारे सम्मुख ऐसा अनेकों सामाजिक स्थितियाँ आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण (Observation) करते हैं और उनकी तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को 'मॉडलिंग' (Modeling) भी कहा जाता है।

बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार प्रौढ़ों का प्रेक्षण तथा उनकी नकल करके सीखते हैं। कपड़े पहनना, बालों को सँवारने की शैली और समाज में कैसे रहा जाये, यह सब दूसरों को देखकर सीखा जाता है।

प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अलबर्ट बैण्डुरा (Albert Bandura) ने सीखने में प्रेक्षण (observation) के महत्त्व को स्वीकार कर सीखने के एक नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जिसे बैण्डुरा का सामाजिक सीखने का सिद्धान्त (Bandura's Social Learning Theory) कहा जाता है।

बैण्डुरा के अनुसार पर्यावरण के विद्यमान किसी उद्दीपन के प्रति हम बिना सोचे-समझे अनुक्रिया नहीं करते। हमारे पर्यावरण में चारों ओर विद्यमान तत्त्वों में से सूझ एवं पूर्व की अनुभूतियों के आधार पर कुछ का चयन करते हैं। यह कार्य हम हमारे चारों ओर रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का निरीक्षण कर उनका अनुकरण करते हैं और इस प्रकार हम प्रेक्षण द्वारा सीखने की प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं। बैण्डुरा के अनुसार मानव का व्यवहार संज्ञानात्मक (Cognitive), व्यवहारात्मक (Behavioural) तथा पर्यावरणीय (Environmental) निर्धारकों के बीच अन्तर्क्रिया का परिणाम होता है। अतः मानव क्रिया में निम्नलिखित तीन कारकों का प्रभाव हमेशा रहता है—

- बाहरी वातावरण (External Environment),

(ii) संज्ञानात्मक एवं अन्तरिक घटनाएँ (Cognitive and Internal Events),

(iii) व्यवहार (Behaviour)।

ये तीनों कारक एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाहरी वातावरण (External Environment) में अन्य व्यक्तियों का व्यवहार शामिल है।

बैण्डुरा के अनुसार दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करके तथा उन्हें दोहराकर वैसा ही व्यवहार करना सीख लेता है और उसे भविष्य में दोहराने के लिए अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। इस प्रकार सीखने को मॉडलिंग (Modeling) कहते हैं।

इस प्रकार प्रेक्षण (Observation) द्वारा सीखना सामाजिक सीखने के सिद्धान्त का आधार है। इस सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो भी हम सीखते हैं वह दूसरों को देखने सुनने के पश्चात् अनुकरण द्वारा अर्जित करके सीखते हैं। बच्चा अपनी शुरु की अवस्थाओं से ही दूसरों के व्यवहार का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं। जिसके व्यवहार का बालक ज्यादातर निरीक्षण करते हैं वे हैं—उसके माता-पिता, पड़ोसी, मित्र, अध्यापक तथा समाज के अन्य बजुर्ग सदस्य आदि। बालक उन्हीं का निरीक्षण करते हैं। उदाहरणार्थ—अधिकतर किशोर एवं युवा फिल्मों आदि में जो कुछ देखते हैं उन्हीं का अनुकरण अपने जीवन में करते हैं। प्रेक्षण द्वारा सीखने में व्यक्ति को स्व अनुभवों एवं प्रत्यक्ष अनुभवों की तुलना में अधिक अवसर मिलते हैं।

### सामाजिक सीखने की प्रक्रिया में पद (Steps in Social Learning Process)

इस सीखने की प्रक्रिया में सामान्यतः निम्न पदों का अनुसरण किया जाता है—

**1. व्यवहार पर ध्यान देना और समझना (Attending to and Perceiving the Behaviour)**—इस पद के अन्तर्गत अपने मॉडल के व्यवहार का निरीक्षण शामिल है। सीखने वाले को किसी मॉडल के व्यवहार का निरीक्षण कराया जाता है। इसी पद में सीखने वाले का ध्यान या तो मॉडल के सम्पूर्ण व्यवहार या उसके व्यवहार के किसी विशेष पहलू की ओर आकर्षित किया जाता है। सीखने वाला धीरे-धीरे इसी व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करने लगता है।

**2. व्यवहार को याद करना (Remembering the Behaviour)**—इस पद पर सीखने वाले ने जो कुछ भी निरीक्षण द्वारा देखा या समझा है उसे वह अपनी स्मृति में मानसिक प्रतिमानों (Mental Images) के रूप में अंकित कर लेता है।

**3. स्मृति को क्रिया में लाना (Converting the Memory into Action)**—इसके अन्तर्गत सीखने वाला पर्यावरण में वैसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अथवा स्वयं की आवश्यकता के लिए माँग होने पर स्मृति में अंकित उस व्यवहार का अनुकरण करता है।

**4. व्यवहार के बाद पुनर्बलन (Reinforcement of the Imitated Behaviour)**—इस पद के अन्तर्गत अनुकरण किये गये व्यवहार (Imitated Behaviour) को सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाता है ताकि सीखने वाला मॉडल के व्यवहार को भविष्य में भी अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित कर सके।

**उदाहरण—**बी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हर विषय अध्यापक अपने विषय की पाठ-योजना बनाता है तथा आदर्श के रूप में बी.एड. के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। छात्राध्यापक अपने अध्यापक की प्रत्येक क्रिया एवं व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् वे अध्यापक की प्रत्येक क्रिया तथा प्रश्न पूछने का तरीका, सहायक शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित करने की विधि, छात्रों को सक्रिय रखने की क्रिया और विषय-वस्तु की व्याख्या करने की विधि आदि को अपनी स्मृति में शामिल कर लेते हैं। फिर जब वे स्वयं पाठ पढ़ते हैं तो वे उन सभी क्रियाओं को वैसा ही दोहराने का प्रयास करते हैं तथा आगे के पाठों में भी उन्हें दोहराने का प्रयास करते हैं।

इस प्रकार मॉडलिंग प्रक्रिया द्वारा सीखने की विधि सीखने के लिए एवं व्यवहार में अच्छी आदतों के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है और व्यक्ति अथवा छात्र के प्रत्येक व्यवहार और क्रिया को अनुकरण द्वारा वंछित दिशा प्रदान की जा सकती है।

### सामाजिक अधिगम या सीखने के सिद्धान्त की विशेषताएँ (Characteristics of Social Learning Theory)–

- व्यक्ति अपने जीवन में अधिकांश व्यवहार उस सिद्धान्त द्वारा निर्देशित विधि द्वारा ही सीखता है।
- सामाजिक अधिगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया में निरीक्षण, स्मृति पटल पर अंकन, अनुकरण एवं पुनर्बलन की प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।
- यह सिद्धान्त उद्दीपन-अनुक्रिया के मध्य संज्ञानात्मक आन्तरिक चरों की उपस्थिति (Presence of Internal Cognitive Variables) को मान्यता देता है।
- यह सिद्धान्त व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है।
- इस सिद्धान्त के अनुसार सीखने वाला उन व्यवहारों को ही सीखता है जिन पर उसका ध्यान जाता है और जिनसे वह प्रभावित होता है।

### सामाजिक अधिगम या सीखने के सिद्धान्त की कमियाँ या त्रुटियाँ (Demerits of Social Learning Theory)–

- इस सिद्धान्त में सबसे बड़ी कमी या दोष यही है कि सिखने के लिए आदर्श मॉडल को उपस्थित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है।
- व्यक्ति के सभी व्यवहार अनुकरण द्वारा नहीं सीखे जा सकते।
- यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि आदर्श मॉडल वास्तव में ही आदर्श हैं भी या नहीं।

### सामाजिक अधिगम या सीखने के सिद्धान्त का शिक्षा में प्रयोग (Educational Implications of Social Learning Theory)–

- स्कूलों में अनुकरणीय पाठ्य सहगामी क्रियाओं (Co-curricular Activities) का आयोजन करना चाहिए।
- इस सिद्धान्त के अनुसार अध्यापकों को छात्रों के सफलतापूर्वक निरीक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- यह सिद्धान्त पर्यावरण में उपलब्ध व्यक्ति, क्रिया अथवा घटना आदि का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है। अतः स्कूलों में ऐसा पर्यावरण उत्पन्न करना चाहिए कि बालक उन्हें देख कर सीख सकें।
- प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को स्वयं को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि छात्र उनका अनुकरण कर अच्छे व्यवहार को सीख सकें।
- अध्यापकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे टेलीविजन पर कौन से कार्यक्रम देखते हैं। उन्हें अनुकरणीय कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- विद्यार्थियों के लाभ के लिए अध्यापकों को कभी-कभी ऐसा बनावटी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न करनी चाहिए जो अनुकरण द्वारा सीखने में सहायक हों।



### चिंतन शिक्षण (Reflective Teaching)

#### 4. चिंतन स्तर के शिक्षण का वर्णन कीजिए। (Describe teaching of reflective level.)

**उत्तर—**चिंतन स्तर का शिक्षण (Teaching of Reflective Level)—इसे मनन-स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है। यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का सर्वोच्च स्तर है तथा स्मृति-स्तर पर बोध-स्तर

की तुलना में यह अधिक विचार-युक्त एवं उपयोगी होता है, परन्तु यहाँ ध्यातव्य है कि इस स्तर पर विद्यार्थी तभी अधिगम-अनुभव प्राप्त कर सकता है, जब उसने स्मृति-स्तर व बोध-स्तर अर्जित किए हों। एक प्रकार से यह स्तर (चिन्तन-स्तर) तो दोनों स्तरों (स्मृति-स्तर व बोध-स्तर) का मिश्रण है। यदि इन दोनों स्तरों पर शिक्षण-अधिगम में कमी रह जाती है, तब इस स्तर पर शिक्षण-अधिगम करना असंभव है।

चिन्तन-स्तर के शिक्षण को परिभाषित करते हुए मॉरिस एल. बीगे (Morris L. Bigge-1967) ने लिखा है—“Reflective level teaching tends to develop the class-room atmosphere which is more alive and exciting, more critical and penetrating and more open to fresh and original thinking.”

अर्थात्—“चिन्तन-स्तर का शिक्षण ऐसा कक्षा-वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो कि अधिक सजीव और उत्साहवर्धक हो, अधिक आलोचनात्मक और गहराई तक ले जाने वाला हो तथा ताजी और मौलिक सोच के लिए अधिक खुला हो।”

इसी प्रकार डॉ. एस.सी. ओबराय ने चिन्तन-स्तर के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है—“चिन्तन-स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जिसकी प्रकृति समस्या केन्द्रित हो और विद्यार्थी मौलिक कल्पना में व्यस्त हो तथा विषय के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उपागम (Approach) होने के साथ-साथ गंभीर प्रकार का चिन्तन करता हो। इसमें विद्यार्थी तथ्यों और सामान्यीकरणों की खोज करता है। चिन्तन-स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति और बोध-स्तर के शिक्षण की शर्त पूरी करनी पड़ती है।”

इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाया जाता है। वैसे भी मानव-जीवन में संकट की घड़ियाँ आती रहती हैं। कभी तो समस्याएँ शीघ्र सुलझ जाती हैं तो कभी विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए व्यक्ति में चिन्तन-कौशल की अपेक्षा की जाती है। अतः विद्यार्थियों को स्वयं ही तर्क, कल्पना एवं चिन्तन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह शिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। चिन्तन-स्तर के शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थी को अपना बौद्धिक विकास करने का अवसर प्रदान करता है और उसकी सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करता है।

इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों के सम्मुख ऐसी समस्याएँ उत्पन्न करता है, जिससे विद्यार्थियों में इतना मानसिक तनाव उत्पन्न होता है कि वे स्वयं प्रेरित होकर सक्रिय रूप से उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उपकल्पनाएँ (Hypothesis) बनाने लगते हैं और उनका परीक्षण भी करते हैं।

चिन्तन-स्तर के शिक्षण का प्रतिमान (Model of Reflective-Level Teaching) : इस प्रतिमान का प्रवर्तन प्रसिद्ध विद्वान हंट (Hunt) ने किया है। अतः इसे हंट का शिक्षण-प्रतिमान (Hunt's Teaching Model) भी कहा जाता है। इस प्रतिमान का प्रारूप निम्नलिखित चार पक्षों से मिलकर बना है:

(अ) उद्देश्य (Focus)(आ) संरचना (Syntax)

(इ) सामाजिक प्रणाली (Social System)

(ई) मूल्यांकन प्रणाली (Support System)

इन चारों पक्षों का विवेचन इस प्रकार है :

(अ) उद्देश्य (Focus) : इस शिक्षण-प्रतिमान के अनुसार शिक्षण-अधिगम प्रत्यय के निम्नलिखित तीन उद्देश्य होते हैं :

(i) विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना।

(ii) विद्यार्थियों की स्वतंत्र तथा मौलिक चिन्तन शक्ति का विकास करना।

(iii) विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक (Creative) चिन्तन का विकास करना।

(आ) संरचना (Syntax) : इस शिक्षण की संरचना का स्वरूप व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार की प्रकृति रखता है। इसकी संरचना निम्नलिखित चार सोपानों में बाँटी जा सकती है :

(i) प्रथम सोपान : इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के सामने समस्यात्मक परिस्थिति पैदा करता है।

(ii) दूसरा सोपान : इसमें विद्यार्थी समस्या-समाधान के लिए नई-नई उपकल्पना (Hypothesis) बनाते हैं। कभी-कभी समस्या-समाधान के लिए एक से अधिक उपकल्पनाएँ भी बनाई जा सकती हैं।

(iii) तीसरा सोपान : इसमें विद्यार्थी उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए आवश्यक तथ्यों या आँकड़ों को इकट्ठा करते हैं। इन आँकड़ों या तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि बनाई गई उपकल्पना समस्या के समाधान में सहायता कर सकती है या नहीं।

(iv) चौथा सोपान : इसमें उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। इसी परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो कि विद्यार्थियों के मौलिक विचार होते हैं।

(इ) सामाजिक प्रणाली (Social System) : चिन्तन-स्तर के शिक्षण में कक्षा-वातावरण खुला और स्वतंत्र होता है। इस स्तर पर विद्यार्थी का स्थान प्रमुख और अध्यापक का स्थान गौण (Secondary) होता है। इस स्तर के शिक्षण में अध्यापक तीन कार्य करता है :

(i) विद्यार्थियों के सामने समस्या पैदा करना या रखना।

(ii) शिक्षण-प्रक्रिया के दौरान वाद-विवाद (Discussion) आदि का आयोजन करना।

(iii) विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर (Level of Aspiration) को ऊँचा उठाना।

डॉ. एस.सी. ओबराय ने उचित ही कहा है—“इस स्तर के शिक्षण में समस्या का समाधान करने के लिए सभी विद्यार्थी सक्रिय एवं संवेदनशील (Active and Sensitive) हो जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों की स्वतः प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा दोनों का ही विशेष महत्त्व है।”

(ई) मूल्यांकन प्रणाली (Support System) : चिन्तन-स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों (Performances) के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा (Objective Type Tests) उपयोगी नहीं होती। विद्यार्थियों की क्षमताओं का उचित मूल्यांकन केवल निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा उचित ढंग से किया जा सकता है। चिन्तन-स्तर की परीक्षा लेते समय शिक्षक को निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखने चाहिए :

(i) उसे विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों (Attitudes) तथा विश्वासों (Beliefs) का मूल्यांकन करना चाहिए।

(ii) अधिगम की क्रियाओं में विद्यार्थियों की संलिप्तता (Involvement) की जाँच करनी चाहिए।

(iii) विद्यार्थियों की आलोचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास किस सीमा तक हुआ है, इसकी जाँच करनी चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि चिन्तन-स्तर के शिक्षण-अधिगम में शिक्षक की भूमिका जनतन्त्रात्मक (Democratic) होती है। वह विद्यार्थियों पर ज्ञान को थोपता नहीं है, बल्कि उनमें योग्यताओं का विकास करता है और विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस स्तर के शिक्षण में विषय-वस्तु व्यवस्थित और पूर्व-नियोजित नहीं होती बल्कि परिस्थिति केन्द्रित होती है।

चिन्तन-स्तर के शिक्षण-अधिगम के लिए सुझाव : हंट महोदय ने इस स्तर के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :

(i) इस स्तर का शिक्षण तभी होना चाहिए जब विद्यार्थी स्मृति और बोध-स्तर के शिक्षण की परीक्षा पास कर लें।

(ii) इसमें शिक्षक इन चारों सोपानों का अनुकरण दृढ़ता से करे।

(iii) अधिगम के लिए विद्यार्थी समस्या के प्रति संवेदनशील हो तथा शिक्षक समस्या की आवश्यकता उत्पन्न करे।

- (iv) शिक्षक विद्यार्थियों का समस्या में सलिलप्त होने के लिए उनका आकांक्षा स्तर ऊँचा उठाए।  
 (v) शिक्षक समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे विद्यार्थियों में मौलिक और सृजनात्मक चिन्तन का विकास हो।  
 (vi) विद्यार्थी समस्या को ठीक से समझें ताकि वे उपकल्पनाओं (Hypothesis) का निर्माण कर सकें।

चिन्तन-स्तर की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के गुण : इस स्तर के शिक्षण-अधिगम के गुण निम्नलिखित हैं:

1. इस स्तर का शिक्षण-अधिगम पूर्णतः विद्यार्थी केन्द्रित होता है, न कि शिक्षक-केन्द्रित अथवा विषय-केन्द्रित।
2. इस स्तर का शिक्षण-अधिगम स्मृति व बोध-स्तर के शिक्षण-अधिगम की तुलना में कहीं अधिक विचारयुक्त एवं उपयोगी होता है।
3. इस स्तर के शिक्षण-अधिगम से विद्यार्थियों में समस्या-समाधान करने की क्षमताओं का विकास होता है।
4. इसमें शिक्षक-विद्यार्थी के बीच अन्तःक्रिया होती रहती है।
5. इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है।

चिन्तन-स्तर की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दोष (Demerits) : इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं:

1. यह केवल उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं है।
2. इसमें पाठ्य-वस्तु के व्यवस्थित व क्रमबद्ध न होने से विद्यार्थी क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
3. इसमें किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जा सकता है।



#### 5. बहुइन्द्रिय शिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (Write a short note of multisensory teaching.) (June 2018)

उत्तर—बहुइन्द्रिय शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें बहुइन्द्रिय शिक्षण तकनीकों तथा व्यूह रचनाओं का प्रयोग होता है। अधिगम असमर्थता तथा अधिगम कठिनाई वाले बालकों के अधिगम के लिए बहुइन्द्रिय शिक्षण तकनीक का अभिप्राय एक से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग करके सीखाने में कठिनाई होती तो बहुइन्द्रिय शिक्षण उसके अधिगम में मदद करता है। बहुइन्द्रिय शिक्षण तकनीक का अभिप्राय एक से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग करके सीखाने में मदद करना है। यदि किसी बच्चे को अधिगम में कठिनाई होती तो बहुइन्द्रिय शिक्षण उसके अधिगम में मदद करता है। बहुइन्द्रिय शिक्षण बहुइन्द्रिय अधिगम में मदद करता है। बहुइन्द्रिय अधिगम वह अधिगम होता है जिससे एक ही क्रियाकलाप में दो या दो से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे सीखने के लिए अनेक इन्द्रियों का प्रयोग करते हैं। जब एक ही क्रियाकलाप में अनेक इन्द्रियों का प्रयोग करते हैं तो उस अधिगम को बहुइन्द्रिय अधिगम कहा जाता है। बच्चा संसार के बारे में देखकर, सुनकर स्पर्श करके तथा शारीरिक हलचल के द्वारा सीखता है। जब बच्चा बहुइन्द्रियों के माध्यम से सीखता है तो वह अच्छे तरीके से सीखता है।

बहुइन्द्रिय शिक्षण तकनीकों तथा व्यूहरचनाएँ बच्चों को बहु-स्तरों में लगाकर उनके अधिगम में वृद्धि करती है। ये बच्चों को इन्द्रियों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करती हैं। इससे बच्चे समस्या का समाधान करना सीखते हैं तथा उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। अधिकतर शिक्षण तकनीकों का प्रयोग दृश्य तथा श्रव्य के प्रयोग द्वारा ही किया जाता है। बच्चे सूचना पढ़ने में विषय वस्तु को देखने में तस्वीरें देखने

में, बोर्ड से सूचना पढ़ने में दृश्य इन्द्रिय का प्रयोग करते हैं। श्रव्य इन्द्रिय का प्रयोग किया जाता है जब बच्चे अध्यापक को सुनते हैं। जब बच्चों को सुनने तथा देखने में कठिनाई होती है तो स्पर्श तथा शारीरिक हलचल का प्रयोग करते हैं।

जब बच्चों को बहुइन्द्रिय शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है तो एक साथ दो या दो से अधिक माध्यमों (Modes) का प्रयोग किया जाता है। बहुइन्द्रिय शिक्षण किसी भी अधिगम शैली में बच्चों के लिए आदर्श होता है। **Albert Einstein said, "Learning is experiencing, Everything else is jaust information. We must use our senses whole we are teaching and learning. We have a need to see, touch, taste feel or heat the things around us. We use our senses to study the new objects so we can understands them better."**

दृष्टि और दृष्टि-कौशलों के लिए बहुत से कार्यक्रम विकसित किये गये हैं तथा कई मनोभाषीय प्रक्रियाएँ (Psycholinguistic processess) भी विकसित की गई हैं। बहु-इन्द्रिय कार्यक्रम शैक्षिक सामग्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर बल देते हैं। बहु-इन्द्रिय विधियों में बच्चे की इन्द्रिय प्रणाली के संयोग (Combination) पर ल देती हैं। इसमें अवधारणा यही होती है कि यदि एक से अधिक दृष्टि अधिगम-अनुभवों में भाग लेती है तब बच्चे बेहतर सीखते हैं। उदाहरण—फर्नाल्ड (Fernald) की VAKT विधि। इसमें V(Visual), A(Auditory), K(Kinesthetic) तथा T(Tactual) है। शब्दों को सीखने के लिए, सर्वप्रथम बच्चा शब्द को देखता (Auditory) है तथा अन्त में बच्चा उसी शब्द को छूता (Kinaesthetic and tactual) है।



#### 4.2 शिक्षण में सहायता सेवाएँ तथा भागेदारी (Support Services and Partnership in Teaching)

#### 6. परिवार क्या है? परिवार तथा विद्यालय में सहयोग का वर्णन कीजिए।

उत्तर—परिवार की परिभाषा (Meaning and Definition of Family)—परिवार अथवा घर किसी समाज अथवा राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। समाजशास्त्र की दृष्टि से परिवार सबसे पहला, छोटा और मूलभूत सामाजिक समूह है। इसमें प्रायः पति-पत्नी एवं उनकी संतान संगठित रूप से एक स्थान पर रहते हैं। एक परिवार में एक से अधिक सभ्य दम्पति एवं उनकी संतानें हो सकती हैं। परंतु इनमें रक्त का सीधा संबंध होना आवश्यक है। मैकाइवर तथा पेज (Mciver and Page) ने परिवार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है, "परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री-पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन-पालन की व्यवस्था करता है।" ("Family is a group in which there are sex relations between man and woman and which gives birth to the children and brings them up.")

क्लेयर (Clare) के अनुसार, "परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता-पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है।" ("By family we mean a systems of relationship existing between parents and children.")

बरगैस तथा लॉक के विचारानुसार, "परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो विवाह, रक्त द्वारा अपनाये गये हैं, रिश्तों में बंधकर एक घर का निर्माण करते हैं। पति-पत्नी, लड़का-लड़की, भाई बहन आदि की संबंधित भूमिका द्वारा उनमें परस्पर संबंध स्थापित होता है और इस प्रकार वे सामान्य संस्कृति का निर्माण एवं उनकी व्यवस्था करते हैं।" ("A family is a group of person united by the ties of marriage, blood or adopting constituting a single household, interacting and

inter communicating with each other in their respective social role of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister and creating and maintaining a common culture.”—Burgess and Locke)

भारतीय परिवारों का विश्लेषण करने पर उनमें पाँच तत्त्वों देखने को मिलते हैं—

1. दाम्पत्य जीवन
2. रक्त का संबंध
3. संयुक्त उत्तरदायित्व
4. कार्य विभाजन
5. एक दूसरे की सुविधा का ध्यान।

परिवार के निर्माण का मूलभूत कारण दो भिन्न लिंगियों के दाम्पत्य जीवन में बंधन की इच्छा है।

दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए वे अपना एक घर बनाते हैं और उसमें एक साथ रहते हैं। दाम्पत्य जीवन द्वारा ही वे अपने वंश की वृद्धि करते हैं। परिवार में बच्चों के प्रवेश से उनका पालन-पोषण का दायित्व बढ़ता है। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह पति-पत्नी संयुक्त रूप से करते हैं। युवक होने पर बच्चे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं और या तो माता-पिता के परिवार में रहकर संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। या अपना अलग परिवार बनाते हैं दो या दो से अधिक सहोदर या उनकी संतानों भी संयुक्त परिवार के सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्यों में रक्त का संबंध होना दूसरा मूल तत्त्व है। भारतीय परिवारों को तीसरी विशेषता यह है कि उसके सदस्य परिवार का सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपना कर्तव्य समझते हैं। अपने संयुक्त उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए वे कार्य का विभाजन करते हैं। किसी भी स्थिति में उनमें प्रेम और सहयोग रहता है और जब उनमें ये भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं तो परिवार टूट जाता है। इस समस्त विवेचना के आधार पर परिवार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है—“परिवार एक या एक से अधिक उन दम्पतियों एवं उनमें उत्पन्न होने वाले बच्चों का सामाजिक समूह होता है। जिसके पुरुषों में रक्त का संबंध होता है और जिसके सदस्य एक स्थान पर रहकर संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए अपना जीवन चलाते हैं।”

**परिवार शिक्षा के अभिकरण के रूप में (Family as an Agency of Education)**—प्रारम्भ में परिवारों का विधान सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए हुआ था। आज भी उनका यही उद्देश्य होता है परंतु इन परिवारों में बच्चे जाने अनजाने बहुत कुछ सीखते हैं। सच पूछिए तो बच्चे की शिक्षा का आरंभ इन्हीं परिवारों से होता है। मां की गोद बच्चे का सर्वप्रथम विद्यालय होता है तथा उसकी मां उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका है। परंतु परिवार में होने वाली इस शिक्षा के न तो उद्देश्य निर्धारित होते हैं न पाठ्यक्रम और न ही शिक्षा विधियाँ। इस प्रकार परिवार शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। आदि युग में मनुष्य अपना जीवन पशु स्तर पर व्यतीत करता था। वह अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करता था जिसे आज घर कहते हैं। परंतु उस घर के सदस्यों में आज जैसे भावात्मक संबंध नहीं होते थे उस समय विवाह प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए पशु-पक्षियों की भाँति स्वच्छंद था। भावात्मक संबंध के अभाव में नवजात शिशु के पालन-पोषण में बड़ी बाधा पड़ती थी। मां की ममता से बच्चों के पालन-पोषण का पूरा-पूरा भार मां पर ही पड़ता था तो कभी-कभी यह असंभव हो जाता था। इसके अतिरिक्त मनुष्य की वृद्धा अवस्था पर उसकी देखभाल की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इन आवश्यकताओं और इसी प्रकार की अनेक अन्य आवश्यकताओं ने मनुष्य को परिवार में बाँध दिया। इस प्रकार परिवार सबसे पहला छोटा और मूलभूत सामाजिक समूह है।

### परिवार के शैक्षिक कार्य (Educational Functions of Family)

घर या परिवार के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं—

**1. बच्चों का शारीरिक विकास (Physical Development of Children)**—बच्चों का पालन-पोषण प्रायः परिवारों में ही होता है। भारत में तो बच्चों के पोषण का एक मात्र साधन परिवार ही होते हैं। पोषण संस्थान के रूप में परिवार बच्चों के खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं। उनकी देखभाल करते हैं और रोगग्रस्त होने पर उनका इलाज करते हैं। शिक्षा के अभिकरण के रूप में ही बच्चों को ऐसा नियमित

जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण देते हैं, जो स्वास्थ्य लाभ तथा उनकी रक्षा के लिए आवश्यक होता है। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर समय पर उठना, खड़े होना तथा चलना और समय पर निद्रा लेना आदि सीखते हैं। इनसे उनका शारीरिक विकास होता है।

विद्यालय के सहयोगी के रूप में परिवार बच्चों को विद्यालयों में आयोजित स्वास्थ्यप्रद क्रियाओं में भाग लेने की प्रेरणा देते हैं। परिवारों को यह देखना चाहिए कि उनके बच्चे विद्यालयों में उपलब्ध स्वास्थ्य लाभ संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं या नहीं। जब बच्चे रोगग्रस्त हो जाते हैं तो विद्यालय उनके अभिभावकों को सूचित करते हैं। तब परिवार के सदस्य ही उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में सीखे स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन यदि परिवार में न कराया जाये तो वे सब कार्य व्यर्थ ही होंगे। विद्यालय में तो बच्चे कुछ समय के लिए ही होते हैं। उचित आदतों के निर्माण के लिए जो परिवार बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा संबंधी उचित आदतों के निर्माण में विद्यार्थियों का सहयोग नहीं करते, वे अपना उत्तरदायित्व से विमुख ही कहे जायेंगे।

**2. मानसिक विकास का अभिकरण (Agency of Mental Development)**—प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर उसका विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में रखकर इन्द्रियानुभव कराया जाये। इस अनुभव के आधार पर उनमें जो बातें जानने की उत्कण्ठा हो उसका उचित समय उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाये और फिर उन्हें अभिव्यक्ति के लिए अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान किये जाएँ। मानसिक विकास की ओर यह सबसे पहला पग होता है। परिवार में बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन करने, प्रत्येक नई बात को जानने, आपसी जिज्ञासा शांत करने तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए माता-पिता का प्यार भरा वातावरण मिलता है। अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इस भाषा को बच्चे परिवार में ही सीखते हैं। बच्चे जन्म से कुछ दिन बाद ही अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर भाषा सीखना आरंभ कर देते हैं। यही कारण है कि बच्चे जिस भाषा-परिवार में जन्म लेते हैं और पलते हैं उसी की भाषा सीख जाते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास में पहेलियों तथा कहानियों का भी बड़ा हाथ होता है। हमारे भारतीय परिवारों में बूढ़ी दादी, नानी और अम्मा आदि का भी बड़ा महत्त्व होता है। हमारे भारतीय परिवारों में घर के वयस्क लोग बच्चों को स्तरानुकूल कहानियाँ सुनाकर उनकी कल्पना-शक्ति विकसित करते हैं। पहेलियों द्वारा बच्चों का मानसिक व्यायाम कराया जाता है। यह बात कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि शिक्षित परिवारों का शैक्षिक पर्यावरण बच्चों को उच्च मानसिक स्तर की ओर अग्रसर करने में बड़ा सहायक होता है। परंतु अशिक्षित परिवारों में इस सबकी आशा करना व्यर्थ है। उनमें रहकर बच्चे न शुद्ध भाषा सीखते हैं और न तर्कपूर्ण विचार करना।

विद्यालय के सहयोगी के रूप में भी परिवार बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होते हैं। विद्यालयों में बच्चों के मानसिक विकास के लिए अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता सामाजिक परिस्थितियों में अधिक अच्छे ढंग से समझी जा सकती है। परिवार इसमें और सहायक होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि विद्यालयों में घर के लिए दिया हुआ कार्य बच्चे तब अधिक रुचि और लगन के साथ करते हैं जब उसके परिवार के सदस्य उन्हें वैसा करने की प्रेरणा देते हैं। विद्यालय का शिक्षक विशेषकर आज के युग में बच्चों के पीछे-पीछे नहीं फिर सकता। विद्यालय से जाने के बाद बच्चे अपना कार्य पूरा करते हैं या नहीं यह बहुत कुछ परिवार के सदस्यों पर ही निर्भर करता है।

**3. नैतिक विकास के अभिकरण के रूप में (As an Agency of Moral Development)**—बच्चे कुछ मूल प्रवृत्तियाँ लेकर पैदा होते हैं। प्रारंभ में भी उनका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके वे अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करते हैं। जिस परिवार का जैसा चारित्रिक एवं नैतिक स्तर होता है, बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों के सदस्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति और विश्वास आदि की भावना होती है। उन परिवारों के बच्चे प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का चारित्रिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आदर्श पारिवारिक पर्यावरण में बच्चों में उत्तम चरित्र के लिए आवश्यक

अच्छी आदतें और राष्ट्र के प्रति प्रेम के स्थायी भाव बनते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चे आज्ञापालन, कर्तव्यपालन, सत्यता, ईमानदारी, दया, परोपकार और बलिदान जैसे उत्तम गुणों को ग्रहण करते हैं, जिन परिवारों का पर्यावरण धार्मिक होता है उन परिवारों के बच्चों में जो चारित्रिक एवं नैतिकता की भावना का विकास होता है वह बहुत सुदृढ़ होता है। परिवारों का उच्च धार्मिक पर्यावरण बच्चों को सभ्य एवं शिष्ट बनाता है। यदि परिवारों का पर्यावरण दूषित होता है तो फिर उन परिवारों के बच्चे भी दूषित बनते हैं। विद्यालय के सहयोगी के रूप में भी परिवार बच्चों का चारित्रिक तथा नैतिक विकास करने में सहयोग करते हैं। कोई भी समाज विद्यालयों का विधान अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए करता है। जिन परिवारों को इस सत्य का ज्ञान होता है वे अपने बच्चों को विद्यालयों के नियमों—समय पर जाना, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना, सबसे प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, शान्ति के साथ चलना-फिरना, समय पर खेलना-कूदना, समय पर आयोजित सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना, अध्ययन कार्य में रुचि लेना, विद्यालय में प्राप्त चारित्रिक एवं नैतिक शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में अपनाने की ओर अग्रसर करना आदि बिना परिवारों के सहयोग के संभव नहीं होगा तो विरोधी मान्यताओं के बीच हमारे बच्चे पिस जायेंगे।

**4. सामाजिक विकास (Social Development)**—एक परिवार सर्वप्रथम, छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह है। इस सामाजिक समूह के सामाजिक पर्यावरण में बच्चे प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तथा इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ पर वे एक दूसरे की सहायता करना सीखते हैं उचित तथा अनुचित ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकास भी परिवार में ही प्रारंभ होता है। परिवार के बच्चे एक दूसरे के साथ समायोजन करना सीखते हैं। बिना इन सब बातों के एक व्यक्ति सामाजिक नहीं बन सकता। परिवार में रहते हुए भी बच्चे अन्य सामाजिक समूहों से दूर नहीं रहते। दो वर्ष की आयु होने पर घर से बाहर निकलकर खेलने-कूदने लगते हैं। जिन घरों में जितनी अधिक सामाजिक भावना होती है। उन घरों में उतनी ही अधिक सामाजिकता की ओर बढ़ते हैं। अपनी-अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का ज्ञान बच्चे परिवारों में ही प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन के धार्मिक संस्कार भी बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करते हैं।

वर्तमान युग में विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज हम अपने राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को मिल-जुलकर कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। बच्चों से हम यह आशा करते हैं कि वे श्रम का महत्त्व समझें, सभी मनुष्यों को मनुष्य समझें। विद्यालय अपने इन आदर्शों की प्राप्ति तब ही कर सकता है जब विद्यालय में आने वाले बच्चों के परिवार भी इन आदर्शों में विश्वास रखते हों। तभी वे अपने बच्चों को उत्साहित करेंगे और समाज-सेवा के कार्यों में हाथ बंटाने के लिए गंदी बस्तियों एवं गांवों में अपने बच्चों को जाने की आज्ञा देंगे।

**5. सांस्कृतिक विकास (Cultural Development)**—बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है उसकी भाषा सीखता है तथा उसी के रहन-सहन, खान-पान तथा व्यवहार के तरीके सीखता है। रीति-रिवाज, मूल्य और मान्यताओं की शिक्षा भी बच्चा परिवार में ही पाता है। यहीं उसकी रुचियों तथा पसंदों का विकास होता है। बच्चे जैसे पर्यावरण में रहते हैं उनकी पसंद तथा रुचियां भी उसी प्रकार की होती हैं। सफाई पसंद और कला प्रेमी परिवारों में बच्चों में सौंदर्य भावना का विकास स्वभावतः होता है। भाषा रहन-सहन, खानपान, रीति-रिवाज, मूल्य तथा मान्यताओं के प्रति बचपन में पड़े संस्कार अमिट होते हैं। ये संस्कार उसे अपनी संस्कृति से अलग नहीं होने देते हैं और इस प्रकार संस्कृति के संरक्षण में परिवारों का योगदान सबसे अधिक होता है।

भारत विविधताओं का देश है। यहां के विद्यालयों में किसी एक संस्कृति की शिक्षा देना संभव नहीं है। इनमें तो विभिन्न सांस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देता है। जिसके मूल आधार तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति ही हैं, परंतु इसका रूप कुछ नया है। बच्चों में विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उदारता का भाव उत्पन्न करने के लिए परिवारों के सहयोग के बिना विद्यालय इसमें सफलता प्रदान नहीं कर सकता।

**6. व्यवसायिक विकास (Vocational Development)**—जब तक हमारे समाज का रूप सरल रहा तब तक इस प्रकार की शिक्षा परिवारों में ही दी जाती थी। परंतु अब ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि उन सब की शिक्षा परिवारों द्वारा संभव नहीं है। आज के मानव ने इतने भौतिक साधनों

व उपसाधनों का विकास किया है कि उन सबके निर्माण की कला घर की चार दीवारी में सीखी नहीं जा सकती। उन सबके लिए विद्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सच है कि कृषक का बच्चा आज भी खेती करने की शिक्षा घर पर ही पाता है। इसी प्रकार बढ़ईगिरी (Carpentry), लुहारगिरी (Ironsmithy), सूत कातना, कपड़े बुनना, चमड़े का सामान बनाना इत्यादि अनेक कार्य व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यों की शिक्षा आज भी परिवारों में ही हो सकती है। विशेष योग्यता प्रदान करने के लिए विद्यालयों के महत्त्व को स्वीकार किया जाता है। बड़े-बड़े उद्योगों की शिक्षा के लिए विद्यालयों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। परंतु उसमें भी परिवारों का सहयोग रहता है। परिवार बच्चों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें यथाग्रहण शिक्षा लेने का अवसर प्रदान करता है। उनमें विशेष प्रकार की क्षमता प्राप्त करने के लिए अवसर जाग्रत करते हैं। बच्चों में रुचि व रुझान का विकास करने तथा उन्हें यथा क्षेत्रों में क्रियाशील करने में परिवारों का जो महत्त्व है उसे भुलाया नहीं जा सकता।

**7. आध्यात्मिक विकास (Spiritual Development)**—भारत एक धर्म प्रधान देश है। हमारे यहाँ सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं। जब बच्चे अपने परिवार में अपने माता-पिता तथा भाई-बहन को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में देखते हैं तो उन क्रियाओं के प्रति वे स्वाभाविक आकर्षित होते हैं। धीरे-धीरे उनमें इन क्रियाओं के प्रति स्वाभाविक भाव बन जाते हैं। बड़े होने पर वे अपने धर्म एवम् मान्यताओं से परिचित होते हैं। धर्म के प्रति बचपन से उनमें पड़े वे संस्कार अमिट होते हैं। धर्म कोई भी हो वह हम को आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाता है और हमारे सामाजिक व्यवहार की दिशा निश्चित करता है। इसकी मदद से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। जिन परिवारों के सदस्य धार्मिक भावना से पूर्ण नहीं होते और जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करते उनके बीच रहकर बच्चों का आध्यात्मिक विश्वास नहीं होता, परंतु ऐसे परिवार हमारे देश में बहुत कम हैं। भारत में धर्म भी अनेक हैं। विद्यालयों में सभी धर्मों की शिक्षा भी संभव नहीं है। यदि ऐसा किया तो विभिन्न धर्मों में लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि हमारा देश एक ऐसा विधान रखता है जिससे विद्यालय में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने की बात कही है, परंतु बिना धर्म के हमारा नैतिक उत्थान नहीं हो पा रहा है। इसलिए विद्यालयों में सभी धर्मों में मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने की बात कही है। विद्यालय इस कार्य में तब तक सहयोग नहीं दे सकता, जब तक परिवार उनका सहयोग नहीं करते।

**8. भावात्मक विकास (Emotional Development)**—परिवार बच्चों के भावात्मक विकास का आधार है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को संपूर्ण स्नेह प्रदान करें ताकि उनमें भावनात्मक संरक्षण की भावना का विकास हो। माता-पिता को सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और उन्हें बच्चों की उचित समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए। बच्चों को यह अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि उनकी अवहेलना होती है और वे अवांछित बच्चे हैं। माता-पिता को परिवार में मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि भावनायें सदा ग्रहण की जाती हैं, सिखाई नहीं जाती हैं।

**9. नागरिक विकास (Civic Development)**—बच्चा उच्च नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बनों और पिता के आलिंगनों से सीखता है। बच्चा परिवार से कई नागरिक गुणों को सीखता है। यह परिवार ही है जो बच्चों को अपने कर्तव्य और दायित्व को अपनाने व पहचानने और निभाने में सहायता प्रदान करता है। यह बच्चे में अनुशासन, सहयोग तथा सहनशीलता के गुणों को विकसित करता है।

### भारतीय परिवार की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के सुझाव (Measures to make Indian Family an Effective Agency of Education)

भारतीय परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

**1. शारीरिक विकास की व्यवस्था (Provision for Physical Development)**—परिवार को चाहिए कि वह बच्चों के शारीरिक विकास की समुचित व्यवस्था करें जिसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

(i) हवादार घर—जहाँ वायु, धूप तथा प्रकाश का पर्याप्त प्रावधान हो।

- (ii) संतुलित एवम् पौष्टिक भोजन समय पर।
- (iii) स्वच्छ व आरामदायक वस्त्र।
- (iv) व्यायाम, खेलकूद तथा विकास की व्यवस्था।
- (v) व्यक्तिगत स्वच्छता—माता-पिता को चाहिए वे बच्चों में प्रातः दांत साफ करने, स्नान करने, नाखून साफ करने तथा शरीर को स्वच्छ रखने की आदतें डालें।

## 2. बौद्धिक विकास की व्यवस्था (Provisions for Intellectual Development)

—बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहली बॉक्स, चित्र, पहेलियां, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। माता-पिता को चाहिए कि रात को सोते समय कहानियां तथा पहेलियां सुनायें।

## 3. भावात्मक विकास (Emotional Development)

—माता-पिता को बच्चे की विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए, उन्हें परिवार में मैत्री ढंग से रहना चाहिए। उन्हें बच्चों को उचित स्नेह प्रदान करना चाहिए ताकि उनमें भावात्मक संरक्षण की भावना का विकास हो।

## 4. चारित्रिक विकास (Character Development)

—परिवार के बच्चों में सहानुभूति, सहनशीलता, सदाचार, सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, परोपकार, कर्तव्यपरायणता और आत्मत्याग आदि गुणों को विकास होना चाहिए। परिवार में बच्चों के सामने अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए।

## 5. सामाजिक विकास (Social Development)

—परिवार को आरंभ से ही बच्चों को रीति-रिवाजों, उठने-बैठने और अभिवादन करने के ढंगों को सीखाना चाहिए जिससे नये लोगों के मिलने पर बालक झिझक महसूस न करें।

## 6. सांस्कृतिक विकास (Cultural Development)

—परिवार को बालक के मन में अच्छी सभ्यता और संस्कृति के बीज बोने चाहिए। बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए उनके सामने अच्छे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

## 7. धार्मिक एवम् आध्यात्मिक विकास (Religious and Spritual Development)

—परिवार के वृद्ध सदस्यों को चाहिए कि बच्चों को धार्मिक नेताओं की जीवनियों और उनकी मान्यताओं से परिचित करायें। बच्चों को दैनिक प्रार्थनाओं, धार्मिक स्थानों में पूजा तथा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् की भावना को विकसित करना चाहिए।

## 8. नागरिकता का विकास (Civil Development)

—परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे आरंभ से ही बच्चों को नागरिकता व कर्तव्य के अधिकार बतायें जिससे उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़े जिससे उनमें बड़े होने पर नागरिकता की भावना का उचित विकास होगा।

## 9. सौन्दर्यात्मक विकास (Esthetic Development)

—इसके लिए घर के वातावरण को सुंदर बनाने की व्यवस्था है।

## 10. माता-पिता को शिक्षित करना (Education the Parents)

—परिवार की शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय परिवारों से निरक्षरता को दूर किया जाये। अभिभावकों को एक निश्चित स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाये ताकि उनमें भली-भांति काम करने की इच्छा जाग्रत हो।

## परिवार व विद्यालय में सहयोग (Co-operation between Family, Home and School)

परिवार और विद्यालय दो शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। दोनों के सक्रिय सहयोग से ही बालक की शिक्षा पूर्ण हो सकती है। जहाँ विद्यालय में बालक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, वहाँ परिवार में उसे व्यावहारिक जीवन की शिक्षा प्राप्त होती है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है

कि परिवार और विद्यालय दोनों एक दूसरे के उद्देश्य और महत्त्व को समझें तथा एक दूसरे की क्रियाओं में सहयोग तथा सहायता प्रदान करें। परिवार और विद्यालय के निकट सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य विनोबा भावे ने कहा है—“विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाने से विचार निर्जीव हो जाते हैं तथा जीवन-विचार शून्य हो जाता है। मनुष्य परिवार में जीता है व विद्यालय में विचार सीखता है। अतः जीवन व विचार में मेल नहीं भ्रंटा। दूसरा उपाय यह है कि एक ओर परिवार में विद्यालय का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर विद्यालय में परिवार को प्रवेश करना चाहिए।”

परिवार और विद्यालय में सहयोग होने से अधिक लाभ होंगे, जैसे—

1. शिक्षक बालकों के माता-पिता से उनके विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
2. शिक्षक बालकों को दिये गये गृहकार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. शिक्षक बालकों की पारिवारिक गतिविधियों के विषयों में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. विद्यालयों के नियमों आदि के बनाने में अभिभावकों से परामर्श किया जा सकता है।
5. परिवार अपने बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसके अनुसार उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर सकेंगे।
6. अभिभावक विद्यालय की व्यवस्था और क्रियाकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
7. अभिभावक अपने बालकों की शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों की व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

अतएव परिवार और विद्यालय दोनों मिलकर ही बालक के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। इस संबंध में क्रो का कहना है—“शिक्षकों को यह स्मरण रखना आवश्यक है कि बालक की शिक्षा उसके जन्म के साथ प्रारंभ होती है और जीवन-पर्यन्त चलती रहती है।” बालक के विद्यालय में प्रवेश पाते ही विद्यालय व परिवार दोनों के प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव में अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। चाहे परिवार के प्रभाव कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, तब भी बालक को इन दोनों प्रकार की समस्याओं के लाभ को प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वांछित उद्देश्य व परिणामों को प्राप्त किया जा सके।



## 7. अविभावक-व्यावसायिक साझेदारी से आप क्या समझते हैं? अविभावक-व्यावसायिक साझेदारी की आवश्यकता तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।

(What do you understand by parent-professional partnership? Describe the need and importance of parent - professional partnership.)

अथवा

समावेशी शिक्षा के लिए अभिभावक पेशेवर भागीदारी की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा कीजिए। (Explain the need and relevance of parent-professional partnership for Inclusive education.)

उत्तर—जैसा कि हम जानते हैं समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। यह एक ऐसी सामूहिक परियोजना है, जिसमें अभिभावक, अध्यापक विद्यालय, विद्यालय-व्यवस्थापकों, सरकार, सम्प्रदाय तथा सामान्य समाज की अहम भूमिका व उत्तरदायित्व होते हैं। इसी कड़ी में समावेशी शिक्षा के तहत अभिभावक एवम् व्यावसायिक साझेदारी को भी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

समावेशी शिक्षा के तहत अभिभावक एवम् व्यावसायिक उन अनेक तत्त्वों में वे तत्त्व हैं जो कि उत्तम कक्षा की सफलता हेतु विशेष सहायक हैं। व्यावसायिक अध्यापक, विशेष विषय अध्यापक, मुख्याध्यापक विद्यालय मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, शोधकर्ता आदि किसी भी रूप में हो सकता है। एक बच्चे की स्मरण करने की योग्यता में वृद्धि तभी हो सकती है। जब परिवार, विद्यालय तथा समाज अथवा समुदाय आदि सभी

एक शैक्षिक सहभागी के रूप में एकजुट होकर कार्य करें। गहन शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता परिवार की सहभागिता एवम् समाज के सहयोग पर ही निर्भर करती है। अभिभावक एवम् व्यावसायिकों के मध्य सफल सहभागिता (साझेदारी) का विकास तभी संभव है, जब अभिभावक एवम् व्यावसायिक दोनों ही परस्पर एक दूसरे की साझेदारी एवम् भूमिका को समझें और एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसे सम्बन्धों के विकसित होने का मुख्य आधार विश्वास है। प्रभावी सहभागिता (साझेदारी) विश्वास एवम् सम्मान विद्यालय में छात्रों के लिए शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है। व्यावसायिक साझेदारी का प्रमुख ध्येय अभिभावकों पर दबाव डालता है कि वह बच्चे की भावना को समझे उनकी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक समाधान करें एवम् उनमें विचार शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाएँ।

वर्तमान समय में आधुनिकता एवम् नगरीकरण के फलस्वरूप अभिभावकों व व्यावसायिकों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ता जा रहा है, जो अशक्तता का चुनौती देने के लिए जरूरी है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आज अभिभावकों को बच्चों के प्रथम गुरु की संज्ञा दी गई है। अभिभावक अपने बच्चे के प्रशिक्षण एवम् विकास को आजीवन प्रभावित करते हैं। चाहे वह स्कूली शिक्षा ले रहा हो अथवा ले चुका हो वे उनके विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। दूसरी ओर व्यावसायिकों का भी यह उत्तरदायित्व है कि वे बच्चे के अभिभावकों को उनके बच्चे के भविष्य की शिक्षा के विषय जागरूकता प्रदान करते रहें। इस हेतु अभिभावकों एवम् व्यावसायिकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह आपस मिलजुलकर सहभागिता से काम करें। यह सहभागिता तभी संभव है जब एक ऐसी लचीली शिक्षा प्रणाली का गठन किया जाये, जो बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें पूरा कर सके। इस प्रणाली का मुख्य ध्येय है कि इस प्रणाली के सभी दावेदार-छात्र, अध्यापक, अभिभावक, समाज, प्रणाली बनाने वाले आदि। इस विभिन्नता को आसानी से लें तथा इसे मुसीबत समझने की बजाए चुनौती समझ कर इसे स्वीकार करें।

### अभिभावक - व्यावसायिक साझेदारी की आवश्यकता एवम् महत्त्व (Need and Importance of Parent Professional Partnership)

यदि चाहे सामान्य हो अथवा विशिष्ट उसकी शिक्षा में अभिभावकों एवम् व्यावसायिकों का सहयोग अत्यावश्यक होता है। विशिष्ट बच्चों के संदर्भ में तो यह आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अभिभावक तथा व्यावसायिक दोनों ही बच्चे की वास्तविक शैक्षिक समस्याओं को न समझते हुए अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को विद्यालय भेजकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। ये अभिभावक अपने बच्चे के प्रतिभाशाली होने पर गर्व अनुभव करते हैं और अगर पिछड़ा है तो विद्यालय की आलोचना करते हैं तथा बच्चे को डांटते-फटकारते हैं, शारीरिक न्यूनता ग्रस्त बच्चों के प्रति सहानुभूति व दया का प्रदर्शन करते हैं। ये सभी परिस्थितियाँ एक बच्चे के विकास के लिए उचित नहीं हैं। इसलिए अभिभावकों एवम् व्यावसायिकों को यह भली-भाँति ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए तथा कैसे मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके साथ सहयोग करते हुए उनमें कुछ कर दिखाने की प्रबल इच्छा जागृत की जाए। इन बच्चों में सामान्यतः प्रतिभा की कमी नहीं होती आवश्यकता इस बात की है कि इन बच्चों को विद्यालय के साथ-साथ घर में भी अनुकूल वातावरण मिले, उनकी समस्याओं को समझा जाए तथा उनके साथ आवश्यक सहयोग किया जाए। इसके लिए इन बालकों के अभिभावकों एवम् व्यावसायिकों के मध्य सहभागिता (साझेदारी) का होना अत्यन्त आवश्यक है। समावेशी शिक्षा में अभिभावकों-व्यावसायिक साझेदारी की आवश्यकता एवम् महत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से शिक्षा की सभी बच्चों हेतु, कुछ असमर्थता के बावजूद महत्त्वपूर्ण एवम् लाभप्रद बनाया जा सकता है।
2. अभिभावक एवम् व्यावसायिक दोनों के समान रूप में महत्त्वपूर्ण सहयोग के फलस्वरूप बच्चे के विकास की अधिकाधिक गति मिलती है।

3. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से बच्चे की विभिन्न स्कूली एवम् घरेलू आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है।
4. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के कारण सभी बच्चों की आवश्यकताओं की महत्ता को समझा जा सकता है।
5. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से विशिष्ट एवम् योग्य बच्चों को उपयुक्त सहयोग व सेवाएँ प्रदान की जा सकती है।
6. इसके माध्यम से विद्यालयों में पारिवारिक सहयोग की बाधाओं को कम किया जा सकता है।
7. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से इन उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने के लिए समुचित उपायों की खोज की जा सकती है।
8. इसके माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षा का आकार छोटा किया जा सकता है।
9. यह साझेदारी ज्ञान के समान अवसर प्रदान करने में भी सहायक है, हालांकि इससे बच्चे की योग्यता के विकास की पहचान नहीं की जा सकती।
10. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से बच्चों की स्मरण-क्षमता एवम् प्रेरणा में सुधार किया जा सकता है।
11. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से बच्चों के लिए कार्यों का अच्छा स्तर विकसित किया जा सकता है।
12. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से व्यक्तिगत शैक्षणिक गतिविधियों को सही तरीके से नियोजित किया जा सकता है।
13. इस साझेदारी के द्वारा मनोवैज्ञानिक संवेदनात्मक, सामाजिक एवम् आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चों की मदद की जा सकती है।
14. अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से बालकों का सह-मूल्यांकन करने हेतु कार्यक्रम बनाया जा सकता है और इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है।
15. इसके माध्यम से उन परिवारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है, जो विद्यालय की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं।
16. यह साझेदारी विद्यालय सदस्यों (School Staff) का व्यावसायिक सन्तुष्टि प्राप्त करने में योगदान दे सकती है।
17. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से सहायक अधिगम के क्षेत्र में व्यावसायिक निपुणता को विकसित किया जा सकता है।
18. अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी व विद्यालयों को फंड अथवा अधिक सहायता प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाती है, जिससे कि वे बालकों की आवश्यकताओं के अनुकूल गतिविधियों का विकास कर सकें।

### अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी की सफलता हेतु सुझाव (Suggestions for the Success of Parent Professional Partnership)

अभिभावक - व्यावसायिक साझेदारी की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझावों को अपनाया जा सकता है—

1. अभिभावक एवम् स्कूल के मध्य सूचना सम्बन्धी दूरी को कम करना—अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अभिभावकों एवम् विद्यालय के मध्य सूचना सम्बन्धी दूरी को कम किया जाना चाहिए। उपयुक्त सूचना और प्रशिक्षण सेवाएँ अभिभावकों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे समावेश के अर्थ को समझ सकें।

2. योजनाओं का निर्माण करना—अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी को अधिक सुदृढ़ करने हेतु परिवारों स्कूल स्टाफ के सदस्यों को एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, जिससे वे ऐसे कार्य कर सकें जो असमर्थ बच्चों को समर्थ बच्चों के साथ मिल जुलकर कार्य करने में मददगार हों।
3. अभिभावकों के आवेष्टन के समर्थन में स्कूल की पुनः संरचना करना—अभिभावक-व्यावसायिक साझेदारी को अधिकाधिक सफल बनाने हेतु विद्यालयों को निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए, व्यावसायिकों द्वारा अभिभावकों हेतु सदैव उत्तम परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। अभिभावकों को भली-भाँति ज्ञात होता है कि शिक्षकों द्वारा दिखाया गया मार्ग उनके बालकों के विकास हेतु सदैव सहायक होता है। दूसरी ओर विद्यालयों को भी अशक्त बच्चों के जीवन में अभिभावक की भूमिका को पहचानना एवम् उसे सम्मान देना चाहिए।
4. विद्यालय एवम् पारिवारिक भेदों को समाप्त करना—जैसा कि हमें ज्ञात है भाषा एवम् सांस्कृतिक अन्तरों के साथ-साथ शिक्षा के अंतर भी सम्प्रेषण के रास्ते में एक बड़ी कठिनाई है, जिसके चलते अभिभावक विद्यालय की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में विद्यालय का यह दायित्व बनता है कि वह अभिभावकों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करे, कुछ नवीन तरीकों को ग्रहण करें, जिससे कि वह बालकों की आवश्यकताओं से अवगत हो सके और उनके द्वारा संचालित, विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें सम्मिलित करें।



8. सामान्य तथा विशिष्ट अध्यापकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए।  
(Discuss the role and responsibility of General and Special Teacher.)

अथवा

समावेशित शिक्षा के लिए सुविधादाना के मोर पर सामान्य, विशेष और संसाधन अध्यापकों की भूमिका और दायित्वों पर विचार कीजिए।

(Discuss the role and responsibilities of General, Special and Resource teachers as facilitator for inclusive education.)

अथवा

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु समावेशित शिक्षा में 'सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के विषय में विस्तार से लिखिए।'

(Elaborate the roles and responsibilities of 'General and Special Teachers' in the process of education of a child with special educational needs in an inclusive setting.)

अथवा

एक इन्क्लूसिव क्लासरूम में साधारण शिक्षक एवं रिसोर्स शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की विस्तृत व्याख्या करें।

(Explain in detail, the roles and responsibilities of a general teacher and a resource teacher in an inclusive classroom.)

अथवा

विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशित शिक्षा में एक संसाधन अध्यापक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों की चर्चा कीजिए।

(Discuss the role and responsibilities of a resource teacher in inclusive education of children with special needs.)

अथवा

समावेशी कक्षा कक्ष में बहु-अक्षमताओं वाले छात्रों के प्रति अध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए।

(Explain the role and responsibilities of teacher towards multi-disabled children in an inclusive classroom.)

अथवा

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य शिक्षकों की भूमिका की विस्तार से व्याख्या कीजिए।  
(Explain in detail the role of general teachers in Inclusive Education.)

उत्तर—'अध्यापक' शब्द व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्त्व रखता है। अध्यापन पेशा या व्यवसाय नहीं बल्कि समाज के प्रति सेवा के लिए समर्पण है। वह व्यक्ति विशेष को शिक्षित कर सर्वोत्तम परोपकार अर्जित करता है। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है किसी व्यक्ति को शिक्षित करना परम सेवा है। एक शिक्षक ही देश को स्वावलंबी बनाकर बुलंदी पर पहुंचाता है। अध्यापक ही अपने बालकों में चरित्र निर्माण, व्यवहार आदि में परिवर्तन करके पूर्णता लेकर आता है। बालक का सही दिशा में सही मार्गदर्शन अध्यापक द्वारा ही संभव है। शिक्षा व्यवस्था की सफलता अध्यापक पर ही निर्भर करती है। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे समाज एवं अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। डॉ. एस राधाकृष्णन के अनुसार, "अध्यापक का समाज में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक संस्कृतियों और तकनीकी कौशलों को पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा करता है और सभ्यता के दीपक को जलाए रखने में मदद करता है।"

शिक्षा जीवन का आधारभूत अंग है। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए यदा-कदा गंभीर प्रयास किए जाते हैं। भारत के संविधान में भी 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत कोई भी बालक जो 14 वर्ष की आयु से नीचे हैं उसे प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए। लेकिन ये सभी प्रयास ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं क्योंकि आज भी लगभग चार करोड़ बालक जो 6-14 वर्ष की आयु एक स्लैब में आते हैं, अभी भी विद्यालयों में नहीं जाते। विविधताओं के देश भारत में अब भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा की उपलब्धता एक दूर का सपना बनी हुई है।

समाज के किसी भी भाग में हर प्रकार की शिक्षा का स्तम्भ अध्यापक को माना जाता है। अध्यापक हर ईकाई का आधार होता है। जब एक अध्यापक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि वह निपुण एवं योग्य हो। एक योग्य अध्यापक ही सफल समावेशन में सर्वोत्तम योगदान दे सकता है। उस अध्यापक में अध्ययन के अलावा सामाजिकता एवं व्यावहारिकता का गुण भी होना चाहिए। क्योंकि समाज जटिलताओं का ढांचा है जिसमें विभिन्न आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के लोग रहते हैं। उनकी अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पाने का तरीका या माध्यम भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है।

इस संदर्भ में जब 'सबकी शिक्षा' एवं 'सबके लिए शिक्षा' के सिद्धान्त पर जोर दिया जा रहा है तो समाज के एक वंचित हिस्से को भी सम्पन्न हिस्से में मिलाना भी अध्यापक का उत्तरदायित्व बन जाता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बालकों को सक्षम बालकों में समावेशन भी एक ही एक अध्यापक का ही उत्तरदायित्व बन जाता है। उसका उत्तरदायित्व है कि वह कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे विशिष्ट बालकों के समायोजन में दिक्कत ना आए। ऐसी विशिष्ट अवस्थाओं में बालक के समावेशन के लिए अध्यापक की भूमिका को निम्न रूप में देखा जा सकता है—

- बालक के आवश्यकता वाले क्षेत्र की पहचान करें।
- उक्त क्षेत्र को विकसित करने में सहयोग करें।
- सामाजिक रूप से पृथक् एवं अवाञ्छित ऐसे बालकों में एवं उनके प्रति सामाजिकता की भावना का विकास करें।
- जीवन में आने वाली विशिष्ट एवं विभिन्न स्थितियों को समझने में सहायता करें।

- बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक पहलुओं की ओर ध्यान दें।
- शून्य अस्वीकृति योजना को सम्पूर्ण रूप से लागू करें ताकि प्रत्येक बालक शिक्षा पा सके।
- सक्षम एवं क्षमता बाधित बालकों में सकारात्मक सोच विकसित हो।
- सफल समावेशन के लिए अध्यापकों, अभिभावकों एवं समाज में एक सफल संयोजन स्थापित करें।
- पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता दें।
- बालकों की उपलब्धि पर उन्हें पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करें।
- बालकों से कक्षा कक्ष में सर्वश्रेष्ठ व्यवहार सुनिश्चित करें।
- व्यक्तिपरक अनुदेशन की व्यवस्था करें।
- समय-समय पर बाधित बालकों का मूल्यांकन करें।
- अभिभावकों को बालकों के ग्रह अधिगम के प्रति जागरूक करने को कहें।
- गृह एवं विद्यालय अधिगम का निरीक्षण करता रहे।

**विशिष्ट अध्यापक की भूमिका**—बाधित बालकों की उन्नति एवं विकास में विशिष्ट अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसे हम निम्न शब्दों में चिन्हित कर सकते हैं—

- विशिष्ट शैली से समावेशन सुनिश्चित करना।
- लम्बे अन्तराल तक समावेशन की सफलता का प्रबन्ध करना।
- बाधित बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना।
- पहचान के बाद उन क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से कार्य कर सफल समावेशन सुनिश्चित करना।
- उन बालकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु हर प्रकार का व्यावसायिक एवं व्यावहारिक सहयोग करना।
- बच्चों के सहयोग हेतु उपयोगी जानकारी एकत्रित करना।
- बालक के विकास का निरंतर निरीक्षण करना।

### **संसाधन या संबल अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व (Role and Responsibility of Resource Teachers)**

समावेशन सुनिश्चित करना एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है क्योंकि बाधित एवं सक्षम बालकों में समावेशन अत्यन्त जटिल कार्य है। संसाधन अध्यापक इस कार्य को और अधिक आसानी से सम्पन्न कर सकता है क्योंकि उसकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य सामान्य अध्यापक का सहयोग करना है। इस कार्य के लिए संसाधित अध्यापक विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और उसे समावेशित वातावरण की अच्छी समझ होती है। वह ऐसी विधियों का प्रयोग करता है जिसे जरूरतमंद बालकों को आसानी से पढ़ाया जा सके। एक संसाधन अध्यापक के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हो सकते हैं—

- 'समावेशन' शब्द की व्यापकता समझाना।
- बाधित बालकों की पहचान में सामान्य अध्यापक की सहायता करना।
- बाधित बालकों का सतत मूल्यांकन करना।
- एक विशेष अन्तराल के बाद बालक के विकास की रिपोर्ट निरंतर तैयार करते रहना।
- अभिभावकों से निरंतर सम्पर्क में रहना।
- विभिन्न शिक्षण विधियों का उल्लेख करना।
- संबंधित बालकों, सहयोगियों एवं अभिभावकों को समय-समय पर अभिप्रेरित करते रहना।
- विशिष्ट आवश्यकताओं में आने वाली बाधाओं का निवारण करें।
- बच्चों को जितना संभव हो आत्मनिर्भर बनाएं।

**श्रवण बाधित बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का निम्नलिखित रूप में उत्तरदायित्व बनता है—**

1. बालकों की व्यावहारिकता में सुधार लाना।
2. बाधिता के क्षेत्र में व्यापक निर्देशन देना।
3. बाधिता की समय-समय पर जाँच करना।
4. श्रवण सहयोग की तकनीकें प्रयोग करना।
5. सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना।
6. ऐसे बाधित बालकों को मानसिक एवं भावनात्मक सबल प्रदान करना।

**दृष्टिबाधित बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का उत्तरदायित्व—**

1. ऐसे बालकों की पहचान करना।
2. वैयक्तिक अनुदेशन की व्यवस्था करना।
3. स्पर्श तकनीक के जरिये पढ़ाना।
4. विभिन्न प्रकार के श्रवण कौशलों को बढ़ावा देना।
5. उनकी Laser Cane का प्रयोग सिखाना।
6. उनके लिए सर्वोत्तम परिवेश उत्पन्न करना।
7. उनके अध्यापन में जुटे अध्यापकों का सहयोग करना।
8. CCTV का प्रयोग करके अल्पदृष्टि बालकों को सिखाना।
9. अध्यापकों तथा अभिभावकों द्वारा मिलजुल कर कार्य करना।

**अधिगम असमर्थ बालकों के प्रति संसाधन अध्यापक का उत्तरदायित्व—**

1. अधिगम असमर्थ बच्चों का व्यक्तिगत रूप में भाग देना।
2. इन बच्चों के लिए बहुइन्द्रियों शिक्षण तकनीकों का प्रयोग।
3. इन बच्चों के लिए अनुदेशन योजना बनाना।
4. संज्ञानात्मक व्यवहार संसाधन तकनीकों का प्रयोग।
5. इस प्रकार के बच्चों में सामाजिक कौशलों को विकसित करना।
6. इन बच्चों के लिए परामर्श सेवाओं का प्रावधान करना।
7. अध्यापक द्वारा उस सहायक सामग्री का प्रयोग करना जो सरल तथा प्रेरणा देने वाली हो।
8. बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण तथा अनुसरण आदि के रिकार्ड को सुरक्षित रखना।

### **4.3 समावेशी व्यवस्था में सहायक तथा अनुकूल उपकरण (Assistive and Adaptive Technologies in Inclusive Set Up)**

9. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं के लिए सहायक उपकरणों के प्रकार तथा प्रयोग पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।  
(Write a detailed note on types and use of assistive devices for learners with SEN.)

अथवा

समावेशी व्यवस्था में सहायक तथा अनुकूल उपकरणों का वर्णन कीजिए। विभिन्न असमर्थताओं के लिए यन्त्रों तथा दूसरी तकनीकियों के बारे में आप क्या जानते हैं?  
(Describe assistive and adaptive technologies in inclusive set up. What do you know about equipments and other technologies for different disabilities?)

अथवा

विभिन्न असमर्थताओं के लिए आई.सी.टी. का प्रयोग उपकरण तथा अन्य तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

**(Describe in detail the use of ICT, Equipments and other Technologies for different disabilities.)**  
(June 2018)

उत्तर—समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट बालकों की शिक्षा में सहायक तथा अनुकूल तकनीकी अहम भूमिका अदा करते हैं। ये उपकरण विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का एक अभिन्न अंग है : क्योंकि ये उपकरण उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं में शामिल है। इन सहायक उपकरणों की समुचित व्यवस्था के अभाव में अशक्त बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा कर पाना लगभग असंभव है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ये उपकरण अशक्त बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि, विकास एवम् निजी व सामाजिक समायोजन की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावशाली है।

### समावेशी व्यवस्था में सहायक तथा अनुकूल उपकरण

अशक्त बच्चों में तरह-तरह की विभिन्नताएँ विद्यमान होती है। अशक्तता अनेक तरह की होती है। कुछ बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं तो कुछ श्रवण बाधित, कुछ बच्चे अस्थि बाधित होते हैं, तो कुछ भाषा एवम् वाणी बाधित भाषा एवम् वाणी दोष सम्बन्धी बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। वे बच्चे अपनी वाणी सम्बन्धी दोषों के कारण अध्यापक द्वारा शीघ्रतापूर्वक पहचाने जाते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों बौद्धिक एवम् अधिगम बाधित भी होती है। इन बच्चों की संख्या दूसरे अशक्त बच्चों की अपेक्षा कम होती है। इसके बलावा बहुत से ऐसे बच्चों होते हैं जो बहु-बाधिता व प्रमास्तिष्कीय क्षति से ग्रस्त होते हैं। इन उपर्युक्त सभी विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय इनकी सहायता एवम् सुविधा के लिए कुछ सहायक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ये उपकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—

1. सहायक उपकरण (Assistive Equipments)

2. अवलम्बन उपकरण/ सुविधाएं (The Supportive Equipments/Facilities)

**1. सहायक उपकरण (Assistive Equipments)**—सहायक उपकरणों से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है, जो असमर्थ अधिगमकर्ता की पाठ्य-सामग्री के संग्रहण में विशेष योगदान करते हैं। जैसे कि एक आंशिक रूप से दृष्टि बाधित अधिगमकर्ता को चश्में, आवर्धक लेंस एवम् मोटे अक्षरों से मुद्रित पुस्तकों की जरूरत होती है। एक पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित (अन्धे) अधिगमकर्ता को, ब्रेल किताबों, ब्रले स्लेट व वर्तिका ब्रेल शीट तथा गणित सीखने हेतु अबैक्स की जरूरत होती है। इसी तरह एक श्रवण बाधित अधिगमकर्ता को अधिगम को सुगम व सुग्राह्य बनाने हेतु श्रवण उपकरण एवम् ध्वनि-वर्धक उपकरणों की जरूरत होती है तथा एक अस्थि-बाधित बच्चे को विशेष प्रकार के पैर, कृत्रिम अंगों एवम् विशेष प्रकार के मेज एवम् कुर्सी की जरूरत होती है, कहने का तात्पर्य यह है कि इन सहायक उपकरणों का सीधा सम्बन्ध असमर्थ अधिगमकर्ता के शिक्षण-अधिगम से होता, जो कि असमर्थ अधिगमकर्ता की पहुँच शिक्षा तक बनाने में अहम योगदान देते हैं।

**2. अवलम्बन उपकरण/ सुविधाएं (The Supportive Equipments/Facilities)**—अवलम्बन उपकरणों या सुविधाओं से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से हैं, जो अशक्त अधिगमकर्ता की गत्यात्मक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाकर शिक्षा प्राप्ति तक उसकी पहुँच को आसान बनाते हैं। इस तरह ये उपकरण अथवा सुविधाएँ अशक्त बच्चों की गतिविधियों सम्बन्धी भौतिक परिवेश की रूकावटों को दूर करते हैं अथवा उनसे सम्बन्धित अवस्थाओं में बदलाव लाते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ये उपकरण अथवा सुविधाएँ अपगता के फलस्वरूप बच्चे की गतिविधियों में हुए अभाव की भरपाई में विशेष रूप से सहायक होते हैं। अवलम्बन उपकरणों अथवा सुविधाओं का सम्बन्ध अशक्त बच्चों की दैहिक गतिविधियों से होता है। इन्हें क्रियात्मक साधन (उपकरण) भी कहा जाता है। पीने के पानी की टंकी के समीप या शौचालय में एक छड़ी की सुविधा अस्थि बाधित बच्चे की क्रियाओं को सुविधाजनक बना देती है।

इसके अलावा श्यामपट्ट के समीप एक अवलम्बन बनाना, शिक्षार्थ डैस्को ने आकार-प्रकार में बदलाव करना तथा स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक छोटा रैम्प बनाना आदि अनेक ऐसे प्रावधान हैं, जो स्कूल में अशक्त बच्चों की गत्यात्मक क्रियाओं को बाधा रहित बनाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। भाव यह है कि समर्थक (अवलम्बन) उपकरणों अथवा सुविधाओं का सम्बन्ध विद्यालय के परिवेश को अवरोध रहित बनाकर अशक्त बच्चों की दिनचर्या सम्बन्धी गतिविधियों को आसान बनाया है।

### विभिन्न असमर्थताओं के लिए उपकरण तथा दूसरी तकनीकियाँ (Equipments and other technologies for different disabilities)

पृथक-पृथक प्रकार की असमर्थता वाले अधिगमकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का प्रयोग अपनी आवश्यकता सुविधा एवम् असमर्थता के प्रकार के अनुरूप किया जाता है। इन सहायक उपकरणों का प्रयोग का वर्गीकृत वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है—

**1. दृष्टिबाधित बच्चों हेतु सहायक उपकरण (Assistive Devices for Visually Impaired Children)**—अशक्त बालकों की भाँति दृष्टि बाधित बालकों की भी अपनी क्रियात्मक सीमाएँ होती हैं। इन बालकों को दैनिक जीवन से सम्बन्धित, समायोजन से सम्बन्धित, आवागमन सम्बन्धी आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बाधिता का प्रसार आंशिक दृष्टिविहीनता से सम्पूर्ण दृष्टि विहीनता (अन्धापन) तक हो सकता है। अतः इन बच्चों की दृष्टिबाधिता की मात्रा के अनुरूप ही इनको सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। दृष्टि बाधित बच्चों हेतु निम्नलिखित सहायक उपकरणों को प्रयोग में लाया जा सकता है—

(i) **संकीर्ण-सर्कट टेलीविजन (Close-Circuit Television)**—कम दृष्टि के बच्चों हेतु संकीर्ण-सर्कट टेलीविजन अत्यन्त उपयोगी उपकरण है। यह उपकरण पाठ्य-सामग्री को एक बड़े आकार में टेलीविजन के परदे पर प्रदर्शित करता है। इस उपकरण के माध्यम से पाठ्य-सामग्री के आकार को अधिगमकर्ता की आवश्यकतानुसार बड़ा या छोटा किया जा सकता है।

(ii) **आवर्धक लेंस एवम् हस्तावर्धक (Magnifying Glasses and Hand Magnifiers)**—इन उपकरणों का उपयोग भी कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए किया जाता है। आवर्धक लेंस तथा हस्तावर्धक उपकरण पाठ्य-सामग्री को बड़े आकार में प्रदर्शित करते हैं।

(iii) **बृहदाकार की मुद्रित अधिगम सामग्री (Large Printed Learning Material)**—बड़े अक्षरों में मुद्रित किताबें एवम् अन्य अधिगम-सामग्री की दृष्टि बाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। ये आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों में शिक्षण में विशेष सहायक होती हैं। इन किताबों में छुपी हुई पाठ्य-सामग्री का आकार सामान्य आकार से बड़ा होता है। यह पाठ्य-सामग्री का आकार सामान्य आकार से बड़ा होता है। यह पाठ्य-सामग्री प्रायः 18-24 अंक के टंकन में होती हैं। जिससे कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों को इसे पढ़ने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(iv) **ब्रेल स्लेट तथा स्टाइलस (Braille Slate and Stylus)**—इस उपकरण का प्रयोग पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित (दृष्टिहीन) बच्चों के लिए किया जाता है। दृष्टिहीन बच्चों द्वारा इस उपकरण का प्रयोग बिल्कुल उसी प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार एक सामान्य बालक पैर तथा पेपर का प्रयोग करता है।

(v) **ब्रेल पुस्तकें (The Braille Books)**—ब्रेल पुस्तकें भी दृष्टिहीन बच्चों हेतु एक प्रमुख सहायक उपकरण है। ब्रेल पढ़ने-लिखने से सम्बन्धी एक विशिष्ट लिपि है। इस लिपि में वर्णों, शब्दों, अंकों एवम् अन्य जरूरी सामग्री के आकलन का प्रबन्ध छः बिन्दुओं (Dots) से निर्मित किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से अध्यापक दृष्टिहीन बच्चों हेतु पठन-लेखन की क्रिया को संभव बनाता है।

(vi) **ब्रेलशीट (Braille Sheets)**—एक दृष्टिबाधित बच्चे की शैक्षिक गतिविधि में यह सहायक उपकरण भी अहम योगदान देता है। एक दृष्टि बाधित बालक द्वारा इस उपकरण का प्रयोग उपयुक्त ढंग से उस समय कर सकता है, जब उसे ब्रेल स्लेट अथवा ब्रेलर का प्रयोग करना भली-भांति आ चुका हो।

(vii) **बोलते हुए कैलकुलेटर (Talking Calculator)**—बोलते हुए कैलकुलेटर भी दृष्टि बाधित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। इस उपकरण का प्रयोग आंशिक रूप से दृष्टि बाधित तथा पूर्ण दृष्टि बाधित (दृष्टिहीन) दोनों तरह के बच्चों द्वारा विशेष रूप से उस समय किया जाता है। जब आंकिक संख्याओं को बोलकर एयरोफोन के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाना हो। यह उपकरण गणित शिक्षण हेतु विशेष रूप से उपयोगी होता है।

(viii) **विशेष उपकरण (Specialised Equipments)**—दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रमों में उपर्युक्त सहायक उपकरणों के अलावा कुछ अन्य विशेष उपकरण यथा—टेपरिकॉर्डर, रेडियो एवम् विशिष्ट प्रकार के नक्शों आदि का प्रयोग भूगोल-अध्ययन का स्थान-प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान देने हेतु लाभप्रद होता है। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के अन्तर्गत दृष्टिगत संकेतों की बजाय कर्णगत संकेतों का प्रयोग ज्यादा हितकर होता है। यही वजह है कि टेपरिकॉर्डर के प्रयोग का प्रचलन इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान तथा भाषाओं के अध्ययन हेतु अधिकाधिक है।

### श्रवण बाधित बच्चों हेतु सहायक उपकरण (Devices useful for Hearing Impaired Children)

कक्षा में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं, जिनको कम सुनाई देता है या फिर ये अधिक ऊँचा सुनते हैं, ऐसे बालक श्रवण बाधित बालकों की श्रेणी में आते हैं। यह बाधिता शब्द से अति तीव्र प्रकार की हो सकती है। श्रवण बाधित बालकों को विद्यालय में तो शिक्षा सम्बन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है साथ ही वे अपने दैनिक जीवन से सम्बन्धित कार्यों को करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। फलतः वे क्रियात्मक रूप से असमर्थ हो जाते हैं। अतः इन बालकों को क्रियाशीलता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सहायक उपकरणों की आवश्यकताओं होती है—

(i) **श्रवण उपकरण (Hearing Aids)**—श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में श्रवण-उपकरणों का विशेष महत्त्व है। इन उपकरणों का प्रयोग मन्द एवम् तीव्र दोनों प्रकार श्रवण बाधित बच्चों हेतु उपयोगी होता है। इन उपकरणों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति द्वारा सम्प्रेषित सूचना वर्धन अथवा तीव्रता से सुनाई देती है, हेडफोन व ध्वनिवर्धक इसी प्रकार के श्रवण उपकरण हैं।

(ii) **फोनिक-कान तथा शून्य-ट्यूब उपकरण (Phonic Ear and the Vacuum-Tube Hearing Aid)**—यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को सीधे अधिगमकर्ता के कान में प्रेषित किया जा सकता है। या फिर एक शून्य ट्यूब का प्रयोग ध्वनि को सरल, सहज एवम् स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है।

(iii) **टेलीफोन, टाइपराइटर एवम् कम्प्यूटर की संयुक्त आकृति वाला एक उपकरण**—श्रवण बाधित बच्चों हेतु यह एक नवीन एवम् अत्याधुनिक उपकरण है। यह उपकरण श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में अत्यधिक उपयोगी एवम् सार्थक परिणाम देने वाला है।

(iv) **अनेक प्रकार की वीडियो टेप्स**—श्रावण बाधित बच्चों के शिक्षण-अधिगम में तरह-तरह की वीडियो टेप्स का प्रयोग भी सहायक उपकरण के रूप में किया जाता है।

(v) **ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead Projector)**—ओवरहेड प्रोजेक्टर की श्रवण बाधित बच्चों हेतु एक अति महत्त्वपूर्ण सहायक उपकरण है, हालांकि इस उपकरण का प्रयोग सामान्य बालकों के शिक्षण अधिगम हेतु भी किया जाता है।

(vi) **चिह्न-भाषा पैकेज (Sign-Language Package)**—चिह्न भाषा पैकेज वास्तव में कोई

सहायक उपकरण न होकर श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण-अधिगम से सम्बन्धित एक तरह की शैली है जिसमें स्थिर तथा शब्दों आदि हेतु विशेष चिह्न विद्यमान होते हैं, इन शब्दों की मदद से श्रवण बाधित बच्चों को भाषा समझने एवम् सीखने में आसानी होती है।

(vii) **अन्य उपकरण**—उपर्युक्त उपकरणों के अतिरिक्त भी श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में, छोटे-बड़े दर्पण, फ्लैश-कार्ड व कई प्रकार की शैक्षिक खेल सामग्री का सहायक उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

### वाणी बाधित बच्चों हेतु सहायक उपकरण (Assistive Equipments for Speech Impaired Children)

वाणी बाधित बालकों को अन्य प्रकार की बाधिताओं से ग्रस्त बालकों के समान ही कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बाधिता से ग्रस्त बालकों को शैक्षिक एवम् सामाजिक कार्य करने में कई तरह की क्रियात्मक असमर्थताओं का सामना करना पड़ता है। इन असमर्थताओं के कारण ये बालक केवल कठिनाइयों का ही अनुभव नहीं करते वरन् शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः क्रियात्मक नहीं हो पाते। वाणी बाधित बच्चों की शिक्षा हमें प्रयुक्त होने वाले सहायक उपकरण निम्नलिखित हैं—

(i) **प्रशिक्षण**—वाणी बाधित बच्चों को सही एवम् सार्थक वाणी के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण वाणी चिकित्सक या रोग विज्ञानी द्वारा दिया जाता है।

(ii) **कमरबन्द स्लिंग या बन्धनी का प्रयोग**—वाणी बाधित बच्चों द्वारा बोलते समय श्वसन क्रिया में मदद करने हेतु कमरबन्द स्लिंग अथवा बन्धनी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(iii) **चित्र, रेखाचित्र तथा प्रतिमाओं का प्रयोग**—वाणी तंत्र रचना एवम् ध्वनि उच्चारण सम्बन्धी प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु चित्र, रेखाचित्र एवम् प्रतिमानों का प्रयोग करना चाहिए।

(iv) **श्रवण कैसेट एवम् टेपें**—वाणी बाधित बच्चों में नासिका सम्बन्धी अशुद्धियों एवम् अनुवाद सम्बन्धी दोषों के निवारण हेतु श्रवण कैसेटों एवम् टेपों को भी सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

(v) **कृत्रिम भाषा, कृत्रिम वाणी-संश्लेषण व कम्प्यूटर का प्रयोग**—चित्र, रेखाचित्र, लेखन एवम् टाईपिंग बोर्ड जैसी अधिगम सामग्री के अलावा कृत्रिम भाषा, कृत्रिम वाणी-संश्लेषण तथा कम्प्यूटर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वाणी बाधित बच्चों ये ध्वनि उच्चारण सम्बन्धी दोषों का निदान कर, इन बच्चों की शिक्षा को सरल व रोचक बनाया जा सके।

### अस्थि बाधित बच्चों हेतु सहायक उपकरण (Assistive Equipments for Orthopaedically Impaired Children)

अस्थि बाधिता से तात्पर्य मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में व्याप्त विकृति से है। यह विकृति उसकी मांसपेशियों, जोड़ों व हड्डियों की सामान्य क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। अस्थि बाधित बच्चों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों के शिक्षण-अधिगम में निम्नलिखित सहायक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

I. **लैप-बोर्ड, पेज टर्नर, मोटे पेन एवम् मोटे पेन-होल्डर**—अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लैप-बोर्ड, पेज टर्नर, मोटे पेन एवम् मोटे पेन-होल्डर आदि का प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी होता है।

II. **संबन्धित फर्नीचर सामग्री**—अस्थि बाधित बच्चों के बैठने उपकरणों को रखने के लिए उनके फर्नीचर उपकरणों यथा—कुर्सी मेज आदि का भी प्रयोग होता है। इन उपकरणों का प्रयोग अस्थि बाधित बच्चों की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए।

**बौद्धिक अशक्तता एवम् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चों हेतु सहायक उपकरण**  
**(Devices for Intellectual impairment and Cerebral Palsy Children)**

बौद्धिक अशक्तता एवम् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों हेतु निम्नलिखित सहायक उपकरणों को प्रयोग में लाया जा सकता है—

- I. चित्रों वाले कार्ड एवम् विभिन्न प्रकार के चित्र।
- II. विभिन्न सम्प्रत्ययों के शिक्षण के लिए तरह-तरह की आकृतियों के ठोस पदार्थ।
- III. दिन, तिथियों एवम् मासों के अंकन वाले विभिन्न कैलेण्डर।
- IV. इन्द्रिय समायोजन एवम् अनुकूलन हेतु सहायक सामग्री।
- V. शैक्षणिक खेल एवम् खेल सम्बन्धी सामग्री।
- VI. दूल किट।
- VII. बैठने एवम् मुद्रा निश्चित करने हेतु (सहारा हेतु) विशेषाकार फर्नीचर एवम् शारीरिक समन्वय हेतु (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चों हेतु), बैसाखियाँ, के-वाफर, पहिया-कुर्सी आदि।
- VIII. शिक्षण की-बोर्ड, टाइप मशीन अथवा वर्ड-प्रोसेसर आदि।

**अवलम्बन (समर्थक) उपकरण सुविधाएँ (The Supportive Devices Facilities)**

अवलम्बन (समर्थक) उपकरण गत्यात्मक सुविधाओं से सम्बन्धित ऐसे उपकरण होते हैं; जो बाधित व्यक्तियों को अपनी दिनचर्या सम्बन्धी एवम् अन्य गतिविधियों को बाधा मुक्त करने में विशेष मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार की बाधिता वाले बच्चों हेतु जहाँ कुछ सहयोग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वहीं कुछ अवलम्बन (समर्थक) उपकरणों एवम् सुविधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों एवम् सुविधाओं का प्रयोग बालक की बाधिता के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है—

- I. दृष्टि बाधित बच्चों की दिशा अथवा स्थान उन्मुखता एवम् गमन करने में मददगार छड़ी का प्रयोग किया जाता है।
- II. अस्थि बाधित बच्चों हेतु बन्धनी, बैसाखियाँ, ट्राईसाइकिल एवम् पहिया कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता है।
- III. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों की सहायता के लिए बैसाखियाँ, के-वाफर, केस्टर वाली कुर्सी आदि का प्रयोग अवलम्बन उपकरणों के रूप में किया जाता है।
- III. स्कूल-भवन के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों की बजाए असमर्थ बच्चों की सहायतार्थ एक रैम्प भी बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने से इन बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- IV. कक्षा-कक्ष में डैस्को की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए, जिससे कि बैसाखियों के सहारे चलने वाले बच्चों को चलने एवम् मुड़ने में अधिक परेशानी न हो।
- V. प्रयोग किए जाने वाले फर्नीचर में इस तरह बदलाव किया जा सकता है ताकि बन्धनी वाले बच्चों को किसी प्रकार की समस्या न हो।
- VI. कक्षा-कक्ष तथा प्रयोगशाला में फर्श, फर्श के फिसलन वाले या रिक्त जगह पर रबड़ की चटाई को बिछवाया जा सकता है। जिससे कि पहिया-कुर्सी या बैसाखियों के सहारे चलने वाले बच्चों को फिसलने से बचाया जा सके।
- VII. स्कूल-भवन, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवम् असेम्बली हाल की बाधाओं को दूर किया जा सकता है, या इन बालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इनकी स्थिति में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

